खण्ड-363, अंक-6
गुरूवार, 17 भाद्रपद, शक संवत् 1905
(8 सितम्बर, 1983 ई0)

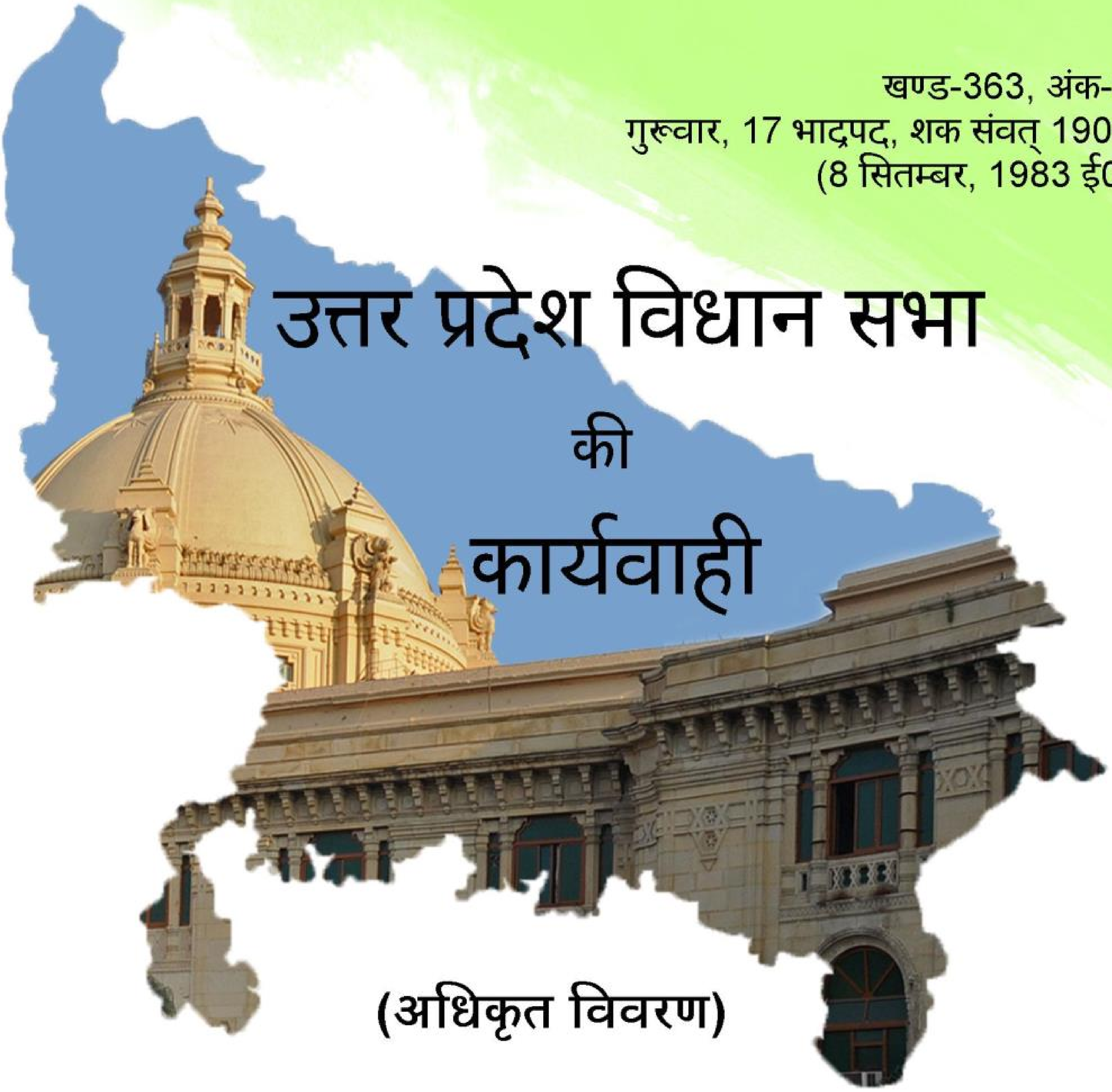

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 363 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1–5
प्रश्नोत्तर	..	7–108
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	108–109
सचिवालय, एनेक्सी में प्रवेश के लिए विधायकों द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्रों की मान्यता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न		109
विधान सभा मण्डप में लगे लाउडस्पीकर्स के दोषपूर्ण होने से सदस्यों को कठिनाई के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	110
शाहजहांपुर में जल-जमाव एवं कूड़े आदि के जमाव से उत्पन्न महामारी के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	110–111
शाहजहांपुर, जिला अस्पताल में व्याप्त भीषण दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	111–112
जनपद गोरखपुर की फरेंदा एवं महराजगंज तहसीलों में भूमि आवंटन से हरिजनों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	112
प्रदेश के सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	113
ग्राम बढ़या कलां, जिला बस्ती के हरिजनों पर श्री परमात्मा शुक्ल द्वारा किए जा रहे अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	113–114
रुहेलखंड तथा अन्य विश्वविद्यालयों में हो रही परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रवेश की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	114
थानानगर, जनपद बस्ती के थानाध्यक्ष श्री प्रह्लाद मिश्र के पक्षपात-पूर्ण रवैये से ग्राम बक्सर के मुसलमानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	114–115
मण्डल आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समय निर्धारण की मांग	..	115
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (प्रथम एवं द्वितीय भाग) वर्ष 1983–84—(सदन के पटल पर रखा गया।)	..	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
उ0 प्र0 क्षेत्र समिति (सदस्यों का अनुमेलन) (आठवां संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गई) ..	116
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों को चुनने की) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गई) ..	116
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों को चुनने की) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गई) ..	116
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गई) ..	116
भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने या प्रतिज्ञापन करने के सम्बन्ध में (प्रथम संशोधन) नियमावली 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	117
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गई) ..	117
उ0 प्र0 जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	11
उ0 प्र0 नगर योजना और विकास (अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र पर और अपील पर फीस) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गई) ..	118
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 1980-81--(वाणिज्यिक) (सदन के पटल पर रखा गया) ..	118
उ0 प्र0 नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983--(सदन के पटल पर रखा गया) ..	118
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983--(विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	118
मुख्य मंत्री के विरुद्ध श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ द्वारा उठाये गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	119
राजस्व मंत्री के विरुद्ध श्री राम आसरे वर्मा द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	119-120
नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर माननीय मन्त्रियों के हस्ताक्षर से न प्राप्त होने के सम्बन्ध में उठाये गए औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	120-121

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक 4 मार्च, 1982 को पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या--1 के अनुपूरक प्रश्नोत्तरों के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	121-122
दिनांक 30-1-82 को जनपद गाजियाबाद के हरसांव की मड़वा नामक गांव में पुलिस द्वारा डकैती डालने के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गृह मंत्री द्वारा दिनांक 3-3-82 को दिए गए वक्तव्य के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	122-124
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	124-132
उ0 प्र0 बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उ0 प्र0 बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित) ..	132-139
उ0 प्र0 आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उ0 प्र0 आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित) ..	140-152
उ0 प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उ0 प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित) ..	152-166
उ0 प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उ0 प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित) ..	166-175
नेशनल कैपिटल रीजन के क्षेत्रों के लिए सांविधिक निकाय की स्थापना और उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उ0 प्र0 राज्य में विनियमन, संसद द्वारा तथा विधि द्वारा किए जाने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत) ..	176-178
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	179
मथुरा जनपद में अतिवृष्टि एवं जलप्लावन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	179-185
श्री सरदार सिंह के सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	185-186
जिला बस्ती के खलीलाबाद कस्बे में जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष, श्री हीरा राज सिंह की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	186-192
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	192-193

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों, रेलवे मजिस्ट्रेट एवं न्यायाधीशों द्वारा अपनी मांगों के लिए आन्दोलन करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	193-196
गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य पांच निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में बंध पाये गए नामों की घोषणा ..	196-199
उ0 प्र0 अष्टम विधान सभा की नियम समिति (1982-83) के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों को लागू किए जाने सम्बन्धी कालावधि में परिवर्तन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	200
सीतापुर के गांजरी क्षेत्र लहरपुर, बिसवां एवं महमूदाबाद तहसील के शारदा सहायक नहर के सीपेज और बाढ़ से भूमि के जलमग्न रहने से उत्पन्न आर्थिक संकट के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	200-213
नत्थियां ..	215-245

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 8 सितम्बर, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बज कर 2 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—371

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुल्तन भय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदेसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई) (बेगम एजाज रसूल)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगर
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)

गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, , श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह, यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह, विष्ट, (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परसाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)

प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलबीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भवर नारायण मिश्रा, श्री (गाजियाबाद)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबराज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईन अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मन नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)

राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमनी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)

सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

बिहार पंचायत सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 8 सितम्बर, 1983

तारांकित प्रश्न

*1--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त :]

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की मांगों पर कृत कार्यवाही

*2--श्री केदारनाथ सिंह--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, जिसमें पांच संगठन सम्मिलित हैं, ने अपने पत्र दिनांक 2-3-83 द्वारा कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया है और मांगें न पूरी होने पर भूमि विकास बैंक के कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो इनकी मांगें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--

जी हां, कथित आन्दोलन दिनांक 15-5-1983 के पूर्व ही बिना शर्त समाप्त हो गया था। बैंक में अब शान्ति पूर्ण ढंग से कार्य हो रहा है। इनकी मांग निम्न थीं :--

(1) समझौते के अनुसार जुलाई, 1978 के पश्चात् बढ़े हुये अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान।

(2) प्रभावित कर्मचारियों को एवार्ड की धनराशि का भुगतान।

(3) प्रति नियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का तत्काल प्रत्यावर्तन।

(4) तदर्थ नियुक्तियों की पूर्णतया समाप्ति।

(5) कर्मचारियों की शत प्रतिशत पदोन्नति।

उक्त मांगों पर निम्न कार्यवाही की गई :--

(1) मांग संख्या (1) निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा अस्वीकृत कर दी गई।

(2) मांग संख्या (2) के सम्बन्ध में मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

(3) मांग संख्या-3, 4 व 5 को बैंक प्रबन्ध तंत्र ने स्वीकार नहीं किया है।

श्री केदारनाथ सिंह--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी संघर्ष समिति में पांच अन्य कर्मचारी संगठन सम्मिलित थे, उन्होंने यह नोटिस अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल करने की दी थी, तो इसमें जो मांगे थीं, उस पर आप गौर करें, पहली मांग थी--समझौते के अनुसार जुलाई, 1978 के पश्चात् बढ़े हुए अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान, जिसके बारे में मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि इसे रजिस्ट्रार ने स्वीकार नहीं किया, तो यह समझौता तो किसी अधिकारी से हुआ होगा और जब समझौता हो गया तो क्या विभागीय अधिकारियों की यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उस समझौते को पूरा किया जाय ।

श्री बच्चा पाठक--

इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ ।

श्री केदारनाथ सिंह--

यह खुद इसमें उत्तर दे रहे हैं, श्रीमन्, जरा आप देखें, यह लिख रहे हैं कि समझौते के अनुसार जुलाई, 78 के पश्चात् बढ़े हुए अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान इस पर मैंने प्रश्न किया था और उस पर अब मंत्री जी यह कहते हैं कि कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन मैं नम्बर 3, 4 के बारे में प्रश्न करना चाहता हूं कि उसमें कौन सी बाधा उत्पन्न हो गयी है कि जो माननीय मंत्री जी को इन मांगों को मानने में कठिनाई हो रही है ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, यह जो मांगें मांगी गयी हैं यह नियमावली के अनुरूप नहीं हैं इसलिए यह स्वीकार नहीं की गयी हैं । दूसरा जो नामक एवार्ड वाला है तो सुप्रीम कोर्ट में वह लम्बित है इसलिए इसके विषय में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मान्यवर, सहकारी संस्थाओं में नियुक्ति के लिए सहकारी संस्थागत सेवा मंडल की स्थापना हुयी ? यदि हां, तो तदर्थ नियुक्तियां करने का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दे चुके हैं, आप बैठें ।

श्री केदारनाथ सिंह--

मान्यवर, मारकण्डेय चन्द्र जी ने जो अपनी बात मांग नं0-4 के बारे में कही है तो उनका कहना सत्य है । उनकी मांग थी कि तदर्थ नियुक्तियों की पूर्णतया समाप्ति, तो जब सेवा मंडल की स्थापना हो गयी है तो सहकारी समितियों के लिए तदर्थ नियुक्तियों का क्या औचित्य है और यह मांग सरकार क्यों नहीं स्वीकार करती है ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, सेवा मंडल के द्वारा नियुक्तियों का प्रावधान है, लेकिन साथ ही सब नियमावली में यह प्रावधान है कि तदर्थ नियुक्तियां की जा सकती हैं ।

मथुरा जनपद में जल भराव एवं बाढ़ के दौरान संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय

*3—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि गत कई वर्षों से मथुरा जनपद में जल भराव एवं बाढ़ के कारण भयंकर मलेरिया व अन्य बीमारी फैलती जा रही है जिसके कारण हजारों व्यक्ति प्रति वर्ष मरते हैं ? यदि हां, तो शासन इस जनपद में मलेरिया एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई विशेष प्रबन्ध करने की कृपा करेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

मथुरा जनपद में मलेरिया तथा अन्य रोगों की रोकथाम हेतु विशेष प्रबन्ध किया गया है और नियमित रूप से कीटनाशक औषधियों का छिड़काव तथा रोग निरोधी औषधियों का वितरण किया गया है । टीके लगाये जाने और यथोचित चिकित्सा उपचार की व्यवस्था भी की गई है ।

वर्तमान बाढ़ के दौरान संक्रामक रोगों के प्रकोप से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रभावी कार्यवाही और उसकी निगरानी जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ अधिकारियों के नियंत्रण में गठित सचल दलों द्वारा की जा रही है ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, हमारे जिले में हर वर्ष हजारों आदमी मारे जाते हैं । मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि मलेरिया और संक्रामक रोगों से लोग मरते हैं । आज कल भयंकर बाढ़ है, जल प्लावन है और कोई दवाई नहीं बांटी जा रही है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अविलम्ब वह वहां पर सचल दल भेजने की कृपा करें । आपकी जो डिस्पेंसरीज हैं वहां पर डाक्टर नहीं हैं । डाक्टर अपने-अपने घरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि अविलम्ब सचल दस्ते को भेजने की कृपा करेंगे ताकि भयंकर बाढ़ के कारण लोगों की बीमारियों से बचाने में मदद की जा सके ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, विधायक जी ने जो प्रश्न किया है तो यह कहना बिलकुल बे-बुनियाद है कि वहां पर सुचारु प्रबन्ध नहीं है, दवाइयों का इन्तजाम नहीं है । मान्यवर, युद्ध स्तर पर हर क्षेत्र में वहां दवायें बांटी जा रही हैं और हमारी जो टीम है वह एक्टिवली काम कर रही है कि किसी रोग को बढ़ने न दिया जाय । फिर भी माननीय सदस्य चाहते हैं कि लखनऊ से टीम चली जाय, तो हम भेज देंगे ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ और गर्मी के कारण मथुरा जिले में मलेरिया और संक्रामक रोगों से कितने आदमी मरे हैं ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, मलेरिया से मरने की सूचना इस वक्त नहीं है लेकिन जो बाढ़ आयी है तो 2 महीने के अन्दर सिर्फ 6 आदमी मरे हैं । वे दूसरे मर्जों से मरे हैं, मलेरिया से नहीं मरे हैं ।

मुरादाबाद की विभिन्न सहकारी समितियों की स्पेशल आडिट रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

*4--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मंत्री को विदित है कि मुरादाबाद में स्पेशल आडिट रिपोर्ट में 474 कोआपरेटिव संस्थाओं के सम्बन्ध में 1956 से लेकर 31 मार्च, 1982 तक की हुई जांच, जिसमें 37.64 लाख का गबन तथा 1.50 करोड़ रु0 का मिसएप्रोप्रिएशन पाया गया है, से सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1956 से 31 मार्च, 1982 तक जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाओं से सम्बन्धित 474 स्पेशल आडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें 37.64 लाख रुपये का गबन एवं 156.53 लाख रुपये का मिसएप्रोप्रिएशन था। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी और उनके विरुद्ध सालसी कार्यवाही, विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही, निलम्बन, और सेवा-समाप्ति आदि भी की गयी है।

जिला सहकारी बैंक, बाराबंकी के सचिव के विरुद्ध जांच

*5--श्री भीखा लाल--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के 2रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 43 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भित शिकायत की जांच किसके द्वारा कराई गयी ? क्या शिकायतकर्त्ता के बयान तथा साक्ष्य लिए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

संदर्भित शिकायत की जांच जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, बाराबंकी से करायी गयी।

शिकायत कर्त्ता के बयान अथवा साक्ष्य लेना जांच अधिकारी द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस उत्तर के सम्बन्ध में मैं आपकी सहायता चाहता हूं और संरक्षण भी चाहता हूं। मान्यवर, बाराबंकी जिला सहकारी बैंक के सचिव के खिलाफ 32 आरोपों के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र 81 में दिया गया। उसके सम्बन्ध में मैंने प्रश्न किया, उत्तर यह मिला कि शिकायतें निराधार पायी गयीं। जांच कर्त्ता अधिकारी सहायक निबन्धक, बाराबंकी ने जिसके खिलाफ शिकायत थी उसका स्पष्टीकरण ले लिया और सन्तुष्ट हो गये और शिकायत को निराधार कह दिया। मैंने दुबारा प्रश्न किया कि शिकायत कर्त्ता का साक्ष्य लिया गया या नहीं। उत्तर आया शिकायत कर्त्ता के बयान अथवा साक्ष्य लेना जांच अधिकारी द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जांच का तरीका मुनासिब है और इस उत्तर से आप भी सन्तुष्ट हैं ?

श्री बच्चा पाठक--

जांच के समय प्रार्थी को बुलाना चाहिये था यह आवश्यक था लेकिन जांच कर्त्ता सन्तुष्ट हो गये और नहीं बुलाया ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह नहीं है । जिन्होंने शिकायत की थी उनसे पूछताछ की गयी या नहीं ?

श्री बच्चा पाठक--

मैंने पहले कहा प्रश्न कर्त्ता से जांच नहीं की गई ।

श्री भोखा लाल--

यही मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न कर्ता से पूछताछ करना क्या जरूरी नहीं समझा गया ?

श्री बच्चा पाठक--

पहले मैंने कहा माननीय सदस्य से कि प्रश्नकर्त्ता को जांच के समय बुलाना चाहिये था लेकिन जो तथ्य दिये गये जांचकर्त्ता को मालूम हुआ, सही नहीं हैं, इसलिये नहीं बुलाया ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैं जानना चाहूंगा माननीय भोखा लाल जी ने जो कहा मान्यवर, यह मेरे जिले का मामला है और मुझे इनकी जानकारी है । शिकायतकर्ता से नहीं पूछा क्योंकि जांच करने मंत्री जी तो गये नहीं जांच तो सहायक निबन्धक ने किया । सचिव और सहायक निबन्धक में अवैध रूप से गठबन्धन होता है तो वह जांच क्या करेगा । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सहायक निबन्धक से उच्च अधिकारी से इसकी जांच कराने एवं शिकायत कर्ता से पूछताछ कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

माननीय सदस्य की राय है तो ऐसा कर सकते हैं ।

श्री ऊदल--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शिकायतें हैं उनमें से 2-4 मुख्य-मुख्य शिकायतें सदन में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

शिकायत की दुबारा जांच होगी ।

श्री ऊदल--

एक-दो पढ़वा दें ।

श्री बच्चा पाठक--

जो शिकायत है उसमें यह तो बहुत लम्बा चौड़ा है। एक तो उसमें साधारण सी बात है सचिव के ट्रान्सफर में यह गया, दूसरे सभी शाखाओं में दौरा करना चाहिए एक में दौरा किया। जो गलत अधिकारी रहे उनका ट्रान्सफर ऐसी जगह कर दिया जहां नहीं करना चाहिये।

जिला अस्पताल, पीलीभीत के जनरल स्टोर से औषधियों की चोरी

*6--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि विगत 28-29 नवम्बर, 1982 की रात्रि में जिला अस्पताल, पीलीभीत के जनरल स्टोर से लगभग 20 हजार रुपए मूल्य की औषधियों की चोरी हुई थी? यदि हां, तो इस अपराध में संलग्न लोगों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरि सिंह--

जी हां, विगत 28-29 नवम्बर, 1982 की रात्रि में जिला अस्पताल, पीलीभीत के जनरल स्टोर से लगभग सत्रह हजार रुपये मूल्य दवाओं की चोरी हुई थी। इस चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट 29 नवम्बर, 1982 को ही थाना कोतवाली में दर्ज करा दी गई थी। पुलिस विवेचना चल रही है। विवेचना के उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायगी।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, चोरी 28-29 नवम्बर, 1982 को हुई और एफ0 आई0 आर0 29 नवम्बर, 1982 को लिखाई गई और विवेचना, 10 महीने पूरे हो जाने के बाद भी समाप्त नहीं हुई है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चोरी की रिपोर्ट किसकी ओर से दर्ज कराई गई और इसमें जो विवेचना अब तक हुई है उसके आधार पर किन लोगों पर दोष साबित हो रहा है?

श्री हरि सिंह--

यह रिपोर्ट श्री रामेश्वर दयाल, फार्मेसिस्ट के द्वारा की गई थी। विवेचना की पूरी जानकारी विभाग को नहीं दी गई है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अस्पताल में चोरी हुई और आज तक विभागीय जांच के आधार पर दोषी व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश नहीं की गई है और न दोषी व्यक्तियों का पता लगा है। यह बता दिया गया कि विवेचना चल रही है, विभागीय अधिकारियों के साथ और पुलिस अधिकारियों के बीच। मान्यवर, अब तक अन्तरिम रिपोर्ट मिली होगी अगर नहीं, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विवेचना रिपोर्ट पुलिस से कब तक मांग लेंगे और जिन पर दोष साबित हो रहा है वह कार्यवाही कब तक करेंगे?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, एक तो 23 अगस्त को विभागीय जांच के आदेश दे दिए दूसरे अन्तरिम रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

स्वास्थ्य निदेशालय में डिप्टी डाइरेक्टर (इलेक्ट्रिक) के पद पर प्रोन्नति में अनियमितता विषयक कतिपय विधायकों के पत्र पर कार्यवाही

*7--श्री छत्तर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय में डिप्टी डायरेक्टर (इलेक्ट्रिक) पद पर प्रोन्नति में अनियमितताओं के विषय में माननीय मुख्य मन्त्री, स्वास्थ्य मंत्री, सतर्कता सचिव एवं शासन को प्रेषित माननीय विधायकगण श्री किरनपाल सिंह, श्री कुबेर भंडारी व अन्य के पत्र दिनांकित 26-8-82, 19-10-82 तथा 15-1-83 प्राप्त हुए ? यदि हां, तो क्या संस्तुति के आधार पर सतर्कता विभाग से जांच कराई गयी ? प्रश्नगत अधिकारी श्री वी0 के0 सिंह के विषय में पत्र, दिनांक 15-1-83 व अन्य लिखित सूचनाओं में क्या-क्या सही पाई गयीं व अनियमितताओं के लिए दोषी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि जांच नहीं कराई गई, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 15-1-83 प्राप्त हुआ है । मामले में स्वास्थ्य सेवा निदेशक से, जांच करायी जा रही है । विभागीय जांच के परिणाम के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही पर विचार सम्भव होगा ।

डा0 बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट

*8--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय डा0 बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच हेतु वर्ष 1982 में नियुक्त मजिस्ट्रेट महोदय की जांच रिपोर्ट शासन को कब मिली उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा उस पर अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

परगनाधिकारी/मजिस्ट्रेट सदर फैजाबाद की जांच रिपोर्ट शासन को दिनांक 10 मई, 1983 को प्राप्त हुई ।

शिकायतें निराधार पाई गईं । प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद जनपद के ग्राम नेवड़िया में पानी की टंकी गिरने की जांच में दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*9--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की मेजा तहसील के ग्राम नेवड़िया में पानी की टंकी जो सन् 1980 में गिर गयी थी के सम्बन्ध में जांचोपरान्त किन-किन अधीक्षण अभियन्ताओं को दोषी पाया

गया था ? उक्त दोषी अधीक्षण अभियन्ताओं के विरुद्ध दिनांक 28-4-1983 तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि उक्त टंकी गिरने के सम्बन्ध में दो दोषी अधीक्षण अभिन्ताओं में से एक को ही निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो दोनों अधीक्षण अभियन्ताओं को क्यों नहीं निलम्बित किया गया है ? क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि उक्त टंकी गिरने के मामले में मुख्य रूप से दोषी अधीक्षण अभियन्ता की पदोन्नति कर दी गई है ? इस संदर्भ में जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

ग्राम नेवड़िया, तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद में पानी की टंकी गिरने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच के अनुसार सर्वश्री धर्मपाल सिंघल एवं यदुनन्दन, तत्कालीन अधीक्षण अभियंताओं को दोषी पाया गया । जांच आख्या की विवेचना के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा श्री धर्मपाल सिंघल दोषी नहीं पाये गये, किन्तु श्री यदुनन्दन अधीक्षण अभियंता प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करके उन्हें दन्डित किया जा चुका है ।

टंकी गिरने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच आख्या की विवेचना के उपरान्त केवल एक ही अधीक्षण अभियंता को दोषी पाया गया, अतएव केवल एक ही अधीक्षण अभियंता को निलम्बित किया गया ।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पाये गये मुख्य रूप से दोषी अधीक्षण अभियन्ता की पदोन्नति नहीं की गई है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी ने जांच की थी, जो प्रारम्भिक जांच हुई थी वह कौन से अधिकारी थे ? उनका क्या नाम था ? अब वह किस पद पर हैं ? दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या जांच रिपोर्ट माननीय मन्त्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जल निगम के मुख्य अभियन्ता ने जांच की थी और जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या यह सही है कि दोषी अधिकारी ने ही जांच की थी वह स्वयं आज मुख्य अभियन्ता अथवा चेयरमैन के पद पर आसीन हैं और जांच में टंकी गिरने की बात है जो भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है और उस पर कार्यवाही की गई ? डिसिप्लिनरी कार्यवाही की गई है ? जांच के उपरान्त भुगतान सम्बन्धी उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है । आज वर्तमान में जल निगम के चेयरमैन वह व्यक्ति नहीं हैं, कोई अन्य हैं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो जांच हुई थी उसमें सीधे-सीधे टंकी गिरने की बात को जिम्मेदारी स्वीकार की गयी है उत्तर में। मैं जानना चाहता हूं कि टंकी गिरने पर दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो प्रश्न के उत्तर में बताया गया है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, नहीं बताया गया है।

श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि संबंधित टंकी गिर जाने पर कितने का नुकसान हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

यह पूछ रहे हैं कि कितने रुपये का नुकसान हुआ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, आठ लाख रुपये का नुकसान हुआ।

(व्यवधान)

आयुर्वेदिक व यूनानी स्नातकों को हाउस जाब सुविधा

*10—श्री मुईद अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आयुर्वेदिक व यूनानी स्नातकों को उ0 प्र0 के केवल 24 जनपदों में ही विभाग द्वारा हाउस जाब करने की छूट प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार आयुर्वेदिक व यूनानी स्नातकों को प्रदेश के सभी जिलों में हाउस जाब करने की सुविधा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

जी नहीं। इस समय संलग्न सूची के अनुसार 40 स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध है।

फिलहाल इस सम्बन्ध में अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट 215 पर।)

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, आयुर्वेदिक और यूनानी स्नातकों को प्रदेश में हाउस जाब की सुविधा 24 जिलों में है और उत्तर में कहा है कि 40 स्थानों पर है, तो 24 जिला हेडक्वार्टर पर और शेष 16 तहसील हेडक्वार्टर पर यह सुविधा है। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाउस जाब की सुविधा पूरे प्रदेश के जिलों में क्या देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

श्री मुईद अहमद--

पूरे प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर पर यह सुविधा देने में क्या कठिनाई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, जितने छात्र हैं उससे अधिक हाउस जाब की सुविधा उपलब्ध है ।

*11--श्री श्यामलाल वाजपेयी--

[16 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गाजियाबाद जनपद में आवासीय योजना हेतु साहिबाबाद की भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी अधिसूचना पर कार्यवाही

*12--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद जिले में साहिबाबाद के सामने स्थित जमीन में आवास बनाने हेतु आवास विकास परिषद् तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने धारा 4 में सन् 1982 में कब्जा लेने हेतु अधिसूचना जारी की थी ? क्या यह सत्य है कि विभाग इस अधिसूचना को वापस ले रहा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

गाजियाबाद जिले में परिषद् द्वारा आवासीय योजना तैयार की गयी है जिसमें अन्य ग्रामों की भूमि के साथ कुछ भूमि साहिबाबाद ग्राम की भी सम्मिलित है । योजना की परिषद् अधिनियम की धारा 28 (भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4 के समकक्ष) के अधीन 26 जून, 1982 से अधिसूचना जारी की गयी है । परिषद् द्वारा उक्त अधिसूचना को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है बल्कि योजना की भूमि अर्जन की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, यह प्रथम बार है जबकि प्रश्न का जवाब स्पष्ट मिला, शायद जवाब देने स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे थे इसलिए स्पष्ट जवाब मिला । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जवाब मिला है सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 7 की कार्यवाही होती है जिसमें भूमि अर्जित की जाती है, तो जो सेक्शन 7 की भूमि अर्जन की कार्यवाही है, वह कब से शुरू की जा रही है और कब समाप्त हो जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, जून, 1982 से प्रारम्भ की गयी है और अतिशीघ्र समाप्त कर दी जायगी ।

बुलन्दशहर जनपद की टाउन एरिया, औरंगाबाद के बख्शी श्री फारुख अब्दुला के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप की जांच पर उनका निलम्बन

*13--श्री किरत पाल सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 25 अक्तूबर, 1982 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा कस्बा औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर की जनता का टाउन एरिया, औरंगाबाद के बख्शी, श्री फारुख अब्दुला की अनियमितताओं के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र जिला अधिकारी, बुलन्दशहर को दिया गया था ? क्या परगनाधिकारी, बुलन्दशहर ने जिला अधिकारी के आदेशानुसार उक्त शिकायती-पत्र की जांच रिपोर्ट 26-11-1982 को प्रस्तुत कर दी थी ? क्या जांच में उक्त बख्शी को 5 लाख रुपये के घोटाले तथा सरकारी पत्रावलियों के गुम करने का दोषी सहित अन्य अनेक गम्भीर अनियमितताओं का भी दोषी पाया था ? यदि हां, तो उक्त बख्शी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां, प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 1982 को कतिपय टोल कर्मचारियों का शिकायती-पत्र जिलाधिकारी को दिया गया था ।

जी हां, गम्भीर अनियमितताओं के आरोप में बख्शी मोहम्मद फारुक को निलम्बित कर दिया गया है ।

श्री किरण पाल सिंह--

मान्यवर, यह जो टोल टैक्स कर्मचारियों का शिकायती-पत्र है वह मैंने दिया था । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये गम्भीर अनियमितताएं क्या हैं जिनके आरोप में निलम्बन किया गया है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, नगरपालिकाओं में या टाउन एरिया कमेटी में वेतन का कुछ अंश शासन से दिया जाता है । इन्होंने 1-5-1979 से मई, 1980 तक जो टोल कर्मचारी थे, उनका कुछ वेतन नहीं दिया था । सन् 1980, 1981, 1982 में इन्होंने इन फर्जी व्यक्तियों को वेतन देने के लिये उस समय धन निकाला, जबकि यह 8 कर्मचारी सेवा में नहीं थे । यह अनियमितता हुई है । और इस पर वे निलम्बित किये गये हैं ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, जो जांच हुई है, एस0 डी0 एम0 ने जांच की, उसमें स्पष्ट रूप से साढ़े चार लाख रुपए का गबन इन बख्शी जी के द्वारा साबित हुआ । इसी के साथ-साथ मान्यवर, एक और गम्भीर अनियमितता साबित हुई थी, वह यह थी कि कुछ पत्रावलियों के जरूरी कागजात ये वहां की टाउन एरिया के कार्यालय से गायब करा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इन गम्भीर अनियमितताओं को देखते हुए, एक, दो सम्बन्धित पत्रावलियों जरूरी कागजात गायब हो गये, जिससे कि और भी दोष साबित होते और उस

वक्त साढ़े चार लाख रुपये के गबन का जो दोष साबित हुआ, तमाम डेवलपमेंट कार्यों के तहत, क्या इस बख्शी के खिलाफ कोई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? और क्या उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मुझे तो पहली बार यह जानकारी हो रही है। यदि माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे, तो उस पर जांच करा ली जायेगी और अगर दोषी पाये जायेंगे, तो उन्हें दंडित कर दिया जायेगा।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, जांच रिपोर्ट में, जो जांच परगनाधिकारी ने की है, उसमें यह बातें आयी हैं, और वे साबित हुई हैं। दुबारा जांच किसी हायर अथारिटी से कराना चाहें, तो उससे करा ल। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस बख्शी का तबादला किसी दूसरे कस्बे में हुआ था, लेकिन सचिव ने उस तबादले को रोका था, यहां से सरकार ने उसे रोका था। क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस बख्शी के निलम्बन आदेश वापस ले लिये गये हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं।

गोरखपुर जनपद में ग्राम्य स्वास्थ्य रक्षकों का चुनाव तथा प्रदेश में स्वास्थ्य समितियों का गठन

*14--जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि गोरखपुर जनपद में ग्राम्य स्वास्थ्य रक्षकों का चुनाव जिला स्वास्थ्य अधिकारी विभागीय निर्देशों की अवहेलना करके कर रहे हैं और चुने जाने के लिए रिश्वत देना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार तत्काल क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हरि सिंह--

रिश्वत सम्बन्धी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। परन्तु अभी तक जिन शिकायतों पर जांच पूरी की गई है, वे निराधार पायी गयी हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं, माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कुछ शिकायतें किनकी हैं, यह कब पायी गयी और उनकी जांच कब करायी गयी है ?

श्री हरि सिंह--

8 शिकायतें प्राप्त हुयी थीं, जो निम्न की हैं :

(1) श्री राम दवन प्रसाद, ग्राम लखेसरा, (2) श्री राम आसरे जैसवाल, ग्राम धुधुला, (3) श्री नान्हू, सिंह ग्राम पिपरामुन्डेरी (4) श्री विश्वनाथ प्रसाद, ग्राम नौनिय (5) श्री जोखन लाल, प्रधान पिपरा मुन्डेरी, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपराइच, (7) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहजनवा (8) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटहट।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

कब जांच करायी गयी और किस अधिकारी से करायी गयी ?

श्री हरि सिंह--

आपकी जो यह शिकायतें मिली हैं, मुकतलिफ तारीखों में मिली हैं, उसके हिसाब से बराबर एक हफ्ते में इन्क्वायरी करवा ली गयी । एक हफ्ते के अन्दर करा ली गयी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, आपने जवाब देखा, किस-किस तरीके से दिया जा रहा है । मान्यवर, आप संरक्षण दें । मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा, मेरी स्वतः की शिकायत थी, और शिकायत आदरणीय सदन में भी दी थी, माननीय मन्त्री जी के चेम्बर में लिखित रूप में दी थी, डाक से भी भेजी थी, माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया कि फलां-फलां की शिकायत मिली । मैंने पूछा कि उसकी जांच कब और किस अधिकारी से करायी गयी तो जवाब मिला कि एक हफ्ते में करा दी गयी, मुझे निश्चयात्मक रूप से बता दें कि शिकायतें किन-किन की रहीं ? क्या मेरी भी शिकायत प्राप्त हुई है और यदि प्राप्त हुई तो उसकी जांच कब करायी गयी ? मेरा निश्चित आरोप है कि इन शिकायतों की जांच अभी तक नहीं करायी गयी । क्या माननीय मन्त्री जी इसका जवाब देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

एक से पांच तक की उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर से जांच करायी और छः, सात, आठ की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आयी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरी जो शिकायत थी, अगर आप उसका अवलोकन करें, तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । मेरा तो आरोप ही मुख्य चिकित्साधिकारी पर था । मेरा तो आरोप यह था कि 2-2, 4-4 हजार रुपये लेकर चुनाव महाराजगंज, पतावल, में किये जा रहे हैं और वह लोग कह रहे हैं कि हमें रुपया मुख्य चिकित्साधिकारी को देना है । जिस अधिकारी के लिए हमारी शिकायत थी, वही जांच कराये और उसमें शिकायतकर्ताओं तक से पूछा न जाय, तो मैं समझता हूं कि उस जांच का कोई औचित्य नहीं है ।

मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरी शिकायतों के संदर्भ में उन्होंने 29 अगस्त को प्रशासन को भेजा है तो उसकी रिपोर्ट कैसे आयेगी । माननीय मन्त्री जी से एक बात और निवेदन करूंगा कि मेरी शिकायतों में निश्चित रूप से यह बार-बार कहा गया है कि परतावल, महाराजगंज, सिनवां ग्रामों जो नियुक्तियां हुई हैं वह दो-दो हजार रुपये की धनराशि दे कर हुई हैं । क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे और जांच के बाद जो तथ्य सामने आयेंगे क्या मन्त्री जी उनसे सूचित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, जांच के आदेश दे देंगे और अधिकारियों से कह देंगे वे माननीय सदस्य से सम्पर्क कर लें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन में जब-जब भ्रष्टाचार के मामले आये हैं, उनके अधिकारियों के विरुद्ध मामले सूचित किये गये हैं तो क्या उन अधिकारियों और कर्मचारियों को कभी दन्ड मिला, यदि दिया है, तो कृपया उसे बतला लें ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो अनुमान का प्रश्न है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री मारकण्डेय चन्द--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या शासन के ऐसे आदेश थे कि स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्तियां ग्राम प्रधानों की संस्तुतियों पर की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि किसी अन्य अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से यह नियुक्तियां की गई हैं ? जो यह किसी अधिकारी द्वारा नियुक्तियां की गई हैं क्या मन्त्री जी उनको निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, ग्राम प्रधान ही नियुक्ति अधिकारी है, वह एक समिति बना कर जिसमें कि 5 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होता है और वही नियुक्ति करती हैं । जब यह शिकायत आयी तो जिन-जिन नियुक्तियों को समिति ने नहीं किया था, जिन ग्राम प्रधानों ने उस नियुक्त को नहीं किया था, वह सारी की सारी नियुक्तियां रद्द कर दी गयीं और कह दिया गया है कि समिति द्वारा इनकी नियुक्तियां हों ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश के किसी भी जिले में अभी तक स्वास्थ्य समितियां नहीं बनी हैं और यहां पर माननीय मन्त्री जी ने यह बात कही है कि स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से जो प्रस्ताव होंगे हेल्थ गाईड के लिये, उनको ही ये मानेंगे और बाकी को रद्द कर देंगे । मेरी निश्चित जानकारी है कि अभी तक स्वास्थ्य समितियां नहीं बनी हैं, तो अब तक जो नियुक्तियां की गयी है, उन सारी नियुक्तियों को आप निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

दो अंश में हैं । 1977-79 के बीच में हुई नियुक्तियों को मैं नहीं रद्द कर सकता हूं । दूसरी जो नियुक्तियां हुई हैं उनके लिए ग्राम प्रधानों को मैंने स्वतः पत्र लिखा है कि आप स्वास्थ्य समितियां बना लें और समिति के सदस्यों की संस्तुति के अनुसार नियुक्तियां करें । 846 ग्राम सभाओं में से 700 ग्रामों में समितियां बनी हैं, इसलिये मैंने उनको पत्र लिखा है ।

लखनऊ के खाद्य सचल दस्ते द्वारा बस्ती जनपद के कस्बों में छापे

*15--दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ के खाद्य सचल दस्ते ने दिनांक 1 जनवरी, 1983 से 16 जनवरी, 1983 तक की अवधि में बस्ती जनपद के कई कस्बों में छापे डाले थे ? यदि हां, तो सचल दस्ता किसकी शिकायत पर किन-किन जगहों पर छापा डालने के लिए भेजा गया था और उसके कौन-कौन सदस्य थे ? उक्त दस्ते ने किन-किन प्रतिष्ठानों पर छापा डाला और किसका-किसका चालान किन-किन आरोपों में किया गया ?

श्री हरि सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने लखनऊ के खाद्य सचल दस्ते द्वारा छापे डाले जाने के सम्बन्ध में प्रश्न किया था और यह मैंने 7 मई, 1983 को दिया था और अब सितम्बर का महीना चल रहा है । लखनऊ की शिकायत है, लखनऊ में ही आपका कार्यालय है परन्तु इतने दिनों के बाद मन्त्री जी यहां उत्तर दे रहे हैं कि "सूचना एकत्र की जा रही है" । तो इतने दिनों में आपकी सूचना एकत्रित ही नहीं हो पायी है ? मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसकी सूचना क्या उपलब्ध करा कर इसी सदन में ही रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

इसकी सूचना एकत्रित करा कर आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भेज दूंगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर इसी सदन में देने की कृपा करेंगे ताकि मुझे इस पर सप्लीमेंट्री करने का अवसर प्राप्त हो सके ?

श्री अध्यक्ष--

जो नियम होंगे, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी, मैं इसकी आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

जल निगम द्वारा अभावग्रस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण तथा हस्तचालित पेय जल नलकूप की योजना

*16--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार को जानकारी है कि जल निगम द्वारा ग्रामों में लगाए जा रहे हस्तचालित पेयजल नलकूप अभाव ग्रस्त ग्रामों के सन् 1982 के सर्वे के आधार पर लगाए जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि 1983 की परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त अभाव ग्रस्त ग्राम का दुबारा सर्वे कराकर नए सर्वे के अनुसार नलकूप लगवाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

जी हां ।

पुनः सर्वेक्षण कराने की कार्यवाही की जा रही है । नए सर्वेक्षण के आधार पर पाये जाने वाले अभावग्रस्त ग्रामों में सप्तम पंचवर्षीय योजना में धन उपलब्ध होने पर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा । फिलहाल भारत सरकार की नीति यही है कि उन्हीं गावों में हैन्डपम्प लगाए जायं जो 1972 की सूची में हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन्, यह प्रश्न एक ऐसे विषय से सम्बन्ध रखता है, जिससे इस सदन के हर वह माननीय सदस्य जो गावों से सम्बन्धित हैं, इस समस्या से परेशान होंगे । मान्यवर, आज भी बहुत से अभावग्रस्त गांव हैं जिनमें यह व्यवस्था नहीं हो पायी है । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि नया सर्वेक्षण वह करा रहे हैं तो माननीय मन्त्री जी से मैं दो बातें जानना चाहता हूं एक तो यह क्या नया सर्वेक्षण एक निश्चित समय अर्थात् इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा और दूसरा प्रश्न भी मान्यवर, मेरा यह है कि क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार को यहां की 10 साल पहले की वस्तुस्थिति से अवगत करायेगी कि जहां पर एक भी हैन्ड-पम्प नहीं था, आज वहां पर कई-कई अन्य योजनाओं के तहत हैन्डपम्प लग गए हैं और अभी भी कई स्थानों पर एक भी हैंड पम्प नहीं लगा है तो इस स्थिति से अवगत कराते हुए क्या उनसे यह स्वीकृति प्राप्त करेगी कि जहां पर अब आवश्यकता है, वहां पर ही हैन्डपम्प लगाए जाएं, अन्यथा नहीं, क्योंकि इससे धन का दुरुपयोग होगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सन् 1972 की सूची के अनुसार 35 हजार गावों में हैन्डपम्प लगने थे, जिसमें से अब तक 14 हजार गावों में यह व्यवस्था की जा चुकी है और इस वर्ष लगभग 10, 11 हजार और हो जायेंगे तथा बाकी 13 हजार गावों में वर्ष 1984-85 में लगा दिये जायेंगे ।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

मान्यवर, 1972 की सूची के अनुसार सन् 1983 में जो यह पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, इस सम्बन्ध में मैंने अपने जनपद जौनपुर में देखा है, जहां पर काफी उलट-फेर इन 10 वर्षों में हो चुका है । कहीं-कहीं पर तो आज तीन-तीन हैन्ड पम्प लग गये हैं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत और कहीं-कहीं पर एक भी नहीं है, तो जब मैंने इस सम्बन्ध में इंजीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें सन् 1972 की सर्वे सूची के अनुसार यह कार्य हो रहे हैं । तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सूची पर हो रहे कार्य को बन्द करवा दिया जाए और नयी सूची डी0 एम0 व क्षेत्रीय विधायकों की सहायता से बनवाई जाए और उसके अनुसार कार्य किया जाए, तब इस योजना से सही तौर पर लोग लाभान्वित होंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, माननीय सदस्य एक नीति विषयक बात कर रहे हैं, यह योजना भारत सरकार की योजना है, अगर हमारे प्रदेश की योजना होती तो उसको चाहे जिस तरह से कर लेते, परन्तु जब केन्द्र सरकार से पैसा लेना है तो काम भी उन्हीं की नीति के अनुसार होगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैंने इस सम्बन्ध में दो प्रश्न किये थे एक तो यह कि यह नया सर्वे क्या निश्चित समय पर इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा और दूसरा क्या भारत सरकार से यह स्वीकृति राज्य सरकार प्राप्त करेगा कि आज की स्थिति के अनुसार अभावग्रस्त गावों में ही यह सुविधा प्रदान की जाए अन्यत्र नहीं ? इसका जवाब माननीय मन्त्री जी से दिलवा दीजिए ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

35 हजार गावों के अतिरिक्त जितने भी पेयजल से सम्बन्धित अभावग्रस्त गांव हैं, उन सब में यह व्यवस्था देने के प्रयास किये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष --

हर काम नियमों के अनुसार ही किया जायेगा ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश भीषण सूखे की चपेट में है, और पीने के पानी का संकट है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सूखाग्रस्त जिलों में कोई त्वरित कार्यवाही करेंगे जिससे पेयजल की व्यवस्था हो सके ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, आजमगढ़ में जल स्तर बहुत नीचा है और माननीय सदस्य से अनुरोध है कि पेय जल संकट का निवारण परिवार कल्याण है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, जो 1972 की पानी से अभावग्रस्त गांवों की सूची है उनमें निश्चित रूप से कब तक पानी उपलब्ध करा देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

7771 ग्राम हैं, जहां पर पेय जल की व्यवस्था 6ठी पंच वर्षीय योजना में करा दी जायेगी ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि अभी इसी वर्ष में वर्ल्ड बैंक की योजना आयी है कि जिन जगहों पर पानी नहीं है और पाइप लाइन नहीं है वहां पर 10 हजार रुपये से हैंड पाइप लगाया जायेगा तो मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहती हूं कि क्या इस सम्बन्ध में आदेश हो गये हैं और उस पर कार्यवाही कब तक पूरी होगी ?

श्री अध्यक्ष --

मैं इसको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । यह इससे नहीं उठता है ।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

मान्यवर, 1972 के आधार पर और भारत सरकार के आधार पर सूची बनायी गयी है । उत्तर प्रदेश भारत के बाहर नहीं है । जनपद जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील है । उसकी 48 गांव सभाओं में पानी नहीं है और इन ग्रामों का नाम 1972 की सूची में नहीं है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि फिर से इसका सर्वे कराया जायेगा और जहां पर पानी नहीं है और जून के महीने में कीचड़ छान कर पानी पिया है, उन ग्रामों को उस सूची में शामिल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष--

जहां तक मड़ियाहूं का सम्बन्ध है, वह इस में नहीं है, मैं इसको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर स्वार टांडा में सारे ग्रामों में पेय जल का संकट है वहां पानी पीने योग्य नहीं है । मैंने पानी टैस्ट करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था 20 ग्रामों के कुओं का पानी टेस्ट किया गया वह 20 के 20 फेल पाये गये । क्या माननीय मंत्री जी वहां पर शीघ्रातिशीघ्र पानी की व्यवस्था करने हेतु जल निगम की स्कीम को लागू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको आज्ञा नहीं दे रहा हूं यह इससे नहीं उठता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सर्वेक्षण जल निगम करा रहा है उसका आधार क्या है ? हमारे जनपद में एक ब्लाक को लिया गया है और वहां के अधिकारियों ने गांवों का चयन अपने मन से किया है और किसी भी जनप्रतिनिधि से राय नहीं ली है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे जनपद का सर्वेक्षण करायेंगे और समस्त विधायकों और सांसदों से भी राय ली जायेगी ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में एक लाख 16 हजार के लगभग गांव हैं । शासन के पास 35 हजार गांवों की सूची है ।

माननीय विधायकों की भावनाओं को रखते हुए प्रदेश में पुनः सर्वेक्षण कराया जा रहा है और 1 लाख 16 हजार में से 35 हजार को घटाकर जितना बचता है जिनमें पेयजल की सुविधा नहीं है, उनकी व्यवस्था की जायेगी ।

श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में पिछले तीन महीनों में जलभराव और सूखे की विकट समस्या हो गई है उसके सम्बन्ध में जल निगम के द्वारा आपने ग्रामीण अंचलों को पीने के पानी की क्या व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह इससे नहीं उठता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि जो सर्वेक्षण हुआ है, मैं गोरखपुर का उदाहरण देता हूं वहां आपने दो ब्लाकों को ले लिया जबकि वहां 31 ब्लाक हैं और वह राजनीतिक प्रभाव में आपने लिए हैं, मैं माननीय मंत्री जी से सफाई चाहूंगा कि जिस जिले का सर्वेक्षण हो उस समय जनप्रतिनिधियों को भी उसकी सूचना दी जाय और पूरे जिले का सर्वेक्षण हो, न कि एक विकास खंड का । जैसे दस गांवों को एडाप्ट करना है तो आप पूरे जिले का सर्वेक्षण करायें और तब दस को लें । मैं मंत्री जी से इस बात का आश्वासन चाहूंगा कि सर्वेक्षण के समय पूरे जिले का सर्वेक्षण होगा और माननीय विधायकों को भी इसकी सूचना दी जायेगी ?

(श्री मोहन सिंह के बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

(व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अन्न की कमी से तो नहीं लेकिन पानी की कमी से मरेंगे ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपस में बात क्यों कर रहे हैं ? आप प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, माननीय विधायक चाहते हैं कि जब सर्वेक्षण हो तो उन्हें भी उसे अवगत करा दिया जाय । तो जब सर्वेक्षण की कार्यवाही हो रही हो उनको भी अवगत करा दिया जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

माननीय मंत्री जी सर्वेक्षण कह रहे हैं मैं उनका संरक्षण चाहूंगा । माननीय मंत्री जी ने जो लिखित उत्तर दिया है उसी के बारे में मैंने अनुपूरक प्रश्न करके उनसे पूछा है और उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है । तो क्या उस कार्यवाही को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करा देंगे ? दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत सरकार की नीति यही है । मैंने चाहा था कि नए सर्वेक्षण के आधार पर हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार को यह अवगत करायेगी कि हमारे यहां पुराने सर्वेक्षण के आधार पर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है इसलिए क्या आप भारत सरकार से नीति परिवर्तन के लिए आग्रह करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, योजना आयोग की बैठक में माननीय सदस्यों के विचार रख दिये जायेंगे ।

(प्रश्न संख्या 20 पुकारे जाने पर)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, 17वां सवाल गायब हो गया । तीसरे मंगलवार का प्रश्न है । माननीय बाजपेयी जी ने ठीक कहा कि जब आई० ए० एस० और पी० सी० एस० लोग ही भ्रष्ट हो गए तो कैसे काम चलेगा । तीसरा मंगलवार कब आयेगा. . ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

नोट कर लिया गया है, उसे मैं देखूंगा ।

*17--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया ।]

*18--श्री मोहन सिंह--

[31वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*19--श्री रेवती रमण सिंह--

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान के सेक्टर 1,2 व 8 में भूमि का अतिक्रमण हटाए जाने का प्राविधान

*20--श्री मुख्तार अनीस--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में दर्शाये गये सेक्टर एक व्यावसायिक तथा सेक्टर 2 व सेक्टर 8 आवासीय में पिछले 5 वर्षों में करोड़ों रुपये की भूमि पर अवैध पुख्ता कब्जे अनेक लोगो ने कर लिए हैं ? यदि हां, तो क्या इन अवैध कब्जों को सरकार वैधानिक करार दिए जाने का विचार कर रही है या किसी निश्चित अवधि के पश्चात् इन अवैध कब्जों को हटाने पर विचार करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

पिछले 5 वर्षों में सेक्टर 1, 2 व 8 गाजियाबाद विकास मास्टर प्लान में स्थायी व अस्थायी रूप से प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण किए गये हैं जो मुख्यतया झुग्गी झोपड़ी के रूप में हैं ।

प्राधिकरण द्वारा अभियान चलाकर कुछ अतिक्रमण हटाए गये हैं और यह कार्यवाही भविष्य में भी चलती रहेगी । इन अवैध कब्जों को वैधानिक करार करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि गाजियाबाद के सेक्टर 1, 2 तथा 8 के अन्दर अतिक्रमण हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि इस अतिक्रमण को रोकने के लिए आपने क्या कोशिशें की तथा दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि खाली कराया जा रहा है तो किस सेक्टर को मुकम्मल तौर से आपने खाली करा लिया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, अभी तो कार्यवाही चल रही है ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि लोगों ने झुग्गी-झोपड़ियां डाल ली हैं उनको खाली करवा रहे हैं । क्या उनको इस बात की जानकारी है कि एक भूतपूर्व कलेक्टर ने जो वहां पर रह चुके थे जिनका नाम ओम पाठक है । उन्होंने एक पब्लिक स्कूल सेक्टर 8 में कायम किया है और अवैधानिक ढंग से करीब 20 एकड़ जमीन उस स्कूल को दी है क्या उसको खाली कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, यह इन्हीं के जमाने की बात है जब भूमि दे दी गयी तो फिर अवैधानिक कहां हुई ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, जो मैंने आरोप लगाया है क्या उसकी मंत्री जी जांच करवायेंगे ? यदि वह सत्य पाया जायेगा तो जो पब्लिक स्कूल को अवैधानिक रूप से खोला गया है उसको भी इसी तरह से जैसे झुग्गी-झोपड़ियों को उजाड़ रहे हैं उसको भी हटायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, यह लिखित दे देंगे तो हम जांच करा लेंगे ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि यह हमारे जमाने का पाप है और हमारे हर पाप को धोने के लिए यह सरकार आई है । मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इस पाप विशेष को तत्काल धोने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, तत्काल हम नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें अधिनियम लाना पड़ेगा और वह सदन में आयेगा ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में अवैधानिक रूप से बहुत से लोगों ने कब्जा कर लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों में वहां पर कितने मकान बना लिए हैं और वहां पर कलेक्टर कौन था ? वहां पर श्री ओम पाठक थे, उनके जमाने में पक्के तीन-तीन मंजिला मकान बन गये जिसकी कोई परमीशन नहीं ली गई अनेक पब्लिक स्कूल बन गए, कोई अनुमति नहीं ली गयी । इस तरह से जो अतिक्रमण हुआ है उसमें जो झुग्गी-झोपड़ियां हटाने के साथ पक्की बिल्डिंगों को भी हटाने का काम करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जब अधिनियम आयेगा और उसके पारित होने के बाद चाहे झुग्गी झोपड़ियां हों, चाहे मकान हों सबको हटा दिया जायेगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

माननीय अध्यक्ष जी, जो सेक्टर 8 में भूमि की बात हो रही है उसमें मि0 ओम पाठक, जो बड़े ईमानदार बनते थे और सरकार पर आरोप लगा कर रिजाइन कर चले गये तो वहां उनकी बीबी के नाम स्कूल चल रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि उस सेक्टर 8 में कुल कितनी जमीन है और वह किस-किस को आवंटित की गई और कितनी शेष है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं यह इससे संबंधित नहीं है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि अनधिकृत कब्जा हो चुका है और उसमें निर्माण हो चुका है । माननीय मुख्तार अनीस जी ने भी अपनी जानकारी के मुताबिक बताया कि कब्जा हो चुका है । तो जिन भ्रष्ट अधिकारियों की देखरेख से अवैधानिक कब्जा हुआ उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, अपनी समझ में यह प्रश्न नहीं आया ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, मन्त्री जी ने बताया कि अनधिकृत कब्जा वहां हो चुका है और माननीय अनीस साहब ने भी बताया कि अवैधानिक कब्जा हो चुका है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यह आश्वासन देंगे कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों की देख-रेख में यह अवैधानिक कब्जा हुआ है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, अतिक्रमण किसी अधिकारी के संरक्षण में नहीं होता है, अतएव कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि झुग्गी झोपड़ियां जो अतिक्रमण करके रखी गयी हैं, तो मैं एक आश्वासन मंत्री जी से चाहता हूं कि वहां जो अतिक्रमण करके बड़े-बड़े भवन और पब्लिक स्कूल बन गये हैं तो जब तक उनको नहीं हटाया जाता है तब तक झुग्गी-झोपड़ियों को नहीं हटाया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मैंने पहले ही कहा है कि अधिनियम बनने के बाद उ0 प्र0 में अतिक्रमण हटाने का प्राविधान होगा तो उसमें चाहे झोपड़ी हो या आपका महल वह सभी ध्वस्त होंगे ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि अधिनियम इसमें लाना पड़ेगा तो इसमें पहले आप विधेयक लायेंगे और बाद में वह अधिनियम बनेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सब बातों को देखते हुए विधेयक जल्दी से जल्दी सदन में लाने को आप तैयार हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भवनों के पंचवर्षीय मूल्यांकन के विरुद्ध अपीलों में लखनऊ नगर महापालिका के प्रशासन द्वारा सुलह का अवसर

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—(अनुपस्थित)

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के प्रशासक ने लखनऊ नगर के 'दैनिक पायनियर' दिनांक 8 जनवरी, 1981 में यह सूचना प्रकाशित की थी कि वर्ष 1975 में भवनों के पंचवर्षीय मूल्यांकन के विरुद्ध दायर अपीलों में सुलह का अवसर प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो उक्त सूचना के उत्तर में जनता से कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। कुल 59 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये इनमें से 42 मामलों में निर्णय हो चुका है।

शेष 17 मामलों में संबंधित व्यक्तियों द्वारा न तो इस बात की पूर्ण सहमति दी गई कि वे मामले को न्यायालय के बाहर निस्तारित कराना चाहते हैं और न ही उनके द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये गये। अतः इन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

ऐसा लगता है कि अधिकारीगण अपनी त्रुटियों पर पर्दा डालने के लिए गलत सूचनायें देते हैं। उत्तर में गलत बातें कही गई हैं मैं माननीय मन्त्री जी की जानकारी में एक मामला लाना चाहता हूं क्या ओम प्रकाश नामक व्यक्ति ने अपने भवन संख्या 207 (72 व घ) के लिये कोई लिखित प्रार्थना पत्र न्यायालय से बाहर मामले को निबटाने के लिए दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(व्यवधान के बाद)

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 20 के बाद तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री थम्मन सिंह गहलौत की रुचि पर लिया गया।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जिन 59 व्यक्तियों का जिक्र मैंने किया है उनमें श्री ओम प्रकाश नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया और अगर श्री ओम प्रकाश जी यह चाहते हैं कि उनके मामले का निस्तारण हो तो उसके लिए शर्त यह है कि एक तो अपने कागजात वह दे दें और दूसरे अगर वह न्यायालय गये हैं तो वहां से मुकदमा वापस ले लें फैसला तब हो जायगा।

श्री धम्मन सिंह गहलोत--

मेरी निश्चित जानकारी है कि उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि वह न्यायालय से बाहर अपने मामले को निबटाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री का कहना है कि उनके पास नहीं है। आप पुनः प्रार्थना-पत्र दिलवा दें। इनमें क्या हर्ज है ?

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ के वर्तमान निदेशक की नियुक्ति का आधार

**2--श्री राम आसरे वर्मा, श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान, लखनऊ के वर्तमान डाइरेक्टर, जो एक रिटायर्ड स्वास्थ्य निदेशक हैं, को न तो किसी मेडिकल संस्थान में रिसर्च वर्क का अनुभव है और न प्रशासन का ही ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को उक्त संस्थान का निदेशक नियुक्त करने का आधार क्या है ? क्या स्वास्थ्य मंत्री किंग जार्ज मेडिकल कालेज के डाक्टर आर0 एम0 एल0 मेहरोत्रा, जो 20 साल से उक्त कालेज में पैथोलाजिकल विभाग के हेड हैं और डाक्टर बी0 सी0 राय का अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं और कई राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेडिकल संस्थाओं के सदस्य हैं तथा जिनके देखरेख में कई संस्थायें रिसर्च वर्क कर रही हैं, को उक्त संस्थान का डाइरेक्टर नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह--

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ के वर्तमान निदेशक को उपयुक्तता के आधार पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अध्यादेश, 1982 की धारा 12 की उपधारा (5) के अन्तर्गत शासन द्वारा एक वर्ष के लिए संस्थान का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पश्चात निदेशक की नियुक्ति अध्यादेश की धारा 12 की उपधारा (1) से (4) के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्थान के विजिटर (कुलाध्यक्ष) द्वारा किये जाने का प्राविधान है।

अतः किसी व्यक्ति विशेष की संस्थान के निदेशक के पद पर नियुक्त करने की उपयुक्तता पर कुछ कहना असंगत होगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जिस अध्यादेश का मन्त्री जी ने जिक्र किया है उसकी धारा 12 (3), को आप देखें, जिसमें प्राविधान किया गया है कि निदेशक के पद के लिये एक समिति होगी जो एक पैनल तैयार करेगी और पैनल में जिन लोगों को रखा

जायेगा उनकी शैक्षिक योग्यता को मेंशन करेगी । तो पैनल किन-किन लोगों का तैयार किया गया और उनकी शैक्षिक योग्यता क्या थीं ? और समिति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह अधिमानक्रम इंगित करेगी , मैं जानना चाहता हूं कि पैनल किन-किन लोगों का तैयार किया गया है और जो शर्तें अध्यादेश के तहत रखी गयी थीं वे क्या थीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, प्रश्नकर्त्ता स्वयतः नहीं जानते कि वे क्या प्रश्न कर रहे हैं । पैनल किनका तैयार होगा यह विधेयक में दिया हुआ है । जब अगली बार चुनाव होगा तो वह पैनल करेगा । प्रथम निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार शासन को था, वह उसने किया । पैनल में एक हाई कोर्ट का जज होगा, मुख्य सचिव होंगे तथा एक व्यक्ति और होगा । यह तीन का जो पैनल होगा वह अगले निदेशक का निर्णय करेगा कि वह कौन है । तब तक डाक्टर जोशी उसके निदेशक हैं जिनका कार्यकाल नवम्बर, 83 तक है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

यह जो पैनल बनाया जायगा वह कब तक गठित हो जायगा, क्योंकि देखा यह गया है कि जब एक बार पोस्टिंग हो जाती है तो वह चलती रहती है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

वह तो विधेयक में दिया हुआ है, उसके अनुसार वह गठित हो गया ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान विधेयक की धारा 12(3) की ओर दिलाना चाहूंगी । उसमें यह भी प्राविधान किया गया है कि समिति तीन व्यक्तियों का जो पैनल तैयार करेगी उसमें प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता तथा विशिष्टता अंकित करेगी किन्तु कोई अधिमान क्रम इंगित नहीं करेगी । इसमें दो शंकायें उत्पन्न होती हैं । (1) जब समिति को अधिमान क्रम इंगित करने का अधिकार नहीं है तो उसके गठन और चयन का क्या औचित्य है ? (2) जब समिति चयनित व्यक्तियों का अधिमान-क्रम इंगित नहीं करेगी तो सरकार को मनमाने व्यक्ति को चयन करने का अधिकार होगा और समिति निरर्थक हो जायगी ? इसका स्पष्टीकरण मन्त्री जी करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जिन्होंने माननीय सदस्य को ब्रीफिंग किया है, यह सब बताया है, वे स्वयं भ्रमित हैं । स्पष्ट है कि जो पैनल बनेगा वह निदेशक का चयन करेगा । उसमें सारी बातें दी हुई हैं विधेयक में । क्या अर्हतायें होंगी, कैसे वह डिसाइड करेगा, यह सब उसमें है । उसमें शंका करने की कोई बात ही नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जिस धारा का उल्लेख अभी माननीय सदस्या ने किया, उसमें यह भी लिखा है कि पैनल जो तैयार होगा उसमें प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक अर्हता और अन्य विशिष्टतायें भी अंकित की जायेंगी, तो अब आगे चुनाव होगा तो क्या इसकी व्यवस्था भी की जायेगी जो इसमें लिखा है ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मुझे बड़ा खेद है कि हमारे इतने पुराने वरिष्ठ विधायक भी समझ नहीं पा रहे हैं। चयन की सारी प्रक्रिया इसमें दी हुई है, उसी के अनुसार सारा काम होगा।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश जल निगम में विद्युत, यान्त्रिक तथा सिविल अभियन्ताओं की नियुक्तिओं का अनुपात, शाखाधिकारियों के पद पर विद्युत व यान्त्रिक अभियन्ताओं की पदोन्नति तथा विद्युत व यान्त्रिक के सहायक अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पदों की पूर्ति

1--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे गुरुवार के अतारांकित प्र0 सं0 140 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब उ0 प्र0 जल निगम में जितना भी काम हो रहा है उसका 20 प्रतिशत कार्य विद्युत एवं यान्त्रिकी अभियन्ताओं का है, तो किन कारणों से उ0 प्र0 जल निगम में विद्युत एवं यान्त्रिक अभियन्ताओं के नियुक्ति का अनुपात सिविल अभियन्ताओं की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है और इस असमानता को दूर करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

नगर विकास मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

उत्तर प्रदेश जल निगम में विद्युत एवं यान्त्रिक अभियन्ताओं के नियुक्ति का अनुपात सिविल अभियन्ताओं की तुलना में 20 प्रतिशत से कम नहीं है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

2--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 141 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में निर्माण शाखाओं को छोड़ कर जो शेष 62 शाखाएं कार्यरत हैं उसमें कम से कम 15 शाखाएं विद्युत यांत्रिकी की होनी चाहिए तथा मुख्यालय पर स्थित कुल 44 प्रशासनिक पदों एवं अन्य पदों में से कम से कम 9 पद विद्युत यांत्रिकी अभियन्ताओं की समिति की संस्तुतियों के अनुसार मिलनी चाहिए परन्तु 62 शाखाओं में एक शाखा तथा तथा 44 पदों में सिर्फ 4 पद मुख्यालय पर विद्युत एवं यांत्रिकी अभियन्ताओं को दिये गये हैं ? क्या शासन उक्त कमियों को दूर करके विद्युत एवं यांत्रिक अभियन्ताओं की तरक्की हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

निर्माण शाखाओं को छोड़ कर शेष शाखायें सर्वेक्षण, अनुसंधान, प्रकल्प, नियोजन, डिजाइन की होने का कारण सिविल प्रकृति की है। अतः इनकी गणना प्रतिशत निकालने के लिए नहीं की जा सकती है।

मुख्यालय पर स्थित 44 अभियन्ताओं में से मात्र अपर मुख्य अभियन्ता स्तर तक के अधिकारी प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं। मुख्यालय पर शेष पद सहायक, अधिशासी एवं अधीक्षण अभियन्ताओं के हैं। इन पदों पर नियुक्तियां मुख्यालय स्तर के कार्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक संवर्ग जिसके लिये पद विशेष स्वीकृत हैं, के अनुसार की जाती है। इसमें सिविल अथवा विद्युत यांत्रिक संवर्ग के लिये प्रतिशत के आधार पर नियुक्त नहीं की जा सकती है।

विद्युत यांत्रिक संवर्ग के अभियन्ताओं की भी तरक्की के लिये स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की गई, एवं की जाती है।

3--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे गुरुवार के अता0 प्रश्न संख्या 142 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में सहायक अभियन्ता (सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी) की रिक्त जगहें कब तक पूरी कर ली जायेंगी तथा विद्युत एवं यांत्रिकी के अधीक्षण अभियन्ता की रिक्त जगह पर नियुक्ति का मामला शासन द्वारा कब तक निर्णित कर दिया जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उ0 प्र0 जल निगम में सहायक अभियन्ता (सिविल एवं विद्युत यांत्रिक) की रिक्त जगहें दिसम्बर, 83 तक भरे जाने की सम्भावना है।

विद्युत/यांत्रिक के अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त जगह पर नियुक्ति की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश जल निगम में वेतन आयोग की रिपोर्ट पर विचार हेतु बैठक तथा संघ के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श

4--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 2रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 143 के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में वेतन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु अगली बैठक कब होगी तथा उस बैठक में जल निगम के मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने के आदेश दिए जायेंगे तथा मीटिंग के कितने दिनों बाद से नये वेतनमान में कर्मचारियों को वेतन देना शुरू कर दिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उत्तर प्रदेश जल निगम में वेतन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु बैठक 22, 23 एवं 28 फरवरी, 1983 को चुकी है।

निगम की बैठक में संघों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई नियम नहीं है। लेकिन मान्यता प्राप्त संघों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर, बैठक से पूर्व संघ के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर लिया गया था। वेतन आयोग की वेतन सम्बन्धी रिपोर्ट जल निगम में लागू करने के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियन्ता श्री एम0 एस0 श्रीवास्तव तथा श्री एस0 एस0 अहमद के विरुद्ध जांच

5--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 144 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जो जांच अधीक्षण अभियन्ता से कराई गयी उसकी पूरी जांच रिपोर्ट क्या है तथा क्या जांच को विश्वसनीय बनाने के लिए उक्त अभियन्ता के विरुद्ध लगाए गये आरोपों की जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराई जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की गई जांच से कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं जिससे जातिवाद, अनियमित भुगतान अथवा पद का दुरुपयोग करने के आरोप सिद्ध हों। अतः आरोपों की जांच क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (पूर्व) के स्तर पर कराई गई है जो विश्वसनीय है। अतः सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

6--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 2रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 145 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध किस-किस से जांच कराई गयी व जो जांच आख्या प्राप्त हुई वह क्या है तथा उसके किन-किन बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं है तथा दुबारा कब तक जांच पूरी करा ली जायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध सर्वश्री चन्द्र शेखर मालवीय और दर्शन सिंह, अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा जांच कराई गई थी। कुछ बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण यह जांच पुनः श्री राजेन्द्र दयाल क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (पूर्व) से कराई गई। जांच अब पूरी की जा चुकी है।

दोहरी वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा तहसीलों को सीमेन्ट का आवंटन

7--रुद्रप्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 2रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 137 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा तहसीलों को सीमेन्ट आवंटित करने के पहले उन तहसीलों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गयी थी तथा क्या भविष्य में आवंटित करने हेतु विधायकों से भी उनके क्षेत्र की आवश्यकता की रिपोर्ट लेकर सीमेन्ट का कोटा निर्धारित किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

देवरिया जनपद की तहसीलों को सीमेन्ट आवंटित करने के पहले जिलाधिकारी द्वारा उन तहसीलों की सीमेन्ट की आवश्यकता का आंकलन सम्बन्धित

तहसील की जनसंख्या, भूतकाल में खपत तथा भविष्य में सम्भावित विकास योजनाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। खंड विकास अधिकारी एवं परगनाधिकारियों द्वारा सूचित की गई मांग को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी प्रक्रिया के अनुसार तहसीलों को सीमेन्ट आबंटित की गयी थी।

जहां तक भविष्य में विधायकों से भी उनके क्षेत्र की आवश्यकता की रिपोर्ट लेकर सीमेन्ट का कोटा निर्धारित करने का प्रश्न है, क्षेत्रीय विधायक अपने सुझाव जिलाधिकारी को भेज सकते हैं।

देवरिया जनपद के विकास खंडों में लेवी की सीमेन्ट वितरण की प्रक्रिया एवं इस हेतु जन-प्रतिनिधियों के सुझाव

8--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 2रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 138 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंडों में लेवी सीमेन्ट के कारण की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह क्या विकास खंडों में सीमेन्ट वितरण के लिए व अनियमितताओं पर रोक लगाने हेतु स्थानीय प्रधानों की एक कमेटी गठित करने के आदेश दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

ग्रामीण क्षेत्रों में लेवी सीमेन्ट के वितरण का कार्य विकास खंड स्तर पर किया जाता है। खंड विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के आवासीय भवनों के नव-निर्माण, परिवर्द्धन, विस्तार तथा मरम्मती कार्य के लिये लेवी सीमेन्ट का वितरण परमिटों पर करते हैं। खंड विकास अधिकारी 20 बोरी तक लेवी सीमेन्ट का परमिट स्वयं जारी कर सकते हैं परन्तु इससे अधिक के परमिट जारी करने के पूर्व परगनाधिकारी की अनुमति लेने के निर्देश हैं बायोगैस संयंत्रों, आदि सभी ग्रामीण विकास योजनाओं तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए भी लेवी सीमेंट के परमिट विकास खण्ड अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जाने की व्यवस्था है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लेवी सीमेन्ट के वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर परगनाधिकारी से जांच कराए जाने की व्यवस्था है।

विकास खण्डों में सीमेंन्ट के वितरण तथा उसमें अनियमितता पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रधानों की कमेटी गठित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन एवं जन प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि क्षेत्र समिति अपनी बैठकों में उपरोक्त प्रणाली की विस्तृत रूप से विचार-विमर्श एवं समीक्षा करें।

देवरिया जिले के तटवर्ती क्षेत्रों से बिहार प्रदेश को खाद्यान्न का अनियमित संचरण तथा इसको रोकने के उपाय

9--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के तटवर्ती क्षेत्रों में जो कि बिहार सीमा से मिले हैं बिहार जाने वाली रेलगाड़ियों से आए दिन

हजारों टन गल्ला चोरी-छिपे रोजाना बिहार जाता है ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु शासन द्वारा कौन सा प्रभावी कदम उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

देवरिया जिले के तटवर्ती क्षेत्रों से बिहार प्रदेश को खाद्यान्न के अनियमित संचरण की सूचना शासन को प्राप्त हुई है। छोटी-छोटी मात्रा में रेलगाड़ियों द्वारा खाद्यान्न के अनियमित संचरण को रोकने के उद्देश्यों से गोरखपुर तथा वाराणसी मण्डल के लिये शासनादेश संख्या पी-3042/29-खाद्य-5-5(37)-82, दिनांक 19 जुलाई, 1983 द्वारा यह प्राविधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक/उप क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक की पूर्वानुमति के बिना 30 किलोग्राम से अधिक मात्रा में गेहूं प्रदेश से बाहर नहीं ले जा सकता है। चावल के सम्बन्ध में पहले से ही यह प्राविधान है कि मोचन प्रमाण-पत्र (रिलीज सर्टिफिकेट) के बिना कोई व्यक्ति चावल का संचरण नहीं कर सकता है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिये रेलवे अधिकारियों तथा पुलिस के सहयोग से संयुक्त आकस्मिक निरीक्षण किये जाते हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देसही, देवरिया में कथित रूप से कार्यरत फार्मेसिस्ट श्री शंकर सिंह का स्थानान्तरण

10--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शंकर सिंह, फार्मेसिस्ट जो कि वर्तमान समय में प्रा0 स्वा0 केन्द्र, देसही, देवरिया जनपद देवरिया में कार्यरत है, उसका स्थानान्तरण जून, 1982 से फरवरी, 1983 के मध्य सात बार पारित एवं निरस्त किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्री शंकर सिंह नाम के कोई फार्मेसिस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देसही, जनपद देवरिया में कार्यरत नहीं हैं। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल निगम में श्री ओ0 पी0 विश्नोई के विरुद्ध जांच तथा उनकी प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति

11--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

दिनांक 17-2-83 के अता0 प्र0 स0 155 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध, जो विभागीय जांच की गयी थी और जो जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कराई गयी थी, उसकी पूरी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

श्री ओ0 पी0 विश्नोई के विरुद्ध विभागीय जांच में सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन्हें समस्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था। सतर्कता अधिष्ठान से अभी जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

12—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

दिनांक 17-2-83 के अता0 प्र0 सं0 156 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच की अन्तिम आख्या न प्राप्त होने और भ्रष्टाचार एवं विभिन्न अनियमितताओं के चार्ज रहते हुए उक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्ध निदेशक के पद पर शासन द्वारा क्यों की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

चूंकि श्री ओ0 पी0 विश्नोई को विभागीय कार्यवाही में सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था और सतर्कता जांच के दौरान कोई विपरीत आख्या उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुई थी अतः उनकी नियुक्ति प्रबन्ध निदेशक के पद पर कर दी गई थी।

उत्तर प्रदेश जल निगम के कतिपय अभियन्ताओं के सम्बन्ध में जांच

13—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 2रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0 157 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिन अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है उन पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जिन 3 अभियन्ताओं से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, उनमें से एक अभियन्ता के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है तथा शेष 2 अभियन्ताओं के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट निर्णयार्थ विचाराधीन है। जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही 31 दिसम्बर, 1983 तक पूर्ण होने की आशा है।

वाराणसी एवं गोरखपुर मंडल में जल निगम द्वारा बनाए गए नलकूपों के पानी का शुद्धीकरण तथा अशुद्ध जल से बीमारियों के प्रकोप की सम्भावना

14—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 2रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0 158 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम द्वारा वाराणसी व गोरखपुर मंडल में वर्ष 1975 के बाद पीने के पानी के बनाये गये नलकूपों में से जब 128 नलकूपों का पानी, परीक्षण उपरान्त पीने के योग्य नहीं पाया गया तो उसमें क्लोरीन मिलाकर पानी शुद्ध करके पीने के लिए जल निगम द्वारा सप्लाई किया जाता रहा है लेकिन वर्तमान में शासन द्वारा प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए जो हैन्ड पम्प लगाए जा रहे हैं उसके पानी को कैसे शुद्ध किया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सामान्यतः गहरे नलकूपों, जिनमें हैन्ड पम्प लगाये जा रहे हैं उनका जल पीने योग्य है और आवश्यकता प्रतीत होने पर इन्हें क्लोरीनेट किया जाता है।

15--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

उक्त प्रश्न संख्या 158 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैदानी क्षेत्रों में हैन्ड पम्पों के अशुद्ध जल के प्रयोग से पुरानी बीमारियों जैसे घेंघा, डाइबिटीज वगैरह के प्रकोप को बढ़ावे से रोकने के लिये शासन द्वारा क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

विभाग द्वारा लगाये जा रहे हैन्ड पम्पों का जल शुद्ध होने के कारण सामान्यतः किसी भी प्रकार की बीमारियों की संभावना नहीं है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के सिविल, मैकेनिकल तथा विद्युत् यांत्रिकी के अवर अभियन्ताओं के नियमितीकरण, स्थायीकरण व सेलेक्शन ग्रेड के अनिर्णीत मामलों का वितरण

16--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के द्वितीय गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 146 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल व मैकेनिकल कैडर के अवर अभियन्ताओं के क्या नाम हैं जिनकी अनियमितीकरण, स्थायीकरण व सेलेक्शन ग्रेड का मामला दिनांक 1 जनवरी, 1979 से रोक दिया गया था तथा विद्युत् यांत्रिकि (मैकेनिकल) कैडर के किन-किन अवर अभियन्ताओं के उक्त मामले अब भी अनिर्णीत पड़े हैं व उसका कारण क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उत्तर प्रदेश जल निगम के सिविल व मैकेनिकल कैडर के अवर अभियन्ताओं के नाम, जिनके नियमितीकरण, स्थायीकरण व सेलेक्शन ग्रेड के मामले दिनांक 1 जनवरी, 1979 को रोक दिये गये थे, संलग्नक-1 में अवलोकनीय हैं ।

विद्युत् यांत्रिकि (मैकेनिकल) कैडर के अवर अभियन्ताओं के नियमितीकरण, स्थायीकरण व सेलेक्शन ग्रेड के अनिर्णीत मामलों, उनके अनिर्णीत रहने के कारणों सहित, के विवरण संलग्नक-11 में अवलोकनीय हैं ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 217 पर ।)

अधिशासी अभियन्ता अस्थायी निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम के विरुद्ध जांचोपरान्त कार्यवाही

17--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध उनके गोरखपुर के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितता करने के तथ्य जांचोपरान्त प्रकाश में आए हैं तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए किसी समिति का गठन किया जावेगा ? यदि नहीं, तो शासन उनके विरुद्ध कब तक और क्या कार्यवाही करेगा व शासन में अनियमितताओं के मामलों के निपटारे हेतु विचाराधीन समय की मियाद (लिमिट) कितनी निश्चित की गयी है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जो नहीं ।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने के आदेश दे दिये गये हैं । सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने पर उचित दंड देने के बारे में निर्णय लिया जायगा । विभागीय कार्यवाही सामान्यतः साढ़े तीन महीने के भीतर पूरी होनी चाहिये, किन्तु ऐसा अनेक प्रशासकीय कारणों से संभव नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्य प्रभारी अधिष्ठान के नियमितीकरण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही

18--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 133 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम के कार्य प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु गठित समिति ने जो रिपोर्ट दी है, वह क्या है ? उस पर कब तक विचार कर लिया जावेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

समिति की रिपोर्ट जल निगम निदेशक, मंडल के समक्ष 4-5-1983 को हुई बैठक में प्रस्तुत की गई थी । निदेशक मंडल ने इस मामले के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, वित्त निदेशक तथा संयुक्त सचिव (वित्त विभाग) की एक समिति गठित की है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जल निगम द्वारा विचार किया जायगा ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के लखनऊ स्थित फील्ड होस्टल में कतिपय अधिकारियों के तीन माह से अधिक रुकने की स्वीकृति, आवंटन का आधार तथा वसूल किए जा रहे किराए और निर्धारित किराए में असमानता

19--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 130 के उत्तर सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम के फील्ड हास्टल व मुख्यालय पर स्थित गेस्ट रूम में निवास हेतु उ0 प्र0 जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 81/प्र-1/ज0नि0/अनुपालन/46-23, दिनांक 18 जनवरी, 1982 के द्वारा जो आदेश दिये गये थे, उसके विरुद्ध किन कारणों से दोनों आवास स्थलों में उच्च अधिकारीगण तीन माह से अधिक समय से रुके हैं तथा अधिक समय तक रुकने के लिए उ0 प्र0 जल निगम के प्रशासनिक कमेटी की बैठक में मन्जूरी ली गयी है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगर लखनऊ में आवासीय सुविधा की कठिनाई होने तथा जल निगम प्रशासन द्वारा अन्य कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध न कराने के कारण अधिकारी फील्ड हास्टल व गेस्ट हाउस में तीन माह से अधिक से रुके हैं ।

फील्ड हास्टल के निवास के सम्बन्ध में स्वीकृति जल निगम के निदेशक मंडल से ली जा चुकी है ।

गेस्ट हाउस में ठहरे ऐसे अधिकारियों से जल निगम के आदेश दिनांक 18-1-1982 में दी गई दरों से वसूली की जा रही है।

20—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

उक्त प्रश्न के क्रम में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम के फील्ड हास्टल में कुछ ऐसे अधिकारी भी कमरे लिए हैं, जिनके अपने स्वयं के लखनऊ में निवास स्थान हैं और उसे वह महंगे दर पर किराये पर उठाये हैं ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों को फील्ड हास्टल में कमरे आवंटित करने का औचित्य क्या था ? भविष्य में ऐसे अधिकारियों के सम्बन्ध में क्या आदेश दिए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

निगम द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके अनुसार उन अधिकारियों को, जिनके लखनऊ में निजी मकान हों, फील्ड हास्टल में आवास आवंटित न किया जाय। अतः उक्त श्रेणी के अधिकारियों के सम्बन्ध में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

21—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम के फील्ड हास्टल व गेस्ट रूम में रहने का जो किराया तालिका 1, 2 व 3 में दिए सूची के अनुसार दर्शाया गया है, क्या वह जल निगम द्वारा 18 जनवरी, 1982 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा निर्धारित दर के समान है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उक्त सभी किराये की राशि क्या जल निगम को प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक प्राप्त कर ली जावेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

उत्तर प्रदेश जल निगम के फील्ड हास्टल के अधिकारियों से लिया जा रहा किराया कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-1-1982 में निर्धारित दरों के अनुरूप नहीं था। किन्तु अब जल निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उन अधिकारियों से दिनांक 1-2-1982 से उनके वेतन का 10 प्रतिशत किराया, विद्युत्, जल का वास्तविक व्यय एवं फर्नीचर का किराया लिया जाय।

उत्तर प्रदेश जल निगम के फील्ड हास्टल के भूतल पर बने कमरों में अस्थाई रूप से रहने वाले अधिकारियों से तथा गेस्ट हाउस में रहने वाले अधिकारियों से निर्धारित दरों के अनुसार किराया लिया जा रहा है। केवल 2 अधिकारियों से देय धनराशि की वसूली शेष है। जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

देवरिया जनपद के ब्लाक पथरदेवा के ए0 डी0 ओ0 के विरुद्ध श्री रुद्र प्रताप सिंह, विधायक का शिकायती-पत्र

22—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री सहकारिता को जनपद देवरिया के अन्तर्गत पथरदेवा ब्लाक के ए0 डी0 ओ0 के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 28-11-1981 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत पथरदेवा ब्लाक के ए0 डी0 ओ0 के विरुद्ध श्री रुद्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा का एक शिकायती-पत्र दिनांक 28-11-81 को प्राप्त हुआ ।

जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयीं , अस्तु किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई ।

बांदा जनपद की टाउन एरिया विसन्डा की पेयजल योजना

23-श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के टाउन एरिया विसन्डा की पेयजल योजना स्वीकृत हो गई है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? पेयजल योजना का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

विसन्डा पेयजल योजना (अनुमानित लागत रुपया 24.55 लाख) वर्ष 1982-83 में जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषण हेतु स्वीकृत की जा चुकी है । प्राक्कलन को जल निगम के अप्रेजल सेल से स्वीकृति के उपरांत वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जावेगी ।

योजना में दो नलकूप सम्बन्धी कार्य, एक उच्च जलाशय तथा वितरण प्रणाली आदि के कार्य सम्मिलित हैं ।

परीक्षण नलकूप के छिद्रण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसके डेवलप एवं टेस्ट पूर्ण होने के उपरान्त सफलता के आधार पर अन्य निर्माण कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराए जावेंगे ।

24-श्री राजकुमार राय--

[दिनांक 1-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 171 द्वारा उत्तरित]

दीप हाउसिंग सोसाइटी के पक्ष में नगर महापालिका क्षेत्र वाराणसी के ग्राम पहड़िया (पांडेपुर) की कथित छोड़ी गई भूमि

25-श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़िया (पांडेपुर) नगर महापालिका क्षेत्र वाराणसी में दीप हाउसिंग सोसाइटी के लिए कृषि कार्य हेतु जमीन धारा 20 में अरबन सीलिंग ऐक्ट के तहत छोड़ी गई है, तो क्या इस सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण, वाराणसी से भी रिपोर्ट मांगी गई थी ? यदि हां, तो विकास प्राधिकरण ने क्या रिपोर्ट दी है और क्या यह सही है कि उक्त जमीन में कालोनी का निर्माण करने हेतु विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास किया है ? ऐसा क्यों, जबकि वह जमीन कृषि कार्य के लिए छोड़ी गई थी ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच करायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

ग्राम पहाड़िया (पांडेपुर) नगर महापालिका क्षेत्र वाराणसी में दीप हाउसिंग सोसायटी के पक्ष में कृषि कार्य हेतु नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अन्तर्गत कोई भूमि नहीं छोड़ी गई है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

26-श्री देवेन्द्र पाण्डेय--

[4 थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धामपुर, जिला बिजनौर में ड्रमों की नीलामी

27-श्री श्याम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र धामपुर, जनपद बिजनौर में दिनांक 20-1-83 को स्टाक रजिस्टर में डी0 डी0 टी0 के 900 खाली ड्रम लिखे हैं वे 1800 रु0 में नीलाम किए गए और फर्जी नीलाम 100 रु0 दिखलाया गया है? क्या कैश बुक में यह नीलामी का रुपया लिखा है? यदि नहीं, तो क्यों? शेष 1700 रु0 कहां हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धामपुर, बिजनौर में दिनांक 20 जनवरी, 1983 को स्टाक बुक में डी0 डी0 टी0 के कोई खाली ड्रम अंकित नहीं थे, बल्कि बी0 एच0 सी0 के बिल्कुल टूटे हुए 281 ड्रम अंकित थे। इन ड्रमों का नीलाम 20 जनवरी, 1983 को 108 रु0 में किया गया था और उतनी ही धनराशि राजकीय कोष में जमा की गई कैश बुक में दिखाई भी गई थी। इस प्रकार कोई भी फर्जी नीलाम नहीं हुआ है और न ही किसी राजकीय धन का कोई दुरुपयोग ही किया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किराए पर देने हेतु बनाए गए भवनों की मरम्मत का व्यय का भार

28-श्री फखरे आलम--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन का ऐसा प्राविधान है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बने आवास जो कि प्राधिकरण द्वारा किराये पर चल रहे हैं, यदि क्षति ग्रस्त या जीर्ण-शीर्ण हो जाये तो उनकी मरम्मत प्राधिकरण द्वारा कराए जाने के उपरान्त मरम्मत पर जो व्यय आये, वह व्यय भवन के अध्यासियों के द्वारा ही लिया जायेगा? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना--

किरायेदारों को सुविधा देने के उद्देश्य से नगर महापालिका तथा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 1982 को यह नीति विषयक निर्णय लिया गया था कि--

(1) प्रत्येक अध्यासी द्वारा देय दो माह के किराए के बराबर धनराशि प्रत्येक वर्ष सामान्य मरम्मत पर व्यय की जायेगी।

(2) जिन भवनों में विशेष मरम्मत या मूल निर्माण कार्य कराये जाने हैं उनकी लागत की 25 प्रतिशत धनराशि अध्यासी द्वारा अग्रिम के रूप में जमा करने पर कार्य कराना सम्भव होगा। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद उसकी लागत का 2 1/4 प्रतिशत प्रतिमाह किराए में वृद्धि की जायेगी और यह धनराशि अग्रिम देय होगी।

इसके बाद जून, 1983 से यह भी निर्णय लिया गया है कि किराएदारों द्वारा मरम्मत की रसीद प्रस्तुत करने पर दो माह तक के किराये के बराबर धनराशि रिइंम्बर्स की जायगी। यह सुविधा उनको देय होगी जिनका बकाया दिनांक 31-3-1983 तक अदा किया गया है।

जिला सहकारी बैंक, गोंडा के भूतपूर्व चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतों की जांच

29-श्री अकबाल हुसैन--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के जिला सहकारी बैंक के भू0 पू0 चेयरमैन श्री महेश्वर दत्त सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार अथवा गबन के सम्बन्ध में कोई जांच सरकार ने वर्ष 1974-75 में कराई थी ? यदि हां, तो वह जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट, पटवाडांगर (नैनीताल) में सहायक अभियन्ता के पद पर श्री मदन गोपाल सिंहल की नियुक्ति का आधार

30-- श्री थम्मन सिंह गहलौत--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट, पटवाडांगर (नैनीताल) में सहायक अभियन्ता पद पर श्री मदन गोपाल सिंहल की पुनः नियुक्ति का आधार क्या था, जबकि उनकी नियुक्ति शासन द्वारा एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गयी थी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्री मदन गोपाल सिंहल की प्रश्नगत पद पर शासन द्वारा की गई नियुक्ति लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर आधारित थी। श्री सिंहल विभाग छोड़कर चले गये थे। बाद में लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर पुनः विभाग में नियुक्त हो गये।

श्री गिरीश चन्द्र शर्मा, शाखा प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास लि0, मेरठ का निलम्बन तथा बहाली

31--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री गिरीश चन्द्र, शाखा प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, मेरठ को क्षेत्रीय प्रबन्धक, मेरठ के साथ दुर्व्यवहार व हमला करवाने के आरोप में गत वर्ष निलम्बित किया गया था तथा उसके विरुद्ध पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी ? क्या श्री गिरीश

चन्द्र को बिना अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण किये फिर से बहाल करने तथा उसी स्थान पर नियुक्त करने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

श्री गिरीश चन्द्र शर्मा को निलम्बित एवं आरोपित किया गया था, उसमें मेरठ की कथित घटना का भी आरोप है तथा उसके विरुद्ध पुलिस में दिनांक 9-12-1982 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ।

जी नहीं, श्री शर्मा को 15 मई, 1981 को अनन्तिम रूप से बहाल किया जा चुका है और वे इस समय मुजफ्फरनगर में तैनात हैं ।

उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, लखनऊ में फलोद्यान विशेषज्ञ के पद का वेतनमान तथा उक्त पद पर नियुक्ति

32--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, लखनऊ में फलोद्यान विशेषज्ञ पद का सृजन कब व किस वेतनमान पर किया गया ? क्या उक्त पद पर किसी व्यक्ति को अवैधानिक ढंग से नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो अवैधानिक रूप से नियुक्ति करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध उ0 प्र0 सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, लखनऊ में फलोद्यान विशेषज्ञ पद का सृजन दिनांक 28-8-1976 को वेतनमान रु0 800--1,450 में किया गया । उक्त पद पर उ0 प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मंडल की सस्तुति से नियुक्ति की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, लखनऊ के प्रधान कार्यालय के अधिकारियों के निवास पर टेलीफोन सुविधा पर व्यय का विवरण

33--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, लखनऊ के प्रधान कार्यालय के कितने अधिकारियों के निवास पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है ? वर्ष 1982-83 में प्रत्येक अधिकारी के टेलीफोन का व्यय अलग-अलग कितना रहा ? क्या किसी अधिकारी के उत्तरदायित्वों की तुलना में टेलीफोन व्यय अधिक रहा है । यदि हां, तो वह कौन है तथा अधिक व्यय का औचित्य क्या है ?

श्री बच्चा पाठक—

उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ के कुल 10 अधिकारियों के निवास पर टेलीफोन लगा है। वर्ष 1982-83 में प्रत्येक अधिकारी के टेलीफोन पर हुआ व्यय अलग-अलग निम्नवत् रहा :

क्रमांक	पद नाम	व्यय (रुपये में)
1	प्रबन्ध, निदेशक	3,506.00
2	सामान्य प्रबन्धक (वित्त)	2,839.40
3	उप सामान्य प्रबन्धक (लेखा)	993.00
4	उप सामान्य प्रबन्धक (ऋण-पत्र)	924.00
5	उप सामान्य प्रबन्धक (ऋण)	1,238.00
6	उप सामान्य प्रबन्धक (वसूली)	890.00
7	फलोद्यान अधिकारी	1,198.00
8	विधि अधिकारी	809.80
9	विशेष कार्याधिकारी (वसूली)	1,688.80
10	सहायक सामान्य प्रबन्धक (शिकायत)	512.80
	योग ..	14,599.80

किसी भी अधिकारी के उत्तरदायित्वों की तुलना में उपर्युक्त टेलीफोन व्यय अधिक नहीं रहा।

श्री खलील अहमद द्वारा नगरपालिका बुलन्दशहर के खड़ंजे पर कथित अवैध कब्जा

34—श्री किरनपाल सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री खलील अहमद पुत्र रहमत अली, निवासी मोहल्ला 19 गली, बहलीमान उपरकोट, बुलन्दशहर के द्वारा नगरपालिका के खड़ंजे पर अवैध कब्जा को हटाये जाने हेतु मुहम्मद फारूक पुत्र श्री मुहम्मद इस्माइल के शिकायती-पत्र पर परगनाधिकारी, बुलन्दशहर ने ओ0 सी0 नगरपालिका, बुलन्दशहर को 21-5-1982 को आदेश निर्गत किये थे ? यदि हां, तो उक्त विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां। जांच कराये जाने पर नगरपालिका भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया।

श्री रवि प्रकाश मिश्र, मंत्री, टाउन एरिया कर्मचारी संघ, महोली, सीतापुर के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

35--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि उन्हें श्री रवि प्रकाश मिश्र, मंत्री, टाउन एरिया कर्मचारी संघ, महोली, सीतापुर का कोई शिकायती-पत्र सं0 4001/82, दिनांक 4 दिसम्बर, 1982 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें बनाने एवं भविष्य निधि की कटौती की कार्यवाही की जा रही है ।

स्वामी दयानन्द साधन सहकारी समिति, बारीगांव, गोरखपुर के सचिव श्री प्रहलाद के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

36--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री रवीन्द्र किशोर शाही, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 20 अगस्त, 1982 जिसमें गोरखपुर जिले के बेलघाट ब्लाक के अन्तर्गत स्वामी दयानन्द साधन सहकारी समिति, बारीगांव के सहकारी समिति के सचिव के विरुद्ध अनेक गम्भीर घपले किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही स्थानीय स्तर पर एक अन्य शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच हेतु सहायक विकास अधिकारी (सह0) विकास क्षेत्र बेलघाट को निर्देशित किया गया । सम्बन्धित सचिव श्री प्रहलाद जो समिति में किये गये अनियमितताओं के कारण प्रशासनिक कमेटी के निर्णय के अनुसार निलम्बित कर दिये गये थे, के द्वारा समिति का चार्ज अपने प्रतिस्थानी को हस्तांतरण न करने एवं महत्वपूर्ण अभिलेखों के साथ फरार हो जाने के फलस्वरूप जांच तो पूर्ण नहीं हो पायी फिर भी जिला अधिकारी के आदेश से सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में समिति के बन्द कमरों का ताला तोड़वाकर चार्ज नवनियुक्त सचिव को हस्तांतरित करा कर समिति का कार्य चालू करा दिया गया और अभिलेख लेकर फरार सचिव श्री प्रहलाद के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0 आई0 आर0) स्थानीय पुलिस में दर्ज करा दी गई है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रशासनिक अधिकारों के विकेन्द्रीकरण विषयक शासनादेश तथा जारी करने के पूर्व सेवा संगठनों से विचार विमर्श

37--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि "चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, दक्ष एवं लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण" विधेयक श्री निर्मल महेश्वरी, संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र संख्या 6356 सं0 3/5-7 (59)/81, दिनांक 5 नवम्बर, 1982 शासनादेश के संलग्नक 2 में उल्लिखित मलेरिया निरीक्षक, सर्वेक्षण इंसपेक्टर, चेचक पर्यवेक्षक तथा हेल्थ विजिटर को वेतनमान 470-735 रु0 दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 5 नवम्बर, 1982 प्रशासनिक अधिकारों के विकेन्द्रीकरण से सम्बन्धित हैं तथा उसका वित्तीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर नये वेतनमान दिये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

38--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि "चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, दक्ष एवं लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण" विषयक शासनादेश संख्या 6356 सं0 3/5-7 (59/81, दिनांक 5 नवम्बर, 1982 जारी करने से पूर्व प्रभावित संवर्गों के सम्बन्ध में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श संगठन की योजना के अन्तर्गत मान्यता-प्राप्त संगठनों से इस विषय में विचार-विमर्श किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

संयुक्त परामर्श संगठन की योजना के अनुसार उक्त प्रसंग में सेवा संगठनों से विचार-विमर्श करना आवश्यक नहीं है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन पर कार्यरत सुपरवाइजर

39--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वि0 प्रा0 लखनऊ में तीन साल से अधिक सेवारत कितने सुपरवाइजर दैनिक वेतन (डेली वेजेज) पर कार्य कर रहे हैं ? उन्हें अभी तक स्थायी न करने का क्या औचित्य है ? क्या उन्हें शासन स्थायी करने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों की देखरेख के लिए दैनिक वेतन पर लगाये गये सुपरवाइजरों के कार्य की अवधि कार्यों के समाप्त होने तक ही सीमित रहती है। प्राधिकरण में कोई भी निर्माण कार्य निरन्तर चलने वाला नहीं होता। ऐसी स्थिति में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कोई रिकर्ड नहीं बनाया है जिससे यह बताया जा सके कि तीन वर्ष से अधिक सेवारत सुपरवाइजरों की संख्या कितनी है।

किसी कार्य की देख-रेख हेतु लगाये सुपरवाइजरों का कार्य निरन्तर सेवा का नहीं होता और न ऐसे कोई नियमित/अस्थायी पर ही उपलब्ध हैं जिन पर उन्हें नियमित रूप से नियुक्त किया जा सके। ऐसी स्थिति में दैनिक वेतन पर लगाये गये सुपरवाइजरों को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हथगांव, जनपद फतेहपुर के प्रसार शिक्षक श्री जे0 एन0 चौहान के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

40--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथगांव, विकास खंड हथगांव, जनपद फतेहपुर में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिका श्रीमती चन्द्रमति के विगत दिसम्बर, 1982 में शिक्षा प्रसारक श्री जे0 एन0 चौहान द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की शिकायत की जांच उप मुख्य चिकित्साधिकारी (तृतीय) द्वारा की गयी ? यदि हां, तो जांचोपरान्त इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां। जांच अधिकारी की जांच आख्या में की गई संस्तुति के आधार पर कथित प्रसार शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है तथा फिलहाल उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथगांव से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खजुहा को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

इलाहाबाद जनपद के कस्बा सोरांव को टाउन एरिया का स्तर दिए जाने का प्रश्न

41--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में कस्बा सोरांव, तहसील परगना सोरांव को टाउन एरिया स्तर प्रदान करने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या जांच कराकर इसे टाउन एरिया घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

ग्राम सभा सोरांव ने टाउन एरिया सृजन का तथा अन्य ग्राम सभाओं ने प्रस्तावित टाउन एरिया क्षेत्र में सम्मिलित होने का विरोध किया है, इसलिए टाउन एरिया का सृजन संभव नहीं है।

42--श्री राधेश्याम पटेल--

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

43--श्री राधेश्याम पटेल--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

हरदोई जनपद के कस्बा सांडी में समितियों द्वारा चीनी वितरण

44--श्री हरीशंकर तिवारी--

क्या आपूर्ति मंत्री को जानकारी है कि कस्बा सांडी, जिला हरदोई में माह नवम्बर, 1982 से अप्रैल, 1983 तक शक्कर का वितरण समितियों द्वारा नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिला स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

कस्बा सांडी, जिला हरदोई में सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित पांच सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें कार्यरत हैं जिनमें तीन दुकानों पर नवम्बर, 1982 से अप्रैल, 1983 तक तथा शेष दो दुकानों पर माह नवम्बर, 1982 से मार्च, 1983 तक वितरण हेतु चीनी उपलब्ध रही जिसका मांग के अनुसार समितियों द्वारा वितरण किया गया । दो दुकानों द्वारा माह अप्रैल, 1983 में धन की कमी के कारण चीनी का कोटा नहीं उठाया जा सका । प्रत्येक माह में समितियों द्वारा चीनी का कोटा उठाया जाना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में जिला स्तर पर जिला सहायक निबंधक, हरदोई को समय-समय पर निर्देश दिये गये ।

गोरखपुर नगरमहापालिका द्वारा जलकल बिल्डिंग, गोलघर के ऊपर पत्रकारों हेतु आवास बनाए जाने की कथित योजना

45--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत जलकल बिल्डिंग, गोलघर के ऊपर आवासी भवनों का निर्माण कराकर पत्रकारों को आवास उपलब्ध कराने एवं प्रेस क्लब स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री ने एक योजना स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

तत्कालीन नगर विकास मंत्री द्वारा ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोदलामऊ, सीतापुर में सी० एच० बी० के चुनाव में अनियमितता सम्बन्धी शिकायत पर कृत कार्यवाही

46--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा 7 अप्रैल, 1983 का पत्र, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोदलामऊ (सीतापुर) में सी० एच० बी० के चुनाव में धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां । शिकायत की जांच कराई गयी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर द्वारा चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आभास पाकर चयन निरस्त कर दिया गया ।

रामपुर तथा बरेली जनपद के खरीद केन्द्रों में गेहूं खरीद का विवरण

47--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रामपुर में कौन-कौन से गेहूं खरीद केन्द्रों पर 15 अप्रैल, 1983 तक गेहूं की खरीद शुरू हो गई थी और 30 अप्रैल, 1983 तक केन्द्रानसार क्रमशः कितने गेहूं की खरीद कर ली गई थी ?

श्री वासुदेव सिंह--

1 अप्रैल, 1983 से 15 अप्रैल, 1983 तक गेहूं की आवक न होने के कारण किसी केन्द्र पर कोई खरीद न हो सकी । 16 अप्रैल, 1983 से 30 अप्रैल, 1983 तक जनपद रामपुर के 76 केन्द्रों पर कुल 5041·7 मी० टन गेहूं की खरीद हुई जिसका केन्द्रानुसार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 223 पर ।)

48--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली में कौन-कौन से गेहूं खरीद केन्द्रों पर 15 अप्रैल, 1983 तक गेहूं की खरीद शुरू हो गई थी और 30 अप्रैल, 1983 तक केन्द्रानुसार क्रमशः कितने गेहूं की खरीद कर ली गई थी ?

श्री वासुदेव सिंह--

जनपद बरेली में दिनांक 15 अप्रैल, 1983 तक किसी भी गेहूं क्रय केन्द्र पर गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई थी ।

दिनांक 30 अप्रैल, 1983 तक (दिनांक 31-4-83 के स्थान पर 30-4-83 होना चाहिए) बरेली जनपद में संलग्न सूची के अनुसार गेहूं खरीद हुई है ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 226 पर ।)

डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की हड़ताल वापस लेने पर दिए गए आश्वासनों पर कार्यवाही

49–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डिप्लोमा फार्मेसिस्टों द्वारा अप्रैल, 1983 के प्रथम पखवारे में जो कार्य बन्द करके हड़ताल आन्दोलन किया गया उसकी मांगें क्या थीं ? क्या आन्दोलन शासन के आश्वासन पर वापस हो गया ? यदि हां, तो क्या आश्वासन दिए गए ? जेल में रहने तथा डियूटी से अनुपस्थित कर्मचारियों पर क्या कोई कार्यवाही विचाराधीन है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी––

जी हां ।

डिप्लोमा फार्मेसिस्टों ने अप्रैल, 1983 के प्रथम पखवारे में अपनी मांगों के सम्बन्ध में हड़ताल की थी। उनकी मांगों के सम्बन्ध में समय–समय पर सदन को अवगत कराया जाता रहा है, अतः उन्हें दुहराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

फार्मेसिस्टों ने अपनी हड़ताल बिना शर्त वापस ली थी । फिर भी शासन तथा फार्मेसिस्टों के मध्य सदभावना पूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से फार्मेसिस्टी को 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद समयबद्ध वेतनमान देने तथा 62 और साधारण वर्ग फार्मेसिस्टों के पदों को उच्चीकृत कर चीफ फार्मेसिस्ट के रूप में परिवर्तित करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त उनके वेतनमान में कथित विसंगतियों पर विचार करने हेतु तीन सचिवों की एक उप समिति गठित कर दी गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत कर दी है ।

हड़ताल के कारण जेलों में निरुद्ध फार्मेसिस्टों को रिहा कर देने तथा उनके विरुद्ध चलाए जा रहे मुकदमें वापस ले लेंगे के आदेश भी जारी कर दिए गए थे । हड़ताल के कारण अनुपस्थित रहने वाले फार्मेसिस्टों को, चाहे वे स्थाई हो अथवा अस्थाई, जिस प्रकार का अवकाश अनुमन्य हो, उनके आवेदन पर, स्वीकृत कर देने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे । इस प्रकार फार्मेसिस्टों की हड़ताल के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना विचाराधीन नहीं है ।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र, समाइन इटावा के भवन का मासिक किराया तथा किराए का भुगतान

50–श्री भीखालाल––

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 6ठे गुरुवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 56 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस किराए के मकान में स्वास्थ्य उपकेन्द्र समाइन, जिला इटावा चलाया जा रहा है, वह कितने रुपये मासिक किराए पर लिया गया है और उसका किराया पिछले आठ साल से नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत उपकेन्द्र वर्तमान में जिस भवन में है वह 25 रु0 मासिक किराए पर दिनांक 1 मई, 1981 से लिया गया है। उक्त भवन के किराये के सम्बन्ध में मकान मालकिन श्रीमती रेशमा देवी निवासी ग्राम समायन का प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-7-83 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी इटावा को प्राप्त हुआ था जिसके द्वारा उन्होंने दिनांक 1-5-81 से किराये की मांग की है। दिनांक 1-5-81 से किराए का भुगतान करने के आदेश दे दिए गए हैं।

बांदा नगर में महिला चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु धन की व्यवस्था

51-प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा नगर में महिला चिकित्सालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का 20 अप्रैल, 1981 का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्ष 83-84 में भवन निर्माण हेतु आवश्यक वित्तीय आवंटन कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

महिला चिकित्सालय, बांदा के भवन के निर्माणार्थ आगणन बनाए गए हैं। वर्ष 1983-84 में भवन के निर्माणार्थ आवश्यक धन की व्यवस्था किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

बांदा जनपद के कर्वी और अतर्रा नगर में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की योजना

52-प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के कर्वी और अतर्रा नगर में उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् की योजना लागू करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1981 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां।

बांदा जनपद के अतर्रा एवं कर्वी नगर आवास विकास परिषद के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अतः इन नगरों में आवास परिषद् द्वारा कोई आवासीय योजना संचालित कराई जानी सम्भव नहीं है।

53-प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

बांदा जनपद के कर्वी एवं अतर्रा में ड्रेनेज व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव

54--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के कर्वी एवं अतर्रा में ड्रेनेज सिस्टम लागू करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1981 का प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इंगित पत्र विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। कर्वी एवं अतर्रा में ड्रेनेज व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस प्रकार की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

बांदा नगर में पोस्ट मार्टम हाउस के निर्माण पर विचार

55--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 20 अप्रैल, 1981 के द्वारा बांदा नगर में पोस्ट मार्टम हाउस निर्माण कराने की प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

बांदा नगर में पोस्ट मार्टम हाउस निर्माण कराने के आगणन प्राप्त हो गये हैं जिनका परीक्षण शासन में किया जा रहा है।

बांदा जनपद में आयुर्वेदिक संस्थान एवं औषधिशाला के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव

56--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा में आयुर्वेदिक संस्थान एवं औषधिशाला के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 1980 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

आयुर्वेदिक संस्थान एवं औषधिशाला के निर्माण हेतु छठी योजना में कोई धनराशि का प्राविधान नहीं है। एतदर्थ इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के कार्यालय में कार्यरत लिपिकों का स्थानान्तरण

57--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के कार्यालय में कुल कितने लिपिक हैं ? क्या यह भी सही है कि कई लिपिक 15-15 वर्ष से उक्त कार्यालय में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत लिपिकों का दूसरे जनपद में स्थानान्तरण करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के कार्यालय में कुल 8 लिपिक कार्यरत हैं । उसमें से कोई भी 15 वर्ष से कार्यरत नहीं है । वित्तीय मध्य सत्र में किसी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अमरेश सिंह, निवासी ग्राम रुधौली, जिला बस्ती के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

58--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-8-1982 को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र श्री अमरेश सिंह, निवासी ग्राम रुधौली, डाकखाना रुद्रनगर, तहसील बांसी, जिला बस्ती के प्रार्थना-पत्र के साथ बाबत भूमि विकास बैंक, बांसी से श्री सिंह की भूमि पर किसी अन्य को कर्जा देने के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो भूमि विकास बैंक, बांसी द्वारा इस प्रकार अनियमित कार्यवाही किये जाने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बच्चा पाठक--

संदर्भित शिकायत विषयक श्री अमरेश सिंह के पत्र पर जांचोपरान्त सहायक फील्ड आफिसर श्री चित्रसेन सिंह के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही एवं श्री पेवर राम सहायक शाखा आंकिक के विरुद्ध विस्तृत जांच की जा रही है ।

59--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद में साधन सहकारी समिति, अजमेरी बादशाहपुर का भवन निर्माण

60--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में साधन सहकारी समिति, अजमेरी बादशाहपुर का भवन निर्माण किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण पर कुल कितना धन व्यय किया जाना है और भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जनपद फैजाबाद की साधन सहकारी समिति, अजमेरी बादशाहपुर के गोदाम का निर्माण उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक द्वारा संचालित विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। गोदाम के निर्माण हेतु पर्यवेक्षण शुल्क सहित 98,000 रु0 की लागत स्वीकृत है।

गोदाम का निर्माण कार्य प्रगति पर है और लगभग पूर्ण होने की स्थिति में पहुंच गया है।

राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला, लखनऊ में कार्यरत जूनियर एनालिटिकल असिस्टेन्ट (फूड) के पदों पर स्थायीकरण

61--श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 21 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय जन विश्लेषण प्रयोगशाला, लखनऊ में जूनियर एनालिटिकल असिस्टेन्ट (फूड) के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण के आदेश दिनांक 25-1-1983 को जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस तिथि से स्थाई किया गया।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां। दिनांक 1 जनवरी, 1983।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् मुख्यालय, राजाजीपुरम् तथा इन्दिरा नगर कालोनी, लखनऊ में 5 वर्ष से अधिक कार्यरत अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

62--श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जिनकी सेवायें एक ही स्थान पर 5 वर्ष या इससे अधिक हैं, उन्हें नियमानुसार एक प्रशासनिक स्तर पर स्थानान्तरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह--

जी नहीं। क्योंकि इस वर्ष प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जिनकी सेवायें एक ही स्थान पर 5 वर्ष या इससे अधिक हैं उनके स्थानान्तरण के मामलों में निम्न नीति के आधार पर विचार किया गया है:--

> "यदि एक जनपद अथवा स्थान में विभिन्न वृत्त/खंड/इकाई/उप खंड में किसी भी अधिकारी की यदि उसके आचरण के विरुद्ध कोई शिकायत न हो तथा उसको इसके स्थान पर बनाये रखना परिषद् हित में हो तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को वहां 7 वर्ष तक बनाये रखा जा सकता है। किन्तु प्रशासनिक कारणों से 5 वर्ष से पूर्व भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।"

63—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला अस्पताल, फैजाबाद में सामान क्रय में कथित अनियमितताओं का आडिट

64—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला अस्पताल (सदर), फैजाबाद में दवा व अन्य सामानों के क्रय में की गयी अनियमितताओं एवं अन्य भ्रष्टाचार के आधार पर शासन द्वारा मार्च, 1983 में आडिट पार्टी से जाँच कराई गई ? यदि हां, तो क्या आडिट पार्टी की जाँच पूर्ण हो चुकी है रिपोर्ट और क्या है ? अब तक जाँच के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

छात्र नर्सों को वर्दी भत्ता दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश तथा स्वरूपरानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में प्रशिक्षणरत छात्राओं को वर्दी भत्ता तथा प्रशिक्षणरत विभागीय स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं को वेतन तथा छात्रवृत्ति

65—श्री मोहन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सभी छात्र नर्सों की वर्दी बनाने हेतु 500 रु0 प्रतिवर्ष दिये जाने के शासनादेश हैं ? यदि हां, तो स्वरूपरानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं विभागीय छात्राओं को वर्दी भत्ता नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत छात्र नर्सों को वर्दी बनाने के लिए 500 रु0 की धनराशि प्रति वर्ष दिए जाने के शासनादेश हैं । यह प्रथम दो वर्षों में ही दिया जायेगा ।

मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं को जिन्हें जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में भेजा गया है, को प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का वर्दी भत्ता दिये जाने का प्राविधान नहीं है । उक्त विभागीय स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं को प्रशिक्षण अवधि में वर्दी भत्ता दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

66—श्री मोहन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इसी प्रशिक्षण केन्द्र पर जनरल नर्सिंग कोर्स प्राप्त कर रही विभागीय कर्मचारी अथवा स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं को राजकीय सेवा नियमों के अधीन छात्रवृत्ति से साथ-साथ वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

जिन विभागीय स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं को पब्लिक हेल्थ नर्सिंग कोर्स के दो वर्ष के प्रशिक्षण में भेजा जाता है उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उनके देय अवकाश का वेतन तथा शेष अवधि में छात्रवृत्ति दी जाती है । छात्रवृत्ति के साथ-साथ वेतन देने का कोई प्राविधान नहीं है ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में नैत्यिक लिपिक की अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लिये आरक्षित रिक्तियां तथा रिक्तियों की पूर्ति के समय शासनादेश का अनुपालन

67—श्री रामधनी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय मुख्यालय में माह जून, 1980 में रिक्त 11 नैत्यिक लिपिक के पदों में 8 पद अनुसूचित जाति, 2 पद पिछड़ी जाति तथा 1 पद सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित हैं ? यदि हाँ, तो यह आरक्षित रिक्तियां कितने प्रतिशत तथा किस आधार पर एवं किस शासनादेशानुसार आरक्षित की गयी हैं ? माह अप्रैल, 1981 में जिन 9 नैत्यिक लिपिक (कनिष्ठ लिपिक) के पदों को भरा गया है उसमें अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लिए कोई पद आरक्षित क्यों नहीं किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । स्थिति यह है कि जून, 1980 के पूर्व के नैत्यिक लिपिक (कनिष्ठ लिपिक) के रिक्त 11 पदों को सम्मिलित करते हुये माह अप्रैल, 1981 में नैत्यिक लिपिक (कनिष्ठ लिपिक) के 11 रिक्त एवं दिसम्बर, 1981 तक के सम्भावित रिक्त कुल 33 पदों में से शासनादेश संख्या 2003/चालीस-रा0 एको0-6-11-77, दिनांक 20 अगस्त, 1977 के अनुसार 25 प्रतिशत की दर से 8 पद अनुसूचित जाति के लिए तथा 15 प्रतिशत की दर से 5 पद पिछड़ी जाति के लिये आरक्षित किये गये थे । माह अप्रैल, 1981 में प्रश्नगत रिक्तियों को भरते समय दोनों जातियों अर्थात् अनुसूचित जाति तथा तथा पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे गये थे । पिछड़ी जाति का उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध हो गया था जिसे नियुक्त कर लिया गया था । किन्तु अनुसूचित जाति का कोई उपयुक्त अभ्यर्थी न मिल सकने के कारण उक्त जाति के किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं हो सकी इस प्रकार नियुक्त किये गये कुल 9 नैत्यिक लिपिकों में 8 सामान्य तथा एक पिछड़ी जाति का अभ्यर्थी था ।

68—श्री रामधनी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय मुख्यालय पर माह जून, 1980 से जनवरी, 1983 तक नैत्यिक लिपिक (कनिष्ठ लिपिक) के कितने पद किस-किस अवधि से रिक्त थे तथा उनमें से कौन-कौन से पद अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लिए रोस्टर के आधार पर आरक्षित थे। क्या आरक्षित रिक्तियों को भरते समय शासनादेश संख्या 233/चालीस-1-13 (12)-81, दिनांक 5-2-81 का अनुपालन किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय मुख्यालय पर माह जून, 1980 से जनवरी, 1983 के मध्य नैत्यिक लिपिक (कनिष्ठ लिपिक) के रिक्त पदों एवं उसके विरुद्ध रोस्टर के आधार पर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों का विवरण निम्नवत् है :--

अवधि	रिक्त पदों की संख्या	रोस्टर के आधार पर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पद की क्रम संख्या
जून, 1980 तक	11	9
जुलाई, 1980 से अप्रैल, 1981 तक	9	13, 17, 1
मई, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक	13	5, 9, 13, 17
जनवरी, 1982 से जनवरी, 1983 तक	22	1, 5, 9, 13
कुल पद ..	55	आरक्षित पद 12

पिछड़ी जाति के लिए रोस्टर बनाये जाने का प्राविधान नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल 12 पदों में से 2 पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा चुका है। शेष आरक्षित 10 पद रिक्त हैं। सेवायोजन कार्यालय से अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो गई है। रिक्त पदों को भरने के लिए शासनादेश संख्या 233/चालीस--1-13(12)/81, दिनांक 5 फरवरी, 1981 का अनुपालन किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों के सुदूर ग्रामीण अंचलों में नियुक्त चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति स्थान पर रहने सम्बन्धी निर्देश

69--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में खुले विभिन्न चिकित्सालयों में नियुक्त चिकित्साधिकारी सुदूर ग्रामीण अंचलों में न जाकर जिला मुख्यालयों, तहसील या विकास खंड मुख्यालयों में ही रहते हैं ? इन परिस्थितियों में सरकार सभी चिकित्सालयों को वहां प्राप्त सुविधा के आधार पर श्रेणीबद्ध करते हुये चिकित्साधिकारियों की ज्येष्ठता आधार पर इन स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त कर उसे कड़ाई से लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो सरकार ने ऐसे कौन से प्रयास किये हैं कि वहां नियुक्त चिकित्साधिकारी नियुक्ति स्थान में सेवारत रहें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

चिकित्साधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नियुक्ति के स्थान पर रहें। यदि किसी चिकित्साधिकारी को नियुक्ति के स्थान पर रहता हुआ नहीं पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। निदेशक द्वारा पुनः समस्त पर्वतीय क्षेत्र के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश जारी किये जा रहे हैं कि वे सुनिश्चित कर लें कि चिकित्साधिकारी अपने स्थान पर रहें।

क0 रा0 बी0 चिकित्सालय, मोदीनगर, गाजियाबाद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड तथा अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण

70--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क0 रा0 बी0 चिकित्सालय, मोदीनगर, गाजियाबाद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड 30 प्रतिशत (परसेन्टेज) पर आये हुये कर्मचारियों की सूची बनाई गई है ? यदि हां, तो सूची में किन-किन कर्मचारियों को शामिल किया गया है और उसका आधार क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक निश्चित सेवा अवधि के उपरान्त सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही की जा रही है।

71--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क0 रा0 बी0 चिकित्सालय, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के कर्मचारियों को शासनादेश संख्या 45/1/72 ओ0 एंड एन0, दिनांक 4 जून, 1975 के अनुसार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया गया? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक कितने कर्मचारियों को अस्थायी से स्थायी किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मोदीनगर, गाजियाबाद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी

72--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 2596/18-3--1112-वि0-77, दिनांक 16 मई, 1978 के आधार पर क0 रा0 बी0 चिकित्सालय, मोदीनगर, गाजियाबाद के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सर्दी व गर्मी की वर्दी दी जा रही है ? यदि हां, तो 1980-81 व 1981-82 में किन-किन तिथियों में किन कर्मचारियों को वर्दी दी गई ? उक्त मद में सरकार को कितने रुपये व्यय करने पड़े ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मोदीनगर को यथासमय शासनादेश दिनांक 16 मई, 1978 उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 1980-81 व 1981-82 में किसी कर्मचारी को वर्दी नहीं दी गई । शासनादेश दिनांक 25 अक्तूबर, 1982 के अनुसार श्री शिवदत्त को दिनांक 2 फरवरी, 1983 को 208 रुपये की गर्मी की वर्दी दे दी गई ।

अब अपर निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना ने अपने पत्र दिनांक 12 अगस्त, 1983 द्वारा शासनादेश दिनांक 16 मई, 1978 की प्रतिलिपि अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मोदीनगर को भेजते हुए निर्देश दिये हैं कि उक्त शासनादेश के अनुसार तुरन्त वर्दी दे दी जाय ।

नगरपालिका जलालपुर, फैजाबाद के कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगें तथा उनको तीन माह के बकाया वेतन का भुगतान

73--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, जलालपुर, फैजाबाद के समस्त कर्मचारियों द्वारा 10 मार्च, 1983 से अपनी कुछ मांगों को लेकर सम्पूर्ण रूप से हड़ताल कर दी है तथा हड़ताल के दौरान हड़तालियों द्वारा 11 सूत्रीय मांगें प्रशासन को भेजी हैं, जिसमें पिछले 3 महीने का बकाया वेतन भुगतान न किये जाने की भी शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उक्त नगर-पालिका के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने का मुख्य कारण क्या है ? क्या पिछले तीन माह का बकाया वेतन सरकार ने सम्बन्धित कर्मचारियों को भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर सरकार अविलम्ब कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

3 माह के वेतन का भुगतान न किया जाना । प्रश्नगत वेतन का भुगतान नगरपालिका द्वारा किया जा चुका है । प्रश्न नहीं उठता ।

74--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[दिनांक 1 सितम्बर, 1983 को अतारांकित प्रश्न संख्या 49 द्वारा उत्तरित ।]

75--श्री प्रभू नारायण सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

ग्राम अधिबार, जनपद मिर्जापुर में स्वास्थ्य उप केन्द्र

76--श्री रामचरण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 25-2-83 को, स्वास्थ्य उप केन्द्र, अधिबार, जनपद मिर्जापुर में पुनः कायम करने के बारे में लिखा था । यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर ने इस क्षेत्र में मैपिंग एक्सरसाइज करके ग्राम भगवती देई में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने का स्थान निर्धारित किया था। ग्राम अधिबार इसी के अन्तर्गत आता है । पूर्व निर्धारित स्थान पर भगवती देई में उप केन्द्र खोला जा चुका है । ग्राम अधिबार की जनता इसी केन्द्र से समस्त स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ उठाती है ।

नगरपालिका शाहजहांपुर में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति

77--श्री मोहन सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, शाहजहांपुर में माह फरवरी, 1982 से माह अप्रैल, 1983 तक स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारी एवं मेटो की कितनी स्थायी नियुक्तियां की गई ? क्या इन रिक्त पदों के चयन हेतु किसी समिति द्वारा साक्षात्कार करने के उपरान्त नियुक्तियां की गईं एवं जिला सेवायोजन कार्यालय से नाम आमन्त्रित किये गये ? यदि नहीं, तो इस प्रकार अवैध नियुक्तियों के होने पर शासन द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

कोई स्थायी नियुक्ति नहीं की गई ।

सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए किसी समिति द्वारा साक्षात्कार अथवा सेवायोजन कार्यालय से नाम आमन्त्रित किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया निचलौल, गोरखपुर में सड़कों पर अवैध कब्जे न करने सम्बन्धी आदेश

78--श्री रियासत हुसैन--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया निचलौल, जनपद गोरखपुर के प्रभारी अधिकारी ने इस आशय का आदेश दिनांक 5-4-82 को दिया है कि सड़क के मोड़ पर मध्य में पक्का निर्माण या गोमटी रख कर कोई अवैध कब्जा न करें ? यदि हां, तो उक्त आदेश के बाद अब तक कितने अवैध निर्माण कार्य कराये गये हैं जिसको हटाये जाने के आदेश के बावजूद भी अवैध निर्माण इस सत्र में जारी हैं ? यदि हां, तो अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

टाउन एरिया कमेटी, निचलौल में अब तक एक ही अवैध निर्माण कार्य किया गया था जिसे हटा दिया गया था । इस सत्र में कोई अवैध निर्माण कार्य जारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जियनपुर नगर क्षेत्र समिति, जिला आजमगढ़ की मतदाता सूची में कतिपय ग्रामों के व्यक्तियों तथा ग्राम सभा प्रधानों के नाम

79—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जियनपुर नगर क्षेत्र जिला आजमगढ़ में ग्राम जहरीरुद्दीनपुर, चांदपार, मोना बुजुर्ग बांसूपार, चक लालचन्द, ब्रह्मपुर, अल्लीपुर, अनजान शहीद और खालिसपुर के लोगों को गलत तरीके से जियनपुर नगर क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम दर्ज कर दिया गया है जिसमें बहुत से ग्राम सभाओं के प्रधान भी सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगर क्षेत्र समिति, जियनपुर की मतदाता सूची टाउन एरियाज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आज्ञा, 1978 के प्राविधानों के उपरान्त गृहस्वामियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई। उक्त नगर क्षेत्र की मतदाता सूची में ग्राम सभा मुवना बुजुर्ग, बांसूपार, बनकट, ब्रह्मपुर तथा खालिसपुर के प्रधानों के नाम पहले से अंकित थे। सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर तथा नियमित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करके उक्त प्रधानों के नाम तथा अन्य 114 व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से निकाल दिये हैं। उपरोक्त तथाकथित स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को श्री विश्वनाथ, प्रधान सहायक, झांसी द्वारा भेजा गया कथित शिकायती-पत्र

80—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को उचित माध्यम द्वारा दिनांक 5-10-82 को भेजी गई श्री विश्वनाथ, प्रधान सहायक, 24वां मंडल, उ० प्र० जल निगम, झांसी का शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर प्रबन्ध निदेशक ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह खन्ना ?

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

81—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

शाहजहांपुर जनपद की तहसील तिलहर में थोक विक्रेता मेसर्स राधाकृष्ण विमल कुमार से प्राप्त मिट्टी के तेल का फुटकर विक्रेताओं द्वारा वितरण

82—श्री जगदीश सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में मेसर्स राधाकृष्ण विमलकुमार होलसेल डीलर से फुटकर मिट्टी के तेल विक्रेताओं

ने 24-12-82 को तेल खरीदा ? यदि खरीदा तो सभी विक्रेताओं ने जनता में उसका वितरण कर दिया है ? यदि नहीं, तो अब तक उसे रोके रहने का क्या औचित्य है ?

श्री बासुदेव सिंह—

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के मिट्टी तेल थोक विक्रेता मेसर्स राधा किशन विमल कुमार के यहां से दिनांक 24-12-82 को तहसील के 18 फुटकर विक्रेताओं ने मिट्टी का तेल प्राप्त किया जिनमें से एक फुटकर विक्रेता को छोड़कर शेष 17 फुटकर विक्रेताओं ने मिट्टी तेल का वितरण जनता में कर दिया था। उक्त जिस एक फुटकर विक्रेता ने मिट्टी तेल का वितरण नहीं किया था उसका लाइसेन्स निरस्त करके उसकी मिट्टी तेल की जमानत राज्य के हक में जब्त कर ली गयी तथा उसके स्टाक में उपलब्ध पाये गये मिट्टी के तेल को अन्य फुटकर मिट्टी तेल विक्रेता/सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करा दिया गया।

सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री प्रभुनाथ मिश्र द्वारा यू० पी० निवास से वाहन उपयोग के व्यय का भुगतान तथा उनके द्वारा हवाई जहाज द्वारा की गई यात्रा व्यय का भुगतान

83—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 1ले गुरुवार के अता० प्र० सं० 50 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, विकास प्राधिकरण, लखनऊ (श्री पी० एन० मिश्र) ने यू० पी० निवास की कार का प्रयोग करने का किराया मेरे प्रश्न के पूर्व जमा किया अथवा बाद में ? क्या सचिव, विकास प्राधिकरण हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए अधिकृत हैं ? यदि नहीं, तो हवाई यात्रा का भुगतान कहां से हुआ ? क्या शासन सम्बन्धित अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण (श्री प्रभुनाथ मिश्र) द्वारा यू० पी० निवास के वाहन के उपयोग किए जाने का देयक (बिल) विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के पूछे जाने के बाद प्राप्त हुआ था, अतः उक्त देयक (बिल) का भुगतान बाद में ही किया गया था। श्री मिश्र विकास प्राधिकरण में प्राप्त वेतन के अनुसार सामान्य नियमों के अन्तर्गत हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने के लिए अधिकृत हैं। हवाई यात्रा का व्यय विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया गया है। इस मामले में श्री मिश्र के विरुद्ध किसी विभागीय कार्यवाही का औचित्य नहीं है।

वैक्सीन इंस्टीटयूट, पटवाडांगर, नैनीताल के अधिष्ठान लिपिक के पद पर श्री रौतेला का कार्यकाल तथा उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शिकायत

84—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वैक्सीन इंस्टीट्यूट, पटवाडांगर (नैनीताल) में कार्यरत वर्तमान अधिष्ठान लिपिक श्री रौतेला के स्थानान्तरण के

सम्बन्ध में शिकायतों सहित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् पटवाडांगर (नैनीताल) द्वारा अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक, प्रशासन को प्रेषित पंजीकृत पत्र दिनांक 20-5-82, 16-9-82 व अक्टूबर, 1982 निदेशालय को प्राप्त हुए। यदि हां, तो क्या पत्रों में लिखित शिकायतों पर जांच करायी गयी एवं क्या-क्या बातें सही पायी गयी ? क्या उनका स्थानान्तरण परिषद की मांग के अनुसार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या इनके स्थानान्तरण हेतु विचार किया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में प्राप्त नहीं हुए अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता। शिकायतों की प्रतियां मांगी गयी हैं जिनके उपलब्ध होने पर जांचोपरान्त श्री रौतेला के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

85-.श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त रौतेला लिपिक, पटवाडांगर में कब से तैनात हैं और लगभग 14.15 वर्षों से अधिष्ठान लिपिक पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इनको एक ही सीट पर रखने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शासन की 5 वर्ष की स्थानान्तरण नीति का पालन इस संस्थान के उक्त वर्ग में न करने का क्या कारण है एवं आगे इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्री रौतेला राज्य रक्षालय संस्थान पटवाडांगर में अधिष्ठान लिपिक के पद पर दिनांक 25 जुलाई, 1969 से कार्यरत हैं। इनके कार्य में कोई त्रुटि न होने के कारण इनको आंतरिक रूप से स्थानान्तरित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। मध्य सत्र होने के कारण श्री रौतेला के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता। भविष्य में प्रशासनिक आधार पर इस संस्थान के लिपिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार विचार किया जायेगा।

देवरिया नगर में महायोजना अन्तर्गत भवन निर्माण मानचित्रों की नियम विरुद्ध स्वीकृति से सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

86--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया नगर में महायोजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु मानचित्रों की स्वीकृति में नियमों के विरुद्ध मानचित्र स्वीकृत कर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के आरोपों से सम्बन्धित जुलाई, 1982 में जन प्रतिनिधियों का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? देवरिया नगर की महायोजना को कब तक अंतिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

संबधित कर्मचारी को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

महायोजना को एक-दो माह में अंतिम रूप दे दिये जाने की आशा है ।

देवरिया के बैतालपुर को टाउन एरिया बनाने का प्रश्न

87--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बैतालपुर टाउन को टाउन एरिया बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

अपेक्षित अर्हताएं न रखने के कारण ।

88--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त ।]

इलाहाबाद जनपद की मेजा तहसील में जल निगम द्वारा निर्मित पानी की टंकी गिरने की जांच

89--श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि वर्ष 1980 में तहसील मेजा, जनपद इलाहाबाद में जल निगम द्वारा निर्मित कोई पानी की टंकी गिरी थी ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और जांच रिपोर्ट का पूरा ब्योरा क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां । प्रारम्भिक जांच तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रकल्प और नियोजन) द्वारा की गई थी, जिसके आधार पर विभागीय अनुशासनिक जांच मुख्य अभियंता से कराई गई थी । 4 अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्त्तव्य पालन में शिथिलता के लिये दोषी पाया गया और एक कर्मचारी के सम्बन्ध में जांच आख्या अभी अपेक्षित है ।

नगरपालिका मुरादाबाद के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

90--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें नगरपालिका मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के बारे में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 15 मार्च, 1983 का कोई पत्र मिला ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां । उक्त पत्र में की गयी शिकायतों की जांच की जा रही है ।

91--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

टाउन एरिया न्योतनी, जिला उन्नाव के एक मोहल्ला मुरली गढ़ी को टाउन एरिया में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी पत्र

92--श्री भीखालाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनांक 1-10-81 निदेशक, नगर विकास विभाग को जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि टाउन एरिया न्योतनी, जिला उन्नाव का एक मोहल्ला मुरलीगढ़ी टाउन एरिया में शामिल होने से रह गया है, अतः उसे टाऊन एरिया में शामिल किया जाय, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में शासन ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

विधायक महोदय से संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 1983 को प्राप्त की गयी । जिलाधिकारी ने टाउन एरिया में प्रश्नगत मोहल्ले को शामिल करने की संस्तुति नहीं की है ।

साधन सहकारी समिति दिवनापुर मिलक, जिला बरेली में फर्जी ऋण अंकित किए जाने सम्बन्धी शिकायत की जांच

93--श्री भीखा लाल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-2-82, जिसके साथ साधन सहकारी समिति, दिवनापुर मिलक, अलीनगर ब्लाक, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली के किसानों का सामूहिक प्रार्थना पत्र समिति द्वारा फर्जी कर्ज अंकित किये जाने के और पास बुक में जालसाजी करने के सम्बन्ध में है, उनको प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री बच्चा पाठक--

साधन सहकारी समिति लि0, दिवनापुर मिलक, अलीनगर ब्लाक व तहसील नवाबगंज के किसानों का सामूहिक प्रार्थना-पत्र फर्जी ऋण अंकित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था । इसकी जांच अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, नवाबगंज द्वारा की गयी थी ।

जांच अधिकारी ने शिकायत को निराधार पाया ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में ग्राम बौजा जटवाड़ा कैला की अर्जित भूमि के बदले आवंटित की गई भूमि सम्बन्धित लम्बित विवाद

94--श्री मुख्तार अनीस--

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में ग्राम बौजा, जटवाडा, कैला की एक्वायर की गई भूमि के बदले में 1967 के लैण्ड पालिसी के अन्तर्गत भूस्वामियों को आवंटित की जाने वाली भूमि से सम्बन्धित कितने विवाद शासन के अन्तर्गत तथा कितने विवाद न्यायालयों के विचाराधीन हैं ? शासन के अन्तर्गत विचाराधीन विवादों को किस अवधि तक निर्णीत करके गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अवगत करा दिया जाएगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में ग्राम बौजा, जटवाडा, कैला की एक्वायर की गई भूमि के बदले में 1967 से लैण्ड पालिसी के अन्तर्गत भूस्वामियों को आवंटित की गई भूमि से सम्बन्धित शासन के पास इस समय कोई विवाद लम्बित नहीं है । 1967 से केवल दो विवाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

गोरखपुर जनपद के ग्राम हरपुर मंहथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

95--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास क्षेत्र धुधली के गांव हरपुरमहंथ में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने सम्बन्धी निर्णय विभाग ने ले लिया है ? यदि हां, तो अब तक कार्य प्रारम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं और चिकित्सालय कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

देवरिया जनपद में स्वास्थ्य प्रदर्शकों का चयन तथा हरदोई जनपद में चयन का निरस्तीकरण

96--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र --

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में जनपद देवरिया में सामुदायिक कार्यकर्त्ता योजना के अन्तर्गत जिन सामुदायिक कार्यकर्त्ताओं का चयन किया गया है वह शासन द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार है ? यदि हां, तो चयन किए गए कार्यकर्त्ताओं में कितने प्रतिशत हरिजनों का एवं कितना प्रतिशत महिलाओं का है ? क्या यह सत्य है कि अनियमितताओं के कारण जिलाधिकारी हरदोई ने सम्पूर्ण चयन निरस्त कर दिया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

देवरिया में चयनित स्वास्थ्य प्रदर्शकों में 13.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति के सदस्य तथा 35.4 प्रतिशत महिलाएं हैं । जो हां, हरदोई में सम्पूर्ण चयन निरस्त कर दिए गए हैं ।

स्वास्थ्य विभाग के जिला प्रशासनिक अधिकारियों का स्थायीकरण

97—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र —

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के जिन 17 जिला प्रशासनिक अधिकारियों को माह फरवरी, 1982 में स्थाई घोषित किया गया है उनमें वरिष्ठताक्रम में आने वाले लोक सेवा आयोग से क्रम संख्या 5 पर चयनित अधिकारी का नाम नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उस अधिकारी का नाम वरिष्ठता क्रम से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने के फल-स्वरूप उसे स्थाई किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रा0 स्वा0 केन्द्र, रामपुर कारखाना, जिला देवरिया में सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य का भुगतान

98—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 के मध्य प्रा0 स्वा0 केन्द्र, रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया में सड़क निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कराया गया था जिसके पूर्ण न होने पर भुगतान रोक दिया गया ? क्या बिना कार्य पूर्ण किए ही अब इसका भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस अनियमितता हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

कार्य अपूर्ण होने के कारण वर्ष 1979-80 में भुगतान रोक दिया गया था । जितना कार्य पूर्ण हो चुका था केवल उसी का आंशिक भुगतान वर्ष 1980-81 में किया गया । इस मामले में चूंकि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

डा० घनश्याम सिंह द्वारा रामपुरवा, कानपुर के चिकित्साधिकारी के आवासीय भवन पर अवैध कब्जा

99—श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, रामपुरवा, कानपुर के तत्कालीन डा० घनश्याम सिंह की नियुक्ति सितम्बर, 1980 में ही उप मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर जनपद हमीरपुर में हो गई थी और अब भी वह हमीरपुर जनपद में ही नियुक्त हैं, परन्तु उच्च अधिकारियों के आदेशों के पश्चात् भी इन्होंने रामपुरवा चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी हेतु निर्मित आवासीय भवन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ? इनसे रामपुरवा चिकित्सालय के चिकित्सक का आवासीय भवन कब तक खाली करवा लिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त भवन दिनांक 6-8-1983 को खाली कर दिया गया है ।

श्री राजीव गांधी, संसद सदस्य के साथ कानपुर नगर के दौरे पर मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा बस्तियों का निरीक्षण

100—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 30 अप्रैल, 83 को मुख्य मंत्री व नगर विकास मंत्री आदि कई मंत्रियों ने संसद सदस्य श्री राजीव गांधी के साथ कानपुर नगर में पैदल यात्रा करते हुए किन-किन बस्तियों का निरीक्षण किया और उन बस्तियों के निवासियों ने अपनी किन-किन समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनसे अनुरोध किया तथा उन समस्याओं के निराकरण हेतु शासन द्वारा क्या कोई आदेश किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

श्री राम सिंह खन्ना—

दिनांक 30-4-83 को माननीय मुख्य मंत्री जी व नगर विकास मंत्री जी तथा अन्य मंत्रीगण के साथ माननीय संसद सदस्य श्री राजीव गांधी द्वारा 65/7, 65/8 व 9 मोती मोहाल स्थित राधाकृष्ण का हाता, बगाही भट्टा तथा शक्कर मिल खलवा (लक्ष्मीपुरवा) का निरीक्षण किया गया था । निरीक्षण के समय उक्त बस्तियों के निवासियों ने सामान्य रूप से बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कहा था । कानपुर की विभिन्न बस्तियों में सुविधाओं के स्तर को सुधारने के प्रयास शासन द्वारा किये जा रहे हैं ।

101—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[5 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विशेष सचिव, सहकारिता एवं निबन्धक सहकारी समितियों द्वारा गोण्डा जिले की तरबगंज तहसील के दौरे के समय दिए गए कथित आदेश

102--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि जनपद गोंडा में विशेष सचिव, सहकारिता एवं निबन्धक सहकारिता फैजाबाद मंडल तथा जिला पूर्ति अधिकारी, गोण्डा एवं अपर जिलाधिकारी, सहकारिता फरवरी, 83 में गोंडा जिले के तरबगंज तहसील के दौरे पर आये थे और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूकानों का आदेश दिया था कि वे तत्काल 204 रु0 प्रति कुन्टल की दर से चावल उठाकर 210 रु0 प्रति कुन्टल की दर से बेचें और इसी प्रकार गेहूं का वितरण करके ऊंचे भावों को गिराकर भुखमरी पर काबू किया जाय ? यदि हां, तो फरवरी, मार्च, 33 में कौन-कौन सी सहकारी समितियों ने कितना गल्ला उठाया ? जिन समितियों में गल्ला नहीं गया उसमें दोषी पाये जाने वाले लोगों को निलम्बित करके उचित कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री बच्चा पाठक--

तत्कालीन विशेष सचिव एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, फरवरी, 1983 में गोंण्डा जिले में गये थे किन्तु उन्हों ने जिलापूर्ति अधिकारी, गोण्डा के साथ तरबगंज तहसील का दौरा नहीं किया । अतः कोई आदेश दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

103--श्री जटाशंकर सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नगर पालिका, बस्ती का सीमा प्रसार

104--श्री मलिक मो0 कमाल युसुफ--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका, बस्ती का आज के 20 साल पहले जो रकबा था वही आज भी है जबकि मौजूदा समय में सरकारी कालोनी इत्यादि बनकर नगरपालिका का क्षेत्र काफी दूर में बढ़ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगरपालिका, बस्ती का क्षेत्र बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

नगर पालिका से सीमा विस्तार का प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेद रत्न तथा वैद्य विशारद की उपाधि धारकों का मेडिसिन बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकरण

105--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन (हिन्दी विश्वविद्यालय), इलाहाबाद की आयुर्वेद रत्न तथा वैद्य विशारद की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद इनका पंजीकरण पैरा 1 व पैरा 2 मेडिसिन बोर्ड के अन्तर्गत

नहीं हो रहा है ? क्या यह सच है कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रान्तों में इनका पंजीकरण हो रहा है । यदि हां, तो उ0 प्र0 में पंजीकरण न होने के क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

इसकी जानकारी शासन को नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ज्ञानपुर तथा सुरियांवा टाउन एरिया, वाराणसी में अनुचित ढंग से टोल टैक्स वसूली के सम्बन्ध में पत्र

106--श्री केदारनाथ सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्यामधर मिश्र, उ0 प्र0 कांग्रेस (ज) कमेटी ने दिनांक 25-4-83 को ज्ञानपुर तथा सुरियांवां टाउन एरिया, जनपद वाराणसी द्वारा अनुचित ढंग से बैरियर लगाकर टोल टैक्स आदि लगाने सम्बन्धी शिकायती पत्र प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरतीरथ तालाब विश्वेसरगंज-नगरमहापालिका, वाराणसी की भूमि पर कथित अवैध निर्माण

107--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरतीरथ तालाब, विश्वेसरगंज, नगरमहापालिका, वाराणसी की जमीन के ऊपर तीन जगह रामलीला का चबूतरा बनाकर उसमें अवैधानिक तरीके से दूकान निकाली गयी है ? यदि हां, तो नगर महापालिका, वाराणसी ने इस नव निर्माण को क्यों नहीं रोका और उसको गिराने के लिए क्या कार्यवाही अब तक की गयी है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

108--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

(2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

शाहजहांपुर के नगरीय व देहाती क्षेत्रों म चावल को प्रति यूनिट देय मात्रा में आपूर्ति

109--श्री सिकन्दर अली खां--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर एवं शाहजहांपुर शहर क्षेत्र में प्रति यूनिट कितनी मात्रा में चावल देय है तथा शहर क्षेत्र की जनता को निर्धारित मात्रा में आपूर्ति हो रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जनपद शाहजहांपुर के नगरीय व देहाती क्षेत्रों के लिये 8 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट माह की दर से देय है, परन्तु शाहजहांपुर के शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को उक्त निर्धारित मात्रा में चावल की आपूर्ति इस कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वर्तमान समय में आवश्यकता से कम चावल का आवंटन प्राप्त हो रहा है ।

नगरपालिका, शाहजहांपुर को उपलब्ध धन के उपयोग का विवरण तथा जांच

110--श्री सिकन्दर अली खां--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका शाहजहांपुर को कितना-कितना धन किस-किस मद में 1982-83 में उपलब्ध कराया गया ? इस धन का उपयोग कहां-कहां पर किया गया ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

वांछित सूचना संलग्न है । निदेशक स्थानीय निकाय की जांच हेतु आदेश दिये जा चुके हैं ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 229 पर ।)

श्री खेदन पुत्र जसई हरिजन ग्राम भरौली, जिला बस्ती का अपनी पत्नी को दाई के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र

111--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दि0 26 अगस्त, 1982 श्री खेदन पुत्र जसई हरिजन, निवासी ग्राम भरौली, डाकघर अठदमा, जिला बस्ती के संलग्न प्रार्थना-पत्र के साथ बावत उनकी माता स्व0 प्राणदेई (दाई), स्वास्थ्य विभाग के स्थान पर उनकी पत्नी जो दाई की ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं, को नियुक्ति किए जाने के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां । श्री खेदन पुत्र जसई हरिजन, ग्राम भरौली, पोस्ट अठदमा, जिला बस्ती का इस आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था । शासनादेश संख्या 6-12/1973-क नियुक्ति-4, दिनांक 21-12-73 के अनुसार स्व0 प्राणदेई, दाई की बहू को उनके स्थान पर नियुक्त किया जाना अनुमन्य नहीं है ।

चमोली जनपद के ग्राम आली, कान्डई तथा सौडमंगरा को पेय जल योजना

112--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के विकास क्षेत्र पोखरी के अन्तर्गत आली, कान्डई, सौड मंगरा ग्रामों के लिए पेयजल योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

योजना जून, 1983 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

वाराणसी जनपद में पिण्डरा उच्चीकृत अस्पताल का निर्माण

113--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिण्डरा, जिला वाराणसी के अस्पताल को 30 शैय्या के उच्चीकरण हेतु एक अस्पताल का शिलान्यास संसद सदस्य, श्री कमलापति त्रिपाठी ने सन् 1982 में किया था और उसकी नींव भी खोद दी गई थी ? यदि हां, तो उस अस्पताल का अब तक निर्माण कार्य क्यों-नहीं शुरू किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां। जिस स्थल पर निर्माण कार्य होना था उसके स्वामित्व के बारे में कुछ विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण निर्माण कार्य अल्प अवधि के लिए रुक गया था। अब विवाद सुलझा लिया गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

वाराणसी जनपद के स्थान बरही नेवादा में एलोपैथिक अस्पताल निर्माण हेतु दान की गई नकद धनराशि तथा भूमि

114--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान बरही नेवादा, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में एक एलोपैथिक अस्पताल स्व0 रज्जब अली नेवादा के नाम से स्वीकृत किया गया है और उनके खानदान के लोग एक एकड़ जमीन तथा एक लाख रुपया देने वाले थे ? यदि हां, तो क्या रुपया मिल गया और जमीन की रजिस्ट्री हो गई ? यदि हां, तो कब ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं। दानकर्ता द्वारा दान में दी जाने वाली नकद धनराशि एवं भूमि को शासन द्वारा स्वीकार किये जाने हेतु अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है, हांलाकि दानकर्ता ने 1 लाख रुपये का नकद धनराशि दिनांक 21-3-83 को जमा कर दी है तथा 1·24 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री भी दिनांक 30-4-83 को कर दी है ।

चमोली जनपद के अस्पतालों में एलोपैथिक चिकित्सकों के रिक्त पद

115--कुंवर सिंह नेगी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में राजकीय चिकित्सालयों में कितने डाक्टरों के पद इस समय रिक्त हैं ? कब तक सभी रिक्तियां भर दी जायेंगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जनपद चमोली में एलोपैथिक चिकित्सकों के 72 पद रिक्त हैं। पर्वतीय उपसंवर्ग में रिक्तियों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को पुनः अधियाचन भेज दिया गया है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने के पश्चात् रिक्तियां भर दी जायेंगी।

गोपेश्वर, जनपद चमोली में नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर में कार्य

116--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर ने सुचारुरूप से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं मिडवाइफ कौंसिल, लखनऊ तथा इण्डियन नर्सिंग कौंसिल नई दिल्ली की स्वीकृति अभी अपेक्षित है। इनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरांत ही जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर प्रारम्भ किया जा सकता है। अन्यथा बाद में कोई कमी पाये जाने पर ट्रेनिंग सेन्टर की वैधता अस्वीकृत हो जाने की संभावना बनी रहेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसडीह, जिला बलिया के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

113--श्री रामसागर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसडीह, जिला बलिया के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता तथा अपने पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में (हैल्थगाइड के नियुक्ति से सम्बन्धित) शिकायतें शासन को गत छः माह के भीतर प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां। शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

उत्तर प्रदेश नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय में कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा नियमावली

118--श्री राम सागर--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय में कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा नियमावली बनी है ? यदि नहीं, तो नियुक्तियों व पदोन्नतियों का विनियमन किस प्रकार किया जाता है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगर भूमि सीमारोपण संगठन अभी तक अस्थायी है तथा इसके सभी पद भी अस्थायी हैं जिसके कारण विभाग की सेवा नियमावलियों को अन्तिम रूप दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है। विभाग में नियुक्तियां व पदोन्नतियां कार्यहित को दृष्टिगत करते हुए उपयुक्तता एवं वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं।

जनपद चमोली को मिट्टी का तेल, चावल एवं गेहूं का आवंटन तथा वास्तविक आपूर्ति का विवरण

119--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली को माह अप्रैल, 1983 से प्रति माह मिट्टी का तेल, चावल एवं गेहूं कितनी मात्रा में आवंटित किया जा रहा है ? आवंटन के विपरीत कितनी मात्रा म वास्तविक आपूर्ति जनपद को हुई है ? वर्ष 1982 में इस दौरान इन वस्तुओं का कितना आवंटन जिले को किया गया था और उसके विपरीत वास्तविक आपूर्ति क्या थी ?

श्री वासुदेव सिंह--

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 230 पर।)

जनपद चमोली में खाद्यान्न गोदामों का निर्माण

120--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में वर्ष 1983-84 में सहकारी खाद्यान्न भंडारों के भवनों के निर्माण का क्या कोई लक्ष्य निर्धारित है ? यदि हां, तो कब निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह--

चमोली जनपद के गैरसेण स्थान पर एक खाद्यान्न गोदाम के निर्माण के लिये रु0 2,54,000 की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा मार्च, 1983 में प्रदान की गयी है ? सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से यथाशीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है।

पोखरी में गोदाम निर्माण का संशोधनार्थ लौटाया गया आगणन अभी शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनपद चमोली के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थायीकरण

121--श्री कुंवर सिंह नेगी--

प्रथम सत्र 82 के 2रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत कर्मचारियों के स्थायीकरण हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ? स्थायीकरण में विलम्ब की क्या वजह है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश भूमि सीमारोपण निदेशालय में वैयक्तिक सहायक के पद पर कनिष्ठ आशुलिपिक की नियुक्ति

122--श्री राम सागर--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूमि सीमारोपण निदेशालय में वैयक्तिक सहायक के पद पर ज्येष्ठ आशुलिपिकों को सुपरसीड कर कनिष्ठ आशुलिपिक की अनियमित रूप से नियुक्ति की गयी है जिसके विरुद्ध प्रभावित आशुलिपिकों ने शासन को 15 अक्तूबर, 1982 को प्रत्यावेदन भी दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उत्तर प्रदेश नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय में निदेशक के वैयक्तिक सहायक के पद पर निदेशालय के आशुलिपिकों में वरिष्ठतम एवं अपेक्षाकृत उच्च वेतनमान में निदेशक के आशुलिपिक के पद पर कार्यरत आशुलिपिक को तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया है । विभाग में आशुलिपिकों की ज्येष्ठता सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः किसी को सुपरसीड किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उक्त नियुक्ति के विरुद्ध आशुलिपिकों का 15 अक्तूबर, 1982 का प्रत्यावेदन शासन को नहीं प्राप्त नहीं हुआ है ।

दुर्घटना में मृत श्री राम भजन वर्मा, सचिव, जिला सहकारी सभा, फैजाबाद की पत्नी को सभा द्वारा आर्थिक सहायता

123--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में श्री राम भजन वर्मा, सचिव, जिला सहकारी सभा, फैजाबाद में कार्यरत थे तथा 10 मई, 1979 में कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या मृतक के वारिस को सभा के नियमानुसार आर्थिक सहायता दी गयी ? क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित मामले में आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु लेबर कोर्ट द्वारा 29 हजार रुपए भुगतान हेतु सुझाव दिया गया परन्तु इसके बावजूद सभा बोर्ड द्वारा 16 हजार रुपया आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

सभा की निबंधित उपविधियों में आर्थिक सहायता देने का कोई प्राविधान नहीं है । तथापि सभा की प्रबन्ध कमेटी के प्रस्ताव संख्या 2, दिनांक 16 मई, 1979 के अनुसार मृतक श्री वर्मा की पत्नी को मृत्यु के तुरन्त बाद 2,500 रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी थी । लेबर कोर्ट द्वारा कोई सुझाव नहीं दिया गया था अपितु सभा की प्रबन्ध कमेटी ने अपनी बैठक दिनांक 14 जून,

1979 के प्रस्ताव संख्या 5 द्वारा कुल 15,000 रु0 की सहायता जिसमें पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि रु0 2,500 भी सम्मिलित थी, के भुगतान का निर्णय लिया गया ।

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण में आवासीय मकानों व अन्य प्रकार के निर्माणों के ध्वस्तीकरण के लम्बित मामलों पर कार्यवाही

124--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा कितने आवासीय मकानों तथा अन्य प्रकार की निर्माण (दुकान आदि) के ध्वस्तीकरण के आदेश 25 मई, 1983 को लम्बित पड़े हुए हैं ? क्या शासन ध्वस्तीकरण के आदेशों का पालन शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह खन्ना--

दिनांक 25 मई, 1983 तक 1389 आवासीय मकानों तथा अन्य प्रकार के निर्माणों (दूकानें आदि) के ध्वस्तीकरण के आदेश प्राधिकरण में लम्बित थे ।

जी हां ।

प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है और इसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है ।

मथुरा की ग्रामीण पेयजल व्यवस्था

125--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मथुरा की ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध में 4 फरवरी, 1983 का कोई शिकायती-पत्र मिला था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

उत्तर प्रदेश जल निगम को पत्र भेज कर पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

जाजमऊ पम्पिंग स्टेशन, कानपुर की सींच दर तथा आय

126--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जाजमऊ पम्पिंग स्टेशन, कानपुर की जब सींच दर 160 रुपया प्रति एकड़ थी तो महापालिका को इससे 11 लाख रुपए की वार्षिक आय थी, अब सींच दर 250 रुपया प्रति एकड़ है किन्तु आय 5 लाख रुपया वार्षिक रह गयी है ? यदि हां, तो आय की इस कमी का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

जाजमऊ पम्पिंग स्टेशन, कानपुर की सींच दर जब रु0 160 प्रति एकड़ थी तब लगभग 3,00 लाख रुपये की बिलिंग प्रति वर्ष होती थी । अब जब सींच दर 250 रुपया प्रति एकड़ है तो वार्षिक बिलिंग 4 से 5.50 लाख रुपये के बीच होती है । अतः सींचदर बढ़ने पर भी आय में कमी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर के लाल बंगले और हरजेन्द्र नगर क्षेत्र में नगर महापालिका द्वारा सड़क के किनारे दुकान लगाने की अनुमति

127--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महापालिका, कानपुर की सीमा में लाल बंगले और हरजेन्द्र नगर क्षेत्र में सड़क के किनारे दूकानदारों से तहबाजारी वसूलने के लिए कोई ठेका दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त क्षेत्र की तहबाजारी कोई व्यक्ति वसूल कर अपनी व्यक्तिगत आय का स्रोत बनाए हुए है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं । यात यात की अधिकता और सकरा मार्ग होने के कारण यातायात में अवरोध उत्पन्न न होने के उद्देश्य से महापालिका द्वारा उक्त मार्ग पर दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दी गई है । अतः दुकानदारों से तहबाजारी वसूलने का प्रश्न नहीं उठता है ।

महापालिका को इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

साधन सहकारी समिति लि0 साथा, बस्ती के सचिव द्वारा अनियमितताओं की जांच

128--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र सचिव, साधन सहकारी समिति लि0 साथा, विकास खंड साथा, जिला बस्ती द्वारा किये जा रहे अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायत रूप में वहां के निवासियों के प्रार्थना-पत्र के साथ जनवरी, 1983 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है, जिसे उन्होंने फरवरी, 1983 के द्वितीय सप्ताह में निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 को कार्यवाही हेतु भेजा है ? क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 1-3-83 कुछ और अनियमितताओं के सबूत सहित निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 को भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की थी ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

जी हां ।

शिकायत सत्य नहीं पायी गयी ।

काटन मिल्स चौकाघाट, वाराणसी द्वारा श्री करम चन्द्र थापर के नाम से छोड़ी गई कथित भूमि की विकास प्राधिकरण द्वारा अध्याप्ति

129--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काटन मिल्स चौकाघाट, जिला वाराणसी की जो भूमि कृषि हेतु धारा 20 सीलिंग ऐक्ट में श्री करम चन्द्र थापर को छोड़ी गयी थी ? उक्त काटन मिल एरिया में कृषि कभी नहीं हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अन्तर्गत श्री करम चन्द्र थापर के नाम से काटन मिल्स चौकाघाट, जिला वाराणसी की कोई भूमि नहीं छोड़ी गयी है । अतः शेष के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

130--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काटन मिल चौकाघाट, शहर वाराणसी की जो जमीन कृषि हेतु धारा 20 में करमचन्द्र थापर को छोड़ी गयी थी उसी जमीन को विकास प्राधिकरण, वाराणसी ने एक्वायर किया और 43 लाख रु0 मुआवजा थापर को दिया है ? यदि हां, तो क्या दिये गये मुआवजे के सम्बन्ध में जांच करायेगी, जो वर्ग फिट से दिया गया है जबकि उसका मुआवजा किसी भी हालत में 5 लाख से ज्यादा नहीं होगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत काटन मिल्स चौकाघाट, वाराणसी की कोई भूमि श्री करम चन्द्र थापर के नाम से नहीं छोड़ी गयी है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

काटन मिल्स चौकाघाट, वाराणसी द्वारा करम चन्द्र थापर एण्ड कम्पनी के नाम आवास बनाने हेतु छोड़ी गई कथित भूमि

131--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काटन मिल चौकाघाट, शहर वाराणसी के अन्दर की जमीन सीलिंग ऐक्ट की धारा 21 के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के लिए मकान बनाने हेतु करम चन्द्र थापर को छोड़ी गयी थी ? यदि हां, तो कितनी और क्या अल्प आय वर्ग वालों के लिए करम चन्द थापर एण्ड कम्पनी ने आवास बनवा दिए हैं ? क्या इसकी जांच की जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 के अन्तर्गत श्री करम चन्द्र थापर के नाम से काटन मिल्स चौकाघाट की कोई भूमि नहीं छोड़ी गयी है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

महारानी लक्ष्मीबाई कन्या इन्टर कालेज, एटा जमा फण्ड के व्यय का विवरण

132--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या इन्टर कालेज, नगरपालिका, एटा में माह दिसम्बर, 1980 से नवम्बर, 1982 तक विद्यालय में जमा गर्ल्स फण्ड का धन कितना-कितना किस-किस मद पर व्यय किया गया ? क्या व्यय किया गया धन सम्बन्धित फण्ड से सम्बन्धित कार्यों पर ही शिक्षा संहिता के नियमानुसार छात्राओं के हित में व्यय किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

महारानी लक्ष्मीबाई कन्या इन्टर कालेज, नगरपालिका, एटा में माह दिसम्बर, 1980 से नवम्बर, 1982 तक विद्यालय में जमा किए गए गर्ल्स फण्ड के धन के व्यय का विवरण निम्नवत् है :

	रु0
1--झाड़ू, चूना, बल्ब, फिनायल, पौधों आदि विभिन्न वस्तुओं का क्रय तथा बिजली फिटिंग, टाइप राइटर, घड़ी आदि की मरम्मत	7,675.41
2--खेल व्यय	50.00
3--कवि-सम्मेलन तथा अन्य समारोह	116.35
4--रेडक्रास से सम्बन्धित कार्य	3,947.50
5--स्काउटिंग कार्य	74.50
6--रेडियो मरम्मत, लाइसेंस तथा स्पीकर फिटिंग आदि ।	508.95
7--परीक्षा व्यय	12,239.45
8--विभिन्न अवसरों तथा लंच के समय छात्राओं को बांटने हेतु खाद्य पदार्थों का क्रय	17,616.20
9--निर्धन छात्राओं को दी गयी सहायता	281.55
10--वाचनालय के लिए पुस्तक समाचार-पत्रों का क्रय	5,971.17
11--प्रकीर्ण	1,322.04

प्रश्नगत व्यय के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, एटा द्वारा प्रारम्भिक जांच की गयी जिसमें कुछ मदों पर हुये व्यय को अनियमित तथा अभिलेख गायब होना पाया गया । तदनुसार इस मामले में विस्तृत एवं अग्रिम जांच करने हेतु स्थानीय पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है तथा विद्यालय के प्रधान लिपिक को निलम्बित भी कर दिया गया है ।

हरदोई जनपद की सहकारी समितियों का शक्कर वितरण का लाइसेंस तथा वितरण

133--श्री हरीशंकर--

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में कितनी सहकारी समितियों के पास शक्कर वितरण के लाइसेंस इस समय हैं ? कितनी समितियों ने अप्रैल, 1983 मास से शक्कर का वितरण नहीं किया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक--

जनपद हरदोई में 212 सहकारी समितियों को शक्कर वितरण हेतु लाइसेंस दिये गये हैं ।

अप्रैल, 1983 से 60 समितियों ने शक्कर का वितरण नहीं किया ।

23 सहकारी समितियां शक्कर वितरण न करने की दोषी पाई गयी हैं । इनके स्थान पर अन्य सहकारी समितियों को वितरण हेतु अधिकृत कर दिया गया है तथा सम्बन्धित विक्रेताओं की सेवा समाप्ति के आदेश कर दिये गये हैं ।

नगरपालिका सांडी, हरदोई के ई0 ओ0 से सम्बन्धित शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

114--श्री हरीशंकर--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको नगरपालिका, सांडी, हरदोई के ई0 ओ0 के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र जिनका उत्तर मंत्री जी ने पत्रांक 387/एन0 बी0 एम0 1983, दिनांक 18-4-1983 द्वारा दिया है, पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय विधायक के पत्र पर निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं । इस मामले में निदेशक, स्थानीय निकाय की आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

बिलग्राम, हरदोई की पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप चालन

135--श्री हरीशंकर--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिलग्राम, जिला हरदोई में पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप चालू करने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 19-4-1983 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो नलकूप कब तक कार्य करने लगेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

बिलग्राम, जिला हरदोई में पेयजल योजना के अन्तर्गत एक नलकूप दिनांक 30-7-1983 को चालू कर दिया गया है ।

136—श्री मोहन सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री अली कौसर, ग्राम प्रधान, अफजलपुर, फैजाबाद की बकाए की वसूली के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

137—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री अली कौसर, ग्राम प्रधान, अफजलपुर, जनपद फैजाबाद के बकाये की वसूली जांच के बाद करने के आदेश दिनांक 7-4-1983 को हुए थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश प्राप्ति के बाद इनको गिरफ्तार किया गया ? क्या गिरफ्तारी के लिए मांग-पत्र तहसील से प्राप्त करने के लिए नियमानुसार निर्धारित धनराशि किस अधिकारी द्वारा कब और कितनी तथा किस कार्यालय में जमा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं ?

जी हां। बकाये की वसूली, जांच के बाद करने के आदेश दिनांक 7-4-1983 को प्राप्त हुये और उसी दिन श्री अली कौसर को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 6-4-1983 को ट्रेजरी चालान नं0 70 भारतीय स्टेट बैंक की शाखा अकबरपुर में श्री अली कौसर एवं चार अन्य बकायेदारों के बारेन्ट आफ अरेस्ट की फीस मुबलिग 25 रु0 नियमानुसार कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जनपद में पेयजल योजना हेतु विकास खंडवार स्वीकृत नलकूपों का वितरण

138—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में पेयजल योजना के अन्तर्गत कितने हैण्ड पाइप लगाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ? क्या सरकार ब्लाकवाइज सूची देने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जनपद वाराणसी में दो ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 280 गहरे नलकूप इण्डिया मार्क-11 हैण्ड पम्प लगाने की भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है। विकास खण्डवार ग्रामों की सूची संलग्न है। †(संलग्नक-1 एवं 2)।

वाराणसी जनपद के पेयजल के अभावग्रस्त ग्रामों की सूची

139—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1982-83 में भी गांवों की एक सूची वाराणसी जिले में पेयजल के अभावग्रस्त क्षेत्रों की बनाई गई थी ? यदि हां, तो उसके मताबिक कार्य नहीं किया गया ? ऐसा क्यों ?

†(छापी नहीं गई।)

श्री राम सिंह खन्ना--

वर्ष 1982-83 में जनपद वाराणसी में पेयजल की स्थायी व्यवस्था के लिए अभावग्रस्त ग्रामों की कोई नई सूची नहीं बनाई गई। वर्ष 1972 में किए गये सर्वेक्षण के आधार पर बनाई गई अभावग्रस्त ग्रामों की † सूची के अनुसार ही कार्य चल रहा है।

जल निगम द्वारा मैदानी क्षेत्रों में पेयजल के लिये हैण्ड पम्प लगाने हेतु हैण्ड बोरिंग तथा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वाराणसी जनपद में लगे हैण्ड पम्प

140--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि जल निगम का मेकेनिकल विभाग ग्रामीण पेयजल योजना से सम्बन्धित हैण्ड पाइप मशीन से नहीं लगा रहा है ? ऐसा क्यों ? क्या यह सही है कि इससे कार्य न कराकर सिविल विभाग से हैण्ड बोरिंग कराई जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जल निगम की विद्युत् एवं यांत्रिक शाखाओं द्वारा पठारी क्षेत्रों में रिंग मशीन से हैण्ड पम्प लगाने हेतु बोरिंग का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है एवं मैदानी क्षेत्रों में सिविल शाखाओं द्वारा हैण्ड बोरिंग के द्वारा हैण्ड पम्प का कार्य किया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगाने हेतु रिंग मशीन से बोरिंग कराना मितव्ययी नहीं है।

141--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत जल निगम द्वारा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु वाराणसी जिले में अब तक कितने हैण्ड पम्प लगाए गये हैं और कितने स्वीकृत हैं ? हैण्ड पम्प बोरिंग मशीन से क्यों नहीं कराया गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

वर्ष 1972 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर जनपद वाराणसी में अभावग्रस्त ग्रामों में जल निगम द्वारा अब तक कुल 139 गहरे नलकूप इंडिया मार्क-II हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं एव 280 इंण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मैदानी क्षेत्रों में हैण्ड बोरिंग द्वारा हैण्ड पम्प लगाना मितव्ययी होने के कारण हण्ड पम्प का कार्य बोरिंग मशीन से नहीं कराया गया है।

जे0 के0 कैन्सर इन्स्टीट्यूट, कानपुर में लेक्चरर रेडियोलाजी के पद पर डा0 ईश्वर चन्द्र की तदर्थ नियुक्ति

142--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0 के0 कैन्सर अस्पताल, कानपुर में कार्यरत डा0 ईश्वर चन्द्र, लेक्चरर, रेडियोपैथी का पद शासन द्वारा विज्ञापित हुआ था और क्या डा0 ईश्वर चन्द्र उस पद के लिये मेडिकल कौन्सिल के नियमों के आधार पर योग्यता नहीं रखते हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से उनकी नियुक्ति की गई ?

† छापी नहीं गयी।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

राजकीय मेडिकल कालेजों, जिनमें कैन्सर इन्स्टीट्यूट, कानपुर भी सम्मिलित है, के रेडियोलोजी की विशिष्टता के लेक्चरर के पद तदर्थ नियुक्ति हेतु विज्ञापित किये गये थे। जे0 के0 कैन्सर इन्स्टीट्यूट, कानपुर में लेक्चरर, रेडियोलोजी (रेडियोथिरेपी) के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त डा0 ईश्वर चन्द्र मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हैं।

गोरखपुर के ग्राम हरपुर महंथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

143--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने चन्द माह पूर्व ग्राम हरपुर महंथ, वि0 क्षे0 घुघली, जिला गोरखपुर में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया था ? क्या प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक खोल दिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

विकेन्द्रीकरण की नीति के अन्तर्गत स्वास्थ्य निदेशालय में आवंटित कार्य

144--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं0 6356 सं0 3/5-7/59/81, दिनांक 5-11-82 के अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण की नीति चिकित्सा विभाग में लागू कर दी गई है ? यदि हां, तो इस नीति के अनुसार कौन-कौन से विभागीय कार्यक्रम शासन स्तर पर और कौन-कौन से कार्यक्रम निदेशालय स्तर पर और कौन-कौन से कार्यक्रम मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर पर सम्पन्न होंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

1--विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाने का प्रस्ताव है--

(क) मुख्य चिकित्साधिकारी व समस्तरीय अधिकारियों से कनिष्ठ स्तर के सभी अधिकारियों का निलम्बन एवं उन्हें लघु दण्ड देना।

(ख) संलग्न सूची 1 से 17 संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति अपर स्वास्थ्य निदेशक द्वारा किया जाना।

(ग) संयुक्त निदेशक को संलग्न सूची 1 के क्रमांक 1 से 12 पर अंकित अधिकारियों को निलम्बित एवं लघु दण्ड देने का अधिकार दिया जाना।

संयुक्त निदेशक द्वारा अपने कार्यालय के वाहन चालकों की नियुक्ति करना तथा संलग्न सूची 1 के अधिकारियों का अपने क्षेत्र में स्थानान्तरण करना।

(ध) संलग्न सूची-2 में अंकित स्टाफ के क्रमांक 19 से 22 तक, 24 से 26 एवं 30 व 49 पर उल्लिखित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी अपर निदेशक तथा क्रमांक 1, 16, 18, 23, 27, 28, 29 तथा 31 से 48 तक के पदों के संयुक्त निदेशक होंगे।

(ङ) निदेशालय के वाहन चालकों तथा कतिपय अन्य प्राविधिक पदों के नियुक्ति प्राधिकारी उप निदेशक (प्राविधिक) होंगे।

2--विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर पर निम्नलिखित कार्य सम्पादित होंगे--

(क) संलग्न सूची-2 के क्रमांक 2, 7 से 15 और 17 पर अंकित पदों पर नियुक्ति।

(ख) जनपदीय वाहन चालकों की नियुक्ति।

(ग) जनपद के अन्दर संलग्न सूची-1 के कर्मचारियों का स्थानान्तरण।

(घ) बहुधंधी कार्यकर्त्ता योजना के लागू होने के फलस्वरूप निम्नतम् स्तर पर कार्यरत कार्यकर्त्ता व उसके सुपरवाइजरों की नियुक्ति।

3--संलग्न सूची 2 के क्रम-संख्या-5 व 6 के पदों के नियुक्ति प्राधिकारी संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी होंगे।

4--उपर्युक्त के अतिरिक्त वे समस्त कार्य जो 5 नवम्बर, 1982 के शासनादेश जारी करने से पूर्व शासन द्वारा सम्पादित किये जाते थे, वे पूर्ववत् शासन द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 231 पर।)

इटावा जनपद के औरैया निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल सुविधा

145--श्री धनीराम वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जनपद के औरैया निर्वाचन क्षेत्र के पेयजल समस्या का समाधान अतिशीघ्र करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह खन्ना--

औरैया नगर में पुनर्गठन पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 29.971 लाख निर्माणाधीन है, जिसको मार्च, 1985 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

दिबियापुर नगर क्षेत्र समिति की पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 20.607 लाख है, जिसकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार किये जायेंगे।

फफूंद नगर क्षेत्र समिति में पेयजल सुविधा उपलब्ध है।

जनपद इटावा के औरैया निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत औरैया, भाग्य नगर, अछल्दा व सहार विकास खण्डों में वर्ष 1982 के सर्वेक्षण के अनुसार 242 अभाव-ग्रस्त ग्राम हैं, जिनमें से 53 अभावग्रस्त ग्रामों में मार्च, 1983 तक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष 189 ग्रामों में मार्च, 1985 तक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुफ्तीगंज भवन निर्माण की मांग

146--श्री प्रभू नारायण सिंह---

विधान सभा के 1983 के प्रथम सत्र के 5वें गुरुवार के प्रश्नकर्त्ता के अता0 प्र0 सं0 44 के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपयोग हेतु भूमि एवं भवन ग्राम मुर्तजाबाद में उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या इस उपलब्ध भूमि एवं भवन का सदुपयोग क्षेत्रीय जनता के हित में शीघ्र किया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां। ग्राम मुर्तजाबाद, जिला जौनपुर में एक अधूरा भवन उपलब्ध है, किन्तु अस्पताल चलाने योग्य नहीं है। उक्त भवन को उपयोग में लाये जाने हेतु जिला चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सलाहकार समिति, जौनपुर की बैठक बुलाई गई है जिसकी संस्तुति प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

मुजफ्फरनगर शहर में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की योजनायें

147--श्री दीपक कुमार--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर शहर में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की ओर से आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है और उक्त निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मुजफ्फरनगर शहर में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु परिषद् की निम्नलिखित तीन योजनायें प्रस्तावित हैं :--

1--रिंग रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, मुजफ्फरनगर-यह योजना 121·95 एकड़ की है। इस योजना की भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति में है।

2--मेरठ रुड़की (जी0 टी0) मार्ग पर आवासीय योजना सं0-2, मुजफ्फरनगर--यह योजना 19·958 एकड़ की है। प्रस्तावित भूमि का उपयोग अब सेना के लिए किया जाता है। अतः इस भूमि के मिलने की सम्भावना नहीं है।

3--मेरठ रुड़की मार्ग एवं सरकुलर रोड के मध्य भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, मुजफ्फरनगर--यह योजना 103·7 एकड़ की है तथा यह भूमि गन्ना विकास संस्थान की है। भूमि के हस्तांतरण के विषय में शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

भूमि का कब्जा प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

अम्बेदकर सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, सहारनपुर के लिए भूमि अर्जन सम्बन्धी अधिसूचना

148—श्री दीपक कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि अम्बेदकर सहकारी गृह निर्माण समिति के लिए उ0 प्र0 सहकारी आवास संघ, लखनऊ द्वारा 14 बीघा 17 बिस्वे 4 बिस्वांसी भूमि का पठानपुर बेकन, जनपद सहारनपुर में अर्जन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने शासन को दिनांक 25-1-82 को अधिनियम की धारा 5-ए, की रिपोर्ट एवं धारा 6 की संस्तुति आवास अनुभाग 2 को भेज चुके हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा दिनांक 25-1-82 को अम्बेदकर गृह निर्माण समिति लि0, सहारनपुर के अनुसूचित जाति के सदस्यों के गृह निर्माण हेतु ग्राम पठानपुरा, परगना व तहसील सहारनपुर में 14-17-4 बीघा भूमि अर्जन के सम्बन्ध में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 17 की अधिसूचना जारी करने हेतु संस्तुति की गई थी ।

दिनांक 27-7-83 को सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश (विभाग 10) भू0 अ0 लखनऊ से अनुरोध किया गया था कि प्रस्तावित भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति भेजें । राजस्व परिषद् द्वारा जिलाधिकारी, सहारनपुर से इस सम्बन्ध में कुछ अभिलेख मांगे गये हैं । राजस्व परिषद् की संस्तुति प्राप्त होते ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायगी ।

उ0 प्र0 जल निगम में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता तथा आरक्षण कोटा

149—श्री दीपक कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 जल निगम में कुल कितने अधीक्षण अभियन्ता 1-6-83 को कार्यरत हैं ? और आरक्षित कोटे के अनुसार कितने अधीक्षण अभियन्ता अनुसूचित जाति के हैं ? यदि आरक्षित कोटा पूरा नहीं है तो क्यों और कब तक वह कोटा पूरा कर दिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

दिनांक 1-6-83 को उत्तर प्रदेश जल निगम में कुल 52 अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत थे ।

आरक्षित कोटे में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम अभियंता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विनियमावली, 1978 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित पात्रता पूर्ण न करने के फलस्वरूप अनुसूचित जाति का कोई भी अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत नहीं है, जिसके कारण आरक्षित कोटा पूर्ण नहीं है ।

अनुसूचित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थी पात्रता के क्षेत्र में उपलब्ध होने पर कोटा पूरा हो सकेगा ।

श्री राम जी सिंह, स्वास्थ्य निरीक्षक, पाली, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

150--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामजी सिंह, स्वास्थ्य निरीक्षक, पाली, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध मार्च, 1983 में प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां । प्रश्नगत शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच करायी जा रही है ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हेतु लिए गए श्री महिपाल सिंह मनराल, ग्राम सतमानपुर, अल्मोड़ा के मकान का किराया भुगतान

151--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महिपाल सिंह मनराल, ग्राम व पो0 सतमानपुर, जिला अल्मोड़ा का मकान 8 फरवरी, 82 से राजकीय आयु0 चिकित्सालय हेतु 100 रु0 माहवार किराये पर लिया गया है, जिसका भाड़ा आज तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार अविलम्ब किराए का भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

प्रश्नगत भवन के किराए की स्वीकृति दे दी गई है तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को तदनुसार भुगतान हेतु आदेश दे दिए गए हैं ।

रानीखेत तहसील के चिकित्सालयों में चिकित्सक तथा कम्पाउन्डरों के रिक्त पद

152--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील में 30 मई, 1983 को किन-किन चिकित्सालयों में चिकित्सक व कम्पाउन्डर नहीं हैं ? इस सम्बन्ध में क्या सरकार तुरन्त नियुक्ति करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

रानीखेत तहसील में 30 मई, 1983 को निम्नांकित चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं थे :--

1--महिला अस्पताल, मतरोज खान ।

2--महिला अस्पताल, सल्ट ।

3--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सल्ट ।

4--राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय,		पाली ।
5--	तदेव	जोरासी ।
6--	तदेव	मचौड़ा ।
7--	तदेव	मौनखाल ।
8--	तदेव	चनौली ।
9--	तदेव	लिखोली ।
10--	तदेव	नैल ।
11--	तदेव	डोगा ।
12--	तदेव	सुरईखोल ।
13--	तदेव	उत्तमछानी ।
14--	तदेव	छौनापाखुड़ा ।
15--	तदेव	बरकिन्डा ।
16--	तदेव	सिलोर महादेव ।
17--	तदेव	गोदी ।
18--	तदेव	सर ईखेत ।
19--	तदेव	बाजन ।
20--	तदेव	थाम देवल ।
21--	तदेव	असगोली ।
22--	तदेव	कफड़ा ।
23--	तदेव	पैसिया ।
24--	तदेव	उदयपुर ।
25--	तदेव	मनैला ।
26--	तदेव	विनायक ।
27--	तदेव	स्याल्दे ।

पर्वतीय उपसंवर्ग में चिकित्साधिकारी (साधारण ग्रेड) के रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को पुनः अधियाचन भेज दिया गया है । चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भर दिये जायेंगे ।

रानीखेत तहसील में 30 मई, 1983 को निम्न चिकित्सालयों में कम्पाउन्डर नहीं थे :--

1--राजकीय चिकित्सालय, बातुलीसेरा

2--राजकीय चिकित्सालय, स्यालकोट

उक्त दोनों पदों पर फार्मेसिस्टों की नियुक्ति हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

साधन सहकारी समिति लि0, गोरइया धमही, मिर्जापुर में अनियमितताओं के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

153--श्री रामचरण सिंह--

क्या सहकारिता राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 3-5-83 को गोरइया धमही, सा0 सहकारी समिति लि0, विकास खन्ड सोनड़, मिर्जापुर में अनियमितता की जांच हेतु लिखा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां । जांच के आधार पर भूतपूर्व प्रशासक (सहकारी पर्यवेक्षक) को निलम्बित करके अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । सचिव एवं विक्रेता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट शिकायत प्राप्ति के पूर्व ही दर्ज करा दी गई थी तथा दोनों कर्मचारी निलम्बित हैं ।

नडे नदी से डभरा, रानीखेत, अल्मोड़ा के लिए स्वीकृत पेयजल योजना

154--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नडे नदी से डभरा, विकास खन्ड सल्ट, तह0 रानीखेत (अल्मोड़ा) के लिए कोई पेयजल योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना से कितने ग्राम लाभान्वित होंगे और योजना कब तक प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

इस योजना से लगभग 18 ग्राम लाभान्वित होंगे । चूंकि इस योजना में पम्पिंग द्वारा ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना है अतः इसके विरचन में अधिक समय लगता है । योजना पर कार्य वर्ष 1984-85 में प्रारम्भ होने की आशा है ।

स्वर्गीय डा0 टी0 पी0 शर्मा, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा की परिवारिक पेन्शन, ग्रुप इन्श्योरेन्स, जी0 पी0 एफ0 सम्बन्धी कार्यवाही

155--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि डा0 टी0 पी0 शर्मा, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा का निधन दिनांक 7-2-83 को हो गया था ? यदि हां, तो क्या उनके पेंशन पेपर, ग्रुप इन्श्योरेन्स, ग्रेच्युटी, जी0 पी0 एफ0, 6 माह का वेतन तथा वेतन निर्धारण का बकाया से सम्बन्धित समस्त पेपर तैयार करके सी0 एम0 ओ0, एटा द्वारा मुख्यालय को भेजे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां, डा0 शर्मा के परिवारिक पेन्शन, ग्रुप इंश्योरेन्स, जी0 पी0 एफ0 तथा 6 माह के वेतन के समस्त कागजात सी0 एम0 ओ0, एटा द्वारा निदेशालय तथा सम्बन्धित कार्यालयों को भेजे जा चुके हैं । वेतन निर्धारण के बकाया धन का भुगतान भी किया जा चुका है ।

रानी खेत सिविल अस्पताल की एक्स-रे मशीन की मरम्मत

156--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत सिविल अस्पताल की एक्स-रे मशीन कब से खराब पड़ी है ? मरीजों की संख्या उक्त चिकित्सालय में कितनी है ? एक्स-रे मशीन को अब तक ठीक न करने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

रानीखेत सिविल अस्पताल में दो एक्सरे मशीनें हैं उनमें से एक मशीन मार्च, 1982 से खराब पड़ी है ।

उक्त 40 शैय्या वाले चिकित्सालय में अन्तरंग मरीजों की औसतन वार्षिक संख्या 2,050 है ।

उक्त मशीन की मरम्मत संबंधी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने के पश्चात् फर्म को उसको अतिशीघ्र मरम्मत किये जाने हेतु कहा जा चुका है ।

157--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुहल्ला कंधी टोला का नाला चौक क्षेत्र लखनऊ में नवीन जल वितरण नालिका तथा सार्वजनिक नल

158--श्री राम लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोहल्ला कंधी टोला का नाला, चौक क्षेत्र, लखनऊ में जल विभाग द्वारा नवीन जल वितरण नालिका डाल दी गई है ? यदि हां, तो अब तक उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक नल न लगवाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मुहल्ला कंधी टोला का नाला चौक क्षेत्र लखनऊ में जल निगम द्वारा लगभग आधी नवीन जल वितरण नालिका बिछाकर चालू की जा चुकी है । बाकी आधी लाइन अभी चालू करना शेष है । कार्य पूरा होने पर सार्वजनिक नल लगाने की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा ।

नगवां (लंका), परगना देहात अमानत, जिला वाराणसी में माधो मार्केट कालोनी का विकास तथा अनुबंध के अधीन भूखंडों का विक्रय

159--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1926-जी/49--511 (106) यू० सी०-77, दिनांक 18 जनवरी, 1980 द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत भूधारक श्री लोकनाथ मौर्य, पारसनाथ मौर्य व अन्य निवासी लंका (नगवा), शहर वाराणसी की भगवानपुर (लंका), परगना देहात अमानत, शहर वाराणसी स्थित

भूमि में माधव मार्केट नामक कालोनी के 28 प्लाटों, जिसका क्षेत्रफल 1593·33 वर्ग मीटर है, को छूट इस शर्त पर दी गयी कि उपरोक्त कालोनाइजर स्थल का पूर्ण रूप से दो वर्ष से अन्दर विकास करके उन्हीं व्यक्तियों को विक्रय करेंगे जिनके साथ उपरोक्त प्लाटों का पूर्व में अनुबन्ध किया जा चुका है ? क्या यह सही है कि स्थल का विकास आज तक नहीं किया और अनुबंधित व्यक्तियों से चार हजार से ग्यारह हजार रुपया लिया गया और उनको प्लाट भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच करायेगी ? शासनादेश की शर्तों को न मानने से उक्त भूमि शासन में क्यों निहित नहीं की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां, नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1924-जी/49--511 (106)-यू0 सी0-77, दिनांक 18-1-80 द्वारा भूधारक सर्वश्री लोकनाथ मौर्य, पारस नाथ मौर्य, आदि कालोनाइजरर्स को माधव मार्केट नामक कालोनी में 1593·33 वर्ग मीटर भूमि, स्थित-नगवा (लंका), परगना देहात अमानत, जिला वाराणसी की छूट निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है । प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भूधारक द्वारा निर्धारित अवधि में कालोनी का विकास कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है । भूधारक द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र के अनुसार भूखंड उन्हीं व्यक्तियों को बेचे जा रहे हैं जिनसे कुछ अग्रिम मूल्य लिया जा चुका है तथा उनके साथ हुए अनुबन्ध की शर्तों के अधीन ही भूखंडों का विक्रय किया जा रहा है । शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के उल्लंघन के सम्बन्ध में निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण के माध्यम से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके पूर्ण हो जाने पर आगे नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

वाराणसी जनपद के ब्लाक पिंडरा तथा बड़ागांव के कतिपय क्षेत्रों में पेयजल संकट

160--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में स्थान मंगारी, नेवादा एवं ओदार, बाबतपुर एवं रसूलपुर तथा ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में कठिरांव कुवारा, दौदूपुर, कुंडी, ताड़ी, नेवादा तथा पूरा रघुनाथपुर (बाबतपुर) के क्षेत्र में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है और कुएं सूख गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल योजना के अन्तर्गत ट्यूबवेल (पेयजल) लगाने की योजना बना रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इस समय पेयजल का संकट नहीं है ।

आर0 एम0 ओ0, गोरखपुर, डिप्टी आर0 एम0 ओ0, गोरखपुर तथा हाट निरीक्षक, महाराजगंज के विरुद्ध शिकायतों की जांच

161--श्री किरंगी प्रसाद विशारद--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक के अधीन कार्यरत किन-किन अधिकारियों, हाट निरीक्षकों व वरिष्ठ

हाट निरीक्षकों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने माह मई, 1983 में शिकायतें शासन व अधिकारियों को भेजा है जिसकी प्राप्ति स्वीकृति सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गोरखपुर ने अपने पत्रांक 361/15—गोपन वि0 स0 प्रश्न दि0 2-6-83 द्वारा किया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

मई, 1983 में माननीय सदस्य द्वारा भेजे गये दो शिकायती-पत्र शासन स्तर पर व एक पत्र दिनांक 18-5-83 क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, गोरखपुर को प्राप्त हुये थे । आर0 एम0 ओ0, गोरखपुर को भेजे गये पत्र दिनांक 4-5-83 की प्रतिलिपि भी शासन को प्राप्त हुयी थी । इन पत्रों में आर0 एम0 ओ0 गोरखपुर, डिप्टी आर0 एम0 ओ0, गोरखपुर तथा हाट निरीक्षक, महराजगंज के विरुद्ध शिकायतें थीं । माननीय विधायक के पत्र दिनांक 18-5-83 की प्राप्ति क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक ने अपने पत्र दिनांक 2-6-83 द्वारा स्वीकार की थी ।

शिकायतों की यथासम्भव जांच की गयी परन्तु वे सिद्ध नहीं हुयीं । शिकायती-पत्र दिनांक 18-5-83 में पहले की गयी कतिपय पुरानी शिकायतों का भी हवाला दिया गया था जो उपलब्ध नहीं थी । विवरणों के अभाव में इन शिकायतों की कोई जांच सम्भव न हो सकी ।

वाराणसी में विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण

162—श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में गंगा जी के किनारे मनिकर्णिका या अस्सीघाट पर विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण सरकार के पास वर्षों से विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय अब तक न लेने का कारण क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

वाराणसी में गंगा जी के किनारे हरिश्चन्द्र घाट पर विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

वाराणसी नगरमहापालिका क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में पेयजल, रोशनी, सीवर तथा सड़कों की व्यवस्था

163—श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका क्षेत्र, वाराणसी के पचासों गांव के लिए पेयजल की व्यवस्था शिवपुर, भोजूबीर, पांडेपुर, सारनाथ आदि क्षेत्रों के लिए नहीं की गयी है और न तो सीवर लाइन, सड़कों तथा रोशनी की ही व्यवस्था की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर पेयजल, रोशनी, सीवर, सड़कों की व्यवस्था करायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

वाराणसी नगर महापालिका के क्षेत्र शिवपुर, भोजूबीर, पांडेपुर, सारनाथ आदि की पक्की सड़कों के निकट आबादी हेतु पाइप लाइन द्वारा पेयजल की व्यवस्था है परन्तु सड़कों से दूर स्थित ग्रामों के लिये पाइप लाइन द्वारा पेयजल की व्यवस्था नहीं है । मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत पेयजल की छोटी-छोटी लाइनें नगर महापालिका द्वारा कई बस्तियों में डाली गयी हैं ।

इस क्षेत्र के लिये जल निगम द्वारा जल संस्थान, वाराणसी के अनुरोध पर एक सीवरेज योजना, जिसकी अनुमानित लागत रु0 11·10 करोड़ है, बनायी गयी है। इस पर धन की व्यवस्था होने पर ही कार्य कराया जाना संभव होगा।

नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा इस क्षेत्र के लिये सड़कें तथा रोशनी की व्यवस्था की जाती है।

माधो मार्केट भगवानपुर (लंका), परगना देहात अमानत, वाराणसी के प्लाट की बिक्री हेतु सक्षम प्राधिकारी (उपान्त) द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का पत्र तथा भूमि की रजिस्ट्री

164--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी (उपान्त) ने माधो मार्केट भगवानपुर (लंका), परगना देहात अमानत (शहर), जिला वाराणसी ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र (नं0 ओ0 सी0) संख्या 54, दिनांक 4-1-83 के द्वारा कुछ प्लाटों को बिक्री हेतु दिया था। यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी (उपान्त) वाराणसी ने अपने कार्यक्षेत्र के बाहर के स्थल के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र कैसे और क्यों दिया है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? क्या यह सही है कि सक्षम प्राधिकारी, न0 म0 सी0 रोपण, वाराणसी ने इस सम्बन्ध में एक पत्र संख्या 60/न0 मू0 स0, वाराणसी ने उप निबन्धक, वाराणसी को 7 फरवरी, 1983 को लिखा है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां।

माधो मार्केट कालोनी, नगवां (लंका), परगना देहात अमानत, वाराणसी के प्लाट संख्या 30 को बिक्री हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया था। धारक की सम्पत्ति का अधिकांश क्षेत्रफल उपान्त क्षेत्र में स्थित होने के कारण नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 7(1) के अनुसार सीमाधिक्य रिक्त भूमि का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी (उपान्त क्षेत्र) की कार्य परिधि में आता है। इसी आधार पर सक्षम प्राधिकारी (उपान्त क्षेत्र) द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया। इसकी वैधता का मामला शासन के विचाराधीन है।

जी हां।

उप-निबन्धक, वाराणसी ने सूचित किया है कि दिनांक 4-1-83 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 10-1-83 को लेख-पत्र रजिस्ट्री हेतु स्वीकार कर लिया गया था व निबन्धन की कार्यवाही की जा चुकी थी। फिर भी सक्षम प्राधिकारी के पत्र दिनांक 7 फरवरी, 1983 का उल्लेख सम्बन्धित अभिलेखों में कर दिया गया है।

165--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा रोपण, वाराणसी ने अपने पत्रांक नं0 भू0 सीमा0, वाराणसी, दिनांक मई, 1983 के द्वारा मुख्य उप निबन्धक, वाराणसी को श्री लोकनाथ मौर्य, त्रिलोक नाथ मौर्य, पारस नाथ मौर्य, कालोनाइजर, वाराणसी को 1593-33 वर्ग मीटर भूमि की छूट के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1924 जी/उन्चास-511(106) (भू0 सी0)-77, जनवरी 18, 1980 को भेजा है कि प्रश्नगत भूमि शहरी क्षेत्र में स्थित है किन्तु सक्षम प्राधिकारी, (उपांत क्षेत्र) द्वारा प्रश्नगत भूमि के भूखण्डों को विक्रय हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र 54, दिनांक 4-1-83 निर्गत किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त जमीन की रजिस्ट्री न की जाय ? इस पर मुख्य निबन्धक (रजिस्ट्री), वाराणसी ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां, सक्षम प्राधिकारी, वाराणसी द्वारा मुख्य उप-निबन्धक, वाराणसी, को 21 मई, 1983 को पत्र भेजा गया था। मुख्य उप-निबन्धक, वाराणसी ने सूचित किया है कि सक्षम प्राधिकारी का पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही सम्बन्धित बैनामें की रजिस्ट्री हो चुकी थी तथा लेख पत्र वापस किया जा चुका था। सक्षम प्राधिकारी के पत्र को विषय वस्तु का इन्द्राज निबन्धन कार्यालय के अभिलेखों में कर लिया गया है।

166--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण, वाराणसी ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी (उपांत क्षेत्र) के बारे में पृष्ठांकन संख्या 60/न0 भू0 सी0-83, दिनांक 7 फरवरी, 1983 द्वारा यह भी आदेश दिया था कि यदि रजिस्ट्री कर दी गयी हो तो लेख-पत्र वापस न किया जाय और यदि भू-धारकों द्वारा लेखपत्र प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी रजिस्ट्री न की जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या रजिस्ट्री कर दी गयी और लेखपत्र वापस भी कर दिया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां, सक्षम प्राधिकारी के पृष्ठांकन दिनांक 7 फरवरी, 1983 द्वारा तदनुसार मुख्य उप-निबन्धक, वाराणसी को सूचित किया गया था। मुख्य उप-निबन्धक ने सूचित किया है कि दिनांक 4-1-83 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद दिनांक 10-1-83 को लेखपत्र निबन्धन हेतु स्वीकृत कर दिया गया था तथा उसके उपरान्त निबन्धन करके लेखपत्र वापस कर दिया गया था। नियमानुसार रजिस्ट्री करके लेखपत्र की वापसी को रोकना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में जांच की आवश्यकता नहीं है।

सर्वेलेन्स इन्सपेक्टर स्वर्गीय श्री सभाजीत सिंह की विधवा पत्नी को अवशेष देयों का भुगतान

167--श्री प्रभू नारायण सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 8वें गुरुवार के प्रश्नकर्त्ता के अता0 प्र0 सं0 52 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि

क्या प्रश्नगत भुगतानों से सम्बन्धित औपचारिकताएं पूर्ण कराके भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत भुगतानों में से अवशेष वेतन एवं यात्रा भत्ता का भुगतान कर दिया गया है। भविष्य निर्वाह निधि के भुगतान हेतु महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का प्राधिकार पत्र प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमालपुर को उपलब्ध करा दिया गया है। शेष देयों का भी यथाशीघ्र भुगतान कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

उ0 प्र0 जल निगम के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता श्री डी0 पी0 सिंघल के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट

168—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम के श्री डी0 पी0 सिंघल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के खिलाफ सतर्कता विभाग तथा उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किन-किन शिकायतों की जांच चल रही है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या पूर्ण विवरण सहित जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

श्री डी0 पी0 सिंघल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध उरुवा पानी की टंकी के गिरने, इलाहाबाद में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर वर्ष 1976-79 तक नियुक्ति काल में की गई अनियमितताओं तथा सचिव प्रशासन के पद पर रहते हुए फील्ड हास्टल लखनऊ में अनियमितताओं आदि कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा एकत्रित अभिसूचना में एक आरोप के संबंध में प्रकाश में आये प्रतिकूल तथ्य के बारे में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही उत्तर प्रदेश जल निगम में सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हो रही है। ग्राम नेवड़िया, जिला इलाहाबाद में ध्वस्त हुई पानी की टंकी के मामले में जल निगम स्तर पर जांच विचाराधीन है।

अभिसूचना आख्या गोपनीय अभिलेख है। मामले से सम्बन्धित तथ्यों का संक्षिप्त उल्लेख ऊपर प्रस्तर में है।

मथुरा के मोहल्ला अनखंडी, कठौती कुआं आदि में सफाई, शौचालय, मार्ग निर्माण की मांग के सम्बन्ध में अनशनकारियों को दिए गए आश्वासन तथा कृत कार्यवाही का विवरण

169—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 12 अक्तूबर, 1982 से 15 अक्तूबर, 1982 तक मथुरा कलेक्ट्रेट पर श्री नारायन सिंह विप्लवी व अन्य ने मुहल्ला अनखंडी, कठौतीकुआं आदि में सफाई, शौचालय, मार्ग निर्माण की समस्याओं के समाधान हेतु आमरण अनशन किया था ? यदि हां, तो अनशनकारियों ने किन-किन आश्वासनों पर अनशन तोड़ा था ? अब तक उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

अनशनकारियों की मांगों पर दिए गए आश्वासनों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 234 पर ।)

मथुरा जनपद को आवंटित पाम आयल और रेपसीड आयल तथा दूकानों व मालिकों की सूची

170—श्री सरदार सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद को 30 जून, 1982 से एक जून, 1983 तक शासन ने कितनी पाम आयल व रेपसीड आयल का कोटा आवंटित किया था ? इस कोटे में से कितना-कितना आयल देहाती व शहरी क्षेत्रों में आवंटित किया ? क्या दुकानों व उनके मालिकों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

मथुरा जनपद को 30 जून, 1982 से 1 जून, 1983 तक शासन ने तीन नामित संस्थाओं द्वारा 8980 टिन आर0 बी0 डी0 पाम आयल और 3600 टिन रेपसीड आयल आवंटित किया था । यह पूरा आवंटन शहरी क्षेत्र को किया गया ।

दूकानों व उनके मालिकों की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 235 पर)

बुलन्दशहर जनपद के खाद्य आपूर्ति कार्यालय के लिपिकों का कार्य-काल, मूल निवास तथा स्थानान्तरण

171—श्री छत्तर सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के खाद्य आपूर्ति कार्यालय में कितने लिपिक ऐसे हैं जिनका कार्यकाल इसी स्थान पर दिनांक 13-6-83 को 5 वर्ष हो गया है तथा कितने लिपिक उसी जनपद के मूल निवासी हैं, उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद बुलन्दशहर के खाद्य आपूर्ति कार्यालय में 8 लिपिक ऐसे हैं जिनका कार्यकाल उसी जनपद में दिनांक 13-6-83 को 5 वर्ष से अधिक हो गया है तथा 12 लिपिक ऐसे हैं जो इसी जनपद के मूल निवासी हैं । लिपिकों के सम्बन्ध में मूल आवास के जनपद में तैनाती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । लिपिकों को सामान्य तथा एक जनपद से दूसरे जनपद को स्थानांतरित नहीं किया जाता है ।

श्री अशोक कुमार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर कार्यालय में कनिष्ट लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु निदेश

172—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम किशन, एस0 बी0 डी0 चिकित्सालय बाजोरिया मार्ग, सहारनपुर का दिनांक 10-5-83 का प्रार्थना-पत्र श्री सुरेन्द्र कपिल, विधायक तथा श्रीमती बचनी देवी वर्मा, अध्यक्ष, जिला महिला कांग्रेस (आई) की संस्तुति के साथ निदेशक, स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ जिसमें श्री अशोक कुमार के पिता की मृत्यु सेवावधि में होने के कारण उसे शासनादेश के अन्तर्गत विभागीय सेवा में लेने का अनुरोध किया गया था ? क्या यह सही है कि सहारनपुर के सी0 एम0 ओ0 ने श्री अशोक कुमार को स्थान न देकर किसी अन्य की नियुक्ति कर दी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

यह सही नहीं है कि श्री अशोक कुमार के बजाय किसी अन्य की नियुक्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर द्वारा कर दी गई है । श्री अशोक कुमार का नियमानुसार कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्त करने हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक निदेश दिए जा चुके हैं ।

173—श्री सरदार सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बोनस

174—श्री सरदार सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 का बोनस भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो मन्त्री जी ऐसे कर्मचारियों को वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 का बोनस भी दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां, यह सही है कि उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जो कि प्रोबेशन पर, रिक्त पदों के विरुद्ध एडहाक बेसिस पर अस्थायी तौर पर पार्टटाइम दैनिक वेतन/समेकित वेतन पर कार्यरत थे, को वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 का बोनस भुगतान कर दिया गया था । 1978-79 एवं 1979-80 के बोनस भुगतान पर विधिक राय मांगी गयी है जिसकी प्राप्ति पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 के अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अस्थायी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से अधिक वेतन

175—श्री सरदार सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में चतुर्थ श्रेणी के कुछ अस्थायी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों से अधिक वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इस प्रकार की विभिन्नता को समाप्त कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बच्चा पाठक—

तृतीय श्रेणी के अधियाचित पदों पर सेवा मन्डल में लम्बित चयन रिक्तियों के अन्तर्गत अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी तथा स्केल के प्रारम्भिक वेतन पर नियुक्ति की जाती है । यह सही है कि मिनिमम वेजेज पर तृतीय श्रेणी में नियुक्त कर्मचारियों की वेतन चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों से कम होता है जो स्केल में नियुक्त हैं । इस प्रकार की भिन्नता में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि संस्थाओं को मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार दैनिक मजदूरी पर भी कर्मचारियों को रखने का अधिकार है ।

टाउन एरिया कमेटी, भरवारी, इलाहाबाद के निलम्बित बख्शी सचिव का निलम्बन तथा निर्वाह भत्ता

176—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद को टाउन एरिया कमेटी के बख्शी/सचिव को निलम्बित करने का अधिकार दिनांक 25-6-1982 से 11-8-1982 तक की अवधि में प्राप्त था? यदि नहीं, तो जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11-8-1982 को टाउन एरिया कमेटी, भरवारी, इलाहाबाद के बख्शी/सचिव को किस आधार पर निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो शासनादेश संख्या 3227 टी/9-1-1982-21 पी0 एफ0/78, दिनांक 22 जून, 1982 किस आधार पर जारी किया गया था ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया कमेटी, भरवारी, इलाहाबाद को दिनांक 11-8-1982 से उक्त बख्शी/सचिव का निर्वाह भत्ता आहरित करा के प्रतिमास भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी को बहाल करने का अधिकार नहीं है। वर्णित शासनादेश जारी करने का आशय जिलाधिकारी से यह ज्ञात करना था कि उन्होंने किस आधार पर बख्शी को बहाल किया ।

संबंधित बख्शी द्वारा नियमानुसार चार्ज न देने तथा टाउन एरिया का रिकार्ड अपने पास रखने के कारण निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

स्वर्गीय श्री रूपानन्द बौड़ाई, भूतपूर्व हाट निरीक्षक की पत्नी को परिवारिक पेंशन

177--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय श्री रूपानन्द बौड़ाई, हाट निरीक्षक, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0 प्र0, जो दिनांक 21-2-1973 को रीजनल फूड कन्ट्रोलर, लखनऊ के कार्यालय से सेवामुक्त हुए थे तथा जिनका स्वर्गवास दिनांक 12-10-1977 को हो गया है, अभी तक किन कारणों से उनकी पत्नी के बार-बार अनुरोध करने पर उन्हें पारिवारिक पेंशन स्वीकार नहीं की गयी ? कब तक उक्त पेंशन स्वीकार हो जायेगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

स्वर्गीय श्री रूपानन्द बौड़ाई, भूतपूर्व हाट निरीक्षक के विरुद्ध वसूली से संबंधित मार्गगत हानियों के 67 तथा भन्डार हानियों के 6 मामले लंबित होने के कारण इनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति नियमों के अंतर्गत संभव नहीं हो सकी। प्रश्नगत हानियों के मामलों का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र किया जा रहा है, जिसके उपरान्त इनको पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति आदि की कार्यवाही की जायेगी।

राज्य सड़क परिवहन निगम, बस्ती के बस स्टैंड में जल निकासी की व्यवस्था

178--श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के अन्तर्गत बस्ती नगरपालिका के अन्दर बने रा0 स0 प0 निगम के बस स्टेशन पर वर्षा के दिनों में काफी पानी भर जाता है ? यदि हां, तो क्या इस पानी के निकासी की व्यापक व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

राज्य सड़क परिवहन निगम, बस्ती का बस स्टैन्ड जिस सड़क पर स्थित है वहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। बस स्टैन्ट का वह स्थल जहां बसें खड़ी होती हैं काफी नीचे होने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः इस स्थल को ऊंचा करने के लिये कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है।

विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत खसौरा में निर्माणाधीन गोदाम का स्थल बदलने हेतु जिलाधिकारी, हरदोई का पत्र

179--श्री हरीशंकर--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि जिला अधिकारी, हरदोई का पत्र सं0 1807-स्टे0 सह0 (ग्राम गो0)/82, दि0 28-8-82 सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, लखनऊ व मुख्य परियोजना अधिकारी, उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक विश्व ग्रा0 गोदाम परियोजना, लखनऊ को ग्रामीण गोदाम का निर्माण स्थल बदलने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक--

जिलाधिकारी, हरदोई का संदर्भित पत्र जो उप निबन्धक सहकारी समितियां, लखनऊ को सम्बोधित तथा मुख्य परियोजना अधिकारी विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना को पृष्ठांकित था, परियोजना कार्यालय में प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र की प्राप्ति के बाद ही गोदाम का निर्माण खसौरा में चालू रखने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ में एक याचिका दायर हो गयी जिसमें वादी के पक्ष में एक अन्तरिम आदेश भी दिनांक 6 दिसम्बर, 1982 को पारित हो गया है और याचिका अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अतः जब तक माननीय न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता, जिलाधिकारी हरदोई के पत्र के आधार पर भूमि स्थल के परिवर्तन के बारे में निर्णय लेना सम्भव नहीं है।

सुल्तानपुर जनपद की ग्राम सभा रसूलपुर में यूनानी चिकित्सालय

180--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1981 में नवीन यूनानी चिकित्सालय की स्थापना शासन के विचाराधीन थी, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सुल्तानपुर ने दि0 21-8-81 को पत्र सं0 2661 द्वारा स्थापना हेतु विवरण उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो अब तक यूनानी चिकित्सालय न खोले जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों की नीलामी

181--श्री सरदार सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीनस्थ कितनी जीप/कार एवं अन्य प्रकार के वाहन हैं, जो प्रयोग लायक नहीं रहे हैं ? क्या शासन ऐसे वाहनों को शीघ्र नीलाम करने की कृपा करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

तीन जीप, दो जीप (पिकअप) तथा एक एम्बुलेन्स कुल छः वाहन प्रयोग लायक नहीं हैं। इनमें से दो जीप तथा एक एम्बुलेन्स वाहनों की नीलामी इस माह प्रस्तावित है। शेष दो जीप वाहनों (पिकअप) तथा एक जीप कुल तीन वाहनों के निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने की कार्यवाही चल रही है।

182--श्री सरदार सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक में फील्ड आफिसर्स की कथित तदर्थ नियुक्तियां

183—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 जनवरी, 1983 से 13 जून, 1983 तक उ0 प्र0 सहकारी भूमि विकास बैंक के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की शाखाओं में अस्थायी तौर पर फील्ड आफिसर्स की एडहाक नियुक्ति की गयी ? यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या है तथा वह किस जाति के हैं और इनकी नियुक्ति का क्या औचित्य है ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं। इस कालावधि में फील्ड आफिसर के पद पर तदर्थ नियुक्ति नहीं की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर आर0 बी0 श्रीवास्तव, अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सीतापुर द्वारा मेसर्स ग्रोवर एंड कं0, लखनऊ से औषधियों की खरीद

184—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर आर0 बी0 श्रीवास्तव, तत्कालिक अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सीतापुर ने मेसर्स ग्रोवर एन्ड कं0, लखनऊ तथा अन्य निम्न स्तर की फर्मों से कितने मूल्य की औषधियों का क्रय किया था ? उक्त फर्म से औषधियां क्रय करने के कारण वहां के तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी व उप मु0 चि0 अधिकारी निलम्बित किए गये परन्तु डाक्टर आर0 बी0 श्रीवास्तव के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? वर्ष 1978-79 के बजट से कितना अधिक व्यय चिकित्सालय, सीतापुर में किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरपालिका बिलग्राम, जिला हरदोई में लगाये गए ट्यूब लाइट व बल्ब

185—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि नगरपालिका बिलग्राम, जिला हरदोई में कितनी ट्यूब लाइट व बल्ब वर्ष 1982-83 में लगाए गये तथा उस पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगरपालिका बिलग्राम में वर्ष 1982-83 में 10 राड, दो मरकरी बल्ब (मय पूर्ण फिटिंग के) तथा 400 बल्ब लगाये गये जिस पर 6315,00 रु0 का व्यय हुआ।

सी0 एच0 ओ0 के पदों पर चयन हेतु डाक्टर पी0 सी0 व्यास की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन

186--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि 1982-83 के दौरान सी0 एच0 ओ0 के 81 पद शासन द्वारा स्वीकृत किए गये थे और उनके चयन हेतु अगस्त, 1982 में डाक्टर पी0 सी0 व्यास की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त समिति ने अब तक कितने व्यक्तियों का चयन किया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां । अपर निदेशक (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में गठित की है । चयन की कार्यवाही अभी स्वीकृत हुई है ।

18--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या निदेशालय स्तर पर गठित समिति डाक्टर व्यास के विशेष सचिव बनने के बाद रद्द कर दी गयी है और अब चयन का समस्त कार्य डाक्टर व्यास के द्वारा शासन स्तर पर सम्पन्न किया जा रहा है ? यदि हां, तो निदेशालय स्तर पर गठित समिति को किन परिस्थितियों में रद्द किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

सी0 एच0 ओ0 तथा सेनेटेरियन के पदों पर चयन में असमानता

188--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सी0 एच0 ओ0 तथा सेनेटोरियन के पद में क्या भिन्नता है ? सी0 एच0 ओ0 का चयन तो वरिष्ठता के आधार पर और सेनेटेरियन का चयन प्रार्थना-पत्र आमंत्रित कर किया गया है ? यह दोनों योजनाएं भारत सरकार द्वारा संचालित हैं तब दोनों के चयन में असमानता क्यों है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सी0 एच0 ओ0 के पदों का दायित्व सब्सीडियरी स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों आदि पर समस्त स्वास्थ्य योजनाओं को कार्यान्वयन के सम्बन्ध में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य पर नियंत्रण रखना तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी को कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करना है जबकि सेनेटेरियन के पद ए0 एन0 एच0 प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये शैक्षिक पद हैं । चयन की प्रक्रिया आवश्यकताओं, दायित्वों के अनुसार अलग-अलग होती है ।

सी० एच० ओ० की नियुक्ति योग्यता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने सम्बन्धी पत्र

189--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 14-3-83 तथा 8-4-83 को स्वास्थ्य निदेशालय में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र दिया है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां, प्रश्नकर्ता के संदर्भित पत्रों में मुख्यत: यही कहा गया है कि सी० एच० ओ० के पदों पर नियुक्ति योग्यता एवं श्रेष्ठता के आधार पर की जाय न कि वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। शिकायतों पर विचार हो रहा है।

बरेली जनपद के गेहूं खरीद केन्द्रों पर गेहूं की खरीद

190--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली में कौन-कौन से गेहूं खरीद केन्द्रों पर 15 मई, 1983 तक गेहूं की खरीद शुरू हो गयी थी और 30 मई, 1983 तक केन्द्रानुसार क्रमश: कितनी गेहूं की खरीद कर ली गयी थी ?

श्री वासुदेव सिंह--

जनपद बरेली में 15 मई, 1983 तक 110 गेहूं खरीद केन्द्रों पर खरीद शुरू हो गई थी। इनकी सूची †संलग्नक 'क' पर संलग्न है।

2--30 मई, 1083 तक बरेली जनपद में 3,31,549 कुन्तल 56 किलो ग्राम गेहूं कि खरीद कर ली गई थी, केन्द्रानुसार खरीद की सूची †संलग्नक 'ख' पर संलग्न हैं।

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

रामपुर जनपद के गेहूं खरीद केन्द्र पर गेहूं की खरीद

192--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रामपुर में कौन-कौन से गेहूं खरीद केन्द्रों पर 30 अप्रैल, 1983 तक गहूं खरीद शुरू हो गयी थी और 30 मई, 1983 तक केन्द्रानुसार क्रमश: कितनी गेहूं की खरीद कर ली गयी थी ?

---

† (छापी नहीं गयी।)

श्री वासुदेव सिंह--

जनपद रामपुर में संलग्न सूची "क" में दर्शित क्रय केन्द्रों पर दिनांक 30 अप्रैल, 1983 तक गेहूं की खरीद प्रारम्भ हो गई थी और संलग्न †सूची "ख" के अनुसार दिनांक 30 मई, 1983 तक केन्द्रानुसार कुल 46,175-43 मै0 टन गेहूं की खरीद की गई थी ।

बरेली जनपद में गेहूं खरीद केन्द्रों पर गेहूं की खरीद

193--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली में कौन-कौन से गेहूं खरीद केन्द्रों पर 30 अप्रैल, 1983 तक गेहूं खरीद शुरू हो गयी थी और 15 मई, 1973 तक केन्द्रानुसार क्रमशः कितनी गेहूं का खरीद कर ली गयी थी ?

श्री वासुदेव सिंह--

बरेली जनपद में संलग्नक 'क" में उल्लिखित क्रय केन्द्रों पर दिनांक 30 अप्रैल, 1983 तक गेहूं की खरीद आरम्भ हो गई थी ।

2--बरेली जनपद में 15 मई, 1983 तक 1,73,253 कुन्तल 95 किलोग्राम गेहूं की खरीद कर ली गई थी । । केन्द्रवार खरीद का विवरण संलग्नक "ख" में दिया हुआ है ।

(देखिए नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ 237 पर ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की नधेड़ा रोड, हरदोई योजना हेतु अधिगृहीत भूमि का प्रतिकर

194--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई स्थित नधेड़ा रोड पर आवास विकास परिषद् की योजना 1975 में लागू हुई थी ? यदि हां, तो प्रभावित भू-स्वामियों को अब तक मुआवजा न दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि भू-स्वामियों को अपने-अपने क्लेम्स दिए हुए एक वर्ष हो गया है ? यदि हां, तो उक्त एवार्ड्स कब तक घोषित कर दिए जायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

प्रश्नगत योजना वर्ष 1979 में लागू हुई थी ।

योजना में कब्जा ली गयी भूमि के भू-स्वामियों में अग्रिम प्रतिकर आंशिक रूप से वितरित किया गया है ।

योजना में सम्मिलित दो ग्रामों में से ग्राम बेहरा चांद का अभिनिर्णय मण्डलायुक्त, लखनऊ की स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 11-8-83 को घोषित किया जा चुका है और सम्बन्धित काश्तकारों को अभिनिर्णीत धनराशि का भुगतान भी किया जा चुका है । ग्राम नधेड़ा का प्रस्तावित अभिनिर्णय तयार किया जा रहा है जिसे राजस्व परिषद् उ0प्र0 की स्वीकृति के उपरान्त ही घोषित किया जायेगा ।

†(छापी नहीं गयी)

श्री अशोक कुमार निगम, निवासी अस्तबल यहियागंज, लखनऊ द्वारा भवन तथा शौचालय के अवैध निर्माण सम्बन्धी-पत्र

195--श्री रियासत हुसैन--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक कुमार निगम, निवासी 227/3, अस्तबल यहियागंज, लखनऊ द्वारा अवैध रूप से निर्मित भवन तथा शौचालय के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का दिनांक 29-12-81 एवं 18-5-82 का कोई शिकायती-पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस अवैध निर्मित भवन तथा शौचालय को हटाने का अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

माननीय विधायक का दिनांक 18-5-82 का पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण में है ।

श्री अशोक कुमार निगम, निवासी 227/3 अस्तबल यहियांगंज, लखनऊ द्वारा भवन के अवैध निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत नोटिस दी जा चुकी है तथा मुकदमा सक्षम अधिकारी के सक्षम विचाराधीन है ।

श्री अशोक कुमार निगम द्वारा शौचालय के अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अशोक कुमार बनाम ज्ञान प्रकाश आदि का एक मुकदमा अतिरिक्त मुंसिफ षष्टम के न्यायालय में चल रहा है । मुकदमें में निर्णय के बाद ही कोई कार्यवाही सम्भव होगी ।

मथुरा शहर में चौबिया पाड़ तथा श्री द्वारिकाधीश के मन्दिर के आस-पास के मकानों के धंसने एवं फटने की जांच

196--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 12 मई, 83 को प्रश्नकर्ता का एक प्रार्थना-पत्र मथुरा शहर में स्थित चौबिया पाड़ एवं मन्दिर श्री द्वारिकाधीश जी के आस-पास की बस्तियों के मकान एकाएक धंसने व फटने से उत्पन्न खतरे से सम्बन्धित, मिला था ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना--

जी हां ।

मकानों के धंसने व फटने का कारण तथा उसके रोकने के उपाय ज्ञात करने के लिए केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की से विशेषज्ञों को बुलाकर जांच करायी गयी । विशेषज्ञों द्वारा टीले की मिट्टी को भराव की मिट्टी बताया गया तथा मकानों की नींव का भी उचित ढंग से न बना होना बताया गया है । वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार नगरपालिका द्वारा पाइप लाइन की जांच की जा रही है तथा क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने का कार्य भी किया जा रहा है ।

197-198--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

मथुरा शहर के मोहल्ला कुंआगली में मिट्टी धंसने से सीवर लाइन तथा मकानों के क्षतिग्रस्त होने से सम्बन्धित ज्ञापन पर कार्यवाही

199--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शहर के मोहल्ला कुंआगली के निवासियों का एक प्रतिनिधि मण्डल मोहल्ले के मकानों के एकाएक फटने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मथुरा से दिनांक 2 जून, 83 को मिला था और उसने नगरपालिका मथुरा की नाली, पाईप लाईन, सर्विस कनेक्शन तथा सीवर लाईन की दुर्व्यवस्था की शिकायत करते हुए तुरन्त समस्या समाधान के लिए ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो ज्ञापन पर अब तक नगरपालिका, मथुरा के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

नगर पालिका द्वारा जांच करने पर कुंआगली में एक निजी जल संयोजन के फेरुल में लीकेज पाया गया जिसके कारण मिट्टी धंसने से सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी थी । इस लीकेज को तुरन्त ठीक कराकर क्षतिग्रस्त सीवर, पाइप लाइन का पाइप बदलवा दिया गया तथा फर्श व नाली की मरम्मत भी करा दी गयी। जिन लोगों के मकानों को क्षति पहुंची थी उन्हें जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा लेवी सीमेन्ट उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था भी करा दी गयी ।

कानपुर के निकट गंगा नदी का सर्वेक्षण तथा उत्प्रवाही हेतु संयुक्त शुद्धिकरण यंत्र की स्थापना

200--श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे गुरुवार के लिए श्री विमल प्रसाद तिवारी द्वारा पूछे गए ता0 प्र0 सं0 9 के उत्तर में क्या पर्यावरण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा नदी के जल के प्रश्नगत सर्वेक्षण और इससे अतिरिक्त किसी अन्य किए गये सर्वेक्षण से कौन-कौन से विषैले घातक रसायन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक पाए गये और क्या यह पता लगाया है कि यह कहां से आ रहे हैं ? यदि हां, तो प्रदूषण कर्त्ताओं के खिलाफ क्या प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना--

कानपुर के निकट गंगा नदी में किए गये सर्वेक्षण के अनुसार जाजमऊ क्षेत्र की टेनरियों के डाउनस्ट्रीम में क्रोमियम की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी है ।

क्रोमियम धातु गंगा नदी में टेनरियों, कपड़ा मिलों एवं रासायनिक कारखानों के उत्प्रवाहों के माध्यम से पहुंचती है ।

जजमऊ क्षेत्र की सभी टेनरियों से निकलने वाले उत्प्रवाहों के लिए एक संयुक्त शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना हेतु योजना तैयार करायी गयी है। इसके अतिरिक्त शासन के प्रयासों से ही कानपुर के तीन प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा उत्प्रवाहों के शुद्धिकरण की आंशिक व्यवस्था कर दी गयी है तथा 10 अन्य उद्योगों द्वारा ऐसी योजना तैयार करायी जा रही है। एक टेनरी के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

छोटी गन्डक, जिला देवरिया में प्रदूषण का कारण तथा जल को पीने योग्य बनाने के उपाय

201--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छोटी गन्डक, जिला देवरिया में प्रदूषण रोकने हेतु शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया है ?

श्री रामसिंह खन्ना--

जनपद देवरिया में छोटी गन्डक नदी का जल मुख्यतः कप्तानगंज तथा भटनी में स्थित तीन उद्योगों द्वारा छोड़े जाने वाले उत्प्रवाहों से प्रदूषित हो रहा है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयत्नों के फलस्वरूप कप्तानगंज स्थित दोनों उद्योगों में शुद्धिकरण की आंशिक व्यवस्था कर ली गयी है किन्तु तीनों उद्योगों को समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण शुद्धिकरण व्यवस्था करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

202--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि छोटी गन्डक के विषाक्त जल को पीने योग्य बनाये रखने हेतु कौन से उपाय किये गये ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जल प्रदूषण रोकने के लिए उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(12 बजकर 8 मिनट)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

श्रीमन्, मेरा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था, उसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रश्न इस प्रकार है 'क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायगे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, हिन्दी विद्यालय, इलाहाबाद की आयुर्वेद रत्न तथा वैद्य विशारद की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद उनका पंजीकरण पैरा 1 व पैरा 2 मेडिकल बोर्ड के अन्तर्गत नहीं हो रहा है ? क्या यह सच है कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रान्तों में इनका पंजीकरण हो रहा है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में पंजीकरण न होने के क्या कारण हैं ?' मेरे उक्त प्रश्न का उत्तर आया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है 'जी हां' और फिर बाद में उत्तर आया है 'इसकी जानकारी शासन को नहीं है।' अब मेरा कहना है कि बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में पंजीकरण हो रहा है और शासन को मेरी जानकारी पर शक है। मेरा कहना है कि शासन की स्वयं जानकारी नहीं है। मैं व्यवस्था चाहूंगा क्या शासन का यह दायित्व नहीं है कि वह या तो हमारी सूचना को सही माने और यदि वह सही नहीं मानती है तो सन्दर्भित प्रान्तों से उसकी जानकारी करे और तब तद्नुसार उसका उत्तर दे ?

श्री अध्यक्ष--

आप इनको लिखकर दे दें, तब उसके अनुसार यह कार्यवाही करेंगे।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के पुनः खड़े होने और बोलने का प्रयास करने पर।)

मेरे लिए यह सम्भव नहीं होगा कि इस तरह से मैं हर अतारांकित प्रश्न पर आपको उत्तर दिलाऊं। आप बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, उसमें मैं मंत्री जी का उत्तर नहीं, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

वह मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्य से इसकी सूचना मंगा लें।

श्री अध्यक्ष--

स्वास्थ्य मन्त्री जी इसको देख लें, जैसा ओझा जी कहते हैं।

सचिवालय एनेक्सी में प्रवेश के द्वारा जारी किये गये प्रवेश-पत्रों की मान्यता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रामस्वरूप वर्मा--

मैं आपकी मान्यवर, व्यवस्था चाहता हूं और वह यह है कि यह एनेक्सी भवन जो बना हुआ है, वह सचिवालय का ही एक हिस्सा है, विधायकगण विधान भवन में प्रवेश के लिए प्रवेश-पत्र देते हैं, तो यह उस पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन वहां पर इस प्रवेश-पत्र से प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया यह कहकर कि यहां के लिये विधायक प्रवेश-पत्र नहीं दे सकते हैं, तो क्या एनेक्सी सचिवालय का हिस्सा नहीं है ? यदि है, तो वहां भी विधायक का प्रवेश-पत्र चलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी आप जानकारी करके देख लीजिएगा, फिर उत्तर दे दीजिएगा।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं देख लूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा मन्डल के लगे लाउडस्पीकर्स के दोषपूर्ण होने से सदस्यों की कठिनाई के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मान्यवर, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहती हूं और वह व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम लोग सदस्यों और मंत्री जनों के लिए लाउड स्पीकर्स यहां पर फिट किये गये हैं, वह दोषपूर्ण हैं। उनमें कभी-कभी सुनाई नहीं देता। ऐसा भी होता है कि सुनने में कठिनाई होती है और मंत्री लोग जब यहां पर वक्तव्य आदि होता है तो उसमें झुक कर सुनते हैं और वह सदस्यों को नहीं देखते हैं, वह सदस्यों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि वह अपने सर झुकाकर उसमें सुनते हैं। तो कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम बैठे-बैठे सुनें।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, बैठें आप।

श्री आजाद कुमार कर्दम--

ऐसी व्यवस्था पार्लियामेंट दिल्ली में बनाई गई है, कोई भी माननीय सदस्य एक यंत्र कान में लगाकर पूरी प्रोसीडिंग्स अच्छी तरह से सुन सकते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था यहां भी कराई जाय।

श्री अध्यक्ष--

यहां पर ज्यादा से ज्यादा सदस्य जवान हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था की यहां कोई आवश्यकता नहीं है।

शाहजहांपुर में जल जमाव एवं कूड़े आदि के जमाव से उत्पन्न महामारी के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 की 21 सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7 सूचनाओं को मैंने स्वीकार किया है और शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं।

श्री बलबीर सिंह--

श्रीमन्, मेरा एक बड़ा आवश्यक प्रश्न था . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, हमने उनको बुला लिया है।

श्री बलबीर सिंह--

रुहेलखन्ड विश्वविद्यालय में तमाम छात्रों को प्रवेश न मिलने की बात है, बड़ा गम्भीर मसला है, आप इसको सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप कल दीजिएगा, मैं उसको देखूंगा। इस समय इसके लिए समय नहीं है, आप हमें डिस्टर्ब न करें।

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह--

श्रीमन्, छात्रों में बड़ा असन्तोष है ।

श्री अध्यक्ष --

में इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं

(व्यवधान)

आप किसी दूसरे की बात को भी सुनेंगे या नहीं ?

श्री बलबीर सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष --

इनका कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

आप लिखकर दे दीजियेगा । हम आपकी अब कुछ नहीं सुनेंगे, आप बैठें ।

श्री सिकन्दर अली खां नवाब--

मान्यवर, शाहजहांपुर भीषण महामारी आशंका से ग्रस्त है । शहर में पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं है । पानी भराव और कूड़े की गंदगी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है । सड़कों की हालत बद से बदतर हो गयी है । सड़कों पर जगह-जगह पानी इकट्ठा हो जाने से आवागमन भी अवरुद्ध हो जाता है । जनता की परेशानी पानी निकास और सड़कों की दुर्दशा तक ही सीमित नहीं है बल्कि नगरपालिका द्वारा बिजली की रोशनी हेतु भी आवश्यक साधन नहीं जुटाये गये इसके परिणाम स्वरुप मोहल्ले का मोहल्ला अंधेरे में गुजारा करता है ।

लोक महत्व के इस सुनिश्चित और अविलम्बनीय प्रश्न के माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध करता हूं कि सरकार तुरन्त शाहजहांपुर को भीषण महामारी की आशंका एवं अंधकार तथा नगर पालिका दुर्व्यवस्था से मुक्ति दिलाये ।

शाहजहांपुर जिला अस्पताल में व्याप्त भीषण दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, 15 लाख की आबादी वाले शहर शाहजहांपुर में एकमात्र जिला अस्पताल में इस समय भीषण दुर्व्यवस्था व्याप्त है । एक अधीक्षक के स्थान पर दो, दो अधीक्षक तैनात हैं और झगड़ा अदालतों तक पहुंच रहा है । इसलिए

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्य पाल सिंह--]

दवाइयों का आहरण नहीं हो पा रहा है । बीमार जनता के लिए चन्द घिसी पिटी गोलियों के अलावा कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है । स्प्रिट तक इंजेक्शन लगाने के लिए उपलब्ध नहीं है । मरीज भाग्य के भरोसे इधर-उधर भटक रहे हैं । लोकल परचेज पूर्णतया बंद है । इससे विधायकों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । महिला अस्पताल की हालत और भी खराब है । सरकार ने जनरेटर की व्यवस्था का वादा पिछले सत्र में किया था परन्तु पूरा न होने पर मरीजों को अपने जीवन से खेलना पड़ता है ।

अतएव सरकार को समुचित कार्यवाही का निर्देश देने का कष्ट करें ।

जनपद गोरखपुर की फरेंदा एवं महराजगंज तहसीलों में भूमि आवंटन से हरिजनों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम नारायण तिवारी--

मान्यवर, गोरखपुर जनपद के फरेंदा खासकर महराज गंज तहसील में भूमि आवंटन के प्रश्न को लेकर गरीब, भूमिहीन एवं हरिजन किसानों में घोर असंतोष एवं रोष व्याप्त हो गया है । चकबन्दी से बची हुई एवं हदबन्दी कानून से फाजिल जमीनों पर पैसे वाले एवं समर्थ लोग कब्जा जमाते जा रहे हैं । निचलौल का लेदी फार्म, बागावार चहेरी फार्म तथा बाबा का चौक फार्म गलत नामों से जमीन छिपाये ही हैं वरन् ग्राम समाज की सैंकड़ों एकड़ जमीन हड़प लिए हैं । गोसदन के नाम से बिना पशु हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है । सहजनवां बाबू के किसानों को पट्टा मिला है परन्तु कब्जा नहीं मिला है । फर्जी बेनामी हस्तान्तरण एवं तथा कथित बेनामी स्टे से इस 20 सूत्री कार्यक्रम का चौथा सूत्र अर्थहीन हो गया है । आये दिन भूमि चोर और उनके गुंडे गरीब किसानों पर हमला कर रहे हैं जिससे उनमें व्यापक असंतोष एवं रोष व्याप्त हो गया है । किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न के तहत आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं तथा मांग करता हूं कि सभी कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए तुरन्त अध्यादेश जारी करते हुए गरीबों में भूमि आवंटित किया जाय ।

(श्री यदुनाथ सिंह का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित होने पर ।)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मुझे आज्ञा दे दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश के सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश में जो सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापक हैं इस समय वह संघर्ष के पथ पर हैं । इनका कहना है कि जैसे कमीशन नियुक्त होने के पूर्व जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों को हाई स्कूल की मान्यता मिलने पर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में प्रोन्नत कर दिया जाता था उसी तरह से अब भी जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों को जिन्हें हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हो चुकी है, उन्हें हाई स्कूल का प्रधानाचार्य मान लिया जाय । इसके लिए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से आये हाई स्कूल के प्रधानाचार्यों ने मुख्य मंत्री का घेराव किया जिससे प्रांत व्यापी आंदोलन खड़ा होने की स्थिति पैदा हो गयी है ।

अतः इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि उपर्युक्त विषय पर सरकार की तरफ से सदन में वक्तव्य दिया जाय जिससे कोई अप्रिय घटना न घट सके ।

(श्री अकबाल हुसैन का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित होने पर ।)

श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, मैं हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

ग्राम बढ़या कलां, जिला बस्ती के हरिजनों पर श्री परमात्मा शुक्ल द्वारा किए जा रहे अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरुप वर्मा--

मैं निम्नांकित अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं--

ग्राम बढ़या कलां, थाना सोनहा, जिला बस्ती के हरिजन कल्लू ने परमात्मा शुक्ल, प्रधान के खिलाफ पिटीशन दायर कर रखा है । जिसकी मजबूती को देखकर परमात्मा शुक्ल वहां के हरिजनों का उत्पीड़न कर रहे हैं और कल्लू के मददगार भगवानदीन चमार को जान से मारने

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

की कोशिश की । भगवानदीन ने इसकी शिकायत 10-8-83 को थाने में और 12-8-83 को जिलाधिकारी के यहां दरखास्त द्वारा दी । किन्तु 12-8-83 को ही परमात्मा शुक्ल ने अपने अराजकतत्वों के साथ केदारनाथ का बस्ती बस स्टेशन से अपहरण कर लिया । जिससे आतंकित होकर भगवानदीन जिलाधिकारी और एस0 पी0 बस्ती के पास 15-8-83 को पुनः गये । उन्होंने कार्यवाही कुछ नहीं की । भगवानदीन ने अपनी जान पर खतरा बढ़ता देखा हरिजन सेल के डी0 आई0 जी0 व आई0 जी से निवेदन किया । परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और शुक्ल अराजकतत्वों के साथ बढ़या गांव को घेरे हुये हैं । भगवानदीन की जान बचाने वाला कोई नहीं रह गया है । बढ़या के हरिजन इससे बेहद आतंकित हैं ।

अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि भगवानदीन की जान की सुरक्षा की जाय और शुक्ल द्वारा फैलाया आतंक समाप्त किया जाय ।

रुहेलखंड तथा अन्य विश्वविद्यालयों में हो रही परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रवेश की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मैं आपके तथा आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाना चाहता हूं कि उ0 प्र0 में रुहेलखंड तथा अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातकों की परीक्षा अभी भी हो रही है । परन्तु एल0 एल0 बी0, बी0 ए0 तथा अन्य स्नातकोत्तर पिछली साल में उत्तीर्ण किए गये अभ्यर्थियों को ही प्रवेश की सुविधा उपलब्ध हुई है । ऐसा शासनादेश करके शासन ने स्नातक में शिक्षा पा रहे छात्रों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया है तथा उनका बहुमूल्य 1 वर्ष नष्ट कर दिया है । ऐसी दशा में शासनादेश पर तथा रुहेलखंड तथा अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों में रोष, आक्रोष तथा घोर असंतोष व्याप्त है । समस्त छात्रों के अभिभावकों को चिन्ता हो रही है कि छात्रों का प्रवेश न होने से उनकी जिन्दगी बरबाद हो जायेगी । छात्र परीक्षाओं के बाद जन आन्दोलन करने की योजनायें बना रहे हैं । जनता में इस शासनादेश के प्रति घोर असंतोष व्याप्त है ।

अस्तु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं शासन से मांग करता हूं कि स्नातकोत्तर की परीक्षा समाप्त होने तथा परीक्षाफल आने पर उन्हें प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाये ।

थाना नगर, जनपद बस्ती के थानाध्यक्ष श्री प्रहलाद मिश्र के पक्षपातपूर्ण रवैये से ग्राम बकसर के मुसलमानों में व्याप्त असतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबाल हुसैन--

मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय विषय को लाना चाहता हूं कि ग्राम बकसर, थाना नगर, जनपद बस्ती में थानाध्यक्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रहलाद मिश्र के पक्षपात करने से साम्प्रदायिक उत्तेजना पैदा हो गई है । दिनांक 2-8-83 को मुस्लिम साम्प्रदाय के अगुआ श्री जान मोहम्मद को फिरकापरस्तों ने बम फेंककर मार डाला । जिसमें नामजद रिपोर्ट अभियुक्तगणों के विरुद्ध हुई परन्तु जांचकर्ता प्रहलाद मिश्रा, थानाध्यक्ष ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती के न्यायालय में इस हत्या के अपराध संख्या 103/83 में दिनांक 2-9-83 को मुलजिमान को रिमाण्ड नहीं मांगी और कानून के दायरे से निकल कर मुलिजमान का साथ दिया । मुलजिमान के बाहर आते ही पुनः साम्प्रदायिकता की उत्तेजना से स्थिति विस्फोटक हो गई है । प्रहलाद मिश्र खुलकर एक वर्ग को सहायता करता है और कहता कि तुम मुसलमानों ने मेरा स्थानान्तरण करवाया था । तुम लोगों को गांव से उजाड़ने के लिए पुनः मैं आया हूं ।

प्रहलाद मिश्र के इस कार्य से पूरे गांव में भय व आतंक फैल गया है । मुस्लिम साम्प्रदायिक लोग गांव छोड़ कर भाग रहे हैं ।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि गांव में सरकार शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उचित कदम उठायें तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करे ।

मण्डल आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समय निर्धारण की मांग

श्री राम आसरे वर्मा--

व्यवस्था का प्रश्न है । मण्डल आयोग की संस्तुति के सिलसिले में सदन में चर्चा कराये जाने हेतु नियम 52 में मैंने सूचना दी थी । जो जानकारी मुझे मालूम है वह स्वीकार भी हो गया है । लेकिन सदन का सत्र इतने दिन हो गया कार्यमंत्रणा समिति द्वारा या आप द्वारा समय निर्धारित नहीं किया गया । मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि समय निर्धारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आज 3 बजे कार्यमंत्रणा की मीटिंग है उसमें इस विषय को रख दिया जायेगा । जो स्वीकार की गई है । उसके बाद ही निर्णय हो सकेगा ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप सभी बैठ जायं । मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (प्रथम एवं द्वितीय भाग) वर्ष 1983-84†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (प्रथम एवं द्वितीय भाग) वर्ष 1983-84 को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों का अनुमेलन) (आठवां संशोधन) नियमावली, 1983††

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1325 बी/33-2-81/जी-83-यू0 पी0 ए0-33/61/नियम-1962 ए0 एम0 (आठवां) 1983, दिनांक 12 अप्रैल, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों का अनुमेलन) (आठवां संशोधन) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों को चुनने को) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 1983††

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज्य अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1378 बी/33-2-69-जी-82-यू0 पी0 ए0-33-1961-नियम-1963-संशोधन (4)-1983, दिनांक 30 अप्रैल, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों को चुनने की) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों के चुनने की) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1983††

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 3093-बी/33-2-89-जी-83-यू0 पी0 ए0-33-1961-नियम-1963-ए0 एम0 (5)-83, दिनांक 17 जून, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों को चुनने की) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1983††

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 3091 (बी)/33-2-155-जी-83-यू0 पी0 ए0-33-1961-नियम-

---

††छापी नहीं गयी।

1963–संशोधन (4)–1983, दिनांक 18 जून, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के सम्बन्ध में (प्रथम संशोधन) नियम, 1983†

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 3362–बी/33–2–192–जी–83, यू0 पी0 ए0–33–1961–नियम–1962–संशोधन (प्रथम)–83, दिनांक 15 जुलाई, 1983 द्वारा प्रख्यापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के सम्बन्ध में (प्रथम संशोधन) नियम, 1983 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति, जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उपप्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली 1983††

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1787–बी/33–2–126 जी0–83 यू0 पी0 ए0–33–1961 नियम (1962) संशोधन–(11)–83, दिनांक 20 मई, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्रसमिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (तृतीय संशोधन) नियमावली 1983††

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 3178–बी/33–2–144–जी0/83–यू0 पी0 ए0 33–61–नियम–1963 संशोधन (3) नियम 1983, दिनांक 28 जून, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उप धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र पर और अपील पर फीस) नियमावली, 1983†

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से आवास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 5984/37-2-27-डी0 ए0-81, दिनांक 13 मई, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र पर और अपील पर फीस) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1983 की धारा 55 की उप धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1980-81 (वाणिज्यिक)††

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 1980-81 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 1983, जो विधान सभा द्वारा 5 सितम्बर, 1983 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 6 सितम्बर, 1983 को वापस प्राप्त हो गया।

---

†छापी नहीं गई।

††छापा नहीं गया।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार की तीन सूचनाएं मेरे पास हैं, जो इस प्रकार हैं:

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 28 फरवरी, 1983 को माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना है कि श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा के विषय में दिनांक 15 फरवरी, 1983, 16 फरवरी, 1983 तथा 22 फरवरी, 1983 को सदन में चर्चा हुई थी और उसमें भाग लेते हुए माननीय मुख्य मंत्री ने तथ्यों को छिपाते हुए गलतबयानी की जो सदन की अवमानना है।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 64 के अनुसार यह आवश्यक है कि यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो उस लेख की प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायगी। प्रश्नगत मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया है। अतः यह सूचना अग्राह्य है।

इस तकनीकी कारण के अतिरिक्त गुणावगुण के आधार पर भी प्रश्नगत शिकायत में कोई बल प्रतीत नहीं होता। मैंने उपरोक्त तीनों दिनों की कार्यवाहियों को देखा है और उसमें ऐसी कोई बात परिलक्षित नहीं होती, जिसमें तथ्यों को छिपाने का, गलत बयानी का आरोप साबित होता हो। अतः प्रश्नगत सूचना दिनांक 28 फरवरी, 1983 को अग्राह्य घोषित किया जाता है।

राजस्व मंत्री के विरुद्ध श्री राम आसरे वर्मा द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

सर्वश्री राम आसरे वर्मा तथा मित्रसेन यादव ने राजस्व मंत्री जी के विरुद्ध दिनांक 25 मार्च, 1983 को सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है। यह सूचना माननीय राजस्व मंत्री के उस वक्तव्य के विषय में थी जो श्री अवधेश कुमार मेहरोत्रा, पत्रकार की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिनांक 23 मार्च, 1983 को इस सदन में दिया गया था।

अपनी सूचना में माननीय सदस्यों ने राजस्व मंत्री के वक्तव्य को तीन आधारों पर असत्य बताया है:

पहला--माननीय मंत्री जी का यह कथन कि गिरफ्तारी के पूर्व नियमानुसार सभी कार्यवाहियां कर दी गई थीं, गलत है।

दूसरा--श्री मेहरोत्रा के विरुद्ध 20 दिसम्बर, 1981 तथा 5 अक्तूबर, 1982 को भी गिरफ्तारी का वारन्ट जारी नहीं किया गया था।

तीसरा गिरफ्तारी के पूर्व "साइटेशन टू एपियर" जारी नहीं किया गया।

[श्री अध्यक्ष—]

अपने वक्तव्य दिनांक 23 मार्च, 1983 में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि श्री मेहरोत्रा पत्रकारिता के अतिरिक्त व्यापार भी करते हैं और 1975–76 से लेकर 1977–78 तक उनके ऊपर 5,389·71 रु0 बिक्रीकर का बकाया था। इसके अतिरिक्त 3,665·29 रु0 ब्याज का भी शेष था। इस बकाया धनराशि की वसूली हेतु 20 दिसम्बर 1981 और 5 अक्तूबर, 1982 को गिरफ्तारी के वारन्ट जारी किये गये थे किन्तु उसका निष्पादन न हो सका। अतः 11जनवरी, 1983 को पुनः अधिपत्र जारी किया गया और 15 जनवरी, 1983 को, गिरफ्तारी के उपरान्त, कुल बकाया धनराशि वसूल हो गई।

मैंने मंत्री जी का वक्तव्य ध्यान से पढ़ा। उसमें यह नहीं कहा गया कि गिरफ्तारी पूर्व सभी नियमानुसार कार्यवाही कर ली गई है। अतः आरोप का प्रथम आधार उचित नहीं प्रतीत होता।

जहां तक दूसरे आरोप का प्रश्न है, मैंने मंत्री जी से वारन्ट दिनांक 20 दिसम्बर, 1981 तथा 5 अक्तूबर, 1982 की प्रतियां मंगवाई। इन अधिपत्रों की प्रमाणित प्रतियां देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि विवाद ग्रस्त वारन्ट के पूर्व दो अन्य अधिपत्र भी जारी किये गये थे जो तामील न हो सके। अतः दूसरा आरोप भी प्रमाणित नहीं होता।

जहां तक तीसरी शिकायत की बात है, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 279 तथा यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा 146 देखने से ज्ञात होगा कि बिक्रीकर की बकाया धनराशि को वसूलने हेतु कानून द्वारा एक से अधिक तरीके अपनाने की व्यवस्था की गई है। इन तरीकों में "साइटेशन टु एपियर" तथा 'वारन्ट गिरफ्तारी' का भी उल्लेख किया गया है। उपरोक्त धाराओं में यह स्पष्ट उल्लेख है कि बकाया धनराशि की वसूली हेतु उपलब्ध सभी तरीकों में कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। अतः यदि "साइटेशन टु एपियर" जारी नहीं किया गया तो उसे कोई अन्तर नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी यदि श्री मेहरोत्रा समझते हों कि उनकी गिरफ्तारी कानून के उल्लंघन में की गई है तो वह उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

वर्णित परिस्थितियों में सदन की अवमानना का प्रश्न उठाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती।

नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर माननीय मंत्रियों के हस्ताक्षर से न प्राप्त होने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 24 फरवरी, 1983 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 की सूचनाओं के उत्तर के सम्बन्ध में एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना था कि नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर सम्बन्धित मंत्री के हस्ताक्षर से ही दिया जाना चाहिए अन्य विभाग के मंत्री के हस्ताक्षर से नहीं। माननीय सदस्य ने एक वर्ष पूर्व अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय का भी हवाला देते हुए कहा कि उत्तर सम्बन्धित मंत्री द्वारा ही दिया जाना चाहिए।

मैंने वर्ष 1982 की कार्यवाहियों का पुनरीक्षण कराया किन्तु ऐसा कोई निर्णय उपलब्ध नहीं हो सका। अतः श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त से भी लिखित रूप से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया परन्तु वे प्रश्नगत निर्णय की ओर संकेत नहीं दे सके।

प्रश्नगत मामले में करण संख्या 14 की व्याख्या अन्तर्वलित है। उपरोक्त करण में यह स्पष्ट निर्देश इंगित है कि नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं का उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा ही दिया जाना चाहिए।

अतः मैं इस मत का हूं कि नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर भविष्य में विभागीय मंत्री द्वारा ही दिया जाना चाहिए। किन्तु यदि विभागीय मंत्री बाहर गया हो अथवा किसी अन्य कारण से अनुपलब्ध हो और उपरोक्त करण में अंकित समय व्यतीत हो रहा हो तो अन्य मंत्री भी माननीय सदस्यों को उत्तर दे सकते हैं। अधिकारियों के हस्ताक्षर से उत्तर नहीं भेजा जाना चाहिए।

दिनांक 4 मार्च, 1982 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4-3-82 को डा० शिवानन्द नौटियाल तथा श्री जसवन्त सिंह बिष्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में सर्वश्री रियासत हुसैन तथा राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्नों में नियम पूछा था--

"श्री रियासत हुसैन--श्रीमन्, सवाल में पूछा गया है कि रिक्तियां रहने के विशेष कारण क्या हैं तो पहले तो माननीय मंत्री जी यह बतायें कि इन रिक्तियों के क्या कारण हैं और दूसरे इन रिक्तियों को भरने के लिए शासन ने कौन से विशेष कदम उठाए हैं?"

2--उस समय सदन में उक्त के संबंध में निम्न उत्तर दिया गया था--

"मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि रिक्तियों के कारण क्या हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां डाक्टरों की कमी है और दूसरे डाक्टर लोग पहाड़ी एरियाज में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे अपनी नियुक्ति मैदानी क्षेत्रों में ही ज्यादातर चाहते हैं। बहुत डाक्टर पहाड़ों में जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा आपका प्रश्न यह था कि उसके लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। उसके बारे में आप को बता दूं कि हमने कमीशन को पोस्ट एडवरटाइज करने के लिए भेज दिया है और ये पोस्ट्स एडवर्टाइज हो भी चुकी हैं। इसके लिए हमने एक पर्वतीय संवर्ग बनाया है और भर्ती की जायेगी वहां के लिए। वह पहाड़ी एरियाज में ही रहेंगे और जब तक उनका प्रमोशन नहीं होता तब तक उनका ट्रांसफर नहीं किया जायेगा। साथ ही जैसा कि मैंने मूल जवाब में भी कहा है कि यदि कमीशन से भर्ती होने में ढिले होती है तो हम तदर्थ नियुक्ति करने के लिए तैयार हैं।"

[श्री हरि सिंह--]

3--उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर निम्न प्रकार है--

"मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि रिक्तियों के कारण क्या हैं ? आप जानते हैं कि हमारे यहां डाक्टरों की कमी है और दूसरे डाक्टर लोग पहाड़ी एरियाज में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं । वे अपनी नियुक्ति मैदानी क्षेत्रों में ही ज्यादातर चाहते हैं । बहुत कम डाक्टर पहाड़ों में जाने के लिए तैयार होते हैं । दूसरा आपका प्रश्न यह था कि पर्वतीय क्षेत्रों के डाक्टर नियुक्त करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं । उसके बारे में आपको बता दूं कि हमने कमीशन को पोस्ट एडवर्टाइज करने के लिये भेज दिया है और वे पोस्ट्स एडवर्टाइज हो भी चुकी हैं । इसके लिए हमने एक पर्वतीय संवर्ग बनाया है और जो डाक्टर नियुक्त किये जायेंगे वे पहाड़ों के लिये किये जायेंगे । वह पहाड़ी एरियाज में ही रहेंगे और जब तक उनका प्रमोशन नहीं होता तब तक उनका ट्रांसफर नहीं किया जायेगा यदि तबादला होगा भी तो पर्वतीय अंचल में ही होगा । साथ ही जैसा कि मैंने मूल जवाब में भी कहा है कि यदि कमीशन से सलेक्शन होने में डिले होती है तो हम तदर्थ नियुक्ति करने के लिये विचार कर रहे हैं ।"

4--उक्त अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने निम्न अनुपूरक प्रश्न पूछा था--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

"यह जो कमीशन से पोस्ट मांगी गई है वह इसके तहत मांगी गई है या जनरल पोस्ट मांगी गई है ।"

5--उस समय सदन में निम्न उत्तर दिया गया था--

"पोस्ट जो एडवर्टाइज की गई हैं वह सारे उत्तर प्रदेश भर के लिए हैं ।"

6--उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर निम्न प्रकार है ।

"पोस्ट जो अभी एडवर्टाइज की गई हैं वह पर्वतीय क्षेत्र के लिए हैं ।"

7--मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं ।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 224 पर ।)

दिनांक 30-1-82 को जनपद गाजियाबाद के हरसांव की मड़ैया नामक गांव में पुलिस द्वारा डकैती डालने के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गृह मन्त्री द्वारा दिनांक 3-3-82 को दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में शोधित वक्तव्य

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

मान्यवर, 3-3-82 को दिया गया वक्तव्य इस प्रकार है--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-1-82 को श्री प्यारे लाल, निवासी ग्राम शाहपुर वमैटा, गाजियाबाद ने थाना कविनगर, गाजियाबाद पर श्री चमन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिनांक 30-1-1982 को जनपद गाजियाबाद के हरसांव की मड़ैया नामक गांव में पुलिस द्वारा डकैती डालने के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गृह मंत्री द्वारा दिनांक 3-3-82 को दिए गए वक्तव्य के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

प्रकाश निवासी ग्राम हरसाऊ के विरुद्ध चाकू से आक्रमण करने की रिपोर्ट लिखाई जिसके आधार पर अ0 सं0 30 अन्तर्गत धारा 324 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ। दिनांक 30-1-82 को ही एक उप निरीक्षक तीन कांस्टेबलों सहित ग्राम हरसाऊ मजरा मड़ैया गये और शाम 7-20 बजे अभियुक्त चमन प्रकाश को गिरफ्तार किया। अभियुक्त द्वारा शोर मचाये जाने पर ग्राम के उसकी जाति के व्यक्ति तुरन्त एकत्रित हो गये तथा उप निरीक्षक तथा दो कान्सटेबलों को मारपीट कर अभियुक्त को बलपूर्वक छुड़ा दिया तथा पुलिसजनों की सरकारी पिस्तौल, घड़ियों व साइकिल छीन कर उन्हे बन्द कर दिया। एक कान्सटेबिल किसी तरह बचकर थाना कविनगर आया और घटना की सूचना थानाध्यक्ष को दी जिसके आधार पर 20 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अ0 सं0-31 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/224/225/342/332 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया और थानाध्यक्ष फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। 11 नामजद अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया तथा उप निरीक्षण तथा दो कान्स्टेबलों को एक अभियुक्त के मकान से मुक्त कराया गया। दिनांक 31-1-82 को विवेचना से प्रकाश में आए, 2 और अभियुक्त गिरफ्तार किये गये, जिनके पास से लूटी हुई घड़ी व साइकिल बरामद हुई। 9 नामजद अभियुक्त अभी फरार हैं 11 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेज दिया गया है। शेष के विरुद्ध विवेचना अभी प्रचलित है। यह कहना सही नहीं है कि पुलिस डकैती डालने के उद्देश्य से ग्राम हरसांव गई थी। यह कहना भी सही नहीं है कि 50/60 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये क्योंकि केवल उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिन्होंने गिरफ्तार अभियुक्तों को छुड़ाने के लिए पुलिस के साथ मारपीट की थी। अभियुक्तों से अमानवीय व्यवहार करने आदि के आरोप निराधार हैं। इस ग्राम में स्थिति सामान्य है और कोई भी व्यक्ति भय के कारण गांव छोड़कर नहीं गया है।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मौके का स्वयं निरीक्षण भी कर चुके हैं।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, उक्त के सम्बन्ध में संशोधित वक्तव्य इस प्रकार है--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-1-82 को श्री प्यारे लाल निवासी ग्राम शाहपुर वमैटा, गाजियाबाद ने थाना कविनगर, गाजियाबाद पर श्री चमन प्रकाश निवासी ग्राम हरसांव के विरुद्ध चाकू से आक्रमण करने की रिपोर्ट लिखाई जिस के आधार पर अ0 सं0 30 धारा 324 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ। दिनांक 30-1-82 को ही एक उप निरीक्षक, तीन कान्स्टेबलों सहित ग्राम हरसाऊ मजरा मड़ैया गये और शाम 7-20 बजे अभियुक्त चमन प्रकाश को गिरफ्तार किया। अभियुक्त द्वारा शोर मचाये जाने पर ग्राम के उसकी जाति के व्यक्ति तुरन्त एकत्रित हो गये तथा उप निरीक्षक तथा दो कांस्टेबलों को मारपीट कर अभियुक्त को बलपूर्वक छुड़ा दिया तथा पुलिसजनों की सरकारी पिस्तौल, घड़ियां व साइकिल छीन कर उन्हें बन्द कर दिया। एक कांस्टेबिल किसी तरह बचकर थाना कविनगर आया और घटना की सूचना थानाध्यक्ष को दी, जिसके आधार पर 21 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अ0 सं0-31 के अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/224/225/342/332 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया और थानाध्यक्ष फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। 11 नामजद अभियुक्तों को मौके से गिरफ्र

[श्री गुलाब सेहरा--]

किया तथा उप निरीक्षक तथा दो कान्स्टेबलों को एक अभियुक्त के मकान से मुक्त कराया गया। दिनांक 31-1-82 को विवेचना से प्रकाश में आया कि 2 और अभियुक्त गिरफ्तार किये गये, जिनके पास से लूटी हुई घड़ी व साइकिल बरामद हुई। 10 नामजद अभियुक्त अभी फरार हैं। 11 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया। शेष के विरुद्ध विवेचना अभी प्रचलित है।

यह कहना सही नहीं है कि पुलिस डकैती डालने के उद्देश्य से ग्राम हरसाऊ गई थी। यह कहना भी सही नहीं है कि 50/60 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये क्योंकि केवल उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिन्होंने गिरफ्तार अभियुक्तों को छुड़ाने के लिए पुलिस के साथ मारपीट की थी। अभियुक्तों से अमानवीय व्यवहार करने आदि के आरोप निराधार हैं। इस ग्राम में स्थिति सामान्य है और कोई भी व्यक्ति भय के कारण गांव छोड़कर नहीं गया है।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मौके का स्वयं निरीक्षण कर चुके हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत आज 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की शिक्षा निदेशालय की शिथिलता के कारण राजकीय बालिका विद्यालयों के रिक्त पदों पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री कुंवर सिंह नेगी की झांसी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र का अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में है, यह श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी दोनों की है। इसके आगे श्री मोहम्मद आजम खां, श्री अकबाल हुसेन श्री फखरे आलम की मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के हो स्टल के छात्रों की पुलिस द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन यादव, श्री मसरूर जाफरी की फार्मेसिस्टों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में अनशन करने के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री मोहन सिंह, श्री प्रदीप कुमार यादव की बी0 पी0 मन्डल की अध्यक्षता में गठित कमीशन की रिपोर्ट को प्रदेश सरकार द्वारा लागू न किए जाने के संबंध में है और यही सूचना श्री सत्यपाल सिंह और श्री नन्द किशोर सिंह एवं श्री हरिवंश सहाय की है। इसके आगे श्री राम गोविन्द, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री अकबर हुसेन की श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया के छात्रों का परीक्षाफल घोषित न होने के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह की श्री सरदार भगवान सिंह ज्वाइन्ट एस0 पी0 विजिलेन्स उत्तर प्रदेश को तत्काल न हटाने के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री खैरुल बशर, श्री राम आसरे वर्मा की श्री मुलायम सिंह यादव, अध्यक्ष लोकदल उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के निजी सचिव को फोन पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा श्री लल्लू सिंह के प्रकरणों को उभारने के सम्बन्ध में धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री बलवीर सिंह की प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए उद्योग नियोजन की सही नीति को प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री भीखा लाल की सूचना-उन्नाव के ग्राम सभा प्रधान का कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री किरन पाल सिंह की डीजल गाड़ियों के लाइसेंसों के नवीनीकरण

तथा नए परमिटों पर लगाये गये प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में है। उसके आगे श्री विजय सिंह राना की आगरा के विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, इस शासन की मौन यात्रा में रोजमर्रा बुद्धिजीवियों की शव यात्रा निकल रही है। हाल ही में हमारे लखनऊ के एडवोकेट श्री लल्लू सिंह जी का अपहरण हुआ था और उनका अभी तक पता नहीं लग पाया कि झांसी में वहां के युवा वकील श्री राजेन्द्र जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हैं, का दिन दोपहरी कचहरी से अपहरण कर लिया गया। मान्यवर, इस शासन में वकीलों पत्रकारों प्रोफेसरों-सबकी हत्यायें हो रही हैं और प्रतिदिन इस प्रकार की घटनायें घटित हो रही हैं। वकीलों के साथ मान्यवर आये दिन इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं जिससे वकील लोग स्वतंत्रतापूर्वक अपने मुवक्किलों की पैरवी नहीं कर सकते और इससे न्याय नहीं मिल सकता है। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर घटना है और इससे सारे प्रदेश में भय और आतंक व्याप्त हो गया है। लोगों में अनुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में ला करके आपसे निवेदन करता हूं कि आप शासन से इस बारे में वक्तव्य दिलवायें।

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से रेडियोग्राम द्वारा सारी सूचना प्राप्त की गयी। यह भी कह दिया गया है कि जो स्टेटमेंट यहां पर भेजे गये हैं उसमें तत्परता से जांच की जाय। मान्यवर, जल्दी ही जो सूचना आयेगी, वह आपको प्रेषित कर दी जायेगी।

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, हमारे प्रदेश में केन्द्र द्वारा दो यूनिवर्सिटियां चलायी जा रही हैं। कानून व्यवस्था पर बनारस विश्वविद्यालय पहले से ही बंद है। अभी मान्यवर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 2/3 तारीख को रात को अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस ने रात को एक बजे प्रवेश किया और हॉस्टल में सोते हुए विद्यार्थियों को खींच-खींच कर हॉस्टल से बाहर लाया, मारा-पीटा और जेलों में बन्द कर दिया। ऐसे विद्यार्थियों को भी मारा जिन पर कोई अपराध नहीं है और वे किसी भी घटना से सम्बन्धित नहीं हैं। एसा दशा उस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हो गयी है। विद्यार्थी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी यूनिवर्सिटी छोड़कर भाग गये हैं। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था और शान्ति व्यवस्था की स्थिति यह है कि हमारे प्रदेश की दो यूनिवर्सिटीज बन्द हैं, जिसमें से बनारस विश्वविद्यालय पहले से बन्द है और अलीगढ़ में अब यह आतंक फैला दिया है। यह बहुत गम्भीर समस्या है। इसलिये मांग करता हू कि आज की कार्यवाही रोककर इस अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करा दी जाय ताकि प्रदेश की शिक्षा संस्थायें सुरक्षित रहे और शिक्षा की व्यवस्था सुचारु रूप से चले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय अकबाल हुसैन साहब ने जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में कार्य-स्थगन का प्रश्न उठाया है, इसमें दो बातें हैं। 30 अगस्त को एक बैठक हुई थी, जिसमें लड़कों ने कहा था कि वाइस-चांसलर ने एडमीशन गलत किये हैं और माइनारिटी कैरेक्टर इसका नहीं रहा है क्योंकि यहां पर एडमीशन मेरिट के हिसाब से किया जा रहा है। यह मुद्दा लेकर 2 सितम्बर को मीटिंग में उत्तेजनात्मक नारे लगाये गये। लड़के वाइस-चांसलर के घर पर गये, वहां पर हमला किया गया, कार जलायी गयी और जान से मारने के लिये हमला किया गया। पुलिस दल के द्वारा नामजद व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया गया। किसी विद्यार्थी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जहां एक तरफ एक बात कहते हैं वहां पर किसी भी विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्थान में डिसिप्लीन भी मेन्टेन करना जरूरी है। एडमीशन मेरिट से किये जा रहे हैं, इसमें जो लोग बाधा उत्पन्न करते हैं, उनके खिलाफ तो कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। इस वजह से यह प्रशासनिक कार्यवाही हुई है। इस समय वहां पर परीक्षायें चल रही हैं। वहां की टीचर्स ऐसोसियेशन ने भी, वाइस-चान्सलर पर जो हमला हुआ है, उसको कन्डम किया है। इसमें किसी कार्य-स्थगन की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें सामान्य हैं। कार्य-स्थगन से स्थिति असामान्य हो जायेगी।

श्री भोखा लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय पूरे प्रदेश में अपहरणों का दौर चल रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी, जो गृह मन्त्री भी हैं, सब खामोशी से देख रहे हैं और मन्त्रिमंडल के दूसरे लोग देख रहे हैं। उन्नाव जनपद में विकास खंड औरास में एक ग्राम सभा है कर्चल, वहां के ग्राम प्रधान, लाखन सिंह का अपहरण 27 जुलाई को हो गया। पुलिस ने उनके अपहरण की रिपोर्ट लिखने में हीला हवाली की। जब मैंने हस्तक्षेप किया तब रिपोर्ट लिखी गयी। डेढ़ महीना हो गया है, अभी तक पता नहीं है कि किन लोगों ने अपहरण किया था और वे जिन्दा हैं या मार दिया गया। आज जिन लोगों पर सन्देह किया जाता है, पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी भी सन्देह करते हैं, उनको शासक पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, इसलिये कोई पूछ-ताछ नहीं होती और न उन पर हाथ डाला जा रहा है। निर्दोष व्यक्तियों को परेशान किया जा रहा है। आज तक प्रधान का पता नहीं है। मैंने उच्च अधिकारियों से कहा था कि इसकी इन्क्वायरी सी0आई0डी0 से करा ली जाय, लेकिन शासक पार्टी के लोगों के प्रयास से नहीं हो पायी। इससे इस क्षेत्र में असन्तोष व्याप्त है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय भोखा लाल जी ने जो शंका व्यक्त की है और इन्होंने अपने नोटिस में यह बताया कि इस मामले पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव पड़ रहा है और इन्होंने सी0 आई0 डी0 जांच के लिए कहा है तो मान्यवर, इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करवा दी जायेगी।

*श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सरकार का ध्यान गरीब बेरोजगार, नये उद्यमी युवकों की तरफ ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, सन् 1976 में उत्तर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश सरकार ने कुछ परमिट्स बेरोजगार युवकों, गरीब लोगों और किसान के वटों को छोटी बसों, मैटाडोर आदि के दिये थे ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय परिवहन मन्त्री कृपया दूसरे कामों को छोड़कर माननीय सदस्य को सुनें ।

(शोर)

श्री बलदीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, आमतौर पर यही देखा गया है कि माननीय मंत्रीगण अपने दफ्तर की फाइलें यहां लाकर करते हैं और सदन के कार्य की ओर ध्यान नहीं देते जो मान्यवर, इस सदन का अपमान है इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन्हें कृपया निर्देशित करें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्रीगण इस विषय में भविष्य में ध्यान रखें ।

*श्री किरनपाल सिंह--

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस तरह के 15 हजार परमिट दिये गये थे लेकिन 81 से इन परमिटों को निरस्त कर दिया जाए जिसके नतीजे में आज 15 हजार लोग बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गये हैं मेरी स्वयं की जानकारी में है कि मेरे तीन मित्र ऐसे हैं जो पी0 एच0 डी0 किये हुए हैं । जो नौकरी न मिल पाने के कारण इस तरह के परमिट लेकर धंधा कर रहे थे जब से यह परमिट निरस्त किये गये हैं, तब से वह सब भी बेरोजगारी के शिकार हो गये हैं, मैं मानता हूं कि इससे सरकार को अवश्य कुछ हानि होती होगी, लेकिन एक निवेदन यह है कि जिन मार्गों पर आपकी बसें नहीं चल रही हैं या जो छोटे-छोटे मार्ग हों, उन रूट्स पर इन परमिटों का नवीनीकरण कर दिया जाए ताकि इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके और ऐसा करना मान्यवर, गरीबों के हित में होगा ।

*परिवहन एवं पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)--

माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं, वह सब निराधार हैं, न तो हमारे यहां से अब किसी प्रकार के परमिट दिये जाते हैं और न ही कोई नियुक्ति हो रही है, 50 हजार आदमियों को इन लोगों ने पहले से ही भरवा दिया है, जिन्हें मेन्टेन करना ही हमें भारी पड़ रहा है, अतः इन लोगों ने जो भी आरोप लगाये हैं वह सब निराधार हैं और इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है ।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, बहुत बड़ी विडम्बना है, यह तो सही है माननीय मन्त्री जी बहुत बुजुर्ग हैं, ऊंचा सुनते हैं, तो मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि जो माननीय मंत्रीगण ऊंचा सुनते हैं, उनके लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था जरूर कराएं कि वह सही तौर पर सुन सकें । प्रश्न कुछ उत्तर कुछ मैटाडोर बसों के परमिट जो कैंसिल रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

यह परमिट दिये गये थे कुछ नौजवानों को और बेरोजगारों को । उन परमिट के दिये जाने से निश्चित है कि उसका प्रभाव रोडवेज पर पड़ता होगा जिसके लिये अब कैंसिल किये जा रहे हैं । लेकिन जो 15,000 परमिट पहले दे दिये गये उनको आप आज कैंसिल कर रहे हैं तो माननीय सदस्य का कहना यह था कि उन्हें दूसरे रूट पर या जो आप बड़ी बसों को अनुबन्धित करते हैं, वहां चलने की इजाजत दे दें । परन्तु आपने उसका उत्तर न देकर आप परमिट देने की बात करने लगे । प्रश्न यह नहीं था जिसका आप उत्तर दे रहे थे ।

(सर्वश्री सत्यपाल सिंह, मोहन सिंह, मित्रसेन, किरनपाल सिंह, मुहम्मद आजम खां, राम गोविन्द के एक साथ खड़े हो कर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह मण्डल आयोग के बारे में कोई निर्णय हुआ है, इसके संबंध में तीन बजे मीटिंग है, उसके बाद इस पर समय निर्धारित हो जायेगा । अब आप लोग अभी बैठिये ।

श्री सत्य पाल सिंह--

हमने नियम 56 में सूचना दी है, आप इसके महत्व को समझने की कोशिश करें कि बिहार में और महाराष्ट्र में इसे मान लिया गया है । (कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने के कारण व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, ऐसा है कि यह प्रश्न तो बहुत पहले का ही आया हुआ है । उम्मीद यह की जाती थी और यह होना चाहिये था कि इसे पहले ही विचार कर लिया जाता यह नियम 56 में प्रश्न आया दिया गया है, आप उस पर माननीय सदस्यों के विचारों को सुन लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है । कमेटी ने एक निर्णय दिया है, बहुत से प्रदेश की सरकारों ने उसे मान लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार उसे नहीं मान रही है और न उस पर विचार ही करना चाहती है । तो मान्यवर, माननीय सदस्यों की भावनाओं को थोड़ा सा सुन लें और इस बात पर विचार कर लें ।

(कई सदस्यों के एक साथ फिर खड़े हो कर बोलने के कारण व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोगों में से जितने लोग खड़े हैं इनमें से मैं एक ही सदस्य को सुन सकता हूं, एक समय में एक ही सदस्य बोलेंगे ।

श्री मोहन सिंह--

आप ही नाम लेकर पुकार दीजिये मान्यवर, एक को ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें तो मोहन सिंह का नाम लिखा हुआ है ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैंने कार्य-स्थगन के जरिये मण्डल आयोग की जो संस्तुतियां हैं उनके कार्यान्वयन के संबंध में एक कार्य-स्थगन दिया है। हमारे संविधान के अन्दर प्राविधान है कि जो सामाजिक रूप से दबे, पिछड़े लोग हैं, यह जो जातियां हैं उनके उन्नयन के लिये सरकार प्रयास करेगी। इसके लिये पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी सिफारिशें नहीं लागू की गयीं। फिर इस संबंध में छेदी लाल साथी कमीशन की रिपोर्ट आयी, उसे सरकार ने नहीं लागू किया और अब 1977 के बाद बी0 पी0 मण्डल की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया। इसमें अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत हो गयी है और पार्लियामेन्ट में पास भी हो गयी है और तमाम विधान सभाओं में बराबर से उस पर चर्चा हो गयी। केन्द्र सरकार ने इस पर अपना मन्तव्य जारी किया कि प्रदेश की सरकारें जैसा चाहें इसके निर्णय के संबंध में अपनी संस्तुति जारी कर सकती हैं। हमारे मुख्य मंत्री ने इसकी संस्तुति के विरोध में अपनी राय जाहिर की है। पिछड़े वर्ग के लोगों के मन में इससे असन्तोष व्याप्त है। उसकी संस्तुतियों के बारे में सदन की क्या राय है यह जानने के लिये इसे नियम 56 में दिया है। इस प्रदेश में 60 फीसदी दबे और पिछड़े लोगों की आबादी है और उनके मन में क्षोभ और असन्तोष की भावना व्याप्त है तो इसे कार्यस्थगन में दे कर मैंने चाहा है कि आप इस पर अविलम्ब चर्चा करा दें।

(श्री सभ्यक्ष द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर कई सदस्यों के फिर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मेरे लिये सबको सुनना संभव नहीं है।

श्री सत्यपाल सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

ये जो बोल रहे हैं, कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा।

---

*वक्ता नें भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय मोहन सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसके महत्व को देखते हुए कार्य मंत्रणा समिति में इसको रखा गया है कि किस दिन इस पर चर्चा हो, लेकिन मान्यवर, जो तथ्य उन्होंने रखे हैं और कहे हैं वह सत्य से परे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध म कोई निर्णय नहीं लिया है और कोई कार्यवाही नहीं की है। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में राय मांगी। यहां पर मान्यवर, 2 कमेटियां बना दी गयीं। एक कमेटी डिपार्टमेंट के सचिवों की थी। उसकी सिफारिशों को मंत्रि परिषद् में रखा गया और उसके हर बिन्दु पर बहस हुई और विचार हुआ और रिपोर्ट तैयार हुई और उस रिपोर्ट को भारत सरकार को भेजा गया। भारत सरकार ने फिर राय मांगी। तो फिर कमेटी बनायी। इसके अध्यक्ष नियोजन सचिव थे, और उसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी जिसमें सारी चीजों का परीक्षण किया गया, सारे विभागों से राय मांगी गयी कि क्या स्थिति है। फिर वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने एक और कमेटी बनायी जिसमें मंत्री भी थे। मंत्रियों की एक कैबिनेट सब-कमेटी बना दी गयी और फिर उसमें विचार हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार को किसी पत्र द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू न की जायें, ऐसा नहीं लिखा है। यह सत्य से परे है। इस पर विचार हो रहा है और विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा। माननीय मोहन सिंह जी को जो सूचना मिली है, वह सत्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की सूचना के विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और श्री किरन पाल सिंह की भी सूचना के विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया है।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैंने भी दिया था, उसका क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

कोई भी शब्द नहीं लिखा जायेगा। वर्मा जी आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि आज जितने भी कार्य स्थगन की सूचनायें प्राप्त हुई हैं उन में सबसे महत्वपूर्ण फार्मासिस्टों के बारे में है जो अनशन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह बड़ा ही अत्यन्त अहम मसला है । मैं इस के विरोध में आज के लिए सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री विजय सिंह राना--

मैंने भी सूचना दी है, उसका क्या हुआ ?

श्री सत्यपाल सिंह--

(व्यवधान के मध्य) मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री सत्यपाल सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री बाबू सिंह (अलीगढ़)--

पक्षपाती रवैये के कारण मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री बाबू सिंह सदन त्याग कर चले गये)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री मुख्तार अनीस--

इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मुख्तार अनीस सदन त्यागकर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया शांत रहें ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

जब आपका नाम पुकारा गया था तब आप नहीं थे । अब यह सम्भव नहीं हो सकेगा । (व्यवधान) । जब आपका मसला आया था उस वक्त मैंने आपका नाम पुकारा था तब आप नहीं थे, उसको आगे ले लिया गया और उसका उत्तर भी आ गया । अब हम मद संख्या 20 पर आ गये हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह देता ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई ठीक परम्परा नहीं है । हम आगे बढ़ गये हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैं एक मिनट में अपनी बात कह दूंगा....(व्यवधान) ।

(श्री मोहम्मद आजम खां के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

एक शब्द भी नहीं लिखा जायेगा । ऐसी परम्परा डालें जो नियमों के अन्तर्गत हो ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

(श्री बलबीर सिंह के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें । नियमों का पालन करें । (व्यवधान) ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपको एक सूचना दी थी । मुझे इसकी जानकारी भी नहीं मिली कि सूचना आपको मिली या नहीं मिली । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं मान्यवर, मैंने सूचना दी थी कि कल 7 तारीख को प्रदेश के लोकदल के अध्यक्ष, श्री मुलायम सिंह यादव के कार्यालय में उनके निजी सचिव को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा टेलीफोन पर सूचना दी गयी कि यदि मुलायम सिंह यादव द्वारा लल्लू सिंह के बारे में सदन में कोई मामला उठाया गया तो उनका भी वही हाल होगा जो लल्लू सिंह का हुआ है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

वे स्वयं इस प्रश्न को क्यों नहीं उठाते । कृपया बैठें । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983†

(1 बजकर 8 मिनट)

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

---

†दिनांक 5 सितम्बर, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी अपने विभाग के भ्रष्टाचार पर परदा डालने के लिये और इस पर काबू न पाने के कारण यह संशोधन अध्यादेश ले आये हैं। इन्होंने इसमें चेक पोस्टों का जो जिक्र किया है, होता यह है कि जब कोई आयातकर्ता अपना माल लेकर आता है और उसके सम्बन्ध में अपना प्रमाण-पत्र अधिकारियों को इन चेक-पोस्टों पर दिखलाता है....

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

तो इतनी अनियमितता वहां उनमें हो गयी है कि उनके प्रमाण-पत्रों को फाड़ देते हैं और उनसे अनधिकृत पैसा वसूल करके अपनी पाकेट में रख लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। चेकपोस्ट वालों के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए यह अध्यादेश लाये हैं। उन भ्रष्टाचारियों पर सीधा हमला नहीं कर पाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आज इतना भ्रष्टाचार इसमें व्याप्त है कि गाजियाबाद आदि में जो चेकपोस्ट हैं उसमें जो बिक्री-कर विभाग वाले लगे हुए हैं उनको एक-एक लाख रुपया घूस लेकर नियुक्त किया जाता है। वह पैसा सरकारी कोष में जाने के बजाय कर्मचारी गलत तरीके से पैसा लेकर अपनी परकेट में रख लेते हैं और जिस जिस अधिकारी को चाहते हैं पैसा देते हैं। लेकिन इस भ्रष्टाचार से ट्रक ड्राइवरों के सामने विभिन्न कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। वह सोचते हैं हम अगर आगे सामान लेकर जाते हैं तो कौन सा प्रमाण-पत्र दिखायेंगे। जितनी आगे चौकियां मिलती जाती हैं हर चौकी पर उनसे पैसा वसूल होता है उसके बाद उनको छोड़ा जाता है उसका नतीजा यह होता है कि जब माल बिकने के लिए बाजार में आता है तो वह व्यापारी अधिक मूल्य लेकर ब्लैक में माल बेचने का काम करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो आप संशोधन विधेयक लाये हैं इसके बजाय आप अपने विभाग के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखिये। श्रीमन्, हमारे यहां बिहार से कोयला आता है। जो मूल्य कोयले का वहां लिया जाता है वहां से ट्रक में यहां आते-आते इन चेकपोस्टों पर नियुक्त कर्मचारियों की अनियमितता के कारण, उनकी लूटपाट के कारण, उनकी अधिक वसूली के कारण कोयले का दाम दूना हो जाता है। आपने देखा होगा ईंट भट्ठा वालों ने अभी प्रदर्शन किया उनका कहना था कि कोयले के दाम इतने अधिक बढ़ा दिये गये हैं तो इसलिए ईंटों का दाम बढ़ाया जाय। चेकपोस्टों पर नियुक्त सारे कर्मचारी करोड़ों रुपयों का घोटाला हर साल करते हैं। और माननीय मंत्री जी उसे छुपाने के लिए अध्यादेश लाते हैं। इन्होंने इसमें न्यायालय का बहाना लिया है कि हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया है जिससे यह संशोधन लाना पड़ा है। तो यह अध्यादेश न्यायालय की अवमानना का प्रतीक है। न्यायालय के निर्णय को यह चुनौती दे रहे हैं। इनकी यह आदत हो गयी है 1977 से 1979 तक इन के दल के लोग न्यायालय की अवमानना किये और अब मंत्री जी भी अवमानना कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के बाद यह संशोधन लायें। जब चेकपोस्टों में भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा तो किसी भी संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को चन्द सुझाव देकर अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

माननीय रामगोविन्द चौधरी ने इसमें दो तीन बिन्दु उठाये । वैसे मान्यवर, आप स्वयं देखेंगे कि यह एक साधारण सा एमेंडमेंट है इससे सरकार की गिरफ्त टैक्स इवेजन करने वालों पर मजबूत होती है । उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही अगर वह ठीक से पढ़ें तो इससे भ्रष्टाचार कम होता । उन्होंने कंटेम्प्ट आफ कोर्ट की बात कही चूंकि हाईकोर्ट ने खिलाफ फैसला कर दिया, इसलिए यह संशोधन लाया जा रहा है और कोर्ट की अवमानना की जा रही है, तो मान्यवर, यह बात सत्य नहीं है । स्थिति ऐसी है कि इसके पहले था कि कोई व्यक्ति अपना सामान बाहर से लाता या यहां से बाहर ले जाता और वह कामर्शियल सामान न होता तो उस समय परमिट पर वहां काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता । इसलिए इसके अंदर एक ट्रान्जिट पास की व्यवस्था अब कर दी गयी है जिसका यह संशोधन है । जो पहले संशोधन किये गये थे और बाद में समाप्त कर दिये गये थे उसकी व्यावहारिकता को देखते हुये फिर से वह लागू किया गया ।

तीसरी चीज यह है, पहले था कि कोई आदमी कुछ सामान लिये जा रहा है और टैक्स की चोरी कर रहा है और चौकी से भाग निकला और ट्रक पकड़ा गया तो वह ट्रक वाला उसकी गिरफ्त में नहीं आता था । सारे लोग मिलकर जो यह काम करते थे उनके ऊपर पकड़ नहीं थी, अब यह हो गया है कि कोई ट्रक लिये जा रहा है तो वही ट्रक का स्वामी समझा जायेगा । इसलिए आप देखें कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका अननुमोदन किया जाये । इसलिए व्यावहारिक कठिनाइयां जो समय-समय पर आती हैं उनको देखते हुये पहले आर्डिनेन्स जारी किया जाता है और जब शेशन चलता है तो विधेयक उसमें लाया जाता है, इसलिए इसको पास करें । जो पहले कानून बना था अदालत उसके हिसाब से निर्णय करती है और जब सरकार और जनता महसूस करती है कि उस कानून से कठिनाई है तो नया कानून बनाया जाता है या कानून में संशोधन होते हैं संविधान में संशोधन होते हैं और हुए हैं, इसलिए विश्व में जो चीजें हैं वह परिवर्तनशील है, कोई चीज रुकी नहीं है और रुकने का नाम मौत है । इसलिए हर चीज में संशोधन और परिवर्तन होते रहे हैं, जैसे-जैसे परिस्थितियां आयेंगी उसके अनुसार संशोधन लाये जायेंगे और परिवर्तन होंगे । इस प्रकार यह छोटा सा संशोधन है ।

मैं समझता हूं कि श्री रामगोविन्द चौधरी जी इसको समझेंगे और जो उनका कहना है कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाये तो मैं उनकी बात से सहमत हूं । यदि वह सही चीज कहेंगे तो मैं मानने के लिये तैयार हूं और जहां यह चीजें हैं वहां हमको उनसे निपटना है और निपटने के लिये ही यह बनाया जा रहा है । इसलिए अनुरोध है कि भ्रष्टाचार को समाप्त या कम करने के लिये कोई चीज हम कर रहे हैं तो मुझे आशा है कि उसमें माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मंत्री जी ने यह कहा कि जो ट्रक वाले सामान ले जाते थे भाड़े पर उस भाड़े के सामान को उस ट्रक वाले की सम्पत्ति मान ली जाये, तो इससे जितना ट्रान्सपोर्ट का काम है वह किराये पर होता है, इसलिए इस संशोधन से मंत्री जी के मुंह से मालूम हुआ है कि जो सामान भाड़े पर लाया जाय वह सामान ट्रक वाले की सम्पत्ति मानी जाये, तब तो यह ट्रान्सपोर्ट का बिजनेस समाप्त हो जायेगा। परन्तु मान्यवर, आप देखें कि इसमें बिल्टी बनती है, लेने और देने वाले दोनों व्यापारियों का नाम लिखा जाता है जिसका मंत्री जी ने विचार नहीं किया।

जो अधिकारी संशोधन लाना चाहते हैं उसे लिखकर मंत्री जी को दे दिया और उसके बाद मंत्री जी को पढ़ने और विचार करने की जरूरत नहीं है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, काम करने की अक्ल नहीं है, यह अफसरशाही के चंगुल में फंसे हैं। इसलिए मंत्री जी से कहूंगा कि जो सामान भाड़े पर ट्रक से आता है जिसकी बिल्टी बनायी जाती है जिसमें लेने और देनेवालों का नाम होता है, वह ट्रक वाले की सम्पत्ति कैसे मानी जायेगी, इसका स्पष्टीकरण मंत्री जी दे दें।

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, बुद्धि का जहां तक सवाल है, वह तो तर्क के हिसाब से देखी जाती है, मुझे माननीय सदस्य ने उसके बारे में जो कहा, कुछ नहीं कहना है। माननीय विधायक, रामपुर, ने जो शंका व्यक्त की है वह मैं दूर करना चाहता हूं। जो सही काम करने वाले हैं उनको किसी प्रकार से डरने की बात नहीं है। लेकिन जहां गलत काम होता है, सही एन्ट्री नहीं की जाती है, नाम को छुपाया जाता है, वहां गलत काम करने वाले के लिये यह पकड़ होगी। उसको जिम्मेदार समझा जायेगा। जो कानून के अनुसार काम करने वाले हैं उन्हें कोई परेशानी इससे नहीं होगी।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

वह ट्रक वाले की सम्पत्ति कैसे समझ ली जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

इसके बजाये अगर यह कर दिया जाये कि उस ट्रक का माल इन्श्योर्ड हो और इन्श्योर्ड माल ही ले जाने की अनुमति हो, तो यह ज्यादा ठीक रहेगा। वरना इससे जो इसी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनका रोजगार ठप्प हो जायेगा।

श्री अम्मार रिजवी--

इन्श्योरेन्स की तो व्यवस्था इस समय भी है।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मेरी बात का स्पष्टीकरण नहीं आया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

वह जवाब उन्होंने दे दिया, आप कृपया बैठें ।

श्री राम गोविन्द--

मैंने जो शंका व्यक्त की और जो बात माननीय विधायक, रामपुर, ने कही, उसका कोई उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया । ऐसा लगता है माननीय मंत्री जी इस विधेयक को पढ़ कर आये ही नहीं हैं । क्योंकि आज तो ये बेगारी कर रहे हैं । इस विधेयक में भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों पर काबू पाने के लिये कोई कदम उठाया गया होता तो मैं मंत्री जी की बात को मान लेता । इसलिये अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं ।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी । और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अम्मार रिजवी--

फिर मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने दोस्त को समझा सकूं । अब तक जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से जो ट्रक ओनर था, उसके ऊपर ही सारी बात जाती थी, जो बिल्टी पर नाम लिखा है वही पकड़ा गया । उम्मीद है कि मैं उनको कुछ समझा सकूंगा, वह समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका रिसीविंग जाम, बिलकुल जाम हो गया है । अब जो ट्रक किराये पर ले जाएगा, उसकी भी जिम्मेदारी होगी । इसलिए अब से ट्रकों की ही सारी जिम्मेदारी न होकर, जो ट्रक किराये पर ले जा रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी होगी । इस तरह से जिम्मेदारी बंट गयी है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 से 6 तक, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों को विधिमान्य करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा सिवाय धारा 3, 4 और 5 के जो 16 मार्च, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, सन् 1948 की धारा 28-क का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 28-क में,--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और दिनांक 27 सितम्बर, 1979 से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :--

"(1) कोई व्यक्ति (जिसे आगे इस धारा में आयातकर्ता कहा गया है), जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर, व्यापार के सम्बन्ध में, ऐसे परिमाण या माप में या मूल्य के इस अधिनियम के अधीन कर देय किसी माल को जो--

(क) (एक) खाद्यान्न, अनाज, दालों, सोयाबीन और उनके समस्त उत्पादों, और सभी कच्चे माल, जिसके अन्तर्गत लीसा, बिरोजा और किसी प्रकार का तेल निकालने के लिये प्रयुक्त तिलहन भी है, की दशा में, बीस किलोग्राम से अधिक हो, और

(दो) अन्य माल की दशा में पचास रुपये से अधिक का हो, या

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो;

लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक हो, कर निर्धारक अधिकारी से, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर हो, जहां उस व्यक्ति के व्यापार का मुख्य स्थान स्थित है या यदि ऐसा कोई स्थान नहीं है तो जहां पर साधारणतया वह निवास करता है, निर्धारित शुल्क का भुगतान करके घोषणा का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करेगा :

[श्री अधिष्ठात --]

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयातकर्ता व्यापार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजनों के लिये ऐसे माल को लाना, आयात करना या अन्यथा प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है ।"

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और दिनांक 27 सितम्बर, 1979 से बढ़ाई गयी समझी जायेगी, अर्थात्—

"(4-क) यदि कोई व्यक्ति व्यापार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माल को राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक है और प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करता है तो उपधारा (2), (3) और (4) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानों उसमें प्रयुक्त शब्द 'घोषणा-पत्र' के स्थान पर शब्द 'प्रमाण-पत्र" रखा गया हो ।"

धारा 28-ख का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 28-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

राज्य से होकर सड़क से माल का प्रेषण और पारगमन-पत्र का जारी किया जाना

"28-ख—जब राज्य के बाहर किसी स्थान से आने वाली और राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने वाली और धारा 28-क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाली कोई गाड़ी राज्य से होकर गुजरे, तब ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति राज्य में अपने प्रवेश करने के पश्चात् पहली जांच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी से पारगमन-पत्र निर्धारित रीति से प्राप्त करेगा और राज्य से अपने बहिर्गमन के पूर्व अन्तिम जांच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी को वही पारगमन-पत्र सौंप देगा और ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायगी कि उसके द्वारा ले जाया जाने वाला माल गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बेच दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी गाड़ी से लाये गये माल का राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् किसी अन्य गाड़ी या वाहन से राज्य के बाहर परिवहन कर दिया जाय, तब यह सिद्ध करने का भार कि माल वास्तव में राज्य के बाहर चला गया है, गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति पर होगा ।

स्पष्टीकरण—ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति के स्वामित्व की कोई गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल के परिवहन के लिये भाड़े पर ली जाये, वहां गाड़ी के भाड़ेदार को इस धारा के प्रयोजनों के लिये गाड़ी का स्वामी समझा जायगा ।"

4--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 द्वारा यथा-प्रतिस्थापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, 1948 के अध्याय 14 में, धारा 28-क के अभिदेश को मूल अधिनियम की धारा 28-क का, जैसा कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित और इस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, इस उपान्तर के साथ अभिदेश समझा जायगा कि नियम 83 के उप नियम (4) (क), नियम 85 के उप नियम (1), नियम 86 के उप नियम (1) और नियम 87-क के उप नियम (1) में आये हुए शब्द "के अधीन विज्ञापित" के पश्चात् शब्द "या उसमें निर्दिष्ट" को बढ़ाया गया समझा जायगा और नियम 83 के उप नियम (4) (क) में आये हुए शब्द "विज्ञप्ति में" के स्थान पर शब्द "उसमें" रखा गया समझा जायगा। नियमों का संशोधन

5--किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 28-क के अधीन अधिकारों के प्रयोग या तत्पर्यित प्रयोग में कृत कोई कार्य या कार्यवाही जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप है, विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायगी और सदैव से विधिमान्य और विधि पूर्ण समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे। वैधीकरण

6--(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या नियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य संख्या 19, या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सन् 1983 सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 6 तक, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक, 1983†

श्री राम गोविन्द—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, जो इस समय यह विधेयक ला रहे हैं, पहले इसमें इन्होंने यह व्यवस्था की थी कि अंग्रेजी शराब की प्रदेश के अन्दर जितनी खपत थी, उस पर उन्होंने आबकारी शुल्क अधिक रख दिया और जो प्रदेश के बाहर निर्यात करने वाली शराब थी उस पर आबकारी शुल्क कम रखा था । इस पर अब मंत्री जी का कहना यह है कि इससे तस्करी की बहुत सम्भावना बढ़ गयी है और बहुत बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही है, और उसी को रोकने के लिए इस विधेयक को इन्होंने पेश किया है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को और आपको भी याद होगा कि मंत्री जी ने कुछ दिन पहले अखबार में एक बयान दिया था और वह बयान कुछ मायनों में सच भी था कि जब तक पड़ोसी राज्यों में और अपने राज्य में शराब के मूल्य बराबर नहीं होंगे, तब तक तस्करी रुक नहीं सकती है । आगे उन्होंने अपने बयान में कहा था कि इसी सन्दर्भ में हम पड़ोसी राज्यों के बराबर अपने राज्य में भी रेट करने जा रहे हैं ।

लेकिन यह मात्र एक धमकी थी इन्होंने किया कुछ नहीं और निर्यात करने वाली शराब पर आबकारी शुल्क बढ़ा दिया । इससे मालूम होता है कि मंत्री जी या इनके विभाग की डिस्टलरी वालों से कोई सौदा पट गया होगा । नहीं तो मंत्रि परिषद के एक सदस्य का जो अखबारों में बयान आया था उसको पूरा न करके यह जो आबकारी शुल्क बढ़ा दिया गया है । इसका कोई औचित्य नहीं है ।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने बड़े जोर शोर से अखबारों में बयान छपवाया जिसका हमारे जैसे बहुत से माननीय सदस्यों ने स्वागत किया । उन्होंने बहुत बड़ा भंडा फोड़ किया कि हमने बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शराब को पकड़ा है । लेकिन इससे लाभ क्या हुआ मैं आपसे यह जानना चाहता हूं । जो अनधिकृत शराब पकड़ी गई तो क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई । जहां तक मुझको मालूम है, मैं आबकारी मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की शराब पकड़ी गई उनके ही परिवार के दूसरे लोगों ने या रिश्तेदारों ने पुनः अपने नाम से ठेकों के लाइसेन्स ले लिया । इसमें मंत्री जी को कितना प्राप्त हुआ या इनके विभाग को कितना प्राप्त हुआ, यह मंत्री जी और उनका विभाग समझें । लेकिन इससे प्रदेश के लोगों का क्या लाभ हुआ और प्रदेश के कोष को क्या लाभ हुआ ?

---

†दिनांक 8 सितम्बर, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

मान्यवर, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर यह तस्करी को रोकना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इनको दूसरे राज्यों के बराबर मूल्य करना चाहिए था। इनके विभाग में कितना भ्रष्टाचार है उसको तो यह रोक नहीं पाते हैं। एक-एक इक्साइज इंस्पेक्टर इस प्रदेश में भूतपूर्व नरेश बना हुआ है। शराब के ठेकेदार, शराब बनाने वाली फैक्टरियों के मालिक पूंजीपति बन गए हैं। कैसे, गलत शराब बेचकर और शराब में गलत मिश्रण करके। माननीय मंत्री जी तस्करी को रोक कर प्रदेश को खुशहाल करना चाहते हैं लेकिन आबकारी शुल्क बढ़ाकर प्रदेश के लोगों को तबाह भी करना चाहते हैं।

तो मैं कहना चाहता हूं कि आप इस विधेयक को वापस ले लें और इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय मंत्री जी इसको वापस ले लें। इसको जनता में प्रचारित करवायें, इस पर आख्यां मंगवायें और एक्सपर्ट कमेटी बनायें और उनसे राय लेकर कि कैसे तस्करी रोकेंगे, जो घोटाले होते हैं कैसे उनको रोकेंगे, जो आपके इक्साइज इंसपेक्टर और सुपरिन्टेन्डेन्ट वगैरह माल लेकर बैठे हुए हैं इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा इन तमाम बातों पर विस्तार से जानकारी इकट्ठा करें। तब आप इसको एक विधेयक की शक्ल में लायें तब हम इस पर विचार करेंगे। अभी तो आपके विभाग में जो हालत है उसका भगवान ही मालिक है। इस पर कैसे काबू पायेंगे? इसके साथ ही मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

आबकारी एवं मद्यनिषेध मंत्री (श्री विद्या भूषण)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

मान्यवर यह आबकारी अधिनियम की धारा 28 में संशोधन इसलिए किया गया है कि आबकारी निर्यात शुल्क की सीमा 2 रुपये थी उसको बढ़ाकर 5 रुपए किया गया है। हमारे प्रदेश में बिकने वाली शराब पर 40 रुपए प्रति लीटर से 55 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी लगी थी, उसी रेशियों के हिसाब से निर्यात की जाने वाली शराब पर पहले 1.75 रुपए थी उसको बढ़ाकर 2.50 रूपए किया गया है। इसलिए यह संशोधन लाया गया है।

जैसा विधायक जी ने कहा तस्करी के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं। पिछले वर्ष पूरे प्रदेश में व्यापक छापे मारे गए और उन छापों के दौरान बहुत माल पकड़ा गया और उस माल को सरकार ने जप्त किया और उन सब के खिलाफ कार्यवाही हुई। बहुत से मामले सी0 आई0 डी0 को सुपुर्द हैं वह विवेचना कर रही है। यह कहना गलत है कि कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह बताना चाहता हूं कि लखनऊ शहर के अन्दर 30 दुकानों पर छापा मारा गया था और उनमें से 25 का लाईसेन्स निरस्त कर दिया गया।

श्री राम गोविन्द--

निरस्त करके उनके भाई, भतीजे, रिश्तेदारों के नाम दे दिया।

श्री विद्या भूषण --

उसके लिए व्यापक कार्यवाही की जा रही है। यह विधेयक जो निर्यात की जाने वाली शराब है उसमें शुल्क की बढ़ोत्तरी के लिए लाया गया है। उससे

[श्री विद्याभूषण--]

प्रदेश में शराब की बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निर्यात की जाने वाली शराब का अधिकतम शुल्क 5 रुपया कर दिया गया है और उसी प्रकार ड्यूटी बढ़ाकर 1 रुपए 75 पैसे 2 रुपए 50 पैसे किया गया है। प्रदेश में इससे 20 लाख रुपए की संसाधन में बढ़ोत्तरी होगी। अतः मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस आधार पर वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ताकि संसाधन की बढ़ोत्तरी में कमी न आये।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। स्वर्गीय महात्मा गांधी ने जो कहा था वह तो कर नहीं पाये अब शराब के ठेके आप खोल रहे हैं, शराब पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। स्वर्गीय महात्मा गांधी की आत्मा इनको धिक्कार रही है। जनता सरकार ने इस पर रोक लगाई थी.....

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

आपने तो पान की दुकान में बिकवाई थी।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

औद्योगीकरण की बात तो दूर वह शराब के ठेके खोल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस बुद्धिहीन मंत्रिमंडल को आप निर्देशित करें कि....

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें। राम गोविन्द जी आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री राम गोविन्द--

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करें।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

यह जो संशोधन विधेयक पेश हुआ है और जो चौधरी साहब ने प्रवर समिति को सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव किया है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर इन लोगों में सोच-समझ तो है नहीं जो अफसरों ने कह दिया कर देते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और जो यह बुद्धिभ्रष्ट लोग हैं, जिनमें सोचने की ताकत नहीं है और जो अधिकारियों के चंगुल में फंसे हैं और अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में रहते हैं तथा पैसा खाते हैं, इनकी कोई चीज सोचने समझने की फुरसत नहीं है। मैं इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने का समर्थन करता हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं यह चाह रहा हूं कि संशोधन तो हमारे चाहने से होगा नहीं। हम भी और उधर के लोग भी महात्मा गांधी का नाम लेकर वोट

लेना चाहते हैं। मान्यवर, मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि शराब की दो बोतलें यहां भी गांधी जी की तस्वीर के नीचे लटका दी जाएं। जिससे गांधी जी का सपना साकार हो सके।

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि 20 लाख का संशोधन बढ़ेगा जो प्रदेश की जनता के काम आएगा, अतः आप इस संशोधन को वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, मैं इस मंत्रिमंडल से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब स्पष्टीकरण नहीं हो सकता।

*श्री रामस्वरूप निम—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन् यह जो प्रस्ताव है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह सरकार शराबी सरकार हो गई है। उसकी दुकानें बराबर खोलने के लिए, कोई न कोई संशोधन या विधेयक इसी तरह के प्रपंच रचता रही है। मान्यवर, सहारनपुर के बारे में दावे के साथ कह सकता हूं जिस आदमी को ठेका दिया जाता है उससे हर इलेक्शन में लाखों रुपया यह लेते हैं और वह ठेकेदार अलग-अलग नाम बदलकर ठेके पर दुकाने लेते हैं। लोग उसके नौकर के रूप में दुकानों पर बैठते हैं, इस तरह से यह ब्लैक मार्केट की दुकाने खुलवाते हैं, जो उनसे टैक्स का पैसा वसूल होना चाहिए वह नहीं हो रहा है।

लगभग 19 लाख रुपया आपके एक्साइज को दिया गया है और किसान के ऊपर अगर दो पैसे की भी वसूली बाकी है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। और ठेकेदारों को जेल भेजने के बजाए लाइसेन्स दे दिया जाता है। मान्यवर, इस तरह से शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है इससे मान्यवर, समाज के अन्दर इनकी कितनी तीव्र आलोचना हो रही है, कितने घर बेघर हो रहे हैं। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि शराब बन्दी देश के अन्दर होनी चाहिये। यह एक सामाजिक बुराई है इसको खत्म किया जाना चाहिये।

मान्यवर, इस सरकार को जरा भी हया, शर्म नहीं है, कितनी लज्जा की बात है कि इस बुराई को समाज में रखने के लिए यह शराब के ऊपर यह संशोधन ला रहे हैं। इसमें सरकार की आमदनी का सवाल है अगर वह इस संशोधन से और शराब बन्दी से दोनों का कम्पेरिजन करके देखें तो ज्यादा बेहतर हो, मान्यवर, बहुत से परिवारों को इससे हानि होती है बहुत से घर बेघर हो जाते हैं लेकिन उसके मुकाबले में इस सरकार की आमदनी होती है। शराब की वजह से न जाने कितने घर बरबाद हो चुके हैं। मान्यवर, शराब पीकर जन्माष्टमी के दिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम स्वरूप निम--]

एक सिपाही ने दो बच्चों को बेरहमी से गोली से भून दिया और यह सरकार उसी जन्माष्टमी के चार पांच दिन के बाद यह बिल ला रही है। इस तरह से समाज के अन्दर अवांछनीय तत्व भरते चले जा रहे हैं। समाज का नैतिक पतन होता चला जा रहा है। देश का ह्रास हो रहा है। नैतिक पतन हो रहा है। इस तरह से भाई-भाई के अन्दर शराब की वजह से बैर भाव भरता चला जा रहा है। एक दूसरे का दुश्मन बनता चला जा रहा है।

रोज पेपर में आता है कि शराब पीने से इतने लोग मर गये। सरकार मिलावट (एडल्ट्रेशन) नहीं रोक सकती। यह जो एक्साइज की बात कर रहे हैं। मान्यवर, हरियाणा और दिल्ली में, जहां यहां से आधे पैसे में शराब मिलती है। तो वहां इतने रेट पर शराब मिलती है तो एक्साइज का आपका नुकसान होता है। स्मगलिंग पर ही रोक लगा दें, पैसा बढ़ जायगा। लेकिन मान्यवर, ये यह नहीं कर सकते क्योंकि जिन लोगों को स्मगलिंग का ठेका दे रखा है, जिनसे चुनाव में पैसा लेते हैं उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिये ये ऐसा नहीं कर सकेंगे। अगर ये एक्साइज नहीं घटा पायगे तो हरियाणा और दिल्ली में घाटा क्यों नहीं हो रहा है। मान्यवर, दिल्ली में एडल्ट्रेशन दूर करने के लिये सरकार की अपनी दुकानें हैं। शराब बिकवाने के लिये टाइम निर्धारित कर दिया है उसके अन्दर बेच सकते हैं। वहां एडल्ट्रेशन नहीं होता क्योंकि निजी मुनाफा नहीं होता है। इसलिये न तो एक्साइज चोरी कर सकता है न एडल्ट्रेशन कर सकता है।

मैं मांग करूंगा कि परम पिता बापू "गांधी जी" के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए शराबखोरी बन्द करें। अगर आप शराब-खोरी रखते हैं, एलेक्शन के लिये पैसा लेना है, तो मान्यवर मैं चाहूंगा कि इस धन्धे को भी दूसरे स्टेट्स में जैसे रेट्स हैं, जिन पर शराब मिलती है उन रेट्स को चलायें जिससे इस प्रदेश में जो एक्साइज की चोरी और स्मगलिंग होती है, बाहर से कम पैसे की शराब लेकर के ज्यादा में यहां बेचते हैं, उससे इस प्रदेश को नुकसान हो रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिये, कोई कारगर उपाय करने के लिये विधेयक लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, मैं इस विधेयक पर जिन लोगों ने चर्चा में भाग लिया उनका आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं, जिन आशंकाओं को पहले मैंने व्यक्त किया था, किसी का स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया तथा इनके गलत नीतियों के कारण एवं इनके इस कारखाने से लगभग एक करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के कोष को हानि हुई है, इन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया।

(व्यवधान)

हो सकता है कि कुछ कर आए हों, लेकिन मैंने नहीं देखा। वैसे आबकारी मंत्री हैं, कुछ ले लें तो कोई दोष नहीं है। तो मान्यवर मैं कह रहा था कि तस्करी इससे रुकेगी नहीं। स्थिति यह है कि जो बाहर निर्यात की जाने वाली शराब होती है बाहर निर्यात के नाम पर उसे यहीं पर बेच दिया जाता है, इसलिये आपने उसके दाम बढ़ा दिये। और यह कहा कि इससे तस्करी रुक जायेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे आप एक बोतल का दाम यहां 10 रु० कर दें और उसी बोतल का दाम

हरियणा में अगर 20 रु0 है तो यहां की बोतल हरियाणा जायेगी और तस्करी होगी। उन बोतलों को बाहर बेचकर उनसे तस्करी की जायेगी। जिसका नतीजा आज यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को 1 करोड़ से भी ज्यादा घाटा इसमें हुआ है।

मान्यवर, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जहां-जहां आपने छापे मारे और जहां आपको मालूम पड़ा कि यहां तस्करी का काम होता है वहां आपने उन लोगों के लाइसेन्स निरस्त कर दिये, यह आपने एक अच्छा काम किया है। लेकिन जिन लोगों के लाइसेन्स आपने निरस्त किये हैं, उन्हीं लोगों के परिवार वालों को या उनके रिश्तेदारों को आपने पुनः लाइसेन्स दे दिये हैं। ठेके उन्हीं के पास हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग में जो इस प्रकार की अनियमिततायें हैं, उन्हें सुधार करने के लिए आप मंत्रिमंडल में विचार करवायें। इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट्स लोगों की राय लें तथा साथ ही साथ जनता से भी इस संबंध में राय ली जाय। तब आप इस विधेयक को एक सुन्दर रूप में यहां प्रस्तुत करें।

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, सा कि मैंने पहले भी बताया और जैसा हमारे माननीय सदस्य जी ने कहा कि इस प्रदेश को इससे 1 करोड़ रुपये का लास हुआ है। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि जो माल उत्तर प्रदेश से निर्यात होता था, उसके लिये अब उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कोर्ट पद्धति लागू कर दी है। जो भी ट्रक उत्तर प्रदेश से किसी अन्य प्रदेश में जायेगा तो उसमें हमारा एक स्कोर्ट जायगा, इसलिए तस्करी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मान्यवर, एक बात मैं और बता दूं कि इससे हमारा ढाई सौ से तीन सौ परसेन्ट तक सेल बढ़ गया है। तस्करी को रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जहां भी सरकार के संज्ञान में आया कि फलां जगह तस्करी हो रही है तो वहां छापा मारा गया और यह देखा गया कि वे लोग तस्करी किस प्रकार करते हैं। इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने निर्यात शुल्क में वृद्धि करने के लिए, इस विधेयक को प्रस्तुत किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें, क्योंकि इस विधेयक से इस प्रदेश के संसाधनों में वृद्धि होगी।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, मैं अपने दोनों संशोधनों पर बल देता हूं। जो मैंने कहा है यदि माननीय मंत्री जी उन पर अमल करें तो मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए तैयार हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

[श्री अधिष्ठाता--]

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2, 3 खंड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा ।

(2) यह 9 मई, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910 की धारा 28 का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 28 में, उपधारा (3) में, खंड (बी) में, मद 1 और 2 के सामने तालिका में आये हुये अंक और शब्द "2 रुपये प्रति लीटर अल्कोहल" के स्थान पर अंक और शब्द "5 रुपये प्रति लीटर अल्कोहल" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 1983 संख्या 27, सन् 1983

3--(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता—··

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं इसका विरोध करता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने नाम को सार्थक करने के लिये यह विधेयक रखा है । विद्या भूषण उनका नाम है, वे विद्या के ऐसे आभूषण हैं, जो गलत बात को सच मनवाने के लिये सदन को भ्रमित कर सकते हैं । मान्यवर इसमें तर्क दिया गया है कि इससे तस्करी में रुकावट आयेगी, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे तस्करी बढ़ेगी । चूंकि जो विदेशी शराब हमारे यहां आती है, उस पर 40 रुपये के बजाय 55 रुपये प्रति लीटर शुल्क कर दिया गया है । जो शराब हमारे यहां से बाहर जाती है, उस पर शुल्क कम है, उस पर शुल्क नहीं बढ़ाया, इसलिये उसकी तस्करी हो रही है । मान्यवर, मैंने इस पर हर तरीके से सोचा । मैं इनके नाम की दाद देता हूं, लेकिन मैं रोआब में नहीं आया । जब मार्जिन आफ प्राफिट ज्यादा देंगे, तब तस्करी होती है । इस वक्त मार्जिन आफ प्राफिट कम है, इसलिए इस वक्त तस्करी कैसे हो सकती है । शुल्क अधिक बढ़ाने से मार्जिन आफ प्राफिट अधिक हो जायेगा, तो तस्करी अधिक होगी और यह यहां उल्टा तर्क दिया जा रहा है । दो रुपये की जगह पांच रुपये देने जा रहे हैं तो जब शुल्क अधिक बढ़ जायेगा तो प्राफिट आफ मार्जिन बढ़ जायेगा । मान्यवर, यह मोटे तौर पर सदन को गुमराह करना चाहते हैं यह बिल्कुल गलत है । जो मदिरा हम भेजते हैं, अगर वह कम शुल्क पर रहेगी, तो उसका ज्यादा निर्यात कर सकेंगे, ज्यादा बनाकर भेज सकेंगे, उससे हमारे यहां के लोगों को ज्यादा फायदा होगा और तस्करी व्यापार रुकेगा । शुल्क आप बढ़ा रहे हैं इसलिये मैं मान्यवर, इसका विरोध कर रहा हूं ।

दूसरी बात यह कही गयी कि मद्य निषेध हम कर रहे हैं, तो मद्य निषेध से इसका क्या ताल्लुक है ? पीने वाले पीते ही हैं । अगर आप मानसिक तौर पर लोगों को तैयार कर दें कि मदिरा पीना बुरा है, तो स्थिति यह आ सकती है कि वे शराब न पियें । एक जमाना था, जब इसको दोष समझते थे, तो झोली में या जेब में डालकर अपनी बोतल लोग लाते थे । लेकिन, आज बड़ी-बड़ी जगहों सिनेमाओं में सब जगह शराब पीना एक शौक की चीज समझी गयी है और बड़े आदमी इसका अनुगमन करते हैं । अनेकों मंत्री यहां के शराब पीते हैं । मेरा कहना यही है कि जो माननीय मंत्री गण शराब पीते हैं, पहले वे लोग शराब पीना बंद करें और पीना बंद करके आदर्श प्रस्तुत करें ।

यथा ही कुरते राजा
प्रजास्तदनुते वरतये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

राजा जैसे काम करते हैं, प्रजा उसका अनुसरण करती है । जब आप लोग नहीं पियेंगे, तो कैसे दूसरे लोग पीयेंगे । मद्य निषेध को लागू करने के लिये आप दाम बढ़ा दें, उससे यह संभव नहीं है । इससे तो तस्करी व्यापार को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा । मान्यवर, विद्या नाम के आभूषण से यह सदन को गुमराह करना चाहते हैं और जल्दी में इस बिल को पास कराना चाहते हैं । मद्य निषेध के पक्ष में मान्यवर, जो बात रखी गयी है, वह बिलकुल संभव नहीं । यह जरूर हो सकता है कि बीच में जो तस्कर व्यापारी हैं उनकी और मंत्री जी की और साठ-गांठ हो जायेगी और यह ज्यादा से ज्यादा पैसा उनसे ले सकेंगे । मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा कि आप इनके बिल को पास न करा के, वरन्, इनसे इसे वापस लेने को कहें । मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं ।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मैं भी इसका विरोध करता हूं ।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो यह विधेयक पेश किया है, उसके पक्ष में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं । अभी हमारे माननीय वर्मा जी, भूतपूर्व वित्त मंत्री जी, बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको इस बिल से बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है । एक तरफ तो जब बात होती है तो महात्मा गांधी को इंगित करते हैं और दूसरी तरफ से समाज में जब ऐसी व्यवस्था प्रस्तुत की जाती है कि समाज को सुधार की दिशा में ले चला जाय तो उस समय जो वक्तव्य होते हैं निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जन मानस पर कुठाराघात की कोशिश कर रहे हैं । विगत वर्षों में जब इनकी हुकूमत थी तो शराब की दुकानों पर तो शराब मिलती ही थी, लेकिन पान की दुकानों पर भी शराब की बोतल पीछे की तरफ से पीकर लोग चल देते थे । यह कहते थे कि शराबबन्दी कर दी है । हम लोग जब कभी-कभी दारुलशफा से आते थे तो देखते थे कि 95 प्रतिशत मन्त्री यहाँ से लेकर दारुशफा तक····

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य 'दारूशफा' मत कहिए, 'दारुलशफा' कहिए ।

(हंसी)

डा0 बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, 'दारू' के विषय में हम लोग कम ही जानते हैं ।

यह कहना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी ने जो बिल पेश किया है, मैं तो यह चाहूंगा कि इन्होंने अभी कम कर लगाया है, इसको इतना ज्यादा कर दें कि शराब पीने वालों की संख्या कम हो जाय और तस्कर और व्यापारी भयभीत हों ।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का मन्त्रिमण्डल बुद्धिहीन है ।

श्री राम औतार दीक्षित--

यह तो आपकी लम्बाई खुद बता रही है ।

(हंसी)

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

इन्होंने केन्द्रीय सरकार से सन् 1982 में 6 अरब 60 करोड़ रु0 की औद्योगिक और वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त की, महाराष्ट्र को 1800 करोड़ रु0 की सहायता प्राप्त हो गयी जब कि वह उत्तर प्रदेश का 1/4 भाग है, बंगाल को 6 अरब 40 करोड़ रु0 की सहायता प्राप्त हो गयी, जब कि वह उत्तर प्रदेश का 1/5 भाग है । यह मन्त्रिमण्डल तो शराब के नशे में चूर पड़ा हुआ है । इसको नियोजन से क्या मतलब । मन्त्रिमण्डल के साथ-साथ अफसर भी मद में मस्त हैं । ये केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिये प्लानिंग नहीं बना सके । यह इनकी बुद्धि भ्रष्ट होने का प्रूफ है । 20 लाख रु0 टैक्स लगा रहे हैं, जब कि 1200 करोड़ रु0 महाराष्ट्र हमसे अधिक ले गया । उस पर विचार करने की फुरसत नहीं है क्योंकि ये नशे में चूर हैं ।

अपनी प्लानिंग यह सही करें और अपने अफसरों को भी कहें कि वे भी अपनी प्लानिंग सही करें, ताकि केन्द्र सरकार से जो सहायता 1200 करोड़ रु0 हमको महाराष्ट्र से कम मिली है, वह अधिक मिल सके । मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं, हमें 20 लाख रु0 को आय शराब के स्रोत से नहीं चाहिये । महात्मा गांधी की आत्मा आज इन्हें धिक्कार रही है । उन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग, शिक्षा, सड़कें और पुल होने चाहिये, लेकिन ऐसी सरकार पर लानत है कि पूरे प्रदेश में 28 प्रतिशत शिक्षा है, 28 प्रतिशत सिंचाई है । ये शराबखोरी को बढ़ावा देना चाहते हैं । ये शराब के नशे में चूर मन्त्रिमण्डल 20 लाख रु0 के लिये कर लगा रहा है लेकिन 1200 करोड़ रु0 के लिये प्लानिंग नहीं बना सकता । इसी सिलसिले में यह भी बता दूं कि 31 मार्च, 1983 तक गुजरात को 98 करोड़ रु0, महाराष्ट्र को 121 करोड़ रु0 और उत्तर प्रदेश को केवल 20 करोड़ मिला है । यह इनकी बुद्धिहीनता का परिचायक है । इसी के साथ ही, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि मैं तो पूरे तरीके से शराबबन्दी का पक्षधर हूं और हामी हूं ।

शराब की लत बहुत बढ़ती जा रही है, जो कि समाज के लिये दुर्भाग्यपूर्ण है । शराब से शान्ति और व्यवस्था को भी खतरा पैदा हो गया है । कितने माता-पिता मुझ से मिलते हैं, जिनका अपने लड़कों पर से कन्ट्रोल जाता रहा । शराब और गैम्बलिंग दोनों समाज के लिए अभिशाप हैं । एक समय था जब शराबबन्दी हो गई थी, अगर यह 10-15 साल और कायम रहती तो नौजवान शराब की तरफ नहीं देखते और बहुत बड़ी संख्या में बुराई से दूर हो जाते ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[लाल प्रताप सिंह—]

बाजार में और शहर में ला लेसनेस शराब और गैम्बलिंग की वजह से है। कांस्टीट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स में भी है कि इन सब चीजों की बुराई को दूर किया जायगा। मैं नहीं कहता कि ज्यादा कर लगाने से ठीक हो जायगा, मैं समझता हूं कि शराब पीने वालों के घर और खराब हो जायेंगे। धीरे-धीरे ऐसा शराबबन्दी का हिसाब किया जाना चाहिये कि सारे प्रान्त में पूरे तरीके से शराबबन्दी हो जानी चाहिये। शराब कितनी खराब है, इस पर जितना कहा जाय कम है। कितने पैरेन्ट्स गार्जियन्स परेशान हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपके बिल का समर्थन करता हूं, क्वालीफाइड मेरा समर्थन है कि सरकार कदम उठायगी मुकम्मल शराबबन्दी के लिए। यही हमारा लक्ष्य है, यही दिशा है। इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री भीखा लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने कुछ बातें कहीं और अच्छी कहीं। वह हमेशा अच्छी बातें कहते हैं और मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं। उन्हीं के विचारों का मैं भी हूं कि प्रदेश में पूरी शराबबन्दी होनी चाहिये। अपनी सरकार को समझाइये, मन्त्री जी को समझाइये कि जब यहां एक बार शराबबन्दी हो गई, आपने फिर खोल दिया, तर्क दिया कि शराबबन्दी से गांव-गांव में, घर-घर में शराब बनने लगी। इससे अच्छा है कि शराब खोल दी गयी। कुछ दिनों में तर्क देंगे कि जुआ खेलना बन्द नहीं कर पा रहे हैं, इसलिये जुये को कानूनी बना दिया जाय, वेश्यावृत्ति रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसको जायज कर दिया जाय, भीख मांगना रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसको भी जायज कर दिया जाय। ये कोई तर्क नहीं हैं। यह हमारे समाज में दोष पैदा कर रहे हैं, इससे तमाम परिवार बरबाद हो रहे हैं, टैक्स बढ़ाकर और हालत खराब की जा रही है। गलत तर्क देकर शराब को चालू करना न्यायसंगत नहीं है। धीरे-धीरे इसकी बन्दी की तरफ बढ़ें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी इस विधेयक का विरोध करता हूं।

(2 बज कर 10 मिनट)

*श्री जिया राम शुक्ल "विकल साकेती"—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने इस विधेयक पर मुझे दो मिनट बोलने का अवसर दिया। विपक्ष के माननीय विधायकों की तरफ से जो विचार-विमर्श प्रस्तुत हो रहे थे, उनको हमने बड़े ध्यान से सुना। माननीय वर्मा जी ने शराब के विरोध में काफी बातें कहीं। मान्यवर, शराब कोई नई चीज नहीं है, पुराणों में जिन 14 रत्नों का वर्णन किया गया है, उनमें से एक रत्न है, जिसको एक दम से मिटाया नहीं जा सकता है। इसका प्रभाव अच्छे पर अच्छा होता है और बुरे पर बुरा होता है। उर्दू में 75 प्रतिशत शेर-शायरी इसी पर है और इसी के माध्यम से साहित्य, दर्शन, समाज-शास्त्र आदि की सारी बातों को थोड़े शब्दों में ही प्रकट कर दिया जाता है, इसी में किसी ने कहा है कि :—

हमसे क्या दरिया अगर लबरेज मयखाने में है,
हम तो उतनी जानते हैं जितनी पयमाने में है।

ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी पर किसी दूसरे शायर ने कहा कि--

दोनों रहते एक, न जब तक मन्दिर-मस्जिद में जाते,

लड़वाते हैं मन्दिर-मस्जिद, मेल कराती मधुशाला ।

बहरहाल अगर यह कहा जाय कि शराब के नशे से दुरुपयोग होता है, तो नशा और भी बहुत सी चीजों में है, जिससे समाज को नुकसान उठाना पड़ता है, उसमें एक धर्म का नशा भी है, इस नशा में सैकड़ों आदमियों का कत्ले आम हो जाता है, जितने इस नशे से समाज को नुकसान हुआ है शायद उतना नुकसान शराब से नहीं हुआ है दूसरे दवाओं में भी 50, 60 और 70 फीसदी तक शराब होती है और समाज में आज जितनी भी तरक्की की चीजें दिखाई पड़ती हैं, यह उन्ही लोगों की देना है जो नित्य शराब पीते हैं, चाहे वह रूस के लोग हों या अमेरिका के, यह उन्ही के द्वारा सारे तरक्की के रास्ते दिखाये गये हैं राकेट और चन्द्रमा पर पहुंचे हैं, यह वही लोग हैं जो रोज शराब पीते हैं इतना जरूर है कि कोई शराब पीकर निरंकार को और कोई सरकार को देखता है, किसी ने इस पर कहा है कि--

जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर,

या वह जगह बता, जहां पर खुदा न हो।

साथ ही यह भी कहूंगा कि जो लोग शराब पीकर घरों और सड़कों पर शोर-शराबा और व्यवधान उत्पन्न करते हैं, उनके प्रति कार्यवाही होनी चाहिये, शराब जो ब्लैक में बिकती है, वह नहीं बिकनी चाहिये । लेकिन समाज में अच्छे लोग वही हैं जो शराब के होते हुये भी शराब को न पियें, तो उनकी इज्जत होनी चाहिये, लेकिन इस पर एक दम से रोक लगाना अच्छा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है । इन्हीं शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री विद्या भूषण--

मान्यवर, मैं साफतौर पर माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि इस सरकार की नीति शराब के बिकवाने की नहीं है, बल्कि मद्य-निषेध की है । किसी भी चीज को फोर्सफुली या जबर्दस्ती नहीं रोका जा सकता है सिर्फ प्रचार द्वारा शिक्षित करके ही ऐसा किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से मंडली घूमती है जो लोगों को शिक्षित करती है कि शराब न पियो । लेकिन आज आपके प्रदेश में अभी मैंने बताया था कि जितना शीरा से अल्कोहल उत्पन्न होता है उसकी केवल 7 प्रतिशत की ही शराब बनाई जाती है । अभी हमारे साथी और माननीय विधायकगण इस बात को नहीं समझे हैं कि यह जो विधेयक है इससे आपके प्रदेश का अन्दरूनी कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है ।

आपके प्रदेश के भीतर उपयोग की जाने वाली विदेशी मदिरा पर आबकारी कर की दर 40 रु0 प्रति लीटर अल्कोहल से बढ़ा कर 55 रु0 प्रति लीटर कर दी गई थी किन्तु प्रदेश के बाहर निर्यात होने वाली विदेशी मदिरा पर देय निर्यात कर में वृद्धि नहीं की गयी । जो आपके प्रदेश से निर्यात की

[श्री विद्या भूषण--]

जाने वाली शराब है उसे 1.75 से बढ़ाकर 2.50 किया गया है। इससे आपके प्रदेश के रेट में कोई असर नहीं होगा और न कोई चार्ज देना पड़ेगा। बाहरी प्रदेशों के लिये यह प्राविधान किया गया है। आबकारी अधिनियम की धारा 28 में यह संशोधन किया गया है और 2 रु0 प्रति लीटर अल्कोहल के स्थान पर 5 रु0 प्रति लीटर अल्कोहल कर दिया गया है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को पारित करें क्योंकि इसमें आपके प्रदेश में 20 लाख रुपये के संसाधन बढ़ेंगे।

श्री राम गोविन्द--

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वे शराब बन्दी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो वे माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से शिक्षा ग्रहण करें कि वे एक दिन केसारी प्रतिबन्ध लगाने हेतु विधेयक लाए और उन्होंने कहा कि जब तक उसकी खेती पर प्रतिबन्ध न लगे तक तब रोका नहीं जा सकता तो क्यों न यह भी शराब बन्दी एक दम कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है।

श्रीमन्, यह अध्यादेश इस सदन में पांचवीं बार लाया गया है। आपको याद होगा कि सन 1964 में जब मंडी समिति का गठन हुआ था, तब से लेकर आज तक मंडी समिति के चुनाव नहीं हो पाये। अभी पिछले वर्ष जब सदन सत्र में था उस समय भी मंत्री जी इसको ले आये थे और तब उन्होंने वायदा किया था मैं अब इसके बाद तत्काल मंडी समितियों का चुनाव करवा दूंगा। परन्तु अब फिर जब सात-आठ दिन के लिय यह सदन बैठा है तो फिर उन्होंने इसे पेश कर दिया है।

मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी एक दिन यहां पर भाषण कर रहे थे कि हम जनतांत्रिक तरीके से, लोकतान्त्रिक तरीके से शासन को चला रहे हैं और हमने जिला परिषदों के चुनाव कराये। अब आप ही देख लीजिये कि मंडी समितियों का चुनाव नहीं कराया गया

तो क्या यह प्रजातान्त्रिक तरीके से या लोकतान्त्रिक तरीके से सरकार चल रही है ? यह जो अध्यादेश लाया गया है 1964 से ले कर आज तक लगभग 19 वर्ष से भी अधिक हो रहे हैं और इस एक विभाग में चुनाव आप नहीं करवा पाये हैं, उसमें काम कैसे चलता होगा, वह सबको पता है और माननीय मंत्री जी को भी पता है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि उनको क्या मजबूरी है जिसके चलते ये चुनाव नहीं कराते हैं। तो मान्यवर, मंडी समितियों की ऐसी हालत है कि वहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, मंत्री जी इसकी आप जांच करवा लीजिये।

मैंने पिछली बार सदन में कहा था और फिर आज दोहरा रहा हूं कि जनता पार्टी की सरकार जब थी तो उसने यह वादा किया था कि हम किसानों की नीतियों पर चलकर काम करेंगे, और किसानों के हितों को ध्यान में रखेंगे। मान्यवर, मंडी समिति के पैसे से सम्पर्क मार्ग बनाने का काम शुरू किया था उस समय में भी जनता पार्टी में था तथा आप भी अपने-अपने क्षेत्र में सभी लोगों ने देखा होगा कि सड़कों का निर्माण हुआ है आज सड़कें जो उस समय बना दी गयीं थी, जिन पर मिट्टी का काम हुआ था और जिनमें खड़ंजा लगा था, वह सब टूट रही हैं। जिन सड़कों पर केवल मिट्टी पड़ी थी वह मिट्टी बह गयी है। जिन सड़कों में खड़ंजा लगा हुआ था वह खड़ंजा टूट गया है। उनका उद्देश्य यह था कि मिट्टी डाल कर सड़कें बनायी जायेंगी फिर उन पर खड़ंजा लगाया जायगा और उसके बाद उनको पक्का किया जायगा। जिससे किसानों को गांव से मंडी तक माल लाने में सुविधा हो और आसानी हो। किसान अपने माल को सही रेट पर मंडियों में बेच सके और लाभ कमा सके। लेकिन आज यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। इसका कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं यह महसूस करता हूं कि इसी भावना से प्रेरित होकर व्यापारियों ने कह दिया है कि वह पैसा मेरा है। तो मेरा स्पष्ट निवेदन है कि मंत्री जी इस प्रकार का एक विधेयक लावें कि वह किसानों का पैसा है, व्यापारियों का नहीं है। जिस प्रकार से बिक्रीकर के सिलसिले में हाई कोर्ट में रिट हुई उसके आधार पर सरकार ने उस बिल में संशोधन किया, उसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में बिल लाये और संशोधन करे और आप कानून बनायें कि जो पैसा बचेगा उससे सड़कों का निर्माण किया जायेगा। ताकि किसान अपने माल को मंडियों में बेच सकें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो टैक्स वसूल किया जाता है उसका कोई लेखा मंडी समितियों में नहीं रखा जाता है। जो वहां के कर्मचारी और अधिकारी होते हैं वह सारा का सारा पैसा लूट कर खाते हैं।

माननीय मंत्री जी एक छोटा सा विधेयक लाकर इस बात का प्राविधान कर देते तो सारी दिक्कतें दूर हो जातीं लेकिन यह ऐसा नहीं करते हैं और प्रजातन्त्र का गला घोट रहे हैं जो परम्पराएं थीं, उनको तोड़ रहे हैं। जो कानून जनता पार्टी ने किसानों के हित के लिए और लाभ के लिए बनाया था उस पर यह अमल नहीं कर रहे हैं। किसानों को सम्पर्क मार्ग न होने से अपना माल मंडियों तक लाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। कहीं-कहीं पर मंडी समिति

[श्री राम गोबिन्द--]

के लिए जमीन एक्वायर कर ली गयी है वहां पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। वह पैसा अधिकारियों के घरों में चला गया है। कहीं-कहीं मंडी समिति का निर्माण नहीं हुआ है।

पश्चिमी जिलों में मंडी समितियां अच्छे ढंग से काम कर रही हैं लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका कोई काम नहीं है। जो व्यापारी माल बेचने जाता है उससे जो टैक्स आदि के रूप में पैसा मिलता है वह कर्मचारी और अधिकारी के घर में चला जाता है जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन भावनाओं से प्रेरित होकर मंडी समिति का गठन किया गया था वह उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। यह सरकार केवल विधेयकों के सहारे चल रही है। इसमें कोई कुशलता नहीं है केवल विधेयक लागू करके चल रही है। चाहे जनता चूल्हे भाड़ में जाये इनसे कोई मतलब नहीं है। यह समय बढ़ाते रहेंगे और मंडी समितियों के अधिकारियों के हाथ में देते रहेंगे। इन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों में सभी पावर निहित हो गई थी इसलिये हम उसमें तदर्थ नियुक्ति करने के लिये थोड़ा समय मांग रहे हैं। तदर्थ नियुक्ति कैसे करेंगे? क्या उसमें विधान सभा के सदस्यों की राय मांगी जायगी? या आप अपनी पार्टी के सदस्यों का नामिनेशन करने के लिये समय मांग रहे हैं ताकि उनको भी उसमें नामिनेट करके उन्हें लूटने का मौका मिल सके। उनके लिये यह चरागाह का स्थल बनाया जा सके। शायद इसके अलावा मंत्री जी के पास कोई दूसरा कार्य नहीं रह गया है।

इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों आप इस बिल को ला रहे हैं। आप चुनाव कराइये, इसे जनता के हाथों में जाने दीजिये। जनता के लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको काम में लायेंगे। आज उसमें जितने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं वे धन इकट्ठा करने में लगे हुये हैं। इसमें आप अंकुश लगायें और इस बिल को वापस लें। जो भ्रष्टाचार व्यापक रूप से व्याप्त हो गया है उसे दूर करने के लिये आप चुनाव करायें और चुनाव कराकर जनता के हाथों में इसे दे दें। आपने चार बार इस पर समय बढ़ा लिया है। और अब पांचवी बार समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, अभी सम्मानित सदस्य ने एक संकल्प प्रस्तुत किया और उसे प्रस्तुत करते हुये उन्होंने मंडी समितियों के गठन और मंडी परिषद् की वर्किंग के बारे में काफी कुछ कह डाला। मान्यवर, संशोधन तो बहुत छोटा सा है लेकिन वे विषयान्तर होकर एक लम्बे डिसकशन में चले गये। माननीय सदस्य की इस बात से मैं सहमत हूं कि वास्तव में सन 1964 से लेकर आज तक इन मंडी समितियों का चुनाव नहीं हुआ। बहरहाल, इस सम्मानित सदन में चाहे उस पक्ष के सदस्यों की सरकार रही हो या इस पक्ष के सदस्यों की मौजूदा सरकार रही हो, इसमें काफी विद्वान और चुने हुये लोग बैठे हैं। मैं मान लेता सम्मानित सदस्य के इस विरोध को, यदि वे यहां पर बैठे हुये इस बात का ध्यान कर लिये होते।

मान्यवर, एक प्रजातन्त्र की बात उन्होंने उठा दी। हमारे ऊपर एक दोषारोपण किया गया कि प्रजातन्त्र का गला घोंट दिया गया तदर्थ समिति बनाकर। वास्तव में बात सही है। प्रजातान्त्रिक प्रणाली में चुनाव से ही सभी काम करना उचित होता है। बहुत सी समस्यायें खड़ी हो जाती हैं जिसमें कुछ सम्भव नहीं हो पाता। मैं सम्मानित सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम तो केवल इस मंडी समिति के गठन के लिये तदर्थ समिति बनाने के ऊपर आपके सामने संशोधन रखे हैं लेकिन इन्होंने सन् 1977 से 1980 के दरमियान कोआपरेटिव में, स्थानीय निकायों में जहां पर प्रजातन्त्रिक प्रणाली से कार्य होने की बात थी चुनाव से गठित होकर, ये तदर्थ समितियां बनायी थीं। जिला परिषद् से लेकर ग्राम सभाओं तक, कोआपरेटिव में नीचे से लेकर ऊपर तक, शुगर केन में सभी जगह इन्होंने ऐसा ही किया था। हर जगह यही हाल था।

मान्यवर, मैं उस डिसकशन में नहीं जाना चाहता था। लेकिन सम्मानित सदस्य ने मुझे मजबूर कर दिया इसलिये मुझे यह बात कहनी पड़ी। प्रजातन्त्र का गला इस तरह से घोंटा जाता है जिस तरह से सन् 1977 से 1980 के बीच काम हुआ या इस तरह से होता है कि जिस तरह से इस सरकार ने ग्राम सभा से लेकर जिला परिषद् के गठन की ओर जा रही है।

मान्यवर, हम चाहते हैं पिछले सेशन में भी मैंने कहा था कि यह सरकार चाहती है कि मंडी समितियों के चुनाव करायें, संभवतः माननीय सदस्य को यदि होगा मैंने कहा था कि यह सरकार चाहती है कि या तो चुनाव करायें या तदर्थ समिति बना करके प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों से निकाल कर जनप्रतिनिधियों के हाथों में यह जाय, जो भी सम्भव होगा करेंगे। मान्यवर, ऐसी बात नहीं है कि चुनाव के लिए हमने प्रयास न किया हो। हमने सलाह मशविरा किया उसके बाद यह परिणाम निकला कि अगर आज से ही हम काम शुरू करें तो 6 महीने से पहले हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। इसके साथ-साथ शायद माननीय सदस्य जानते होंगे कि इसमें प्रतिनिधियों को जो समितियां गठित होती हैं उसमें कितने प्रतिनिधि होते हैं।

ऐक्ट में जो प्रोवीजन है उसकी तरफ जरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं--स्थानीय निकायों का एक प्रतिनिधि अभी तक उनके चुनाव नहीं हुए, सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का एक प्रतिनिधि, भारतीय खाद्य निगम का एक नामिनी, केन्द्रीय भंडारागार निगम का एक नामिनी, राज्य भंडारागार निगम का एक नामिनी, कमीशन एजेन्ट का एक प्रतिनिधि, व्यापारियों के एक और दो प्रतिनिधि, उपभोक्ताओं के 5 से 11 प्रतिनिधि आदि। बहरहाल इसको भी देखना है कि क्या मंडी समितियों में इतनी लम्बी फौज की जरूरत है। इस पर भी शासन विचार कर रहा है। इसके साथ-साथ हमारे जो प्रधानों के चुनाव हो गए तो हमको यह भी देखना है कि क्या हम डाइरेक्टर्स का सर्किल बनायें या पूरी क्षेत्र समितियों के प्रधानों के समूह मिलाकर उसका चुनाव करायें। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जानबूझ कर ऐसी बात कर रहे हैं बल्कि हमारे सामने कुछ समस्यायें हैं जिनकी वजह से यह चुनाव नजदीक में नहीं कराए जा सकते। मंशा हमारी थी लेकिन यह सम्भव नहीं है लिहाजा इसमें प्राविधान किया है कि तदर्थ समितियां बनायें।

मान्यवर, शासन की तरफ से ही इसका मूव नहीं है बल्कि हमारे विरोधी पक्ष के जो साथी हैं उनका भी अनुरोध आया था कि आप चाहे अपनी ही चवाइस

[श्री यशपाल सिंह--]

के लोगों को इनमें बैठा दीजिये लेकिन अधिकारियों के हाथों से इनको निकालकर जनप्रतिनिधियों के हाथों में दे दीजिए। यह बात सम्मानित सदन में ही नहीं बल्कि बाहर भी जहां-जहां मैं गया जनप्रतिनिधियों की ओर जनता की मांग आई कि इन समितियों को अधिकारियों के हाथों से निकाल कर जनप्रतिनिधियों के हाथों में दे दो।

सम्मानित सदस्य ने कहा कि क्या विपक्ष को भी सलाह ली जायेगी। तो हमने कभी मना नहीं किया कि राय न दो। राय देंगे तो जरूर सम्मान देने की कोशिश की जायेगी लेकिन राय नहीं देंगे तो हमारे लिए मजबूरी है। मैं सम्मानित सदस्य से जरूर कहना चाहता हूं कि सन् 1977 से 1980 के दरम्यान जिस प्रकार से तदर्थ मंडी समितियां गठित की गयी थीं उसमें अपोजीशन को जो मान दिया गया था उससे कहीं ज्यादा सम्मान अब अपोजीशन को दिया जायेगा। अगर आप चाहें तो अपनी राय भेज सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा न कह कर केवल इस बात पर अपनी बात का खतम करता हूं कि प्रोविजन केवल इतना है कि अधिकारियों के हाथ में से निकाल करके जनप्रतिनिधियों के हाथों में इनको दे दिया जाय। केवल इतना सा संशोधन करने के उद्देश्य से यह लाया गया है मेरे ख्याल में सम्मानित सदस्य चाहे उधर के हों या इधर के, इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैंने माननीय कृषि मंत्री जी के तर्कों को सुना और वे अपने तर्कों के विरोध में जो कम करना चाहते हैं उसका ध्यान करके मैं थोड़ा सहम गया। उन्होंने कहा कि विरोध पक्ष ने कहा था कि जनप्रतिनिधियों के हाथ में दे दो, तो यह बात हम आज भी कह रहे हैं और यह नहीं कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारी या नामजद व्यक्ति के हाथों में दे दो। आप नामजद व्यक्ति न रखें। जो नामजद आदमी रखेंगे वह आपके चमचे होंगे। चूंकि नजदीक में चुनाव होंगे तो लोकल आदमी को शामिल कर लेंगे और उनके जरिये किसानों पर प्रभाव डाला जायेगा और उनका माल बिकवा कर वोट लेंगे।

मान्यवर, संशोधन में विधेयक की धारा 2 (ख) में लिखा है कि तदर्थ समिति में ग्यारह सदस्य होंगे--एक-एक सदस्य मंडी क्षेत्र में कारबार करने वाले कमीशन एजेन्टों और व्यापारियों में से होगा, एक सभापति नामजद करेंगे, यह लिखा नहीं होगा कि चरित्र उसका क्या होगा, 5 सदस्य मंडी क्षेत्र के उत्पादक सदस्यों में से होंगे। मान्यवर, मंडी समिति कानून जो बना था वह उत्पादकों के हित के लिए था लेकिन 6 सदस्य उसमें अनुत्पादक रखे गए हैं। तो 11 आदमियों की कमेटी बनेगी और उसमें 6 उत्पादकों के प्रतिनिधि नहीं हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आप उत्पादकों के हित में मंडी समिति को लाना चाहते हैं तो उनके प्रतिनिधि ज्यादा होने चाहिए थे। इसलिए मेरी राय में 9 सदस्य उत्पादकों के प्रतिनिधि रहें और एक-एक व्यापारियों के। अन्यथा इस मंडी समिति को बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मंडी समिति में अब किसानों का लाभ नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, विधेयक की धारा 2 (ग) को देखें जिसमें लिखा है--राज्य सरकार किसी भी समय तदर्थ समिति के किसी सदस्य को उसके स्थान पर नया नाम-निर्देशन करके बदल सकती है। इसलिए जो इनका चमचा होगा वही रहेगा अन्यथा बदल दिया जायेगा, जो इनका बंधुआ मजदूर नहीं होगा तो दूसरे का नाम निर्देशन कर देंगे। विश्व के किसी कानून में यह अधिकार नहीं लिखा होगा। यह बेशर्मी का अधिकार है। मैं तो कहता हूं कि यह अधिकार आपको ही खा जायेगा।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

श्री रामस्वरूप वर्मा जी हमारे खाने की चिंता न करें, अपनी आप चिंता करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

आपकी फिक्र हम क्यों न करें, क्या आप इस राष्ट्र के नहीं हैं। इसलिए सभी की फिक्र करना हमारा धर्म है, इसलिए वाजपेयी जी का मैं नुकसान नहीं चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी यदि बढ़िया, ढंग से शासन चलाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब शासन कुकर्म की ओर जाता है तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम राय दें कि वह सही रास्ते की ओर चले।

मान्यवर, दो बातों से स्पष्ट है कि तदर्थ समिति बनेगी तो उसमें उत्पादकों का बहुमत नहीं होगा। दूसरे जो उत्पादक होंगे यदि वह इनकी इच्छा के विपरीत काम करेगा तो यह उसको हटा देंगे और उचित कारण भी हटाने के लिए नहीं लिखा गया है जबकि हर जगह लिखा रहता है कि हटायेंगे तो कारण उसका बताया जायेगा। इसमें जो व्यवस्था की गयी है उसके अनुसार सरकार का जो पक्का चमचा होगा वही आयेगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षता--

प्लास्टिक का चमचा तो आप पसन्द नहीं करते होंगे?

*श्री रामस्वरूप वर्मा--

मान्यवर, धातु के चमचे चलते हैं।

मान्यवर, जब यह विधेयक लाया गया था तो यह आशा थी कि सरकार कुछ किसानों के हित की बात करेगी। व्यापारी किसानों को जो नाजायज तरीके से परेशान करते हैं, कभी धर्मादा के नाम पर उससे पैसा लेते हैं, कभी किसी और चीज के नाम पर पैसा लेते हैं, वह बन्द होगा। पहले किसानों का जब बहुत शोषण होता था तो सरकार ने कहा कि मंडी समिति बनाकर हम किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलवायेंगे, किसानों का शोषण नहीं होने देंगे, मगर वह कुछ हुआ नहीं। इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यह किसानों के 9 आदमी रखते और दूसरे दो और कर देते, मगर सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था की

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

है जिसके द्वारा अपने आदमियों को रखा जा सके, जिस आदमी को जब यह चाहें निकाल दें। इसमें यह भी नहीं रखा गया है कि निकालते वक्त यह कर देते कि दोष सिद्ध होने पर ही किसी को निकाला जायेगा। यह भी इसमें नहीं है।

सरकार साल भर का अधिकार चाहती है और कहती है कि हम 6 माह में ही चुनाव करा देंगे। अगर सरकार की मंशा 6 माह में चुनाव करा देने की है तो एक साल का समय क्यों बढ़ाया जा रहा है। 9 माह का माँग लें। सरकार की मंशा वास्तव में चुनाव कराने की है नहीं। 5 जून, 1984 तक यह चालू रहेगा, उसके बाद फिर कहेंगे टाइम बढ़ा दिया जाये। इनकी मंशा यही है कि चुनाव न कराये जायें और यह अपने मन पसन्द आदमियों को लायें। इसलिए इस आदरणीय सदन से मैं यह चाहूंगा कि यह सदन इस विधेयक का, किसानों का हित देखकर, विरोध करे, इस अध्यादेश का अनुमोदन न करे। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

मैं केवल एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं। जो मंडी समिति बनाई जाती हैं उनका कोई माप दंड होना चाहिये। उनके बनाये जाने का कोई आधार होना चाहिये। मैं एक जगह की बात बतलाना चाहता हूं। गोरखपुर में बड़हलगंज एक कस्बा है। यह घाघरा नदी के किनारे पर है। दूसरा एक दोहरीघाट घाघरा नदी पर आजमगढ़ का कस्बा है। दोनों को मिल कर एक मन्डी बना दी गई है। उसका क्या आधार है? हम भी 8 वर्ष से यह कोशिश कर रहे हैं कि दोहरीघाट जो आजमगढ़ में है उसको दोहरीघाट के लोगों से सम्बद्ध करके दोहरीघाट मंडी बना दिया जाये तथा बड़हलगंज को गोरखपुर से सम्बद्ध कर दिया जाये और गोरखपुर से सम्बद्ध करके बड़हलगंज की मंडी बनाई जाये। मगर उसमें सरकार को क्या फायदा है, उसको मैं बयान नहीं करना चाहता। मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करके दोनों जिलों की मंडियों को अलग-अलग मंडी बनायें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप बड़हलगंज दोहरीघाट मंडी बनाने का क्या आधार है, इसको बतलायें। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है।

*श्री विजय सिंह राना--

अधिष्ठाता महोदय, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है चुनाव का जहां तक सम्बन्ध है उसके विषय में यह बात कही जाती है कि 1977 में जनता पार्टी ने चुनाव नहीं कराये तो कांग्रेस सरकार कैसे करा दे?

श्री यशपाल सिंह--

मैंने यह नहीं कहा है। हमारे ऊपर प्रजातांत्रिक प्रणाली लागू न करने के सम्बन्ध में जो आरोप लगाया गया था उसका जवाब दिया था कि चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय सिंह राना—

कोई भी तर्क दें यह बात साफ है कि कृषि मंडी समितियों के माध्यम से आज किसान-जनता के बीच गल्ले के जो व्यापारी हैं वे बिचौलिये के रूप में पैदा हो गये और यह चीज समाप्त होनी चाहिये। आज कृषि मंडियां स्वयं बिचौलियों की ठेकेदार मात्र बन कर रह गई हैं। डायरेक्ट किसान से माल लेने और दूकान तक माल पहुंचाने हेतु उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहां पूरी अफसरशाही है और एक तरह से उसका यह रोजगार मात्र बन कर रह गई है। मंडी समितियों के वे मात्र कर्मचारी हैं और अपने धंधे की दूकान खोल बैठे हैं।

यह आवश्यक था कि मंडी समितियों का चुनाव होता और जन प्रतिनिधि किसी तरह से वहां पहुंचते। जन प्रतिनिधि अगर वहां पहुंचते तो किसान के ऊपर जो अफसरशाही ठेकेदार बनकर बैठ गई है उस पर कुछ अंकुश लग जाता। तर्क कुछ भी दिया जाय वास्तविकता यह है कि मंडी समितियां बिना जन प्रतिनिधि के आज बरबाद हो रही हैं और वे जो कर्मचारी तथा अधिकारी हैं उनका घर भरने का माध्यम बन गई हैं। वे उनके लिये व्यक्तिगत व्यवसाय बन कर रह गई हैं और इस प्रकार वे किसान जनता की सीधी लूट कर रहे हैं। जन प्रतिनिधियों के बगैर पहुंचे इस लूट को रोका नहीं जा सकेगा, लिहाजा आप मंडी समितियों का चुनाव कराने की व्यवस्था करें।

श्री राम गोविन्द—

अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें। कारण यह है कि यह जो इनका विधेयक है यह तो जैसा वर्मा जी ने अभी कहा मंडी समिति के मूल उद्देश्यों को ही खत्म कर रहा है। इसमें किसानों के प्रतिनिधि कम और व्यापारियों के प्रतिनिधि ज्यादा होंगे और यदि किसी बात पर वोट की स्थिति आ गई तो मंडी समिति की बैठक में तो किसान हार जायगा। तो किसान की हित की भावनाओं को देखते हुये भी यह आवश्यक है कि इस विधेयक को मंत्री जी वापस ले लें और जैसा मंत्री जी ने कहा, दूसरा तर्क दिया है इस गठन के लिये, तो आपने सदन में यही तर्क दिया था पिछली बार यहां कि यह अल्पकालिक व्यवस्था है और मैं पुनः इसका चुनाव करा दूंगा। लेकिन आप चुनाव करा नहीं पाये और अब इसे सरकारी चंगुल से छुड़ाकर अपने लोगों के चंगुल में फंसा रहे हैं। इस तरह से भी यह विधेयक किसान विरोधी है, इसलिये मैं पुनः मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको ये वापस ले लें और इसको यहां पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर जोर देता हूं।

श्री यशपाल सिंह—

सम्मानित सदस्यों को मैंने काफी गौर से सुना और जब हमारे साथी श्री राम स्वरूप वर्मा जी बोल रहे थे, तो मैंने खासतौर से उनकी ओर बड़ा ध्यान दिया कि वह हमारे संजीदा साथियों में से हैं और जरूर कोई ऐसा ठोस विचार देंगे, जिस पर मुझे सोचना चाहिये। लेकिन बड़े खेद का विषय है—खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मान्यवर, विशेष आशंका जो उन्होंने व्यक्त की—इस संशोधन विधेयक में व्यापारियों के ज्यादा और कृषकों के प्रतिनिधि कम आयेंगे।

[श्री यशपाल सिंह—]

मेरी मुश्किल तो यह है कि वह किसी पर भी भरोसा तो करते नहीं, लेकिन मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं कि ऐक्ट में प्राविजन है—उत्पादकों के प्रतिनिधि और उत्पादक की जो परिभाषा है, वह यह है कि जिसके नाम भूमि है और जो पैदा करता है। अब उसमें यदि रामस्वरूप वर्मा जी अपने लड़के को नामिनेट करना चाहें, जिसके नाम जमीन नहीं है, लेकिन है कृषक परिवार से, जिससे उसको कोई इंकार नहीं कर सकता, तो उसको नहीं करा पायेंगे। तो उसमें व्यापारियों की संख्या केवल दो तक ही है—एक कच्चा आढ़ती और दूसरा पक्का आढ़ती और पांच कृषकों से लिये गये हैं और शेष जो हैं, उन्हें शासन या सरकार अपने विवेक से वहां नामिनेट कर देगी और मैं वर्मा जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक कृषि मंत्रालय में कृषक बैठा है, तब तक उसमें कृषकों का बहुमत न रहे, यह मुमकिन नहीं है।

दूसरी आशंका संकल्प प्रस्तुतकर्त्ता माननीय सदस्य और वर्मा जी ने भी प्रकट की और उस पर बल दिया है और विशेषकर वही एक तर्क उन लोगों ने दिया है कि सरकारी अधिकारियों के जो चमचे हैं, उनको हटाकर सत्तापक्ष वाले अपने चमचों को रखेंगे, जिसका अभिप्राय मैं यह समझा कि वह शायद अपने चमचों को इसमें नहीं ला सकेंगे। मान्यवर, अगर वह अपने चमचे हमारे सामने रखेंगे तो उनको भी हम रखने की कोशिश करेंगे और उन्हें भी आदर देंगे।

इसके साथ-साथ हमारे बुजुर्ग साथी ने एक विषयान्तर की बात उठाई लेकिन ठीक किया, उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित कर दिया है कि गोरखपुर और आजमगढ़ के विभाजित क्षेत्र को एक मंडी क्षेत्र से सम्बद्ध किया है। तो मैं उसको निश्चित तौर से देखूंगा और अगर हमारे सम्मानित साथी आकर उसका नक्शा आदि दे देंगे तो उस पर विचार जरूर करूंगा।

हमारे सम्मानित सदस्य, आगरा कह रहे थे कि मीडियेटर को निकाला जाय और चुनाव कराये जायं तो मान्यवर, चुनाव कराने के लिये मैंने अभी तफसील से बताया था कि चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। उसको दृष्टिगत रखते हुए यह अल्पकालिक व्यवस्था की है वरना निश्चित रूप से चुनाव कराने का शासन का विचार है। हम निश्चित रूप से चुनाव करा देंगे। लेकिन यह सब बातें सोचकर, जैसा राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा कि कृषकों के प्रतिनिधि हों तो मैंने उनको पूरी लिस्ट सुनायी है, अगर इसी वक्त चुनाव करा दिये जायं तो क्या हमारे कृषकों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। नहीं हो सकता।

मैंने बतलाया था कि ऐक्ट के प्राविजन के तहत कौन-कौन सदस्य रहेंगे। माननीय सदस्य पढ़कर आये होंगे लेकिन ऐसा लगता है कि पढ़कर नहीं आये हैं। हम सोच रहे हैं कि कृषकों का मंडी समितियों में बाहुल्य हो और उनका शोषण रुक सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया कि इस समय तदर्थ समितियों को बनाकर उसके बाद चुनाव करायें। इसीलिये हमने समय मांगा है।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण कर लेने दें। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायगी तो कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि अधिनियम में क्या यह व्यवस्था नहीं है कि कुछ

श्रेणी के स्थान अगर रिक्त हों तब भी मंडी समितियों का गठन हो सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर 6 महीने का जो समय रहेगा वह कब से प्रारम्भ करेंगे और कब तक यह चुनाव होने की सम्भावना है ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैं यह बार-बार दोहरा चुका हूं। क्या इसका उत्तर दूं वह मेरी समझ से बाहर है। मैंने कहा कि 6 महीने तो नारमल प्रोसेसिंग में लगेंगे। इसके अलावा जो ऐक्ट में तरमीम करना हुआ कि कृषकों के प्रतिनिधि इसमें कितने रखे जायें तो इसमें और ज्यादा समय लग सकता है। लिहाजा समय के लिये आशंका करना, जैसे मैं यह जानता हूं कि यदि लोकल बाडीज के इलेक्शन नहीं हुए तो हम कुछ प्रतिबन्धित नहीं करते कि हम चुनाव करा देंगे। मैंने बहुत से प्वाइंट्स पर चर्चा की है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सम्मानित सदस्य इसको पारित करें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करना था।

श्री अधिष्ठाता--

समय हो गया है। अब नहीं। आप बैठें।

माननीय राम गोविंद चौधरी, क्या इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री राम गोविंद--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आरोप लगा दिया कि इसको पढ़कर नहीं आये हैं।

श्री यशपाल सिंह--

विधेयक के साथ अधिनियम भी पढ़ा होता।

श्री राम गोविंद--

मान्यवर, मुझे शंका हो गयी है कि किसानों की संख्या बढ़ाने के लिये इसको फिर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। एक बार फिर अमेंडमेंट आयेगा। इसलिये मैं अपने मूल प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

(2) यह 23 मई, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,--

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

"(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के दिनांक से, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध एक वर्ष की अवधि या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का संगठन होने तक के लिये, जो भी पहले हो, प्रत्येक मण्डी क्षेत्र जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर विद्यमान था या उक्त अवधि में इस रूप में घोषित किया जाय, उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, अर्थात्--

(क) जैसा खण्ड (ङ) में उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी मण्डी समिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट की जाने वाली तदर्थ समिति द्वारा किया जायगा;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट तदर्थ समिति में ग्यारह सदस्य होंगे, जिनमें से एक को सभापति पदाभिहित किया

जायगा और सदस्यों में से एक-एक सदस्य मण्डी क्षेत्र में कारबार करने वाले कमीशन, एजेन्टों और व्यापारियों में से, जैसा कि मण्डी समिति के लाइसेंस से प्रकट हो, होंगे और पांच सदस्य मन्डी क्षेत्र के उत्पादक सदस्यों में से होंगे;

(ग) राज्य सरकार किसी भी समय तदर्थ समिति के किसी सदस्य को उसके स्थान पर नया नाम-निर्देशन करके बदल सकती है;

(घ) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तदर्थ समिति को सभी प्रयोजनों के लिये मण्डी समिति समझा जायगा;

(ङ) तदर्थ समिति मण्डी निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या अर्जन नहीं करेगी;

(च) यदि तदर्थ समिति के सदस्यों में कोई मतभेद हो तो बहुमत का विनिश्चय मान्य होगा;

(छ) राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बना सकती है जिसमें उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुकूलन, परिष्कार या प्रवर्तन को पूर्ण या आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबन्ध भी सम्मिलित है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, जो उसे पूर्ववर्ती या सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो;

(ज) खण्ड (क) और (ख) के अधीन तदर्थ समिति नाम-निर्दिष्ट किये जाने तक, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मन्डी समिति के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये प्रवृत्त प्रबन्ध बना रहेगा ;

(झ) जिला मजिस्ट्रेट, इस धारा के अधीन तदर्थ समिति के नाम-निर्देशन के दिनांक से मन्डी समिति या उसके सभापति और उप सभापति के सभी अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करना बन्द कर देगा; और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किन्हीं ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के लिये विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी भी उक्त दिनांक से उनका प्रयोग करना बन्द कर देगा।"

(दो) उपधारा (2) में, शब्द "खण्ड (घ)" के स्थान पर शब्द "खण्ड (छ)" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद 3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति निरसन और अपवाद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29 सन् 1983

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यशपाल सिंह--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मैं इसका विरोध करता हूं और उसके कुछ कारण हैं। सन् 1964 में यह पेश हुआ और 64 से लेकर 83 तक 19 वर्षों में 16 वर्ष सत्तापक्ष का राज्य रहा है और यह मण्डी समिति कानून नहीं बना सके, मण्डी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा नियमावली नहीं बना सके। 3 वर्ष से फिर इनका राज्य है हर बार इसी तरह से विधेयक पारित कराते रहते हैं और हमसे कहते हैं कि चुनाव करा देंगे। अब कहते हैं क्रय-विक्रय समिति का चुनाव नहीं हुआ है जब इनकी हुकूमत आयी थी सभी जगह जनप्रतिनिधि बैठे थे आप चाहते तो चुनाव करा सकते थे। कारण क्या है यह अधिकारियों के मार्फत व्यापारियों से चन्दा लेते हैं, और कहते हैं कि यह कारण और वह कारण है। आज से 4 वर्ष पूर्व मण्डी परिषद् निदेशक के पास बिलासपुर मण्डी समिति का प्रस्ताव आया है कि फलां सड़क, फलां पुलिया और फलां जगह खड़ंजा बनाया जाय और 30 लाख रुपया मण्डी परिषद् में जमा है

(इस समय 3 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता श्री दयाल कृष्ण पीठासीन हुए।)

इसी तरह से रामपुर का 25 लाख रुपया जमा है। लेकिन यह सरकार उत्पादकों के हित के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने में असमर्थ है। यह नाकारा है। मैं इसलिये इस विधेयक का विरोध करता हूं।

जो बिल्डिंग मण्डी निदेशक द्वारा बनायी गयी हैं, उन मण्डियों का निरीक्षण कराया जाय तो मेरा ख्याल है कि साल दो साल में गिरने वाली है। व्यापारियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की तरफ से यह मांग की गई थी कि मण्डी समिति द्वारा न बनाकर प्लाट व्यापारियों को दे दिये जायं और मण्डी परिषद् उसको न बनाकर व्यापारियों को ऋण दे ताकि वह उसको बना सकें और उसका सही इस्तेमाल हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये उत्पादकों के हित के लिये जो पैसा आता है वह राज्य सरकार के पास पड़ा है। मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि आप शासन को निर्देशित करें कि मण्डी परिषद् के पास उत्पादकों का जो पैसा पड़ा है, वह ग्रामीण विकास पर खर्च करें। ताकि लोगों को मालूम हो सके कि ग्रामीण विकास का कार्य हो रहा है।

मान्यवर, रामपुर जनपद में पिछले तीन वर्षों में 13 प्रस्ताव आये होंगे मंडी स्थल बनाने हेतु। लेकिन मान्यवर, आज तक नाम के लिए भी कोई मंडी स्थल नहीं बना। मान्यवर, प्रस्ताव यहां पर कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। श्रीमन, यह रुपया मंडी स्थल बनाने के लिए, नहीं लगाना चाहते हैं यह चाहते हैं कि यह रुपया यहीं रहे गांव के विकास में न लगे। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के विकास का रुपया ग्रामीण क्षेत्रों पर ही लगायें और राज्य सरकार को सम्पति न बनायें इसमें मैं यह भी चाहूंगा कि जो रुपया है, उसको जो प्रस्ताव आये हैं, उस प्रस्ताव के अनुसार इसकी स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। मान्यवर, यह विधेयक बार-बार लाना उचित नहीं है, यह बार-बार विधेयक ले आते हैं अफसरशाही चल रही है इन लोगों को कोई सूझबूझ नहीं है अफसर-शाही की बैसाखी पर चलने वाले इस मंत्रिमंडल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है यह विवेकहीन हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो रुपया है उसको विकास कार्य में लगायें।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य को बड़े गौर से सुन रहा था, सोच रहा था शायद कोई नई बात कहेंगे लेकिन कोई नई बात नहीं कही है। बहरहाल इनको चारों तरफ नजर जा रही है कोई समितियां बनायें या कोई भी बात करें इनको भ्रष्टाचार, बुद्धिविहीन और न जाने क्या-क्या इस सरकार में दीख रहा है। मान्यवर, इनके शब्दकोष में जो भी शब्द हैं उसका प्रयोग यह बखूबी करते हैं, मेरे पास ऐसा कोई शब्दकोष नहीं है। मान्यवर, एक बात और निवेदन कर दूं जवाने बाशद खामोशी।

श्री बलवीर सिंह--

कृपया इसका हिन्दी में भी अनुवाद कर दें।

श्री यशपाल सिंह--

अगर इसे यह हिन्दी में पूछना चाहते हैं तो गैलरी में मुझसे पूछ लेते तो मैं बता देता।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

यह हिन्दी नहीं हिन्दुस्तानी है

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री रामगोविन्द—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं । यह सदन उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है । मान्यवर, यह विधेयक बिल्कुल किसान विरोधी विधेयक है ।

(3 बजकर 10 मिनट)

इनको विधेयक ले आने का शौक हो गया है । श्रीमन्, 1975 में इसका विधेयक आया था जिसमें किराया न बढ़े, इसका प्राविधान किया गया था । सरकार ने यह प्रतिबन्ध लगाया था कि इतनी सीमा तक किराया कोल्ड स्टोरेज के मालिक वसूल सकते हैं और इसके आगे नहीं लेंगे । परन्तु इसमें छूट दे दी गई है कि चाहे जितना किराया ले सकते हैं, तो यह किसानों के शोषण के सिवाय और कुछ नहीं है । यह किसानों के हित का डंका पीटने वाली सरकार है । अभी बहस होगी तो सत्ता पक्ष के लोग कहेंगे कि विपक्ष के लोग झूठा विरोध करते हैं, झूठा प्रहार करते हैं ।

श्रीमन्, अभी जो ये बिल लाए हैं, इसमें पहले प्रतिबन्ध था कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक इतना किराया वसूल करें इससे अधिक नहीं । मंत्री जी को यह भी शिकायत मिली होगी कि किसान के घर जब आलू उत्पन्न होता था तो व्यापारी कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से सांठ-गांठ करके किसानों का आलू नहीं रखने देते थे और किसानों को मजबूर होकर आलू व्यापारियों के हाथ बेचना पड़ता था । व्यापारी उस आलू को कोल्ड स्टोरेज में रख देते थे । व्यापारी का आलू रखने के बाद कोल्ड स्टोरेज मालिक दिखाने के लिए थोड़ा आलू किसानों का भी रख लेते थे ।

दूसरी बात आपके प्रतिबन्ध के बावजूद यह प्रकरण सामने आया था कि आपके निर्धारित मूल्य से अधिक तिगुना और चौगुना किराया कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने वसूल करवाया अभी तो यह सीमित गड़बड़ी ही थी लेकिन आपके इस नियम बनाने के बाद वे लोग और अधिक पैसा लेंगे किराये का । आपने खुली छूट दे दी है चाहे जितना कमाओ और लूटो । इससे तो किसान ही मर जायगा । बीच के जो बिचौलिये हैं उनसे व्यापारियों के रेट तय रहेंगे । कोल्ड स्टोरेज मालिक जब किसानों का आलू नहीं रखेंगे तो किसान आलू को व्यापारियों को बेचने को मजबूर हो जायेंगे । आपने शब्द जोड़ा है "लोक हित में", यह संशोधन आवश्यक समझा गया । आप यह छूट हटा दीजिये ।

इस देश में सबसे ज्यादा किसान बदकिस्मत आदमी है। सबको लूटने की छूट है। सबको धन कमाने की छूट है। व्यापारी व्यापार करके पूंजीपति हो जाते हैं। नौकरी पेशा वाले थोड़ा-थोड़ा कमा करके पूंजी बना लेते हैं। सिर्फ किसान ही ऐसा अभागा है कि कुछ नहीं कर पाता। जब वह देखता है कि उसके सामने के व्यापारी का घर अच्छी तरह का है। उसका रहन-सहन अच्छा है, बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं तो उसके मन में ईर्ष्या होती है। लेकिन चूंकि उनका कोई संगठन नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, उनकी बुलन्द आवाज नहीं है और यह कांग्रेस की सरकार जो हाउस में आये दिन कहती है कि हम बहुत बड़े किसानों के हिमायती हैं। यह उन्हीं का विधेयक पूंजीपतियों को खुली छूट देता है कि चाहे जितना भाड़ा वसूल करो।

चर्चा है कि देश और प्रदेश में चुनाव होने वाला है। निकट भविष्य में होने वाला है। सरकार इनकी है तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूंजीपतियों से चुनाव में चन्दा वसूलने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसके सिवाय और कुछ नहीं है। जिस कारण से भी आप यह संशोधन यहां पर ला रहे हैं उससे किसानों को घाटा होने के सिवाय और कुछ नहीं होना है, किसानों को पिसने के सिवाय और कुछ नहीं होना है और किसानों के दोहन के सिवाय और कुछ नहीं होना है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसानों के हित की बात करें और यह आपका नैतिक कर्तव्य भी है। आप इस विधेयक के जरिये किसानों का पैसा लुटवाना चाहते हैं और किसानों का गला घोंटना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस विधेयक को वापस ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मुझे खेद है इस बात का, मकसद चाहे कितना ही अच्छा हो, किन्तु अपोजीशन की निगाह में, जैसा अभी माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी कह रहे थे कि यह विधेयक किसान विरोधी है, इससे किसानों का दोहन होगा और इससे किसानों का भला होने वाला नहीं है, विरोध पक्ष को इसमें हमेशा दोष ही नजर आता है। मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में 105 लाख टन गेहूं का उत्पादन होता है, जिसमें से 49 या 50 परसेन्ट हमारे उत्तर प्रदेश का होता है जो लगभग 50 लाख टन है।

आज उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी आलू के उत्पादन के अनुसार नहीं है। कोल्ड स्टोरेजेज की क्षमतायें बढ़ाने के लिए, चारों ओर से तथा किसानों की ओर से भी यह मांग आ रही है कि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाया जाय। कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोल्ड स्टोरेज को अपने हाथ में लिया है। सरकार अपने हाथ में शक्ति लाना चाहती है, जिससे किसानों को प्रोत्साहन दिया जा सके। वैसे अभी तक किसी को दिया नहीं गया है, क्योंकि सबसे पहले हम शक्ति लाना चाहते हैं। इसलिए इस विधेयक के जरिये हम वह शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं।

[श्री यशपाल सिंह—]

शासन को यह अधिकार है कि धारा 26 व 29 को परिधि के अन्तर्गत, जनहित में किसी भी कोल्ड स्टोरेज को निकाल सकेगी। इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है। यह किसानों के हित में है। इससे कोल्ड स्टोरेजेज की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे किसानों को उनका उचित मूल्य मिलेगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन किसान सोचेगा कि हम अपने आलू को जमीन में ही गाड़े रखें या इसे खोद दें। इसलिए इन सब शिकायतों को समाप्त करने के लिए हम यह विधेयक यहां पर लाये हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे सदन के सभी माननीय सदस्य इस विधेयक को स्वीकार करेंगे।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी इस विधेयक को जितना निरापद सिद्ध कर सकते थे, उतना उन्होंने इसे सिद्ध किया। लेकिन जो इस विधेयक की मंशा थी, उसे वे छिपाये रखे। जिस मंशा को लेकर यह विधेयक लाया गया है। इसमें उद्देश्य में साफ लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक का पैसा लेकर जो 69 कोल्ड स्टोरेज बनाये गये हैं, उसमें इतना अधिक पैसा लग गया है कि वर्तमान रेट से उसमें आलू रखने से उनको फायदा नहीं हो रहा है।

इसी सदन में सहकारिता के जरिये जो वर्ल्ड बैंक से रुपया लेकर आपने कोल्ड स्टोरेज बनाये हैं, तो उसी बाबत जब सवाल पूछा गया था तो उसमें यह बताया गया था कि निजी कोल्ड स्टोरेज 10 लाख में बनते हैं और सरकारी 15 लाख रुपए में। इस 15 लाख के बाबत एक बात यह बतायी गयी थी कि हम इसे भूकंप रोधी डिजाइन करते हैं, जिसमें ज्यादा पैसा लगता है। भूकम्प की चीज घुसेड़कर उसके मंहगेपन को छिपा लिया और इसके बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ, वह भी छिपा रह गया। जब भूकम्प आयेगा, तो आपके यह कोल्ड स्टोरेज भी ढह जायेंगे। जो आपके यह आलू के लिये कोल्ड स्टोरेज बने हैं, उनके लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे निजी कोल्ड स्टोरेज के मुकाबले अधिक लागत से बने होने के बावजूद भी कम मजबूत हैं और वह निजी क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज के मुकाबले पहले ही गिरेंगे, निजी वालों का उसके बाद ही नम्बर आयेगा।

वर्ल्ड बैंक से आप जो रुपया लेते हैं, वह कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मान्यवर, वर्ल्ड बैंक का पैसा क्यों आता है, वर्ल्ड बैंक का पैसा इसलिए आता है कि हमारे पास विदेशी पैसे को अदा करने का सामर्थ्य नहीं है। हम कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, उसके लिये वर्ल्ड बैंक का पैसा लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज के लिये किसी विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बनाने में सारी देशी चीजें इस्तेमाल होती हैं, फिर भी आप कोल्ड स्टोरेज के लिये पैसा लेते हैं और इस तरह से विदेशी मुद्रा को देशी में बदलकर अपनी मौज-मस्ती करते हैं। ठीक है, खूब खाओ भाई। कोल्ड स्टोरेज मंहगे बने, इसके कारण मुनाफा नहीं हो रहा है इसलिए इनको छूट दें और वे जिस रेट में चाहें, आलू रख लें। इस स्थिति से फायदा निजी क्षेत्र वाले उठायेंगे, क्योंकि इनकी तो निजी कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से सांठ-गांठ है जब यह छूट पायेंगे तो निजी क्षेत्र वालों को भी छूट लेने का मौका मिल जायेगा। पिछले साल जब आपने दाम बढ़ाये थे, तब इसी सदन में हंगामा हुआ था, दो रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा दिया था शायद 18 या 19 का रेट कर दिया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप कहते हैं कि आलू बहुत पैदा हो रहा है कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिये हम अधिक कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, लेकिन जब महंगा रेट होगा तो कोल्ड स्टोरेज में रखेगा कौन, किसान का पता ही नहीं पड़ेगा। जब सरकार अपने लिये ऐसी स्थिति पैदा करेगी तो प्राइवेट वाले भी कहेंगे कि हमें भी घाटा है जब सरकार के पास इतना पैसा है और सरकार इतनी बलशाली है उसके कोल्ड स्टोरेज मुनाफे पर नहीं जा रहे हैं तो हमारे मुनाफे पर कैसे चलेंगे इसलिए सरकार दूसरे दिन उनसे कहेगी और उसका धीरे से इशारा होगा कि अदालत में चले जाओ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के लिये सब बराबर हैं। हाई कोर्ट कहेगा सरकार अपने कोल्ड स्टोरेज पर लागू नहीं कर रही है अधिकतम भाव और दूसरे पर निजी पर लागू कर रही है तो यह जो स्थिति है, पक्षपातपूर्ण है, यह धारा 14 का उल्लंघन है। इसलिए वे भी इस स्थिति का फायदा उठाकर मुक्त हो जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस सूबे की भलाई के लिये नहीं है, सरकार केवल निजी कोल्ड स्टोरेज के मालिकों की भलाई के लिये है और उसके द्वारा अपनी अक्षमता, अयोग्यता पर पर्दा डालने के लिये यह विधेयक लाया गया है।

मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जितने कोल्ड स्टोरेज बने हैं उसमें पैसा खाया गया है, इस बात को छिपाने के लिये यह प्रयास कर रहे हैं और किसानों को अरक्षित छोड़ने जा रहे हैं। जब वह लोग हाई कोर्ट चले जायेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसमें दो तरह की व्यवस्था हो। मुझे बहुत अफसोस है कि सरकार के पास एल0 आर0 हैं सरकार के पास एडवोकेट-जनरल हैं बिना उनकी सलाह लिये हुये यह विधेयक पेश करना उचित नहीं है। उनसे राय लेना जरूरी है।

आप कहते हैं कि हमें घाटा है अगर घाटा पड़ेगा तो आप काहे को व्यापार कर रहे हैं। सारे प्रदेश की जनता को घाटे में क्यों डाल रहे हैं। अन्धे को जुआ खेलना मना होता है। सख्त अफसोस की बात है कि जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, सभी किसानों के हितैषी हैं, फिर भी सारे प्रदेश के किसानों के गले पर छुरा चलाना चाहते हैं। कौन रखेगा इतने महंगे रेट पर आलू। कोल्ड स्टोरेज के घाटे को पूरा करते-करते इस प्रदेश की जनता का दम निकल जायेगा।

यहां पर दो परिस्थितियां पैदा हो गयीं। एक तरफ सरकार निजी कोल्ड स्टोरेज वालों को सुविधा दे रही है कि कोर्ट में चले जायं। दूसरी तरफ अपनी क्षमता को बहुत मंहगा साबित करके अपने पाप को ढंकना चाहती है कि इसमें मुनाफा नहीं होता है। इन दोनों ही परिस्थितियों को बहुत ही हानिकारक और अहित में समझते हुए, मैं चाहूंगा कि इसको पहले आप एडवोकेट-जनरल से दिखवा लें कि क्या ऐसी व्यवस्था सम्भव है कि 69 कोल्ड स्टोरेज पर इसको लागू कर दें और बाकी पर वही दरें लागू रहें। मैं चाहता कि आप इस विधेयक को वापस ले लें और सलाह लेकर पेश करें ताकि इस पर विचार किया जा सके।

*श्री राम सिंह (सहारनपुर)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कोल्ड स्टोरेज (संशोधन) विधेयक पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सिंह--]

मैं चौधरी साहब के विचार सुन रहा था और मुझे 1977 से 1980 तक की बातें याद आ रही थीं। अब आप गला फाड़-फाड़ कर कहते हैं कि किसानों के हितैषी हैं लेकिन आपने वह समय नहीं याद किया जब आप किसानों को उनके आलू की इतनी भी कीमत नहीं दिला पाये कि उनको उनकी मजदूरी मिल जाती। आपने तो वह काम कर दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपकी पालिसी और निर्णय इस प्रकार के रहे कि किसानों को आलू का मूल्य इतना भी नहीं मिल पाया कि वह आलू खोद दें और कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचा दें। अगर वह उस रेट पर भी आलू कोल्ड स्टोरेज में रखता है तब भी उसे मुनाफा होता है। यह तो केवल इसलिये प्राविधान किया गया है ताकि प्रोत्साहन इस प्रदेश में मिले और लोग स्टोरेज बनायें और उन किसानों को सहूलियत मिले नहीं तो आलू ज्यादा सड़ेगा, जैसे आपके जमाने में सड़ा। मैं इस विधेयक की पुरजोर हिमायत करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन इसको पारित करेगा।

*श्री मुख्तार अनीस--

भाई राम गोविन्द चौधरी और राम स्वरूप वर्मा जी ने कुशलतापूर्वक बातें रखी हैं।

आपने जनता पार्टी के शासन का जिक्र किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम निकम्मे न होते, तो आप क्यों आते। आप इस विधेयक को पढ़ने की कोशिश करिये। बिल्कुल मोटी बात है कि 69 कोल्ड स्टोरेज इन्होंने विश्व बैंक के पैसे से बनवा लिये। विश्व बैंक का पैसा जो मिलता है, उसकी बड़ी लम्बी शर्तें होती हैं। कभी-कभी विश्व बैंक का पैसा लेने के लिये राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालना पड़ता है। जैसा कि आपने कहा कि अब सही रेट मिल रहा है, अतः यह उचित समझा गया कि ऐसे कोल्ड स्टोरेजों को किराये की अधिकतम सीमा से छूट देने का उपबन्ध किया जाय, जिन्हें लोक हित में आवश्यक समझा जाय। तो आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें निजी क्षेत्र के लोग नहीं आ जायेंगे क्योंकि कानून तो हर एक के लिए बराबर ही होगा। तो इससे यही मालूम होगा कि सरकार के पास और कोई काम नहीं है सिर्फ इन्हीं कामों के कि फलां का किराया बढ़ा दो या घटा दो और इस कोल्ड स्टोरेज को बन्द कर दिया जाय और उसको खोल दिया जाय तो इस तरह करके आपने यूं किया है जैसे शेर के हाथ में बकरी दे दी हो। इसलिए मैं कृषि मन्त्री जी से कहूंगा कि किसानों के हितों की रक्षा की जाय और इस विधेयक को वापस ले लिया जाय।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका वैसे तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन सुझाव के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू किसान का किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाय, चाहे बिजली न मिल पाने के कारण से या अन्य किसी कारणों से इसका उदाहरण हमारे जिले में मौजूद है, तो उस किसान को उसके इस नुकसान के बदले आगामी फसल के लिए कम से कम आलू के बीज उपलब्ध करा दिये जायं। यही मेरा सुझाव था छोटा सा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, अभी जब माननीय मन्त्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने बड़े दर्द के साथ यह कहा था कि अभी हमने यह छूट दी नहीं है क्योंकि हम जानते हैं एक किसान होने के नाते कि एक किसान को इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, इसलिए किसी भी रूप में हम किसानों का अहित नहीं करना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में मैंने भी पहले यही कहा था कि इसमें किसानों का बिल्कुल अहित है, वैसे लोग प्रोत्साहित होंगे कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए अगर इसलिए छूट दी गयी है तो यह बहुत बड़ी गलती है क्योंकि इससे पहले भी यही देखा गया है कि जो आलू रखने के फिक्स रेट थे, उन रेट्स पर यह कोल्ड स्टोरेज वाले न रख कर ज्यादा रेट्स पर किसानों का आलू रखते थे इसकी तमाम शिकायतें आपके पास आयी हैं, तो जब एक निर्धारित मूल्य होने पर भी ये कोल्ड स्टोरेज वाले किसानों से दोगुना और तीन गुना मूल्य वसूल करते थे तो आप जब इन्हें छूट देने जा रहे हैं तो यह क्या करेंगे दूसरे यह कौन सी गारन्टी है कि 10 रोज में इतने बहुत से कोल्ड स्टोरेज बन कर तैयार हो जायेंगे जैसा कि आपने कहा कि कोल्ड स्टोरेजों की संख्या कम होने की वजह से किसान का माल बहुत खराब हुआ, यह सही है कि कोल्ड स्टोरेज ज्यादा होंगे तो किसान को सुविधा होगी लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इधर आपने इनको यह छूट दी और उधर तमाम कोल्ड स्टोरेज बन कर तैयार हो जायेंगे।

मैं तो यह कहता हूं कि यह जो छूट, सुविधा आपने दी है, वह पूंजीपतियों के हित की है, बड़े-बड़े व्यापारियों के हित की है क्योंकि कोई लल्लू-पंजू या बुद्धू नाम का आदमी कोल्ड स्टोरेज तो बनवायेगा नहीं, बनवायेंगे बड़े-बड़े पूंजीपति ही तो आप तो व्यापारियों के हित की चिन्ता करते हैं और इसलिए इस विधेयक को लाये हैं। इसमें किसानों का क्या हित है? जब आपके कोल्ड स्टोरेज अधिक संख्या में बन जायेंगे तो उसमें आलू रखे जायेंगे और आप उसके अधिक रेट किसानों से लेंगे। यह कौन सा सिद्धान्त है कि गरीबी मिटाने के लिए गरीब को ही मार दीजिये। न किसान रहेगा और न वह आलू बोयेगा तो फिर आप उसमें रखेंगे क्या? जब आप अपने रेट बढ़ा देंगे और उसमें रखने के लिये आप किसानों से कहेंगे तो किसान कहेगा कि चलिये हम आलू को बोते ही नहीं हैं।

प्रायः ऐसा होता है कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक और व्यापारी आपस में मिले रहते हैं। उन दोनों में आपस में रेट तय रहते हैं कि हम इतना पैसा देकर यहां आलू रखेंगे। तो जब किसान अपना आलू रखने के लिये आता है तो आप अपना रेट उसे बतला देते हैं। उस रेट को सुन कर किसान वापस चला जाता है और वहां पर आलू को रखता नहीं है। फिर वही व्यापारी उस किसान के पास जाता है और उसी किसान से सस्ते दामों में आलू खरीद कर उसी कोल्ड स्टोरेज में रखवाता है। तो आप इस तरह से खुली छूट देते हैं व्यापारियों को तो यह विधेयक किसानों के हित में नहीं है बल्कि व्यापारियों के हित में है। मन्त्री जी, आप स्वयं किसान हैं। किसानों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कि किसानों की कमर न टूटे आप इस विधेयक को वापस ले लें। सभी विधायक मेरी बात से सहमत रहे होंगे और मन ही मन ठीक समझ रहे हैं परन्तु ऊपर से कुछ कह नहीं रहे हैं। तो इसलिए किसानों के हित की चिन्ता करते हुए मेरा नम्र निवेदन है कि इस विधेयक को आप वापस ले लें।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मुझे जबरदस्त खुशी है कि हमारे सभी सम्मानित सदस्य कृषकों के हितैषी हैं। कृषकों के बारे में उनको सदैव चिन्ता बनी रही है। मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि उनकी यह चिन्ता अस्थायी न हो बल्कि यह स्थायी हो कृषकों का हित हम और वे दोनों ही मिल कर सोच सकते हैं।

मान्यवर, सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं और कोई भी समझदार आदमी जो है वह यह बात जानता है कि शासन चाहे कोई भी हो प्रदेश में या देश में परन्तु जब भी ग्रामीण अन्चलों के विकास की चिन्ता होती है तो सभी इन्डस्ट्रियलिस्ट और व्यापारियों को प्रोत्साहन देना पड़ता है। आज जो शुगर फैक्ट्रीज लगती हैं उत्तर प्रदेश में तो हम उन्हें इनसेन्टिव देते हैं दो से तीन तक उनके ऊपर जो निर्धारित लेवी उनसे ली जाती है, वह न लेकर 5 या कुछ प्रतिशत लेवी ली जाती है। इसके साथ ही साथ जितने भी कारखाने यहां आ रहे हैं, या किसी भी प्रदेश में जा रहे हैं उनकी सरकारें उनको निश्चित तौर से इनसेन्टिव देती हैं। हमारी तो कृषकों की चिन्ता की है कि उनकी पैदावार का सही प्रयोग और उपयोग हो सके इसी दृष्टि से हमने वर्ल्ड बैंक से सहायता ली है। वर्ल्ड बैंक के तीन सुझावों में से एक ही को हाथ में लिया है। प्रेरणा मिली और कोल्ड स्टोरेज बनाने वाले जो हैं वे कोल्ड स्टोरेज बना सकें।

एक प्वाइन्ट पर ये विचार नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मार्केट पर शायद वह ध्यान नहीं दे सके। जब इससे लोग लाभान्वित होंगे तो निश्चित रूप से कम्पटीशन बढ़ेगा और हो सकता है कि माननीय सदस्य अगले सेशन में सरकार से मांग करें कि इस प्रतिबन्ध को तोड़ दीजिये। उसके हित में रेट मुकर्रर करने की शक्ति जो है उसको खत्म कर दीजिये, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह संभव हो सकता है, और रेट उससे नीचे चले जायं। सम्मानित सदस्य ने बहुत जोर से कहा कि व्यापारियों ने पिछले वर्ष किसानों का गला घोट करके 3-4 रु0 प्रति कुन्तल ज्यादा वसूल किया है और किसानों को मजबूर हो कर देना पड़ा, यह सत्य से परे है। मान्यवर, पिछले साल तो कोल्ड स्टोरेज खाली पड़े रहे और उनके मालिकों ने 18 रुपये से कम 15 रुपये प्रति कुन्तल के रेट से आलू अपने यहां रखा। इसका कारण यह था कि हमने वैगन्स का प्रबन्ध किया जिससे आलू प्रदेश के बाहर चला गया, इससे किसानों को अपने आलू का रेट भी अधिक मिला और वह कोल्ड स्टोरेज वालों के शोषण से भी बच गया।

श्री राम गोविन्द--

मैंने पिछले साल के लिए नहीं कहा, उससे पहले के सालों के लिए कहा।

श्री यशपाल सिंह--

पुराने सालों के तजुर्बे का ही यह नतीजा है कि यह चीजें आ रही हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसी भी प्रकार से कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि हम अपने प्रदेश के किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अगर कोल्ड स्टोरेज में कैपेसिटी होगी तो किसान उसमें अपनी मर्जी से आलू को जमा करेगा और समय पर निकाल सकेगा। इस लिए मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस पर बहुत बहस की बात नहीं है, यह किसानों के फायदे के लिये है और इससे निश्चित रूप से किसानों को मदद होगी।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री राम गोविन्द से) आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री राम गोबिन्द--

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि सदन उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा ।

(2) यह 18 अगस्त, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन 1976 में धारा 44-क का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 44 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात:--

"44-क--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि धारा 26 और धारा 29 के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान और ऐसी श्रेणी के कोल्ड स्टोरेजों के सम्बन्ध में, जो उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात बनाये गये हों, जिसे लोकहित में आवश्यक समझा जाय, लागू नहीं होंगे।" छूट देने की शक्ति

3--(1) उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ठ अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 38, सन् 1983

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में एक बात और कह देना चाहता हूं कि माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने एक विधिक प्रश्न उठाया था, उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वह चीज शासन के जहन में है जिसको कि उन्होंने आशंका व्यक्त की है। एडवोकेट जनरल से इस समय राय लेने की स्थिति नहीं है। जब हम अनुमति देंगे तो उससे लीगल आसपेक्ट पर भी विचार कर लिया जायेगा, और देख लिया जायेगा।

श्री भीखालाल--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है कि आज हमारी सरकार चाहे भारत सरकार हो या प्रदेशीय सरकार हो, विश्व बैंक के आदेशों के मुताबिक काम करती है। विश्व बैंक से सरकार ऋण लेती है और जब भी जिस किस्म का भी वह आदेश देता है उसका यह सरकार पालन करती है। जाहिर है कि विश्व बैंक पूंजीवादी देशों से प्रभावित रहता है और वह उसी नीति को हमारे देश में भी लागू करना चाहता है ताकि हमारे देश की जो जनता है, जो किसान हैं, जो उपभोक्ता हैं उनकी दरिद्रता और गरीबी बढ़े।

विश्व बैंक की सलाह से आप बिजली का रेट बढ़ा देंगे, विश्व बैंक की सलाह से आप सिंचाई के रेट बढ़ा देंगे, विश्व बैंक की सलाह से आप इन कोल्ड स्टोरेजज में दो किस्म की व्यवस्था कर देंगे। एक कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट व्यक्ति बनायेंगे और उनके लिए शासन निश्चित करेगा कि इतना वे किराया लेंगे। दूसरे कोल्ड स्टोरेज वे होंगे जो विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से बनेंगे जिनको यह छूट होगी कि वे चाहे जितना किराया लें। इस विधेयक के जरिये से जो आज आप पास कर रहे हैं और जो पूर्वगामी तिथि से लागू होगा यह विश्व बैंक की सहायता से कोल्ड स्टोरेज बनेंगे।

कृषि मंत्री जी घोषणा करते हैं कि कृषि मंत्रालय में हमारा एक कृषक बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब किसान पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो कृषि मंत्री दौड़ेंगे हमारा कहना है कि जब किसान पर मुसीबत पड़ेगी तब आप विश्व बैंक की नीतियों और निदेशों के नीचे चोटी रगड़ने के लिए दौड़ेंगे। विश्व बैंक के माध्यम से जो कोल्ड स्टोरेज बनेंगे उनको तो आपने छूट दे दी कि वे उनका जितना चाहें, किराया लेंगे। इसके लिए कहा जाता है कि हम इस विधेयक को किसानों के फायदे के लिए लाये हैं। यह विधेयक घातक विधेयक है। इससे लूट हो जायेगी। इससे किसानों से मनमाने ढंग से किराया वसूल किया जायेगा। वे पहले ही नहीं दे पा रहे हैं। सरकार का इस पर कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा तो किसानों का क्या फायदा होगा। इसलिए इसमें भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश है।

इसलिए जो विधेयक माननीय मंत्री जी लाये हैं जिसके माध्यम से उन्होंने किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए कि विश्व बैंक की सहायता से हम कोल्ड स्टोरेज बनाकर किसानों का फायदा करने जा रहे हैं, यह किसानों के ऊपर कुल्हाड़ी लगाने के अलावा और कुछ नहीं है, इससे उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, माननीय भीखालाल जी ने जो प्रश्न रखा है उसके बारे में आपको कुछ कहना है ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, भीखा लाल जी से ऐसी आशा थी कि वे कोई ठोस सुझाव सामने रखेंगे जिन पर सोचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा लेकिन उनका वही घिसा-पिटा भाषण रहा जिसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। जो यह संशोधन लाया जा रहा है यह कृषकों के हित में है इससे कोल्ड स्टोरेजेज की संख्या बढ़ेगी और यहां पर आपस में एक कंपाटेटिव स्थिति पैदा होगी और उससे किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नेशनल कैपिटल रीजन के क्षेत्रों के लिए सांविधिक निकाय की स्थापना और उससे सम्बन्धित और उससे आनुषंगिक विषयों का उत्तर प्रदेश राज्य में विनियमन संसद द्वारा तथा विधि द्वारा किए जाने के संबन्ध में संकल्प

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं--

"चूंकि केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्री की अध्यक्षता में 24 अप्रैल, 1982 को आयोजित की गयी मुख्य मंत्रियों की एक बैठक में सम्भागीय स्तर पर नेशनल कैपिटल रीजन के, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के आसन्न क्षेत्र समाविष्ट हैं, नियोजन, अनुश्रवण और विकास के लिए केन्द्रीय स्तर पर समन्वयकारी व्यवस्था करने की आवश्यकता और सम्भाग में अव्यवस्थित विकास कार्य को रोकने के लिए भूमि के उपयोग और अन्य अवस्थापना के सामंजस्यपूर्ण नीति की आवश्यकता पर भी सहमति हुई थी ;

और चूंकि उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह निश्चय किया गया था कि एक सांविधिक समन्वयकारी निकाय स्थापित किया जाय जिसमें अन्य सदस्यों के साथ-साथ केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्री और भाग लेने वाले राज्यों के मुख्य मंत्री होंगे, जो सम्भागीय स्तर पर योजना तैयार करेगा, निधि जुटायेगा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की राज्यों के साथ-साथ संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली द्वारा योजना के कार्यान्वयन में सुविधायें प्रदान करेगा ;

और चूंकि यह सदन समझता है कि यह वांछनीय है कि संघ सरकार नेशनल कैपिटल रीजन और उससे सम्बन्धित और उसकी आनुषंगिक विषयों के लिए उक्त सांविधिक निकाय की स्थापना के लिए विधि बनाये;

और चूंकि ऐसी विधि की विषय वस्तु का सम्बन्ध मुख्यतया 'भारत का संविधान' की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची (सूची-2) की प्रविष्टि 13, 17, 18 और 32 और उसकी समवर्ती सूची (सूची-3) की प्रविष्टि 20 में वर्णित विषयों में से है ;

और चूंकि संसद को, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 249 और 250 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय उपर्युक्त राज्य सूची की प्रविष्टि 13, 17, 18 और 32 में वर्णित विषयों के सम्बन्ध में राज्यों के लिए ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं है ;

चूंकि इस सदन को ऐसा प्रतीत होता है कि यह वांछनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत पड़ने वाले नेशनल कैपिटल रीजन के क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त प्रयोजनों और उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उक्त सांविधिक निकाय की स्थापना को संसद द्वारा विधि विनियमित किया जाय;

अतएव, अब, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में, यह सदन एतद्द्वारा यह संकल्प करता है कि नेशनल कैपिटल रीजन के क्षेत्रों के लिए उक्त सांविधिक निकाय की स्थापना और उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक समस्त विषयों का उत्तर प्रदेश राज्य में विनियमन संसद द्वारा विधि द्वारा किया जाय।"

श्रीमन, यह एक छोटा मगर बड़ा मुख्य विषय है। दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और बुलन्दशहर हैं, वहां दिल्ली की वजह से जैसा आज सुबह ही चर्चा हो रही थी कि जो निर्माण कार्य होते हैं या अन्य कार्य होते हैं वे अवैधानिक रूप से होते हैं। उनको वैधानिक स्वरूप देने के लिए और सारा बोझ दिल्ली में ही न रहे और उसके साथ अगल-बगल के क्षेत्र ठीक ढंग से विकसित हों, इसके लिए गत वर्ष एक बैठक हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और भारत सरकार के आवास और निर्माण मंत्री थे, निर्णय हुआ कि नेशनल कैपिटल रीजन बनाया जाय जिसका विकास एक समिति करे जिसमें तीन राज्यों के मुख्य मंत्री रहेंगे और भारत सरकार के निर्माण आवास मंत्री रहेंगे। मैं सोचता हूं कि यह सदन सहमत होगा कि गाजियाबाद, बुलन्दशहर जो उत्तर प्रदेश के हैं और दिल्ली के नजदीक में हैं उनका सुदृढ़ ढंग से प्लान डेवलपमेन्ट हो। इसलिये जो यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसको यह सदन सहमति देता है तो इस सम्बन्ध में एक विधेयक भारत सरकार हमारी संसद द्वारा पारित करके एक समुचित विकास उन क्षेत्रों का किया जाय, जो दिल्ली के पास हैं, नेशनल कैपिटल रीजन बनाकर मैं समझता हूं कि सदन इसकी अनुमति देगा।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो यह संकल्प पेश किया उसमें मुझे आपत्ति है। आपत्ति इसलिये है कि यदि केन्द्र सरकार चाहती है कि उन क्षेत्रों का विकास हो, जो उ० प्र०, राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र दिल्ली से सम्बन्धित हैं तो उसके लिये वह उतना पैसा राज्य सरकारों को दे सकती है। सूबा तो यहां का है किन्तु प्रबन्ध केन्द्र करे। तो हम अपनी शक्तियों को केन्द्र को क्यों दे दें। सारे सूबे हिन्दुस्तान के जो हैं वह तो स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, और हम तो सरकार में रह चुके हैं तो कई ऐसे मसले हैं जिनको सूबे को अपने पास रखने से केन्द्र की अपेक्षा अच्छा विकास कर सकते हैं, तो फिर हम अपने क्षेत्र को केन्द्र को क्यों दें। वन विभाग के बारे में कानून बनाने की शक्ति और उसके अनुरक्षण की शक्ति दिल्ली की सरकार को दे दिया और अब हम दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों को केन्द्र सरकार को सौंपने जा रहे हैं।

इसलिये यदि दिल्ली की सरकार को इन क्षेत्रों के विकास की चिन्ता है तो वह विकास करने के लिये इन सूबों को पैसा दे दे। नहीं तो सुझाव है कि हरियाणा सूबा बना दे जिसमें हरियाणा, दिल्ली, मेरठ कमिश्नरी, धौलपुर और भरतपुर के जिले आ जायं और दिल्ली की राजधानी को जबलपुर कर दे, तो सुझाव बहुत हैं। इसलिये हमारे अधिकार को छीनकर केन्द्र को जो देने जा रहे हैं, तो इसके लिये कोई सजग आदमी तैयार नहीं होगा और इसी तरह से हम अपने अधिकारों को केन्द्र सरकार को सौंपते जायेंगे तो देश केन्द्रीकरण की ओर जायेगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम स्वरूप वर्मा—]

और संघीय शासन व्यवस्था समाप्त हो जायेगी । इससे कहा जायेगा कि केन्द्र सरकार अच्छा प्रबन्ध कर सकती है और सूबों की सरकार अक्षम हैं । मान्यवर, इससे राज्य के अधिकारों का हनन होगा और जनतन्त्र आगे नहीं बढ़ सकेगा ।

मान्यवर, अखबारों में खबर थी कि दिल्ली के दो बड़े परिवार जो एक पुराने काकस के इन्दिरा गांधी और एक नये काकस के साथी थे राजीव गांधी इन्दिरा के यशपाल कपूर थे जिनके दामाद सरीन साहेब थे जिनको गाजियाबाद में काफी जमीन प्राप्त हुई थी । इधर राजीव गांधी ने डी० सी० एम० को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया और उन्होंने फैक्टरी लगाने के लिये गाजियाबाद में कह दिया और जमीन सरीन साहेब को दे दी गयी । इस जमीन को अध्याप्त करने के लिये सूबा सरकार को अध्याप्ति की विशेष व्यवस्था करने को कहा गया और सूबा सरकार ने उस जमीन को बहुत जल्दी ही अध्याप्त कर लिया और डी० सी० एम० को सौंप दिया । लेकिन सरीन साहेब और डी० सी० एम० दोनों ने जमीन को प्राप्त करने के लिये जोर लगाया जिससे कुछ तय नहीं हुआ और अब क्या निर्णय हुआ इसको सरकार जाने । लेकिन मुझे शक है कि इसीलिये तो नहीं यह क्षेत्र गाजियाबाद वाला क्षेत्र केन्द्र को सौंपा जा रहा है । तो हम केन्द्र को यह अधिकार क्यों दें ? जब यह केन्द्र के हाथ में होगा तो केन्द्र जिसको चाहेगा, गाजियाबाद में उसको जमीन दे देगा । यह उचित नहीं है । हम हर दृष्टि से इसे देखते हैं । इसलिये संकल्प इस काबिल नहीं है कि हम इसका समर्थन करें । इसके दूरगामी परिणाम होंगे । केन्द्र अगर विकास करना चाहता है तो वह पैसा हमें दे दे । इसलिये यह संकल्प दोष पूर्ण है, हमारे अधिकारों का हनन है, प्रदेश की ताकत पर एक प्रहार है । केन्द्र के झगड़े के कारण यह लाया जा रहा है इस पर्दे के अन्दर कि हम विकास करेंगे, यह विकास नहीं करेंगे । इसलिये मैं इस संकल्प का घोर विरोध करता हूं ।

श्री लोकपति—

श्रीमन्, कुछ भ्रम हो गया । जिस प्रकार से लखनऊ डेवलपमेन्ट अथारिटी है, कानपुर की है, आगरा की है, उसी प्रकार से यह भी एक डेवलपमेन्ट अथारिटी बनायी जा रही है, जिसमें भारत सरकार के मंत्री तथा तीन राज्यों के मुख्य मंत्री होंगे । आज प्रातः ही यह चर्चा हुई कि लोग अनधिकृत तरीके से कब्जा करते चले जा रहे हैं । जो अनधिकृत कब्जे होते हैं वे नियोजित ढंग से नहीं होते । हम चाहते हैं कि जो निर्माण हो वह नियोजित ढंग से हो । उसी उद्देश्य से यह संकल्प रखा गया है । मेरा अनुरोध है कि इसको पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय नगर विकास मंत्री जी की ओर से माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, को यह सदन स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, 1--श्री नकली सिंह की है, 2--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा नरेन्द्र सिंह भंडारी की है, 3--श्री रामस्वरूप निम की है, 4--श्री सुल्तान सिंह की है, 5--श्री शरियतुल्ला की है। इसमें से श्री नकली सिंह की स्वीकार की गयी है जो मुजफ्फरनगर में डाक्टर अम्बेदकर छात्रावास में पुलिस द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है। शेष अस्वीकार की गयी है।

मथुरा जनपद में अतिवृष्टि एवं जलप्लावन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

(4 बजकर 5 मिनट)

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मथुरा जनपद में माह जुलाई के अन्तिम सप्ताह से निरन्तर भारी वर्षा होने के फलस्वरूप.....

श्री मुख्तार अनीस--

अब यह वक्तव्य का अन्तिम हिस्सा पढ़ दे, लोग पढ़ा हुआ मान लेंगे। इस पर हम लोग सवाल कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है, आप चाहते हैं तो इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री बैजनाथ कुरील--

[ ] जलप्लावन की विषम स्थिति उत्पन्न हो गई। जनपद के कुल 1025 ग्रामों में से 530 ग्राम जलप्लावन से प्रभावित हुए हैं और 6,07,985 जनसंख्या प्रभावित हुई है। जलप्लावन से प्रभावित कुल भूमि का क्षेत्रफल लगभग 94,111 हेक्टेयर है जिसमें से 76,268 हेक्टेयर भूमि में बोई हुई खरीफ की फसल को अनुमानतः रु0 4,37,39,000 की क्षति हुई है। इस जलप्लावन से लगभग 20 व्यक्तियों की या तो गहरे पानी में डूबने से या भारी वर्षा के कारण मकानों की छत या दीवारें गिरने से मृत्यु हुई है। इसके साथ ही 244 पशु गलघोटू या खुरपका की बीमारियों से मरे हैं।

जनपद के अब तक 610 मकान पूर्णतः तथा हजारों मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मकानों की क्षति का मूल्यांकन रु0 17.76 लाख आंका गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सम्पत्ति, जैसे सड़कों, नहरों, बान्ध, ड्रेन्स व विद्यालय भवनों को भी लगभग रु0 3.50 लाख की क्षति हुई है।

भरतपुर फीडर एवं गोवर्धन ड्रेन में कटान हो जाने से सकरवा, गठौली, जानू, महरौली एवं गोवर्धन क्षेत्र में पानी का जमाव हो गया। कटान तुरन्त ही बन्द करा दिए गए तथा जनसाधारण की सुरक्षा हेतु पी0 ए0 सी0 पन्द्रहवीं

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री बैजनाथ कुरील—

बटालियन की एक प्रशिक्षित टुकड़ी आगरा से बुला कर लगाई गई। कोई जन हानि नहीं हुई। उक्त सभी गांवों से पानी के निकासी की व्यवस्था कर दी गई है और आवागमन को सुविधा बनाये रखने हेतु नावों की भी व्यवस्था कर दी गई है।

जनपद के अन्य जलप्लावित क्षेत्रों से भी पानी की निकासी का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में पानी की निकासी के लिए सिंचाई विभाग ने 26 हेवी ड्यूटी पम्प भेज दिए हैं तथा शहरी क्षेत्रों में जल निगम द्वारा जल निकासी का कार्य कराया जा रहा है। अब तक 60 बाढ़ चौकियां स्थापित की जा चुकी हैं।

पानी से घिरे गांवों में जहां आवागमन अवरुद्ध हो गया है वहां 28 नावों की व्यवस्था कर दी गई और जन साधारण को प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सहकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर पर्याप्त मात्रा में सामग्री की व्यवस्था कर दी गई है। अधिकारियों को निदेश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक प्रभावित ग्राम में कम से कम 200 लीटर मिट्टी के तेल की व्यवस्था रखें। असहाय एवं अक्षम व्यक्तियों को सहायता हेतु आटा एवं भुने हुए चने का वितरण कराया जा रहा है।

5 मोबाइल मेडिकल टीमें बीमारियों की रोक थाम तथा पीड़ित व्यक्तियों की गांव-गांव जाकर स्थल पर ही उपचार हेतु कार्यवाही कर रही हैं। संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु पर्याप्त दवाओं सहित अतिरिक्त डाक्टरों को भेज दिया गया है।

पशुओं की चिकित्सा तथा उनकी बीमारी के रोकथाम हेतु पशुधन विभाग द्वारा डाक्टरों सहित 2 सचल दस्ते गांव-गांव जाकर स्थल पर ही चिकित्सा सुविधा पहुंचा रहे हैं। पशुओं के टीका लगाने के लिए समुचित व्यवस्था कर दी गई है तथा यह भी निर्देश दे दिए गए हैं कि टीका की निर्धारित दस पैसे की वसूली नहीं की जाएगी। पशुओं के चारे की भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है।

मथुरा जनपद के लिए अभी तक जिलाधिकारी को रु0 16,00,000 का आवंटन राहत कार्य हेतु किया गया है। राजस्व परिषद ने आपदा तकावी मद में रु0 1,00,000 का आवंटन कर दिया है।

फसलों को जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची है वहां कृषि देयों की वसूली 3 माह के लिए स्थगित कर दी गई है और शेष प्रभावित क्षेत्रों में भी सरकारी वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न किए जाने के निर्देश भेज दिए गए हैं।

जनपद के निःसहाय लोगों को 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने के आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, हम सब जानते हैं कि मथुरा में यह आपत्ति पिछले 32 वर्षों से आती रही है और सरकार के तथा बैंकों आदि के जो ऋण हैं, वह स्थगित

होते आ रहे हैं, सरकार पर बहुत बोझ बढ़ गया है। इस समय जो छात्र पढ़ रहे हैं, वे फीस नहीं दे सकते हैं, उनके नाम कट गए हैं और वह अपने परीक्षा के फार्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए उनका देय जो मुल्तवी हुआ है क्या आप उसको बिलकुल माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह जो कहा है लगान की माफी का, पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि तीन सही 1 बटा 8 एकड़ तक के किसानों का लगान तो पहले से माफ है, यह संख्या 70 प्रतिशत हो जाती है। केवल 30 प्रतिशत लोगों पर लगान देय होता है, जब कोई दैवी आपदा आती है तो उसको स्थगित कर देते हैं। उसके बाद प्रस्ताव आते हैं, 50 प्रतिशत से अधिक के नुकसान वाले जो क्षेत्र हैं, उनकी छूट के प्रस्ताव बनते हैं और वह जाते रहते हैं, किसानों का वापस होता है। अभी मथुरा में पिछले बार जो नुकसान हुआ था तो उनकी छूट के प्रस्ताव आए थे और शासन से स्वीकार होकर गए हैं। उनकी स्थिति इस प्रकार है, 1387 फसली रबी 1,60,476 रुपये, खरीफ 1388 फसली 7,28,631,97 खरीफ 1389 फसली 12,88,970,90 और रबी 1288 फसली 3,60,247.371 तो इस तरह से वह प्रस्ताव बन कर जाते हैं और उन पर छूट मिलती है।

श्री मुख्तार अनीस—

जो मथुरा के बारे में मंत्री जी ने बताया है, यह शासन का जो वक्तव्य मिलता है, यह सब सत्य पर आधारित नहीं होता है। जितना नुकसान होता है, उसको बहुत कम करके बताया जाता है। इस समय शासन की जो स्थिति है और शासन की हालत है, 1025 ग्रामों में से 530 ग्राम जलप्लावन से प्रभावित हुए हैं और 6,07,905 लोग प्रभावित हुए हैं, 94,112 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हुई है, जिससे 4,37,89,000 रुपये की फसल की क्षति हो गई है, 20 व्यक्ति मर गये हैं और 610 मकान धराशाई हो गए हैं। इतना भयंकर नुकसान मथुरा जिले को हुआ है और मंत्री जी निहायत उदारता के साथ, जहां 17 लाख रुपये की केवल मकानों की क्षति हुई है, कुल 16 लाख रुपया सारे राहत कार्य के लिए भेज रहे हैं।

(इस समय 4 बज कर 8 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

वहां आधे से ज्यादा घर बरबाद हो गये हैं। आप कह रहे हैं कि जहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा हानि हुई है वहां पर लगान माफ होगा। मान्यवर, बरसों से मथुरा जनपद तबाह होता आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनुदान की राशि आप बढ़ायेंगे। मथुरा में जो लगातार वर्षा से नुकसान हो रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुये पिछले साल के लगान को माफ करते हुये, इस बार जो नुकसान हुआ है, तो तीन महीने के लिये जो वसूली स्थगित करने की बात है तो क्या इसको और लगान जो माफ करने कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह जो 17 लाख रुपया वहां भेजा गया है यह तुरन्त राहत के लिये भेजा गया है । साथ ही यह निर्देश दें कि अगर और अधिक धन की आवश्यकता है तो जिलाधिकारी तुरन्त मांग करें। पैसे की कमी नहीं है। जो पैसा है वह उसको खर्च करें और मांगेंगे तो तुरन्त भेजा जायगा । जो मकान गिरे हैं तो उसका सर्वे करेंगे । गृह अनुदान बाद में दिया जायगा ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, 17 लाख रुपये से कुछ नहीं होगा । अधिकारियों का कमीशन निकाल लीजिये तो क्या मिलेगा बाढ़ पीड़ितों को । मैं जानना चाहता हूं कि लगान माफ करेंगे या नहीं । पिछले 32 वर्षों से ऐसा हो रहा है । वहां का आदमी जर्जर हो गया है । आप कम से कम लगान माफ करने की घोषणा कर दें ।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, लगान माफ करने की जो प्रक्रिया है उसी के तहत लगान होगा । वहां से जब आयेगा कि इन-इन क्षेत्रों में इतना-इतना नुकसान हुआ है खड़ी फसल को तो उसी के मुताबिक लगान माफ होगा । यह घोषणा पहले ही हो चुकी है, कोई नयी बात नहीं है ।

श्री दयाल कृष्ण--

मान्यवर, मथुरा जनपद में जो यह जल की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है उसके विषय में मैं 2-3 बातों को बहुत गम्भीर रूप में रखना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि मथुरा जिले में कुछ इलाके ऐसे हैं, विशेषकर गोवर्द्धन ब्लाक जहां पर हरियाणा और राजस्थान से पानी आता है । पानी के निकालने की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि पानी की निकासी हो सके । एक गोवर्द्धन ड्रेन बना, राल ड्रेन बना, गोवर्द्धन ड्रेन कम गहरा है उसको कम से कम 3 फीट और गहरा होना चाहिये तब उसमें कुछ पानी निकल सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

दयाल कृष्ण जी आप स्पष्टीकरण के नाते कुछ बातें पूंछना चाहते हों तो पूंछें ।

श्री दयाल कृष्ण--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि मथुरा आज जलमग्न है और खरीफ की फसल डूब रही है, फसल को पूर्ण नुकसान हो चुका है तथा रबी की कोई सम्भावना नहीं है । इसके ऊपर मैं मंत्री से पूंछना चाहता हूं कि मई, जून में जिन नालों और गूलों की सफाई होनी चाहिये थी वह क्यों नहीं की गयी ।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह बात सही है कि भरतपुर फीडर एवं गोवर्द्धन ड्रेन में कटान हो जाने से सकरवा, गठौली, जानू, महरौली एवं गोवर्द्धन क्षेत्र में पानी का जमाव हो गया है । तो यह कटान बंद कर दिया गया है तथा पानी निकालने के लिये

सिंचाई विभाग के 26 हैवी ड्यूटी पंप भेजे गये हैं। उससे पानी के निकालने की व्यवस्था हो रही है। नाले और ड्रेनों के सफाई के पहले आदेश हो चुके थे। अगर सफाई नहीं हुई है तो गलत बात है। मैं सिंचाई विभाग को इस सम्बन्ध में लिखूंगा।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, पैसा न होने के कारण छात्र फीस नहीं दे सकते हैं। पैसा न होने के कारण बोर्ड के एक्जामिनेशन के फार्म भरने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो क्या डिग्री कालेजों, इंटर कालेजों तथा हाई स्कूल के छात्रों की फीस माफ करने का कष्ट करेंगे तथा फार्म भरने की फीस देंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, शासन की नीति है जहां पर इस प्रकार की दैवी आपदा आती है सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि का शिक्षा विभाग को लिखा जाता है और वह फीस माफ करते हैं। हमने कल ही शिक्षा विभाग को लिखा है फीस अवश्य माफ होगी। मैं यह घोषणा करता हूं।

श्री मुख्तार अनीस--

श्री राम सिंह खन्ना, श्री बैजनाथ कुरील और श्री बल्देव सिंह आर्य को, मुख्य मंत्री जी तो हैं नहीं, एक साथ बैठा दिया जाय और यह देखा जाय कि कौन छात्र इनमें अधिक होशियार है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें कहा कि 1 हजार 25 गांव हैं जिनमें से 530 गांव जलमग्न हैं। तो आधे से अधिक गांव तो जलमग्न हैं। इसलिये सारे छात्रों की फीस माफ होनी चाहिये, लगान माफ होनी चाहिये, घर गिरी का पैसा बंटना चाहिये। 16 लाख रुपया जो जिलाधिकारी को मिला है इसमें घर गिरी का कितना पैसा है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मैंने पहले कहा कि 17 लाख रुपया गया है साथ ही यह भी आदेश गया है और पैसे की आवश्यकता हो तो तुरन्त टेलेक्स से मांगें पैसे की कमी नहीं है। घर गिरी का पैसा तो बाद में जायेगा अभी सर्वे हो रहा है।

श्री सरदार सिंह--

माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि 17 लाख रुपया भेज दिया है उसमें से कितना पैसा बंट गया और कितने पैसे की और डिमान्ड की गयी है।

श्री बैजनाथ कुरील--

काम हो रहा है। हमारे राज्य मंत्री राम नरेश शुक्ला जी गये थे उन्होंने देखा काम हो रहा है अभी और पैसे की डिमान्ड नहीं की गयी है।

श्री दयाल कृष्ण—

सवाल मथुरा जनपद का है। जो पैसे का वितरण हो रहा है वह किसके माध्यम से हो रहा है। जब हर ब्लाक में जन प्रतिनिधि मौजूद हैं मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको स्पष्ट आदेश भेजना चाहिये था कि जहां पैसे का वितरण किया जाय, वहां जन प्रतिनिधि का होना आवश्यक है। तब तो हम समझ सकते हैं कि जो पैसा वितरित किया जा रहा है उसका आधा पैसा सही रूप में बंटा है। जिसको राहत देना है, जिसका घर गिर गया है या जो भूखों मर रहा है लेखपाल उसकी लिस्ट बना रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि यह कार्य वारफूटिंग पर होना चाहिये। जिन लोगों को राशन चाहिये, उनको तुरन्त प्रदान किया जाय क्योंकि देर करने पर वह मर जायेंगे। सुझाव के तौर पर मैं प्रश्न के रूप में एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कुछ मोबाइल राशन शाप बना दिये जायं तो वह भी राहत काज में काफी योगदान होगा।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, राहत के जो कार्य हो रहे हैं इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि जहां पर, जिस चौकी पर जिस राहत केन्द्र पर, कोई राहत कार्य हो कुछ बांटा जाए, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायकगण हैं, ब्लाक प्रमुख हैं उनको वह सूचना देंगे अब यदि यह समय दे सकते हैं तो वह वहां जायेंगे। ऐसे आदेश हर जिलाधिकारी को दिए जा चुके हैं।

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, 17 लाख में से 10 लाख तो इनके अधिकारी कर्मचारी ही खा लेंगे।

श्री सरदार सिंह—

मथुरा में जिलाधिकारी ने कितना रुपया मांगा है ?

श्री बलवीर सिंह (रायपुर)—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट लेखपाल तैयार करते हैं वह ग्राम पंचायतों के मेम्बरों की रिपोर्ट लेकर तब रिपोर्ट तैयार करते हैं या स्वयं ही तैयार करते हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हर ग्रामीण सभा स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में लेखपाल नुकसान का आकलन करे तभी नुकसान का आकलन सही रूप से हो सकता है। जो इन्होंने 'ऊंट के मुंह में जीरा' दे दिया है वास्तव में जो नुकसान है वह अरबों में है मान्यवर, एक प्रथा चली आ रही है....।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो भाषण आप देने लगे, कृपया बैठ जायें।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, हरियाणा में 1 हजार रुपया अतिवृष्टि पर प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया है।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जो सम्मानित सदस्य ने कहा कि नुकसान हुआ है मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है दैवी आपदा को कोई रोक नहीं सकता । हम क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं कोई भी शासन हो वह क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है । केवल सहारा मात्र होता है । हम उनकी तकलीफ में कुछ सहायता लेकर खड़े होते हैं और उनको जो तुरन्त जरूरत होती है, जिस चीज की, वह उपलब्ध कराते हैं । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि ग्राम प्रधान को इसमें शामिल करना चाहिए । बहुत दिनों से यह दैवी आपदा का प्रकोप होता आ रहा है जब भी कोई मुख्य कार्य होता है तो उस गाँव के ग्राम प्रधान से पहचान कराते हैं कि यह उसके गांव का आदमी है या नहीं ?

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि बच्चों की फीस माफ करायी जाए । लगान माफ कराया जाए । जब तक यह माफ नहीं होता तो हमारे यहां आने का कोई फायदा नहीं है । विधान सभा में आने का कोई फायदा नहीं है ।

(व्यवधान)

(श्री सरदार सिंह उठकर सभा मंडप के बीच खाली स्थान पर आ गये।)

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, केवल 17 लाख रुपया दिया है । जब तक मंत्री जी आश्वासन नहीं देंगे, जब तक छात्रों की फीस माफ नहीं की जाएगी, जब तक लगान माफ नहीं किया जाएगा हम विधान सभा को नहीं चलने देंगे चाहे आप हमें निकाल दीजिए हम विधान सभा को नहीं चलने देंगे ।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपनी जगह पर वापस जायं ।

श्री सरदार सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

(श्री सरदार सिंह सदन के फ्लोर पर बैठे)

श्री अधिष्ठाता--

मोहन सिंह जी आप माननीय सदस्य को अपनी सीट पर आने के लिये कहें ।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, हम मथुरा वालों से क्या कहेंगे । मान्यवर, मथुरा डूब रहा है, किसान हड़ताल कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं कह रहा हूं आप अपने स्थान पर जाइये, अथवा सदन छोड़ें ।

(श्री सरदार सिंह के वापस न जाने पर ।)

श्री अधिष्ठाता--

मैं इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सरदार सिंह को सदन से एक दिन के लिए निलम्बित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री सरदार सिंह को एक दिन के लिये सदन से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री अधिष्ठाता के निर्देश पर मार्शल विधान सभा रक्षकों की सहायता से श्री सरदार सिंह सदन के बाहर ले जाए गये ।)

जिला बस्ती के खलीलाबाद कस्बे में जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष, श्री हीरा राज सिंह की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

श्री जीतन सिंह पुत्र दूबर राज सिंह, निवासी डुमरी, थाना सहजनवा, जिला गोरखपुर की लिखित सूचना पर थाना खलीलाबाद, जनपद बस्ती में 3 अगस्त, 1983 की एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/307 भारतीय दन्ड विधान 5 नामित अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार श्री जीवन सिंह अपने छोटे भाई हीरा राज सिंह के साथ खलीलाबाद कस्बे में चाय पी रहे थे जब कि अभियुक्तगण दो मोटर साइकिलों से वहां आये । अभियुक्तों ने गोली मार देने और बचने न देने के लिये ललकारते हुये जान से मारने की नीयत से रिवाल्वर से गोली चलाई । यह घटना प्रातः साढ़े आठ बजे की बतायी गयी है । गोली लगने से हीरा राज सिंह घायल होकर गिर पड़े । घायल श्री सिंह को तुरन्त अस्पताल भेजा गया ।

सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक, खलीलाबाद पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे । कुछ जनता के व्यक्तियों को साथ लेकर निरीक्षक ने अभियुक्तों का पीछा किया । अभियुक्तगण एक राजदूत तथा एक बुलेट मोटर-साइकिल छोड़कर भाग गये । नामित अभियुक्त राकेश सिंह को पौने दस बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया । राकेश सिंह की तलाशी से एक रिवाल्वर, जिसमें चार कारतूस भरे हुए थे, दो खाली और तीन जिन्दा कारतूस बरामद किये गये । अभियुक्त राकेश सिंह के विरुद्ध आर्म्स ऐक्ट की धारा 25/27 के अन्तर्गत एक अभियोग और पंजीकृत हुआ ।

घायल श्री हीरा राज सिंह को तत्काल जिला चिकित्सालय, गोरखपुर भेजा गया तथा बाद में उन्हें मेडिकल, कालेज, गोरखपुर में स्थानान्तरित किया गया। 5/6 अगस्त, 1983 की रात्रि में श्री हीरा राज सिंह की मृत्यु हो गयी। अंकित अपराधों की विवेचना गहराई से जारी है और इसका चेकअप अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भी कराया जा रहा है। राजनैतिक कार्यकर्ताओं में भय एवं आतंक व्याप्त होने की बात सही नहीं है। श्री हीरा राज सिंह के परिवार की उचित सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि पांच नामिनेटेड अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकरण हुआ, तो ये पांच नामित अभियुक्त कौन हैं, इनमें से कितने गिरफ्तार किये गये और शेष के गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, इसमें पांच प्रतिवादी हैं। वे इस प्रकार हैं--हरिशंकर तिवारी पुत्र श्री भोला तिवारी। दूसरा, भालमणि तिवारी, निवासी गोरखपुर। तीसरा, कृष्ण कुमार पुत्र श्री धनुषधारी। चौथा, अरबिन्द सिंह और पांचवा राकेश सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह। इन पांच प्रतिवादियों में से एक श्री राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष लोगों के लिये पुलिस ने दिनांक 3 अगस्त, 1983, 4 अगस्त, 1983, 10 अगस्त, 1983 तथा 10 अगस्त, 1983 को बस्ती और गोरखपुर में सम्भावित स्थानों पर तलाशी की। ये अपराधी भागे हुए हैं।

श्री हुकुम सिंह--

जिन जनपदों के नाम माननीय मन्त्री जी ने बताये और कहा कि वहां, जो फरार अपराधी हैं, छापे मारे गये, किन्तु वे अभी तक पुलिस के कब्जे में नहीं आ सके हैं। तो क्या सरकार ने 1982 और 1983 के अन्तर्गत कार्यवाही करके उनकी सम्पत्ति की कुड़की की है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, अभी इस मामले में पुलिस द्वारा तलाशी की जा रही है। सी0 आई0 डी0 इस बात पर गहन अध्ययन कर रही है। उनकी रिपोर्ट के बाद 1982-83 की कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, इसमें जिस अभियुक्त का नाम लिया गया है, वह एक हीनियस क्रिमिनल है। जिसकी जमानत करते हुए सेशन जज ने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है ऐसे आदमी को जमानत पर छोड़ने पर। लेकिन पुलिस की असावधानी के कारण टेक्नीकल ग्राउन्ड पर मुझे यह जमानत करनी पड़ रही है। अब मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने यह असावधानी बरती, उनके विरुद्ध शासन क्या कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, टेक्नीकल ग्राउन्ड पर जमानत स्वीकार कर ली गई है अब विभागीय कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, जिस रिवाल्वर से श्री हीरा राज सिंह की मृत्यु हुई क्या वह सर्विस रिवाल्वर थी ? यदि हां, तो वह किस अधिकारी ने दी थी । इसे आप बता दें ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, मैंने कहा तो सही कि इस मामले पर गहन अध्ययन किया जा रहा है और इसकी विवेचना का काम जारी है और जो कारतूस मिले हैं उनकी जांच-पड़ताल की जा रही है । टेक्नीकल आफीसर इसकी जांच कर रहे हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस घटना से राजनैतिक कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार का असंतोष व्याप्त नहीं है । मान्यवर, किसी भी दल का एक नवजवान कार्यकर्ता जो समाज को समर्पित हो, उसका कत्ल हो जाय, सामाजिक जीवन के लिए एक बहुत ही भयावह स्थिति है । माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया उसका औचित्य मेरे समझ में नहीं आया । पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह मोटर साइकिल किसकी थी ? दूसरी मोटर साइकिल का जो मालिक है, जो गिरफ्तार हुआ था, उसने उसकी (गिरफ्तार आदमी) जमानत दी । इसके बारे में माननीय मंत्री जी बतायें ?

श्री गुलाब सेहरा--

विवरण में जो आया है उसमें कहा गया है कि यह मोटर साइकिल आर0 टी0 दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जिसकी तलाश की जा रही है । दूसरा, कोई टाकीज खलीलाबाद में है वहां की बताई जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट था । शायद लगता है कि माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न की तरफ ध्यान ही नहीं दिया । मेरा प्रश्न तो यह था कि वह मोटर साइकिल किसकी थी । क्या यह मोटर साइकिल उस आदमी की है जिसने जमानत कराई । क्या यह भी सच है कि श्री हीरा राज सिंह की मृत्यु के बाद उस आदमी ने, जिसकी वह मोटर साइकिल थी, थाने में रपट भी दर्ज कराई है । इसकी माननीय मंत्री जी को क्या जानकारी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

एफ0 आई0 आर0 उस चोरी की कराई गई, इसकी सूचना हमारे पास नहीं है । लेकिन, मैंने आपको बताया, मोटर साइकिल के बाबत, उसमें ऐसा है कि उसका दिल्ली का नम्बर है, उसकी तलाश जारी है और वहां भी अभी तक यह पता नहीं लग पाया कि मोटर साइकिल किसके नाम की थी ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इसी प्रकरण से सम्बन्धित जो बेल आर्डर है, जो वहां के जज ने दिया है, उसका मैं एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं :—

इट इज रियली वेरी अनफार्चुनेट दैट ऐन एक्यूज्ड आफ सच हीनियस आफेन्स इफ बीइंग रिलीज्ड आन बेल आन एकाउन्ट आफ इग्नोरेन्स आफ दि पुलिस आफिसर्स ।

यह सचमुच ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक ऐसा अभियुक्त जो इस तरह के गम्भीर अपराध में फंसा है, उसको केवल इस आधार पर जमानत मिल रही है कि पुलिस आफिसर्स ने इन्वेस्टीगेशन करते समय कुछ गल्ती की ।

प्रोविजन आफ सेक्सन 50 सी0 आर0 पी0 सी0 इट इज स्टिल मोर रिग्रेटेबिल दैट दि रिक्वायर्मेन्ट्स आफ दिस प्रोविजन आर नाट आब्जर्व्ड बाई दि पुलिस आफिसर्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट इनस्पाइट आफ माई सिमिलर अबजर्वेशन मेड इन ऐन अदर केश ए फ्यू मन्थ्स बैक ।

जज कहते हैं कि न केवल इस केस में बल्कि इसके पूर्व में भी तमाम ऐसे मामले आये जिससे जाहिर हुआ कि इस जिले की पुलिस इस तरह की अनभिज्ञता कर रही है ।

ऐण्ड इनस्पाइट आफ दि फैक्ट दैट दिस फैक्ट हैड आल्सो बीन ब्राट टु दि नोटिस आफ दि एस0 पी0 बस्ती इन दि मीटिंग आफ दि मानीटरिंग सेल ।

इस स्थिति से एस0 पी0 बस्ती को मनिटरिंग सेल की बैठक के समय भी अवगत कराया गया था । एक तरह से उन्होंने बस्ती जिले की सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था के ऊपर अपना रिमार्क दिया है । तो, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी रोशनी में क्या बस्ती जिले के सम्बन्धित पुलिसजनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? जिसके निकम्मेपन के कारण स्वयं जिला जज कहते हैं कि इस तरह के अभियुक्त लगातार बचते चले आ रहे है । यह जो टेक्नीकल ग्राउंड वे बता रहे हैं, उनको वेव करते हुए, उसकी जमानत खारिज हो जाय, इसके बारे में सरकार कोई पहल करेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय न्यायाधीश जी ने जो टिप्पणी दी है और पुलिस की टेक्नीकल गलती से जो जमानत हो गई है, उस पर विभागीय कार्यवाही अवश्य होगी ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । मैंने पूछा था कि इसको वेव करते हुये जमानत के कैंसीलेशन के लिये भी पहल करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मुल्जिम गिरफ्तार हुआ था उसने सरे आम वहां पर हजारों लोगों के बीच में कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री और सहकारिता राज्य मंत्री से परिचय हैं, उन लोगों का अभी फोन आता होगा, आप लोग अधिक हमको तंग मत करिये । उन्हीं लोगों के जाने का यह नतीजा है कि पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति को लिख दिया कि गिरफ्तार शुदा राकेश सिंह को हमने गिरफ्तार किया है । इसी गिरफ्तारी शुदा शब्द पर जज ने जजमेंट कर दिया कि जब मुल्जिम पहले से ही गिरफ्तार था तो उसको गिरफ्तार करने का औचित्य नहीं जाहिर होता । क्या पुलिस की इस निष्क्रियता के बाबत कोई कठोर कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि टेक्नीकल ग्राउंड पर यह बेल हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां के पुलिस अभियोजन अधिकारी इस टेक्नीकल ग्राउंड से सहमत हैं या नहीं ? यदि असहमत हैं, तो क्या इस जमानत के खारिज के लिये उच्च न्यायालय जायेंगे ? इस टेक्नीकल ग्राउंड के कंसीलेशन के लिए कोर्ट में मूव करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

न्यायाधीश ने जो टिप्पणी दी है, उस टिप्पणी पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे । अब असहमति या सहमति का प्रश्न कहां उठता है ।

श्री हुकम सिंह--

सवाल कुछ पूछ रहे हैं, जवाब कुछ आ रहा है । इस जमानत को निरस्त कराने के लिय कुछ कार्यवाही करेंगे, यह पूछ रहे हैं, जवाब इसका आ नहीं रहा है ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, इस बेल का जो निर्णय है उसमें जज साहब ने लिखा है :--

> दिस बेल आर्डर शैल रिमेन इन्फोर्स वनली टिल ए चार्जशीट इज सबमिटेड बाई दि पोलिस इन दी केस । एज सून एज दि चार्जशीट इज सबमिटेड दि बेल आर्डर शैल कम टू एन एन्ड एण्ड दि पुलिस विल बी फ्री टू एरेस्ट दि एक्यूज्ड ।

जैसे ही चार्जशीट पूरा हो जायेगी, वैसे ही पुलिस इस अपराधी को गिरफ्तार कर लेगी । तो, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि चार्जशीट आपका मुकम्मल कर ली गई तो उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने प्रारम्भ में बताया कि सी0 आई0 डी0 के सान्निध्य से इसकी विवेचना की गई...

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

चार्ज शीट कब तक फ्रेम हो जायगी, यह बता दें ?

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न पूछ चुके हैं, अब माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दें ।

श्री गुलाब सेहरा--

विवेचना के आधार पर पुलिस ने 3 तारीख को, 4 तारीख को, 7 तारीख को और 10 तारीख को जनपद गोरखपुर और बस्ती में जहां-जहां सूचना मिली कि अपराधी छिपे हैं, छापे मारे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं दो प्रश्न और करना चाहता हूं । पहला, जिस मोटर साइकिल की चर्चा मैंने की, क्या यह सही है कि वह मोटर साइकिल उस नगर के एक मोती सेठ नाम के व्यक्ति की है और उसने हीराराज की मृत्यु के बाद चोरी की रिपोर्ट लिखायी है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि इसमें मोती सेठ का भी हाथ है ? यदि हां, तो फिर उसका चालान न करने का क्या कारण है ?

दूसरा, जो स्टेटमेंट दिया और जो सवाल-जवाब हुए और जो आदरणीय जज की टिप्पणी है, उसके सन्दर्भ में स्पष्ट हो गया कि पुलिस का दामन साफ नहीं है । ऐसी स्थिति में वर्मा जी पुलिस अफसर हैं, क्या उन्हें तुरन्त वहां से हटाने का आश्वासन देंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय मित्र ओझा जी को यह आश्वासन विशेष रूप से दूंगा कि जो चीजें उस घटना के सन्दर्भ में मिली हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो या आर्म्स हों, की विवेचना की जा रही है कि यह रिवाल्वर और मोटर सायकिल किसको बिलांग करती है । उसको बताना विवेचना में व्यवधान होगा ।

श्री मोहन सिंह--

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि अमुक-अमुक तारीखों को पुलिस ने अभियुक्तों के घर पर छापा मारा और वह नहीं पकड़े गये। इस सिलसिले में बताना चाहता हूं कि एक अभियुक्त कांग्रेस (आई) एम0 पी0 का सगा भाई है, एक प्रख्यात नेता है, वह श्रीमती इन्दिरा गांधी से सार्वजनिक रूप से मिला है । एक अभियुक्त जिले की कांग्रेस पार्टी का प्रतिष्ठित नेता है । इनको राजनीतिक कारणों से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है । इसके विरोध में हमारी पार्टी सदन से वाक-आउट करती है ।

(श्री मोहन सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मुख्तार अनीस—

अगर पुलिस चार्जशीट फ्रेम कर दे तो राकेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाय । सारे अपराधियों के साथ सत्ताधारी लोग और मुख्यमंत्री मिले हुए हैं । दिल्ली के इशारे पर हत्यायें होती हैं । मैं और मेरी पार्टी इसके विरोध में सदन त्याग करती हैं ।

(श्री मुख्तार अनीस अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मैं और मेरी पार्टी सदन का त्याग करती हैं । सत्ता पार्टी की ओर से यह कोशिश हो रही है कि मामले को दबाया जाय औ . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बगैर अनुमति के बोले जा रहे हैं, लिखा नहीं जायगा ।

(श्री विद्यासागर नौटियाल भी सदन त्याग कर चले गये ।)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 8 सितम्बर, 1983 की बैठक में सदन के दिनांक 9 सितम्बर और 12 सितम्बर, 1983 के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में तय किये जाने का विनिश्चय किया है—

9 सितम्बर, 1983, शुक्रवार

(1) असरकारी कार्य (आधा दिन)

(2) क—निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—

1—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) ।

2—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन (संशोधन) विधेयक, 1983 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) ।

3—उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) ।

12 सितम्बर, 1983, सोमवार

प्रश्नों के बाद नियम 301 की सूचनायें ली जायेंगी। (नियम 51 व 56 की सूचना नहीं ली जायेगी।)

क—यह सदन मण्डल आयोग की रिपोर्ट का स्वागत करता है और शासन को निर्देश देता है कि मण्डल आयोग की शीघ्रातिशीघ्र लागू किये जाने विषयक श्री रियासत हुसैन तथा श्री प्रदीप कुमार यादव द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव पर चर्चा। (दो घण्टा)

ख—निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—

1—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)।

2—दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)।

3—उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)।

4—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अधिष्ठाता द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना अधिष्ठाता द्वारा सदन को दी गयी, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों, रेलवे मजिस्ट्रेटों एवं न्यायाधीशों द्वारा अपनी मांगों के लिये आन्दोलन करने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा व राज्य न्यायिक सेवा के संगठन से प्राप्त मांगों का ब्योरा संलग्न परिशिष्ट "क" में दिया हुआ है।

2—इन मांगों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यह सभी मांगें वित्तीय भार रखती हैं। न्यायिक सेवा अधिकारी संघों द्वारा सभी मांगों से सम्बन्धित मांगों

[श्री अम्मार रिजवी--]

पर उत्तर प्रदेश द्वितीय वेतन आयोग द्वारा विचार किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त माननीय न्यायाधीश थे जिन्हें न्यायिक सेवा का लम्बा अनुभव था। आयोग ने अपनी संस्तुतियों को अन्तिम रूप देने के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भी विचार-विमर्श किया था। तत्पश्चात् शासन ने आयोग की संस्तुतियों पर विचार करके न्यायिक सेवाओं के लिए वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड आदि अपने संकल्प संख्या वे0 आ0 1590/दस--42 (एम)-1980, दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के द्वारा निर्धारित किये हैं।

3--इतनी शीघ्र वेतनमान सम्बन्धी मांगों को लेकर न्यायिक अधिकारियों द्वारा आन्दोलन करना न तो उचित है और न ही सामयिक। राज्य शासन न्यायिक अधिकारियों की उचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए सदैव तैयार है पर वित्तीय श्रोतों की सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

4--उपरोक्त स्थिति में, जब कि शासन द्वारा न्यायिक सेवा अधिकारियों की कतिपय मांगों पर विस्तृत रूप से विचार किया जा रहा है यह उपयुक्त न होगा कि इन विन्दुओं पर विधान मण्डल में कोई चर्चा की जाय।

(मांगों के सम्बन्ध में देखिये नत्थी "ठ" आगे पृष्ठ 245 पर)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से यह बात कही कि न्यायिक अधिकारियों को इस तरह संघर्ष पद पर नहीं जाना चाहिये था, यह किसी भी तरह न्यायोचित नहीं है, तो मैं उन्हें इस सिलसिले में याद दिलाना चाहता हूं कि श्री एच0 आर0 गोखले, जो हिन्दुस्तान के मशहूर न्याय विद् थे, उन्होंने एक बार हाईकोर्ट से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दिया था कि हाईकोर्ट के जजेज का वेतन भत्ता बहुत कम था, अगर यहां पर भी इसी प्रकार की स्थिति रही तो उससे न्याय सम्भव नहीं हो पायेगा, उसे पारित 1964-65 में किया गया था। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा अधिकारी संघ ने एक सम्मेलन किया था उसमें मुख्य मन्त्री जी गये थे वहां पर और वहां उन्होंने इलाहाबाद में उनको आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का हम शीघ्र ही समाधान करेंगे। उसके बाद 1 तारीख को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने एक दिन का उपवास रखा और आगे तमाम बातें कहीं। यह सही है कि वेतन आयोग के अध्यक्ष एक भूत-पूर्व न्यायाधीश थे जिनकी अध्यक्षता में कमेटी थी। हम अपेक्षा रखते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के लोग सरकार के सामने उचित ढंग से अपनी मांगों को रखते तो ऐसा सम्भव नहीं था।

आपने कहा कि इस पर विवाद न हो। मैं विवाद नहीं करना चाहता हूं परन्तु मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस मांगों के स्वीकार न करने से आपके कितने वित्तीय संसाधन और कहां बढ़ेंगे? जो मांग उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने आपके सामने रखी है क्या आपने उसकी कोई छानबीन करवाई है या आप इस पर कोई आंकलन कर सकें हैं कि इससे कितना वित्तीय भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा। आखिर कितना भार आयेगा 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5 और कितने वित्तीय वर्ष में आप इसे पूरा कर सकेंगे जिससे कि जो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो उनकी है उससे इस प्रदेश का न्यायिक संघ बच सके, आप कृपया यह बतला दीजिये।

श्री अम्मार रिजवी--

अभी माननीय मोहन सिंह जी ने न्यायिक अधिकारियों के बारे में बातें कही उसके बारे में सरकार की ओर से पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि इस पर विचार किया जा रहा है। इसमें जब 1 सितम्बर, 1983 को मीटिंग हुई थी, यह मीटिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की गई थी, उसमें तमाम बातें मान्यवर विचार की गई। उसके बाद ला-सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गई जो कि इस पर विचार कर रही है। उनके अधिकारियों से भी बात चल रही है। परिशिष्ट "क" में जो मांगें दी गयी हैं, मैं आपके माध्यम से मोहन सिंह जी से कहना चाहता हूं और साथ ही आश्वस्त भी करता हूं कि जहां तक उनकी मांगों का सम्बन्ध है, कठिनाइयों का सम्बन्ध है उसके गुरुतर भार से तथा उनके ओहदे से सरकार पूरी तरह से अवगत है और हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वित्तीय साधन की सीमाओं को देखते हुए हम उनकी मांगों को कहां तक पूरा कर सकते हैं और कितने वर्षों में पूरा कर सकते हैं।

श्री मोहन सिंह--

आपने इस सम्बन्ध में तमाम कमेटियां बना दी। उन्होंने अपनी मांगों को मुख्य मन्त्री को फरवरी में दिया और आज फरवरी से सितम्बर का समय हो गया और आपकी कमेटियां कोई निर्णय न ले सकी। अब ला-सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। आप उनको निर्देश दीजिये कि वह इस बिन्दु पर विचार करें कि हमारे प्रदेश के खजाने के ऊपर इनकी मांगों को मानने से कितना वित्तीय भार आयेगा और क्या आप उसको वहन करने के लिए तैयार हैं? जो मूल बात है आप उसका उत्तर दे दीजिये और यदि इसमें आपको सूचना की आवश्यकता है तो फिर आप इसकी सूचना मंगा लीजिये।

श्री अम्मार रिजवी--

पहली बात तो यह कि यह मांग 13 मई को आयी थी, फरवरी में नहीं। जहां तक इस्टीमेट की बात है, जब कमेटी बना दी गयी है तमाम बातों पर तथा इस्टीमेट पर विचार किया जा रहा है कि कितना वित्तीय भार प्रदेश के खजाने पर जायेगा। इसमें एक बात यह मैं कह देना चाहता हूं कि इस समय जो इन सब बातों को देखते हुये फेस कर सकते हैं, उसे करेंगे और आगे जो कर सकते हैं, उसे बाद में करेंगे।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा व राज्य न्यायिक सेवा संगठन ने जो मांग की है तो क्या आपने इस बात का जायजा लेने की कोशिश की है कि पूरे देश के अन्य प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों के जो वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें जो उनको मिलती हैं उसके अनुरूप यहां पर हैं या उससे कम हैं। क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण आपने कराया है या कोई जानकारी दूसरे प्रदेशों की आपने प्राप्त की है

[श्री ऊदल--]

हमारे यहां के जो न्यायिक अधिकारी हैं उनकी दूसरे प्रदेशों के न्यायिक अधिकारियों से तनख्वाहें और सुविधायें कम मिल रही हैं। क्या आपने इसकी जांच की है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो वक्तव्य दिया गया है उनको अगर पढ़ा जाये तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेतन आयोग का गठन किया गया था, उसके चेयरमैन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, जब वेतन आयोग की सिफारिशें की जा रही थीं उस समय हाई कोर्ट के जज से परामर्श की गई थी। अगर आयोग का गठन न किया गया होता तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मेरा यह प्रश्न नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी को आप उत्तर दे लेने दें फिर आप बोलें।

श्री अम्मार रिजवी--

इन सारी चीजों पर उस वेतन आयोग ने विचार किया होगा। अगर नहीं किया है तो जो प्वाइन्ट ऊदल जी ने उठाया है और जिन बिन्दुओं पर रोशनी डाली है उनको दिखलवा लिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह--

वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद भी तमाम श्रेणियों के लोगों ने अभ्यावेदन दिये हैं और सरकार ने अपनी सिफारिशों में संशोधन भी किया है। तो माननीय मन्त्री जी बार-बार यह कह रहे हैं कि वेतन आयोग विचार कर चुका है, तो मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि न्यायिक सेवा के अधिकारियों का जो यह मामला है उसके बारे में कोई टाइम बाउन्ड सूचना देने की कृपा करेंगे कि क्या निर्णय लिया गया है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, विचार की प्रक्रिया जब समाप्त हो जावेगी तो निर्णय हो जायेगा और जब निर्णय हो जायेगा तो उसकी सूचना दे दी जायेगी।

गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य पांच निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में वैध पाये गये नामों की घोषणा

श्री अधिष्ठाता--

मुझे सदन को एक सूचना देनी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य 5 निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक 7 सितम्बर, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक

प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा नियत समय पर की गई और सब नाम निर्देशन पत्र वैध पाये गये हैं। इस प्रकार उक्त निकायों में विधिमान्य अभ्यर्थियों के नाम निम्नवत् हैं—

(क) गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा

1—श्री विद्या सागर नौटियाल	(टेहरी गढ़वाल)
2—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी	(पौड़ी गढ़वाल)
3—श्री कुंवर सिंह नेगी	(चमोली)
4—श्री खुशहाल सिंह रांगड़	(गढ़वाल)
5—श्री द्वारिका नाथ धवन	(देहरादून)
6—श्री राम सिंह	(सहारनपुर)
7—श्री हरदेव	(बलिया)

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा

1—श्रीमती धनेश्वरी देवी	(वाराणसी)
2—श्री मोहन सिंह	(देवरिया)
3—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ	(बस्ती)
4—श्री केशरी प्रसाद पान्डेय	(जौनपुर)
5—श्री विश्राम दास	(इलाहाबाद)
6—श्री अशोक कुमार बाजपेयी	(इलाहाबाद)
7—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी	(इलाहाबाद)
8—श्री विमल प्रसाद तिवारी	(फर्रुखाबाद)
9—श्री मुख्तार अनीस	(सीतापुर)
10—श्री विष्णु दयाल वर्मा	(मैनपुरी)
11—श्री दूधनाथ राजभर	(आजमगढ़)
12—श्री गोरे लाल शाक्य	(इटावा)
13—श्री राम जनम सिंह	(वाराणसी)
14—श्रीमती सुमन लता	(कानपुर)
15—श्री हरदेव	(बलिया)
16—श्रीमती कमला साहनी	(बस्ती)

श्री अधिष्ठाता--

(5 बजकर 5 मिनट)

(ग) अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की सभा

1--श्री रामजी राम (फैजाबाद)
2--श्री सीताराम निषाद (फैजाबाद)
3--श्री प्रमोद कुमार (प्रतापगढ़)
4--श्री जैराज गौतम (सुल्तानपुर)
5--श्री धरमपाल (बहराइच)
6--श्री शेर बहादुर (फैजाबाद)
7--श्री प्रभू नारायण सिंह (जौनपुर)
8--श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर)
9--श्री मान बहादुर (गोंडा)
10--डा0 मोहम्मद उमर (गोंडा)
11--श्री मुरलीधर मुनीम (गोंडा)
12--श्री बाबू लाल (गोंडा)
13--श्री मुईद अहमद (सुल्तानपुर)
14--श्री दूधनाथ राजभर (आजमगढ़)
15--श्री हरदेव (बलिया)
16--श्री अकबाल हुसैन (गोंडा)

(घ) महिला संस्था तथा बाल संस्था का प्रशासकीय बोर्ड

1--श्रीमती कमला देवी (हरदोई)
2--श्रीमती धनेश्वरी देवी (वाराणसी)
3--श्री हेम चन्द्र निमेष (मेरठ)
4--श्रीमती कमला दरियाबादी (कानपुर)
5--डा0 रामकृष्ण उपाध्याय (जौनपुर)
6--श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर)
7--श्री गोरे लाल शाक्य (इटावा)
8--श्री दूधनाथ राजभर (आजमगढ़)
9--श्री जोराज सिंह मौर्य (मुरादाबाद)
10--श्री हरदेव (बलिया)

(ङ) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

1--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा (बांदा)

2--श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जौनपुर)

3--श्री हरवंश प्रसाद पांडेय (बांदा)

4--श्री अजीत कुमार सिंह (कानपुर)

5--श्री विलायती राम कत्याल (कानपुर)

6--श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर)

7--श्री विष्णु दयाल वर्मा (मैनपुरी)

8--श्री राम सिंह (सहारनपुर)

9--श्री गोरे लाल शाक्य (इटावा)

10--श्री राम जनम सिंह (वाराणसी)

11--श्रीमती कमला देवी (हरदोई)

12--श्री हरदेव (बलिया)

(च) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान

1--डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा)

2--श्री जयदीप सिंह बरार (बरेली)

3--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल (रायबरेली)

4--श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी (लखनऊ)

5--श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर)

6--श्री सन्त बक्श रावत (लखनऊ)

7--श्रीमती सुनीता चौहान (रायबरेली)

8--श्री हरदेव (बलिया)

नामों के वापसी के लिए दिनांक 10 सितम्बर, 1983 के अपराह्न 4 बजे तक का समय नियत है। उक्त निकायों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक अभ्यर्थी हैं। अतः उक्त निकायों में जो अतिरिक्त नाम हैं वे यदि उक्त समय तक वापस न ले लिये गये तो मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 13 सितम्बर, 1983 को पूर्वाह्न 10-30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की नियम समिति (1982–83) के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों को लागू किये जाने संबंधी कालावधि में परिवर्तन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं माननीय अधिष्ठाता की अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 311 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की नियम समिति (1982–83) के द्वितीय प्रतिवेदन, जो सदन में दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को प्रस्तुत किया जा चुका है, में समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के सम्बन्ध में नियम 251 में प्राविधानित 14 दिन की कालावधि के बजाय वर्तमान सत्र के अन्तिम उपवेशन की कालावधि समझी जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 311 के अन्तर्गत जो यह प्रस्ताव रखा गया है कि उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की नियम समिति (1982–83) के द्वितीय प्रतिवेदन जो सदन में दिनांक 2 सितम्बर, 1983 को प्रस्तुत किया जा चुका है, में समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के सम्बन्ध में नियम 251 में प्राविधानित 14 दिन की कालावधि के बजाय वर्तमान सत्र के अंतिम उपवेशन की कालावधि समझी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सीतापुर के गांजरी क्षेत्र लहरपुर, बिसवां एवं महमूदाबाद तहसील के शारदा सहायक नहर के सीपेज और बाढ़ से भूमि के जलमग्न रहने से उत्पन्न आर्थिक संकट के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री मुख्तार अनीस—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि सीतापुर जिले के अत्यन्त अविकसित और पिछड़े क्षेत्र के बारे में आपने चर्चा करने की अनुमति दी है । मान्यवर, पहली बार जब हम लोग बजट सत्र में बैठे थे तो सम्भवतः 23 मार्च को इस विषय के ऊपर नियम 56 के अन्तर्गत चर्चा हुई थी जिस पर, यहां पर सिंचाई मन्त्री जो विराजमान हैं उन्होंने एक वक्तव्य दिया था । उस समय आपने हमें यह निश्चित आश्वासन दिया था कि जल जमाव और बाढ़ की जो समस्या है, जो सीपेज की समस्या है उसके बारे में शासन ठोस कार्यवाही करेगा । मान्यवर, पहले आपने हमें यह आश्वासन दिया था कि सिंचाई विभाग का जो ड्रेनेज डिवीजन है, बाढ़ विभाग है, जिसका कार्यालय लखीमपुर खीरी में है उसे हम सीतापुर में स्थानान्तरित कर देंगे । इसके बारे में कई बार आपसे बातचीत भी हुई । लेकिन मुझे खेद है कि सदन में आपके द्वारा दिये गये वायदे पूरे नहीं होते ।

(इस समय 5 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपकी अपने विभाग पर पकड़ कमजोर है, आपकी बात को अधिकारी मानने को तैयार नहीं हैं इसलिए ड्रेनेज विभाग सीतापुर में नहीं गया। जो भी नक्शे बन रहे हैं या कार्य हो रहे हैं उनकी सूची हमें नहीं मिलती है। आज वह पूरा क्षेत्र महमूदाबाद, बिसवां और लहरपुर, सीतापुर तहसील का छोटा हिस्सा है जहां पर 7 हजार की जनसंख्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ घाघरा नदी बहती है दूसरी तरफ शारदा नदी, इनका संगम मल्लापुर के पास होता है, यह दोनों नदियां नेपाल से निकल कर आती हैं और बहुत से धार से बहती हैं। इसके साथ-साथ इन नदियों से बहुत से नाले निकलते हैं जैसे बडबहरा, चीका, किवानी तथा छोटे-छोटे अनेक नाले इस क्षेत्र के अन्दर हैं उनके कारण जब भी हलका सा पानी बरसता है तो यह सम्पूर्ण इलाका पानी में डूब जाता है। इस बार सारे उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति है लेकिन वहां पर किवानी में पानी आ गया है। नतीजा क्या हो रहा है 15-20 गांव ऐसे हैं जो समूचे पानी में डूब गये हैं।

पिछली बार आपने बताया था कि 4 हजार हेक्टेयर जमीन पानी में हर साल डूब जाती है। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 4 हजार हेक्टेयर नहीं बल्कि हजारों एकड़ जमीन इस क्षेत्र की प्रति वर्ष बाढ़ में डूब जाती है। बाढ़ की विनाश लीला इतने बड़े पैमाने पर है कि हमारे यहां पिछले 5 सालों से कोई भी खरीफ की फसल नहीं हुई है। आप जानते हैं कि दो धारायें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिनमें एक गंगा और जमुना और दूसरी गंडक और शारदा तथा घाघरा। इनके किनारे जो गांव बसे हुये हैं उनकी क्या हालत है आप जानते हैं जिसका अंदाजा गोरखपुर से लगा सकते हैं। सीतापुर का इलाका जो नेपाल से बिल्कुल लगा हुआ है वहां से आने वाली नदियों की इतनी तेज धारा होती है उससे कितनी विनाश लीला होती है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब हम सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारियों से बात करते हैं तो आपके अधिकारी कहते हैं कि इस क्षेत्र के बारे में शासन को कोई जानकारी जब तक नहीं था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उस क्षेत्र के पिछड़ेपन की कोई जानकारी नहीं हो पाई तो वहां के विकास के बारे में, ड्रेनेज के बारे में, बाढ़ को रोकने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे क्या सारे क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ देंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र के अन्दर जो बाढ़ की इतनी समस्या है जिसके कारण हजारों एकड़ फसल पानी में डूब जाती है, हजारों घर बरबाद हो जाते हैं और वे लोग मजबूर होकर सड़कों पर निवास करते हैं, उनकी तरफ देखें।

एक तरफ बाढ़ की समस्या है। दूसरी तरफ जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया उस समय शारदा सहायक योजना की घोषणा हुई हालांकि पहले से यह योजना बन चुकी थी आप उससे बहुत उत्साहित हो गये थे आपने हमारे ऊपर इससे मुसीबत खड़ी कर दी। लखीमपुर से सीतापुर होते हुए बाराबंकी और आगे तक यह जाती है। इस सदन के अन्दर माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि 10 हजार एकड़ जमीन सीपेज के पानी में डूबी हुई है और 150 गांव बरबाद हो गये हैं। मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूं और जब व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलता हूं तो कहता हूं कि आप एक दिन के लिये वहां चलिये और बाढ़ तथा सीपेज से होने वाली विनाश लीला को देखिये जिसको वहां के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं।

[श्री मुख्तार अनीस--]

मान्यवर, हर तरफ गांव पानी में डूबे हैं जो सीपेज का पानी है, उसकी जो घास है जिसको जानवर खाते हैं तो उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और वह कीड़े फूट-फूट कर निकलते हैं, जो उन पशुओं का दूध पीते हैं वह भी बीमारी के शिकार होते हैं। इसके साथ ही किसानों के यहां कोई गल्ला नहीं पैदा होता है। इस प्रकार वहां एक तरफ सीपेज की समस्या है और दूसरी तरफ बाढ़ की समस्या है।

मान्यवर, सीतापुर से मिला हुआ लहरपुर है जिसके पास से शारदा सहायक जाती है और उसका पानी रिस-रिस करके लहरपुर में आ रहा है जिससे वहां की स्थिति ऐसी हो गयी है कि एक दिन जब पानी सीखने की क्षमता जमीन की समाप्त हो जायेगी तो वहां पानी के सोते फूट-फूट कर निकलेंगे जिससे पूरा लहरपुर डूब जायेगा। इसी तरह पोंगलीपुर में पानी के बुलबुले उठते हैं जिनको आपके सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता या जूनियर इंजीनियर या वरिष्ठ अधिकारी कोई भी देखने नहीं गया है। आपके विभाग में श्री शेर सह कोई अधिकारी हैं जिनको सीपेज और बाढ़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मंत्री जी की यहां जो घोषणायें होती हैं श्री शेर सिंह उनकी उपेक्षा करते हैं। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि पोगलीपुर नहर टूट गयी और पानी गांव में भर गया और यदि वहां के लोग सावधान न हुये होते तो वहां कोई न बचत, लेकिन उसको देखने के लिये वहां कोई अधिकारी आपके विभाग के नहीं गये। आप जानकारी करें कि वहां इस तरह के बुल-बुले किन-किन गांवों में उठते हैं।

मान्यवर, श्री अम्मार रिजवी के क्षेत्र में आप मुर्शिदाबाद पहला ब्लाक में जांय, मैं सभी को निमंत्रण देता हूं, वहां देखें तो हालत यह है कि बांस के ऊपर चढ़कर लोग गांव पार करते हैं, वह पूरा गांव सीपेज का शिकार है। सीपेज और बाढ़ की समस्या को लेकर श्री राम लाल, श्री हर गोविन्द वर्मा जी ने आंदोलन चलाया और हमने भी आंदोलन चलाया है।

मान्यवर, एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सीपेज है जिससे खरीफ की फसल बिल्कुल नहीं होती है और रबी की फसल दिसम्बर में बोई जाती है नतीजा होता है कि गेहूं का पेड़ छोटा होता है जिससे ईल्ड कम होती है, इसलिये जो पैदावार होनी चाहिए वह नहीं होती है।

मान्यवर, गन्ना हमारे यहां बोया जाता है। गन्ने की हालत यह है कि वह किसी भी मिल में नहीं लिया जा रहा है। इस कारण आर्थिक संकट पैदा हो गया है। महमूदाबाद में आपने शुगर मिल लगवायी है। आप यह करें कि सारा गन्ना उस मिल में सप्लाई करने की व्यवस्था करा दें। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा और विकास भी होगा।

आपके द्वारा मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। आप मंत्री जी, अपने अधिकारियों पर मत जाइये। इन पर काम मत छोड़िये। आप स्वयं हमारे यहां का दो दिन दौरा करके हालत को देख लें। आप स्वयं जाकर निरीक्षण करें। जनता शासन से लेकर आज तक जितने भी आश्वासन दिये गये, वे कोई भी पूरे नहीं हुए।

एक सुझाव मेरा यह है कि आप ऐरा पुल से लेकर चहलारी तक तथा एलगिन पुल से लेकर महमूदाबाद तक बांध बना दें। इसमें ठोकरें लगाकर बाढ़

को नियन्त्रित करें। ठोकर बनाकर पानी को रोकने की कोशिश की जानी चाहिये। आज कोई काम ठोस ढंग से नहीं हो रहा है। किसी अधिकारी को कोई दिलचस्पी नहीं है हम एक अधिकारी के पास जाते हैं तो वह कहता है कि फलां अधिकारी के पास जाइये, जब दूसरे अधिकारी के पास जाते हैं तो वह कहता है कि यह फलां अधिकारी का काम है, उसके पास जाइये। इस तरह से हर काम को टालने का प्रयास यह अधिकारी करते हैं।

सरकार ने सीपेज के बारे में सदन में आश्वासन भी दिया, मगर आज तक वह पूरा नहीं हुआ। आप मंत्री जी, एक वरिष्ठ मंत्री हैं, जब आपकी बात आपके अधिकारी नहीं मानते हैं, तो हम लोगों की बात वह क्या सुनेंगे? इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप अपनी अध्यक्षता में, इस सदन की एक कमेटी बना दें जो सीतापुर की स्थिति के बारे में देख कर अपनी रिपोर्ट दे। बाढ़ और सीपेज से होने वाली हानि तथा आर्थिक समस्याओं से निबटने के लिये अपने सुझाव दे सके। यही मुझे निवेदन करना था।

*सिंचाई मंत्री (श्री वीरबहादुर सिंह)--

मान्यवर, अभी माननीय मुख्तार अनीस साहब ने सीतापुर में बाढ़ और सीपेज की समस्या पर विस्तार से अपनी बातें सदन के समक्ष रखीं। इसी हाउस में यह कहा गया था कि सीपेज को रोकने के लिये हमने एक योजना बनायी है। इससे हमारे प्रदेश में काफी नुकसान होता है, यह बात सही है। कई जिलों में सीपेज से परेशानी है। सीतापुर भी उसमें से एक है। सीतापुर में 6262 हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जो सीपेज या भराव से डूबा रहता है। उससे उस एरिया के रहने वाली से परेशानी हो जाती है। जो वहां की बड़ी नहर है, सीपेज को रोकने के लिये हम उसे बन्द नहीं कर सकते क्योंकि उससे सिंचाई भी होती है। देखना यह है कि हम सीपेज के रोकने के लिये क्या कर सकते हैं? हमें अपने साधनों को भी देखना पड़ता है।

इसके लिये मान्यवर, हमने एक ड्रेन बनाने का निश्चय किया। वह बन भी रहा है। क्वानो नदी को घाघरा नदी में मिलाया गया है 1.3 किलो मीटर काटकर। इससे जो पानी रुकता था....

श्री मुख्तार अनीस--

कहां मिला है? कहीं नहीं मिलाया है।

श्री वीर बहादुर सिंह--

इससे काफी फायदा हुआ है। पानी ज्यादा निकल रहा है। इसके अलावा क्वानो नदी में और आस-पास बेहड़ा आदि जो झाड़ियां लगी हुई थी, जिनसे पानी काफी मात्रा में रुकता था, तमाम नाले थे, जिससे पानी का रुकाव हो जाता था। पानी निकल नहीं पाता था। अब निश्चय किया गया है कि इनको साफ किया जायेगा। अब क्वानो नदी को 15 किलो मीटर साफ किया गया है। सुल्तानपुर नाले की खुदाई की गयी है। महमूदाबाद नाले में कई पुल बनाए गये हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुख्तार अनीस--

क्या सारी असत्य बातें आपको ही कहनी हैं, एक भी काम नहीं हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह काम तो किया ही गया होगा । आप और हमारे मंत्री जी वहां पर रहते हैं--रिजवी साहब का वह क्षेत्र है, आप और वह दोनों आदमी वहां जाकर देख लीजिएगा कि कितना सही है और कितना गलत है । लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, वह बता रहा हूं । इसके अलावा 20 नाले हम और बना रहे हैं । इनके बन जाने से सीपेज और जल भराव की बातें बहुत हद तक दूर हो जाएंगी और जो रह जाएंगी, उसे हम ट्यूबवेल्स लगाकर उस वाटर लैवेल को नीचे करेंगे और उससे सिंचाई भी करेंगे और जो आपने एलगिन ब्रिज पर बांध बनाने आदि की बातें कही हैं, इसका भी सर्वे करा लिया है और उसकी भी मंजूरी हो गयी है । अब उसे गंगा आयोग के पास भेजा गया है, उसकी स्वीकृति मिल जाने पर ही इसमें कुछ हो सकेगा । जो आपकी चिन्ता है, वह सरकार की भी चिन्ता है, सरकार खुद चाहती है कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, ताकि वहां के निवासियों की परेशानियां दूर हो सकें ।

(श्री सन्त बक्श रावत के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप तो लखनऊ के हैं, आपसे क्या मतलब ?

श्री सन्त बक्श रावत--

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बहुत सीपेज है, हमें थोड़ा समय कह लेने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा आप बहुत संक्षेप में कहिये ।

श्री सन्त बक्श रावत--

श्रीमन्, हम आपके बहुत आभारी हैं कि सीपेज की समस्या पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है । शारदा सहायक योजना के सीपेज से जहां लखीमपुर-खीरी, सीतापुर और बाराबंकी जनपदों में काफी क्षेत्र प्रभावित हैं, वहीं लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज क्षेत्र में 5 हजार एकड़ भूमि सदा सीपेज से प्रभावित रहती है । गोमती नदी के पास में चौरहिया नामक एक गांव है, जहां शारदा सहायक जो निकाली जा रही थी, वहां के किसानों की जमीन मिट्टी खुदाई के लिए ली गई थी । 10 वर्ष लिए हो गये, उनकी जमीन इस शर्त के साथ ली गई थी कि एक मीटर मिट्टी खोदकर भूमि को किसानों को वापस कर दी जाएगी, लेकिन उस अनुबन्ध के विपरीत नहर विभाग के लोगों ने 3 मीटर मिट्टी खोदी और तीन फसलों का मुआवजा देने के बजाए केवल एक का दिया है और भूमि समतल करके किसानों को वापस करने की जो शर्त थी, वह भी शर्त पूरी नहीं की गई--न भूमि वापस की गई है और न एक पैसा मुआवजा मिला है । हमारे इस क्षेत्र में सुक्खाखेड़ा और सतई खेड़ा नामक दो गांव ऐसे हैं

जहां घरों में पानी भरा है, किसी भी समय गांव का गांव बैठ जाने की सम्भावना है और हो सकता है कि हजारों लोग उससे मौत के शिकार हो जाएं।

मान्यवर, सन् 78 से, जबसे शारदा सहायक परियोजना निकली है तब से हमारे क्षेत्र में सीपेज प्रभावित क्षेत्रों में किसान अपने खेत में फसल नहीं उगा पाये हैं। श्रीमन्, शारदा सहायक परियोजना के कारण सीपेज के सम्बन्ध में मैंने कई बार इस सदन में इस मसले को उठाया है और शासन की तरफ से यह बयान दे दिया जाता है कि इतने किलोमीटर ड्रेन खोदी गई है। मैं सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको देखें कि सीपेज निदान के लिए कितनी ड्रेन बनाई गई हैं। जहां-जहां ड्रेन बनाये गये हैं वहां पर काउन्टर बैंक्स बना दिए गए हैं जिसका परिणाम यह हुआ है कि ड्रेन खत्म हो गए हैं। इस नहर का पानी निकालने के लिए कई स्थानों पर इन्होंने स्केप बनाए हैं। लोनी स्केप बनाया गया है। अगर मान्यवर, देखा जाय तो वह नदी जैसा दिखायी देता है। वहां पर 50 गांवों का आने-जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। कई वर्षों से शासन व्यवस्था कर रहा है बजट में कि रायपुर, सदरा का पुल बनाया जायगा लेकिन पुल अभी तक नहीं बनाया गया है। सीपेज का पानी बराबर फैल रहा है। पुल बनाने के लिये शासन ने पैसा दिया है, मुख्य अभियंता शेरसिंह कहते हैं कि हम पुल नहीं बनायेंगे। लोनी स्केप हमारे क्षेत्र में है, एक पुराना स्केप था, वह हरदोइवा स्केप के नाम से जाना जाता है। सन् 77 में यहां पर पुल बनना प्रस्तावित था लेकिन आज तक पुल नहीं बन सका है। वित्तीय वर्ष 1981-82 में उत्तर दिया गया था कि यह पुल जून, 1982 में बनकर तैयार हो जायगा लेकिन आज तक नहीं बना है। यही स्थिति सम्पूर्ण क्षेत्र की है। हमारे पूरे क्षेत्र में 5 हजार एकड़ भूमि सीपेज से प्रभावित है। किसान इस पर खेती नहीं कर पा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा, पिछले साल इसी सदन में पी0 डब्ल्यू0 डी0 मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जिन किसानों की जमीन सीपेज से प्रभावित हैं उनका लगान माफ कर दिया जायगा, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी का तो नाम इसमें था लेकिन लखनऊ का नाम नहीं है, तो मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि जिन किसानों की भूमि सीपेज से प्रभावित है और वह अपनी फसल बो नहीं पाये हैं तो जब से सीपेज समस्या शुरू हुई तब से उनको मुआवजा दिया जाय और सीपेज निदान का स्थायी हल निकाला जाय। अगर इसका स्थायी हल नहीं निकल पाता है तो जितने किसानों की जमीन प्रभावित है और वह खेती नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार उस जमीन को अधिगृहीत कर ले। किसान समझ लेगा कि उसके पास खेती है ही नहीं। उसको उसकी जमीन का मुआवजा दे दीजिए। किसान उस जमीन से मुक्ति पा जायेगा। सरकार उस जमीन पर वृक्षारोपण कर सकती है। मान्यवर, ड्रेन के साथ-साथ एक उपाय और हो सकता है कि अंडर ग्राउन्ड फिल्टर ड्रेन बनाया जाय और पानी निकाला जाय तथा ऊपर खेती की जाय। ऐसी व्यवस्था कई जगहों पर है यहां पर भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार के ड्रेन बनाए जायं और सीपेज की समस्या का निदान किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री तेज नारायन त्रिवेदी--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है । मान्यवर, लखीमपुर खीरी में मेरा क्षेत्र धौमेहरा है । वह दो बड़ी--बडी नदियों के बीच में है । शारदा और घाघरा नदी के बीच में यह क्षेत्र है । वहां पर बाढ़ आती है और कटान होता है । हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है । मैंने शासन से अनुरोध किया कि जो मुख्य-मुख्य गांव हैं इनको कटान से बचाया जाये तो मेरे अनुरोध पर शासन द्वारा 6 डैंपनर्स बनाये गये, घाघरा नदी में, परन्तु जितनी मात्रा में डैंपनर्स बनाए जाने चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बनाये गये जिसका कारण यह हुआ कि 6 डैंपनर्स बाढ़ में कट गए। ऐरा गांव में 2 डैम्पनर्स बनाए गए थे वह भी कट गए और आज ऐरा गांव कटान पर है । हो सकता है इसी मौसम में कट जाय ।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि वह हमारे इस क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से इसका सर्वेक्षण करा ले और उसके पश्चात् ऐसी व्यवस्था करें जिससे इस क्षेत्र के गांव और भूमि कटान और जलमग्न होने से बचाया जा सके । जहां तक सीपेज का सवाल है शारदा सहायक घाघरा और शारदा के पानी से निकली है । लखीमपुर से यह नहर निकली है । एक बूंद पानी लखीमपुर को नहीं मिलता है । इस सीपेज के कारण 50 गांव प्रभावित है और बुरी तरह प्रभावित हैं । उनको जमीन में कुछ नहीं होता है वह लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं और कुछ तो शहर में आकर रिक्शा चला रहे हैं । मैंने कई बार अनुरोध किया कि उनकी मालगुजारी माफ की जाये और उसका सर्वे कराया जाय लेकिन मेरा अन्दाज है कि कोई कदम नहीं उठाया गया है । जिसकी अत्यन्त आवश्यकता है । क्योंकि इससे स्थिति और भयावह हो सकती है । तत्कालीन मुख्य मंत्री हमारे यहां बिलरायां शुगर फैक्ट्री का उद्घाटन करने गए थे तो हमारे यहां के सारे आदमी उनसे इस बात का जिक्र किए थे और उन्होंने आश्वस्त किया था किन्तु वह सब कागज पर रह गया । कोई प्रबन्ध नहीं हुआ । अभी मंत्री जी ने जो कहा ड्रेनेज से इस समस्या का हल हो सकता है, उससे समस्या का हल होने वाला नहीं है । जब तक कि इसके किनारे-किनारे पत्थर नहीं लगाया जाता तब तक सीपेज का हल होने वाला नहीं है । इसका लाभ मुख्तार अनीस और हमारे अन्य साथी विपक्ष के उठा रहे हैं । शासन इस समस्या पर ध्यान दे और ऐसी व्यवस्था करे जिससे समस्या का समाधान हो ।

*श्री राम सागर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सीपेज की समस्या पर बोलने का अवसर दिया । श्री मुख्तार अनीस ने सीतापुर की सीपेज की समस्या बताई सीतापुर से मेरा जनपद बाराबंकी का जो जुड़ा हुआ भाग है उसके कई ब्लाक निगारा, फतेहपुर, दरियाबाद, बनीकोडर में शारदा सहायक से सीपेज की समस्या है । यह सीपेज की समस्या इतनी विशाल है कि उस क्षेत्र के पेड़ सूख रहे हैं और अधिकांश तो सूख भी गए हैं । श्रीमन्, काफी क्षेत्र में पानी भरा है । जानवरों के चारे की समस्या हो रही है । उस भू-भाग पर खेती नहीं हो सकती है । मकानों के अन्दर जमीन से पानी ऊपर चढ़ रहा है और स्थिति यह है कि मकानों की दीवालें गिर रही हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तमाम मकानों के अन्दर खाना नहीं बनाया जा सकता है। खाना बनाने के लिये आगी रखी जाती है और पानी से बुझ जाती है। मेरे क्षेत्र में सीपेज की समस्या से भुखमरी की समस्या और जानवरों के चारे की समस्या हो गई है, छात्रों की पढ़ाई की समस्या है। यह सारी समस्यायें हम लोगों के सामने हैं।

मान्यवर, इस सदन के अन्दर सिंचाई मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस समस्या के हल के लिए ड्रेनेज बनाये जायेंगे, नाले निकाले जायेंगे। इस समस्या के हल के लिए कुछ कार्य हुआ है लेकिन तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें यह समस्या अब भी ज्यों की त्यों बनी है। बहुत सी ड्रेन ऐसी बनाई गई हैं जो जल बहाव की तरफ नहीं है। हमारे यहां बनी कोडर ब्लाक में मेडुवा जगदीशपुर एक ड्रेन गोमती नदी की तरफ निकाली गई जो 12 किलोमीटर लम्बी है जो कि करपानी नदी में एक किलोमीटर पर उसका पानी खारिज किया जा सकता था। इसमें कुछ ड्रेनें ऐसी भी बनायी हैं जिससे कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि यह समस्या और समस्याओं से कम नहीं है। यह जो लगान माफ किया गया है इसके अतिरिक्त और समस्याएं जो जन-जीवन से जुड़ी हुई हैं उनमें शासन जो सुविधायें दे सकता है वह उसे देनी चाहिए। मान्यवर, यह कहा गया है कि लगान सिंचाई का नहीं लिया जाएगा, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उस क्षेत्र में गया था वहां जमीन में जहां पानी भरा हुआ है, उस पर भी सिंचाई लिख रहे हैं और उनसे लगान वसूल किया जा रहा है। मान्यवर, इसमें इस तरह के निर्देश दिये जाने चाहिए कि इस तरह से न किया जाए जहां सीपेज का पानी भरा हुआ है सिंचाई नहीं हो रही है उसको सिंचाई बनाकर, लगान बनाकर, किसानों को पीड़ित किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे बोलने का समय दिया।

*श्री राम कुमार भार्गव--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सीपेज की समस्या को यहां रखा गया है। आपके जो आदेश हैं संक्षिप्त में बोलने का, तो मान्यवर, मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहना चाहूंगा। सीतापुर की एक समस्या है जैसा कि मान्यवर, अंग्रेजों के वक्त से कानून चला आ रहा है कि आम आदमी भाषण नहीं दे सकता, वह अपनी समस्या का बयान नहीं कर सकता। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसी ही स्थिति सीतापुर की है उसे राज-नीति का जामा न पहनाया जाए। जो प्रभावित क्षेत्र हैं जानवर मर रहे हैं, जानवरों में कीड़े पड़ने की बात है इस सम्बन्ध में हमारे स्वास्थ्य मन्त्री ने कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है। उन लोगों को मान्यवर, यद्यपि आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है मान्यवर, हमारे यहां एक स्थान हरैया है जहां चारों तरफ नाले खुदे हैं। आने-जाने के साधन सुलभ नहीं हो पा रहे हैं। जो वहां रहने वाले लोग हैं वह जो जरूरी चीजें होती हैं जैसे नमक आदि वह तीन महीने का राशन लाकर रख लेते हैं और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो सीपेज का है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी पिछले वर्ष नवम्बर में माननीय मुख्य मन्त्री जी गये थे। उन्होंने कुछ घोषणा भी की थी। मगर मान्यवर, कार्य की गति जो है, इतनी धीमी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम कुमार भार्गव--]

अभी दस-पन्द्रह दिन पहले अधिकारी गये थे । हमने सरकार को सुझाव दिया था कि बैठक कर लीजिये । कुछ कोशिश हुई भी थी । एक प्रभावशाली व्यक्ति की जमीन आ गयी थी तो उसकी जमीन को बचाने के लिये अधिकारियों ने सीपेज का कार्य उसको खतम करने का कार्य शुरू किया था । मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा ।

मान्यवर, हमारा सुझाव था कि जो सीपेज प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के ग्राम प्रधानों को बुला लीजिये और उनके साथ इंजीनियर्स को बैठा करके फैसला कर लीजिये, एक नक्शा बना लीजिये उसके कार्य के सम्बन्ध में । मान्यवर, इसमें हजारों एकड़ जमीन चली गयी है और बढ़ती चली जा रही है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह मुख्तार अनीस साहब का क्षेत्र है, माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी का भी क्षेत्र है, वह सरकार में हैं बोल नहीं पा रहे हैं । यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है । एक-एक परिवार के कई लोग मर रहे हैं । तो उन लोगों को बचाने के लिये युद्ध स्तर पर काम करें । इस समस्या को राजनीतिक जामा न पहनाएं । आप प्रभावित क्षेत्र के लोगों को एक साथ बैठाकर एक साथ बात करें । फाइलें तो वर्षों चलती रहती हैं, मान्यवर । हमारे क्षेत्र में बिसवांनगर नाला है, तीन साल से बन रहा है । उसके सम्बन्ध में राज्य मन्त्री से एक डेपूटेशन मिला भी था । हमेशा स्थिति खराब हो जाती है । अबकी बार पानी नहीं आया । तो मान्यवर, इस हिसाब से कार्य होगा तो सैकड़ों परिवार गांव छोड़ जाएंगे । मेरा अनुरोध है कि आप युद्ध स्तर पर कार्य करके इतनी बड़ी समस्या को दूर कीजिये ताकि लोगों को जिंदा रहने का अधिकार मिल सके ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री जी सीपेज की जो समस्या है, जो प्रस्ताव है उसको क्रियान्वित करेंगे । अभी तक हम देखते आए हैं कि माननीय मन्त्री जी जिस विभाग के मन्त्री रहे हैं उस विभाग को उन्होंने ठीक कर दिया । पहले परिवहन विभाग था तो उसको ठीक कर दिया । मान्यवर, आज समस्या है जल के सीपेज की । यह लगभग दर्जन भर जिलों की यही समस्या है । मामला आज सीतापुर जिले का आया है । सीतापुर से मिला हुआ बाराबंकी जिला है उसके आगे सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ आदि जिले आते हैं । इन जिलों में सीपेज की स्थिति खराब है, जहां सीपेज का ज्यादा प्रकोप है । इस समस्या को लेकर के पिछली बार जब सत्र हो रहा था तब भी उठाया गया था प्रश्नों के माध्यम से । लेकिन हम देख रहे हैं कि समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है । गांवों में कोई कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है । जहां तक हमारे जिले का तजुर्बा है बाराबंकी जिले की फतेहपुर तहसील और राम सनेही घाट तहसील इससे बुरी तरह प्रभावित हैं । शारदा नहर की जो समानान्तर शाखा है दरियाबाद में इसमें करीब दो-दो किलोमीटर जमीन में निरंतर जलप्लावन रहता है । लेकिन हालत यह है कि करीब पांच-छः सालों से इसका कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है ।

इस सरकार के अधिकारियों को क्या है । लोग आन्दोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं सारी समस्या के निदान के लिये बल्कि उन लोगों के खेतों में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज एक दाना भी नहीं है, फिर भी उनसे लगान वसूल किया जा रहा है। उनसे सिंचाई की वसूली की जाती है। सीपेज के सवाल को लेकर लोग आन्दोलन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि सीपेज की समस्या के निदान हेतु हम ड्रेनेज बना रहे हैं। मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि जब तक आप नहरों को पक्का नहीं करेंगे तब तक सीपेज की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सीपेज के सवाल को लेकर भले ही आप के अधिकारी पैसा खा लें, किन्तु उससे किसानों का बिल्कुल भी भला होने वाला नहीं है। आज किसानों के सामने खाने की कठिनाई पैदा हो गई है, उनके बच्चों को फांके पड़ रहे हैं। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की जमीनें मुस्तकिल रूप से सीपेज की चपेट में हैं, उनके घर के लोगों को जीवन-बसर करने के लिए कम से कम आप उनको नौकरी दें। यदि आप उन्हें नौकरी नहीं दे सकते हैं तो उनके जीविकोपालन हेतु आप उन्हें "जीवन-बसर भत्ता" दें। सरकार, जो उनसे लगान वसूल करती है और उनसे विभिन्न प्रकार की सुविधायें लेती है, की यह जिम्मेदारी होती है कि उनकी सहायता करें। यहां पर बैठकर लच्छेदार भाषण देने से कोई काम होने वाला नहीं है। आज सीपेज के कारण उन लोगों के खेतों में कुछ नहीं है सिवाय रेह के।

मान्यवर, सीपेज के समाधान के लिए जो ड्रेन्स बनायी जा रही हैं वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। बाढ़ के दिन हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मौके पर अपने उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करायें और वे यह भी देखें कि ड्रेनेज कहां पर बनायी जायं ताकि सीपेज की समस्या का समाधान हो सके। आज देखा यह जाता है कि पानी का बहाव किधर है और ड्रेन किधर बनी हुई है। इस सम्बन्ध में निरन्तर हम लोगों ने प्रयास किया कि इस समस्या का निदान किया जाय, किन्तु आज तक किसी ने भी उसकी सुनवाई नहीं की है। माननीय मन्त्री जी इस पर ध्यान दें।

मान्यवर, जहां तक बाढ़ का सवाल है, यह एक प्रकार का हर साल सिलसिला चल चुका है। इसका मुख्य कारण यह है कि नदियों की जो गहराई थी वह कम होती जा रही है तथा जो ड्रेनेज बनाये जाते हैं, वे उथले बनाये जाते हैं, फलस्वरूप पानी उनमें आगे नहीं बढ़ पाता है और वह पानी फैल जाता है, जो अन्त में जाकर बाढ़ का रूप ले लेता है। मढ़हा नदी जो रामसनेहीघाट तथा फैजाबाद को जोड़ती है, बरसात के दिनों में जब इसमें पानी भर जाता है तो यह बाढ़ का रूप ले लेती है। मान्यवर, यह पूरे 150 किलोमीटर का क्षेत्र है। आज इस बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं। मेरे कान्सटीट्यूएन्सी फैजाबाद बार्डर का हिस्सा है, जिसमें रसूलपुर, बतौली तथा मालीपुर गांव हैं इनमें इस नदी के कारण बारहों महीने बाढ़ का प्रकोप रहता है, फलस्वरूप आज वहां 6-6 नावें चल रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर इस समस्या के निदान हेतु कोई डिवीजन नहीं है, उसे वहां पर खोला जाय। मान्यवर इसमें जाकर पता लगवाया तो यह मालूम हुआ कि कोई डिवीजन नहीं है। इस मढ़हा को चौड़ा करने के लिये, मढ़हा को पक्का करने के लिये सरकार की कोई योजना है, तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज इसमें हमें बता दें कि उनके पास इस

[श्री प्रदीप कुमार यादव--]

तरह की कोई योजना है, और उसमें सरकार कितना रुपया खर्च करेगी और इस मड़हा को चौड़ा करने में कितना वक्त लगेगा। भाषण करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

*श्री प्रभू नारायण सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं इस शारदा नहर की शाखा में ही बसा हुआ हूं और भुक्तभोगी हूं श्रीमन्। लेकिन उसकी गाथा गाऊं, उसके पहले मैं श्रीमन् माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि यही एक सिस्टम है जिसने हमारे जौनपुर जिले को सूखे से जहां तक यह नहर गयी है, बचाया है। इसी शारदा नहर के रेगुलर पानी के सिस्टम से वहां पानी आया है। हमारे क्षेत्र के लिये मैं इसे सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, हमारे क्षेत्र में दक्षिण तरफ से भी और उत्तर तरफ से भी शारदा नहर की दो शाखायें बहती हैं और दक्षिण पूर्व से बिल्कुल इसी नहर के किनारे मेरा अपना घर भी है। शारदा नहर मड़ियाऊं केराकत, राजबाहा जाती है और उत्तर तरफ से इस शाखा के खंड 36 से जिससे लगभग हमारे क्षेत्र के लगभग 37 गांव सिंचित होते हैं। लेकिन, मान्यवर नहर का जो सिस्टम है, वह कच्चा है और पानी जब पूरी तरह से चलता है, तो निश्चित ही इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि पूरी सीपेज होती है, जल जमाव होता है, जल भराव होता है और यह सारी परेशानी पैदा होती है। मैंने देखा है मेरे क्षेत्र का कैसा दुर्भाग्य है श्रीमन् को अपने गांव के बगल के जितने भी गांव हैं, कुछ गांवों के नाम बताऊं-बराई, पूरेव, भोजरा, कुनिया, नाहर पट्टी, घुसांव, ककोरी, चितईपुर, भवनाथपुर, लहंगपुर, जगपुर, भाऊपुर, विन्द, भरहो, ओइना आदि यह जो जलालपुर ब्लाक के गांव हैं यह श्रीमन् नहर के किनारे-किनारे हैं, जल प्लावित हैं। यह भी दुर्भाग्य है कि इसमें अधिकांश गरीब, दुर्बल वर्ग के लोग एवं हरिजन लोग पड़े हुए हैं जिनके छोटे-छोटे अपने झोपड़े हैं और पानी उनके घरों में भर गया है। उनके आवास की अन्यत्र व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वैसे हमारी प्रधान मंत्री जी का जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम है, उसमें आबादी के लिये, उनके बसाने की, भूमि आवंटित करने की बात है और जहां भूमि उपलब्ध हो रही है, उनके परिवारों को ऊंचे स्थानों पर बसाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सिंचाई विभाग से मैं अनुरोध करूंगा कि उनके आवास के लिये, उनके मकानों के लिये, जो ऊंची जमीन है, उसके बाबत निश्चित ही एक योजना बनायी जाय। मान्यवर, जिस जल प्लाव की समस्या हमारे क्षेत्र की है, उसे अगर मैं नहीं कहूंगा, तो निश्चित रूप में मैं अपने साथ अन्याय करूंगा। लई, गोमती दो भीषण नदियों का संगम हमारे यहां है और उनके बीच में दो लिफ्ट कैनाल हैं जगदीशपुर लिफ्ट कैनाल और मौथहा लिफ्ट कैनाल हैं। मान्यवर, इनके सीपेज का जल कच्चे मकानों को ढहा रहा है, वृक्ष सूख रहे हैं, जल प्लाव दोनों तरफ है, वहां मलेरिया का प्रकोप व्याप्त है, बहुत से मनुष्य बीमार हो रहे हैं, पशुओं को तरह-तरह की बीमारियां लग रही हैं। मान्यवर, निश्चित ही उसका निदान निकाला जाना चाहिए।

(लाल बत्ती जलने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी लाल बत्ती से भयभीत हूं । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सीपेज समस्या पर बोलने का समय दिया ।

*श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मैं दोनों पक्षों के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सीतापुर जिले की सीपेज समस्या के साथ-साथ और जगह-जगह की सीपेज की समस्या और उसकी गम्भीरता को समझा । जहां तक सीतापुर जिले का सम्बन्ध है, मान्यवर उस समस्या के बाबत सीतापुर जिले के सत्तारूढ़ सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया है और लखीमपुर के बुजुर्ग विधायक माननीय द्विवेदी जी ने भी उसका समर्थन किया है । सारा सदन इस निश्चित मत का है कि शारदा नहर को बनाने में कोई कमी रह गयी है । मान्यवर, मैं पिछली बार प्राक्कलन समिति के साथ दौरे में गोरखपुर गया था । वहां भैंसा लोटन से एक नहर निकली है, नेपाल सरकार की साझेदारी से, गोरखपुर में वहां मैंने देखा सीपेज की समस्या नहीं है । लेकिन इस शारदा नहर में पता नहीं क्या दोष रह गया है कि हर तरफ सीपेज की समस्या है । मा0 मन्त्री जी को बधाई देता हूं घोषणाओं के लिये, लेकिन बहुत दुख के साथ कहता हूं कि बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि सीतापुर जिले की सीपेज के साथ बाढ़ की समस्या को भी देखिये । ड्रेन विभाग जो खोल रहे हैं उसके साथ बाढ़ की समस्या को भी सम्बद्ध कर दीजिये । इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन होना चाहिये ।

जो गांव सीपेज में, बाढ़ में डूबे हुए हैं, उनका न केवल लगान पूरा माफ किया जाय बल्कि उन लोगों को, जहां फसल नहीं पैदा होती है, उनको मुआवजा भी सरकार की ओर से दिया जाना चाहिये । जो नदियां उथली हो गयी हैं, जैसे केवानी नदी की चर्चा की, डेढ़-दो किलोमीटर घाघरा से जोड़ा गयी है । यहां पर लालपुर बाजार दो बार लगता है । अब अगर आप देखिये तो शारदा और केवानी नदी और ललिपुर बाजार में कोई फर्क ही नहीं है । आपने कहा कि केवानी को गहरा कर रहे हैं । मुझे नहीं मालूम कहां गहरा कर रहे हैं । केवानी नदी का पानी हल्की बारिश में ही पूरे क्षेत्र में भरने लगता है । बेलवा बढ़ैया नाम का एक गांव है, जो पानी से घिरा हुआ है । मुर्शिदाबाद का नाम लिया । वहां उठना बैठना दूभर हो गया है । समय रहते नहीं चेतेंगे तो पता नहीं क्या रुख लेगा । जो लोग वहां रहते हैं, जिनको कोंगण कहते हैं, वह 10-10 और 15-15 कि0 मी0 तक फैले हुए हैं । वे 3-3 और 4-4 के ग्रुप में रहते हैं । बाढ़ के जमाने में हजारों कोंगण निवासी सड़क पर आ जाते हैं । रबी की फसल नष्ट हो जाती है तो वे लोग बथुआ खाकर और बरगद के पेड़ के अंकुए खाकर 3-3 महीने रहते हैं । नारकीय जीवन रहता है । चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों या विरोधी दल के हों, जो जीवन वह लोग जी रहे हैं, उनको भुखमरी से निजात दिलाने का काम कीजिये ।

आप कहते हैं कि जिला सेक्टर से पैसा ले लीजिये । अभी गूल बनने का मामला था, आपने कहा कि जिला सेक्टर से पैसा ले लीजिये । वह पैसा कितना कम होता है कि ये काम नहीं हो सकते । एक करोड़, दो करोड़ रु0 में से कहां

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुख्तार अनीस--]

से मिल सकता है। आप सुनिश्चित कीजिये की जिला सेक्टर से नहीं बल्कि राज्य सेक्टर से तमाम समस्याओं को हल करने के लिये अपनी कोशिश भर धन दीजिये। जिला सेक्टर 10-15 हजार रु0 दे देगा, उससे समस्या का हल नहीं होने वाला है। इस योजना को अपने स्तर पर लें। इस सदन की कमेटी बना दें ताकि पूरी बातों की जांच हो जाय, अधिकारी जांच कर लें, माननीय मन्त्री जी स्वयं दौरा कर लें। इस समस्या के निदान के लिये विशेष कार्यवाही करें और राहत देने का काम करें।

*श्री वीर बहादुर सिंह--

अभी चर्चा की हालांकि माननीय सदस्यों ने जो समस्यायें हैं उनके बारे में प्रकाश डाला था। यह बात सही है कि जो पोषक नहर है, जो बड़ी नहर है, इसकी लाइनिंग अगर की गयी होती तो यह समस्या जो आज पैदा हो रही है, न हुई होती। अगर आज लाइनिंग करना चाहें तो 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो मान्यवर आप यह देखें कि हमारे पास जो साधन हैं हम उसके अन्दर ही करेंगे, कोई झूठा वायदा नहीं करना चाहते तो पूरा न हो सके, जो वह अच्छी बात नहीं होगी। सीतापुर में जो ड्रेन बनाने की बात कही गयी, वह हम कर रहे हैं। 6,262 हेक्टेयर भूमि, जो सीपेज और जल-प्लावन से क्षतिग्रस्त हुयी है, उसमें से 2,500 हेक्टेयर भूमि को हम काम के लायक ठीक कर पाये हैं और 37 सौ हेक्टेयर भूमि भी जो सीपेज और जल-प्लावन से प्रभावित हुयी है, तो इसके लिए भी हमने 20 ड्रेन्स बनाने की योजना बनाई है। साथ ही साथ जो क्षेत्र बाढ़ आदि से प्रभावित हैं घाघरा व चोका नदियों आदि से, इसके लिए भी हमने योजना बनाई है जो बाराबंकी तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक हुयी थी, उसमें स्वीकृत हो गयी है। अब इसे गंगा कंट्रोल बोर्ड भेज दिया गया है ताकि वहां से जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्राप्त हो जाए और काम शुरू कर दिया जाए साथ ही महमूदाबाद में बाढ़ नियन्त्रण के लिए भी एक योजना बनाई गयी ताकि अन्य नदियों से जो बाढ़ आती है, उसको रोका जाए और जैसा कि माननीय प्रदीप जी ने कहा कि जब तब नहरों को पक्का नहीं किया जायेगा, तब इस प्रकार की सीपेज की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।

यह बात सही है कि हमारे बहुत से पैक्ट ऐसे हैं जो नहरों के ऊपर बहते हैं। तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हम इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं साथ ही हमें इसके दूसरी ओर भी देखना पड़ता है कि हमारे सीमित साधन हैं फिर भी हमने यह कोशिश की है कि वहां पर ड्रेन्स बनाई जायें और इसके साथ ही साथ टयूबवेल्स भी लगाये जाएं, जिससे सिंचाई का कार्य सुचारु रूप से हो सके। साथ ही साथ जिन नदियों और नालों की वजह से भी वहां पर अवरोध पैदा हो गया है, उनके बहाव को ठीक किया जाय ताकि जो पानी रुक जाता है, वह न रुके। हमने इन सारी बातों की जानकारी आपको दे दी इसलिए दे दी कि माननीय सदस्यगण यह समझ सकें कि यह सरकार हर प्रकार से आपकी समस्याओं को हल करना चाहती है, लेकिन कहीं-कहीं पर हमें भी मजबूर होना पड़ता है जैसे हमें इस समय 30 करोड़ रु0 की आवश्यकता है बाढ़ जल-प्लावन और बांध वगैरह से निपटने के लिए, लेकिन हमारे पास 10 करोड़ रु0 ही हैं। इतने बड़े प्रदेश में जहां पर इतनी नदियां हैं, नाले हैं, बांध हैं व अन्य तमाम परिस्थितियां हैं, इन सब से निपटने के लिए केवल 10 करोड़ रुपया है। इसलिए

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो हम करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं, जिससे माननीय सदस्यों को भी कष्ट होता है और हमको भी हम चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हमारे यहां की हैं, उनका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि जो आये दिन प्राब्लम्स होती हैं, वह पैदा नहीं। दूसरे लखीमपुर खंड की बात कही गयी, मैंने उसमें कह दिया है कि वह रहेगा।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11-00 पूर्वाह्न में फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 4 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
8 सितम्बर, 1983

भालचन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित श्री मुईद अहमद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर का संलग्नक ।

हाउस जाब प्रशिक्षण हेतु आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों के स्नातकों के लिये जिला मुख्यालय और तहसील स्तर के चिकित्सालयों का विवरण :—

क्रम-सं0	जिला मुख्यालय स्तर के चिकित्सालय का नाम	तहसील स्तर के चिकित्सालय का नाम	कुल संख्या
1	2	3	4
1	सीतापुर		
2	बहराइच		
3	उन्नाव		
4	हरदोई		
5	शाहजहांपुर		
6	पीलीभीत		
7	बांदा		
8	उरई जालौन		
9	हमीरपुर		
10	गाजीपुर		
11	फतेहपुर		
12	सुल्तानपुर		
13	बलिया		
14	मैनपुरी		
15	अल्मोड़ा		
16	चमोली (गोपेश्वर)		
17	पिथौरागढ़		
18	हल्द्वानी नैनीताल		
19	टिहरी गढ़वाल		
20	हापुड़ गाजियाबाद		
21	ललितपुर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
22		जी0 डी0 चिकित्सालय हरिद्वार, सहारनपुर	
23		चन्दौसी, मुरादाबाद	
24		शिकोहाबाद, मैनपुरी	
25	बिजनौर		
26	बदायूं		
27	बुलन्दशहर		
28		हाथरस, अलीगढ़	
29		खुरजा, बुलन्दशहर	
30		सम्भल, मुरादाबाद	
31		अमरोहा, मुरादाबाद	
32		रुड़की, सहारनपुर	
33		ज्ञानपुर, वाराणसी	
34		काशीपुर, नैनीताल	
35		फरीदपुर, बरेली	
36		बहेड़ी, बरेली	
37		नगीना, बिजनौर	
38		कासगंज, एटा	
39		कन्नौज, फर्रुखाबाद	
40		हर्रैया, बस्ती	कुल 40 (चालीस)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

संलग्नक—1

उत्तर प्रदेश जल निगम के सिविल व मैकेनिकल कैडर के अवर अभियन्ताओं के नाम जिनके नियमितीकरण, स्थायीकरण व सेलेक्शन ग्रेड के मामले दिनांक 1-1-79 को रोक दिये गये थे :

क्रम-सं0	अवर अभियन्ता का नाम	कैडर	रोका गया मामला
1	2	3	4
1	श्री विनोद कुमार शर्मा	सिविल	नियमितीकरण
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सिविल	नियमितीकरण
3	श्री विजय कुमार भाटिया	सिविल	नियमितीकरण
4	श्री विशाल अहमद	सिविल	नियमितीकरण
5	श्री मो0 जलील अन्सारी	सिविल	नियमितीकरण
6	श्री राजन कुमार	सिविल	नियमितीकरण
7	श्री भगवान दास	सिविल	नियमितीकरण
8	श्री बृज पाल सिंह	सिविल	नियमितीकरण
9	श्री कैलाश ठाकुर	सिविल	नियमितीकरण
10	श्री कृष्ण विश्वकर्मा	सिविल	नियमितीकरण
11	श्री हीरा बल्लभ भट्ट	सिविल	नियमितीकरण
12	श्री महेश्वरी दत्त दूबे	सिविल	नियमितीकरण
13	श्री तारा प्रसाद श्रीवास्तव	सिविल	नियमितीकरण
14	श्री सुशील कुमार शर्मा	सिविल	नियमितीकरण
15	श्री कुलदीप सिंह	वि0/यां0 (मैकेनिकल)	नियमितीकरण
16	श्री शंकर कुमार सरकार	सिविल	स्थायीकरण
17	श्री परमेश्वरी दयाल	सिविल	स्थायीकरण
18	श्री राज कुमार शर्मा	सिविल	स्थायीकरण
19	श्री सुदेश कुमार भाटिया	सिविल	स्थायीकरण

1	2	3	4
20	श्री रवीन्द्र कुमार मधवार	सिविल	स्थायीकरण
21	श्री मोहर सिंह प्रतिहार	सिविल	स्थायीकरण
22	श्री गोपाल सिंह सहगल	सिविल	स्थायीकरण
23	श्री पुरुषोत्तम सरन	सिविल	स्थायीकरण
24	श्री सीताराम सिंह	सिविल	स्थायीकरण
25	श्री अरुण कुमार कन्सल	सिविल	स्थायीकरण
26	श्री हरि प्रकाश विश्वकर्मा	सिविल	स्थायीकरण
27	श्री बिकार अहमद सिद्दीकी	सिविल	स्थायीकरण
28	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	सिविल	स्थायीकरण
29	श्री संदत हुसैन चौधरी	सिविल	स्थायीकरण
30	श्री जय करण	सिविल	स्थायीकरण
31	श्री इन्द्र मोहन लाल श्रीवास्तव	सिविल	स्थायीकरण
32	श्री मुरारी लाल	सिविल	स्थायीकरण
33	श्री महेन्द्र प्रसाद गुप्ता	सिविल	स्थायीकरण
34	श्री बिमल चन्द्र जैन	सिविल	स्थायीकरण
35	श्री युगल किशोर त्रिपाठी	सिविल	स्थायीकरण
36	श्री मदन मोहन अग्रवाल	सिविल	स्थायीकरण
37	श्री गजेन्द्र सिंह त्यागी	सिविल	स्थायीकरण
38	श्री मानेन्द्र कुमार गुप्ता	सिविल	स्थायीकरण
39	श्री इरफान अहमद खान	सिविल	स्थायीकरण
40	श्री रामाश्रय पंडित	सिविल	स्थायीकरण
41	श्री गणेश प्रसाद बिन्द	सिविल	स्थायीकरण
42	श्री रामेश्वर दास	सिविल	स्थायीकरण
43	श्री भगवान सिंह	सिविल	स्थायीकरण
44	श्री रामाधार भगत	सिविल	स्थायीकरण
45	श्री बाल बोध सिंह	सिविल	स्थायीकरण
46	श्री राज कुमार जैन	सिविल	स्थायीकरण

अमर उजाला

1	2	3	4
47	श्री विश्वनाथ प्रसाद शाह	सिविल	स्थायीकरण
48	श्री जयकान्त सिंह	सिविल	स्थायीकरण
49	श्री मदन मोहन श्रीवास्तव	सिविल	स्थायीकरण
50	श्री नागेन्द्र प्रसाद शर्मा	सिविल	स्थायीकरण
51	श्री राधे श्याम शुक्ल	सिविल	स्थायीकरण
52	श्री कृष्ण गोपाल मिश्र	सिविल	स्थायीकरण
53	श्री अयोध्या प्रसाद	सिविल	स्थायीकरण
54	श्री वीरेन्द्र नाथ सिंह	सिविल	स्थायीकरण
55	श्री दिवाकर द्विवेदी	सिविल	स्थायीकरण
56	श्री कमलेश प्रसाद सिंह	सिविल	स्थायीकरण
57	श्री बाल कृष्ण शर्मा	सिविल	स्थायीकरण
58	श्री छेदा सिंह शर्मा	सिविल	स्थायीकरण
59	श्री छोटे लाल सविता	सिविल	स्थायीकरण
60	श्री गोपाल प्रसाद रैकवार	सिविल	स्थायीकरण
61	श्री ओ0 पी0 दलेला	सिविल	स्थायीकरण
62	श्री भगवती प्रसाद भट्ट	सिविल	स्थायीकरण
63	श्री गिरीश चन्द्र दुर्गपाल	सिविल	स्थायीकरण
64	श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह	सिविल	स्थायीकरण
65	श्री हसनैन खां	वि0/यां0 (मैकेनिकल)	स्थायीकरण
66	श्री अमेश चन्द्र	वि0/यां0 (मैकेनिकल)	स्थायीकरण
67	श्री श्रीकान्त पान्डे	वि0/यां0 (मैकेनिकल)	स्थायीकरण
68	श्री वीर कुमार जैन	वि0/यां0 (मैकेनिकल)	स्थायीकरण
69	श्री विजय प्रकाश मिठास	वि0/यां0 (मैकेनिकल)	स्थायीकरण
70	श्री कन्हैया लाल द्विवेदी	वि0/यां0 (मैकेनिकल)	स्थायीकरण

1	2	3	4
71	श्री कुलदीप सिंह	वि0/यां0 (मैकेनिकल)	स्थायीकरण
72	श्री श्री प्रकाश सिंघल	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
73	श्री शंकर कुमार सरकार	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
74	श्री परमेश्वरी दयाल	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
75	श्री विष्णु कुमार शुक्ला	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
76	श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
77	श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
78	श्री रवीन्द्र कुमार मधवार	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
79	श्री पवन कुमार गुप्ता	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
80	श्री मोहन सिंह प्रतिहार	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
81	श्री गोपाल सिंह सहगल	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
82	श्री सीता राम सिंह	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
83	श्री अजय कुमार कंसल	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
84	श्री शिव राम मिश्रा	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
85	श्री बलिराम सिंह	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
86	श्री हरि प्रकाश विश्वकर्मा	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
87	श्री स्वतन्त्र कुमार चौहान	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
88	श्री विकार अहमद सिद्दीकी	सिविल	सेलेक्शन ग्रेड
89	श्री कुलदीप सिंह	वि0/यां0 (मैकेनिकल)	सेलेक्शन ग्रेड
90	श्री राम कृपाल गुप्ता	वि0/यां0 (मैकेनिकल)	सेलेक्शन ग्रेड
91	श्री आनन्द राम रावत	वि0/यां0 (मैकेनिकल)	स्थायीकरण
92	श्री गिरजा शंकर जोशी	वि0/यां0 (मैकेनिकल)	स्थायीकरण

टिप्पणी--क्रम संख्या 9, 29, 33, 34, 42, 47 तथा 48 पर उल्लिखित अवर अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यरत नहीं हैं ।

संलग्नक—2

उत्तर प्रदेश जल निगम के विद्युत्–यांत्रिकी (मैकेनिकल) कैडर के अवर अभियंताओं के नियमितीकरण, स्थायीकरण व सेलेक्शन ग्रेड के अनिर्णीत मामलों का विवरण :

क्रम सं0	अवर अभियंता का नाम	मामला जो अनिर्णीत है	अनिर्णीत रहने का कारण
1	2	3	4
1	श्री कुलदीप सिंह	नियमितीकरण	इनके विरुद्ध शिकायतों की जांच कार्यवाही चालू होने के कारण चयन समिति द्वारा संस्तुति, जो कि बन्द लिफाफे में थी, की गई थी कि यदि जांच के परिणाम-स्वरूप इनको दोषमुक्त पाया गया तो इन्हें नियमित कर दिया जायेगा । जांच पूर्ण हो चुकी है जिसमें श्री कुलदीप सिंह को दोषी पाया गया है और दण्ड दिया गया है । इस कारण इनके नियमितीकरण का मामला अभी अनिर्णीत है ।
2	श्री हसनैन खां	स्थायीकरण	श्री हसनैन खां की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं । सेवा समाप्ति के विरुद्ध श्री खां ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जो अभी विचाराधीन है । एक पद रिक्त रखा गया है जिस पर निर्णय उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार किया जायेगा ।
3	श्री उमेश चन्द्र	स्थायीकरण	इनके वर्ष 1975–76 के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित है । प्रतिकूल प्रविष्टि पर निर्णय तक एक पद रिक्त रखा गया है ।

1	2	3	4
4	श्रीकान्त पान्डे	स्थायीकरण	इनके वर्ष 1976–77 के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित है । प्रतिकूल प्रविष्टि पर निर्णय तक एक पद रिक्त रखा गया है ।
5	श्री वीर कुमार जैन	स्थायीकरण	इनके वर्ष 1975–76 के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित है । प्रतिकूल प्रविष्टि पर निर्णय तक एक पद रिक्त रखा गया है ।
6	श्री विजय प्रकाश मिठास	स्थायीकरण	इनके वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित है । प्रतिकूल प्रविष्टियों पर निर्णय तक एक पद रिक्त रखा गया है ।
7	श्री कन्हैया लाल द्विवेदी	स्थायीकरण	इनके वर्ष 1976–77 के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित है । प्रतिकूल प्रविष्टि पर निर्णय तक एक पद रिक्त रखा गया है ।
8	श्री कुलदीप सिंह	स्थायीकरण	अवर अभियंता के पद पर नियमितीकरण हो जाने के बाद इनके स्थायीकरण के मामले पर विचार किया जायेगा ।
9	श्री कुलदीप सिंह	सेलेक्शन ग्रेड	अवर अभियंता के पद पर अभी इनका नियमितीकरण/स्थायीकरण नहीं हो सका है । नियमितीकरण/स्थायीकरण हो जाने के बाद सेलेक्शन ग्रड दिये जाने के मामले पर बिचार करना सम्भव हो सकेगा ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर।)

रामपुर जनपद में 30 अप्रैल, 1983 तक केन्द्रानुसार गेहूं खरीद का विवरण :—

क्रम सं0	क्रय एजेन्सी का नाम	केन्द्र का नाम	30-4-83 तक गेहूं खरीद की मात्रा (मी0 टन में)
1	2	3	4
1	राज्य सरकार की हाट शाखा	रामपुर	103·1
2		बिलासपुर	18·1
3		बिलासपुर	10·0
4		केमरी	152·2
5		सुआनगला	35·5
6		लालावालाबाग	48·0
7		बलवन्त फार्म	27·8
8		टांडा	5·4
9		नवाबनगर	75·7
10		मिलक खानम	111·7
11		स्वार	28·9
12		शाहबाद	56·5
13		मिलक	8·2
14	उ0 प्र0 राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम	रामपुर	12·0
15		मिलक	61·7
16		बिलासपुर	125·8

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
	उ0 प्र0 राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम	नरखेड़ा	102·0
18		भोट	51·0
19		केमरी	56·4
20		ईसानग	361·7
21	यू0 पी0 एग्रो	मिलक	30·0
22		स्वार	20·0
23		मसवासी	10·0
24	प्रान्तीय सहकारी संघ	कोयला	51·6
25		भोट	63·7
26		अजीतपुर	54·6
27		दिलपुरा	48·3
28		करनपुर	56·7
29		खोद	4·1
30		काशीपुर	15·6
31		लालपुर	87·6
32		सैदनगर	81·0
33		टांडा	91·0
34		खेमपुर	24·3
35		बिजारखाता	12·5
36		माटखेड़ा	83.6
37		दड़ियांल	37.8
38		समोदिया	33.5
39		चन्दुपुरा शुमाली	40.3
40		छितरिया जागीर	55.7
41		शिबपुरी पिस्तौर	15.0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
42		बिलासपुर	123.9
43		बिलासपुर-2	117.6
44		बिलासपुर-3	55.0
45		बेगमाबाद	270.0
46		कोठा जागीर	10.0
47		गदा	19.4
48		गोदी	127.0
49		रमपुरा	394.0
50		नवाबगंज	42.2
51		पंजाब नगर	45.0
52		कैमरी	59.5
53		अनवरिया	53.0
54		बंगाली कालोनी	139.9
55		शाहबाद	210.0
56		मित्रपुर	60.7
57		शाहबाद	110.0
58		खरसौल	60.3
59		मधुकर	91.5
60		संफनी	55.5
61		मथुरापुर कलां	15.7
62		टाण्डा, शाहबाद	63.4
63		डहोरिया	14.9
64		बड़ा गांव	68.0
65		ढकिया	59.0
66		घमोरा	122.0
67		रंठोडा	12.6
68		बबरा	39.4
69		क्योरार	12.4
70		परम	15.2
71		लौहा पट्टी भोला नाथ	12.0
72		रहसेना	52.9
73		लखीमपुर भोखा	34.3
74		क्रमचा	50.4
75		धनैली उत्तरी	31.0
76		ढक्का हाजी नगर	26.4
		योग ..	5041.7

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये अतांराकित प्रश्न संख्या 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

जनपद बरेली में रबी मार्केटिंग वर्ष 1983-84 में 30 अप्रैल, 1983 तक निम्नलिखित खरीद केन्द्रों पर गेहूं खरीद शुरू हो गई थी:—

क्र0 सं0	क्रय केन्द्र का नाम	मात्रा कुन्तल में
	उ0 प्र0 सहकारी संघ—	
1	सहकारी संघ, कैसरपुर	416.00
2	लिलौर सहसा	422.00
3	सिरौली व्यास	286.00
4	भमोरा सहकारी संघ	200.00
5	कुंवरपुर तुलसी	219.00
6	भोजीपुरा	221.00
7	पचपेडा	958.00
8	फतेहगंज (पूर्वी)	356.00
9	दलपुरा	359.00
10	दलेल नगर	122.00
11	फिरोजपुर	581.00
12	विलवा	145.00
13	भिडोलिया	70.00
14	आंवला क्रय विक्रय	587.00
15	आवला सहकरी संघ	100.00
16	बरेली (प्रथम)	53.00
17	डी0 सी0 डी0 एफ0 फरीदपुर	500.00
18	अटा मान्डा	192.00
19	नवाबगंज	124.00
20	सतुइया खुर्द	25.00
	योग ..	5936.00

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3
	राज्य सरकार की हाट शाख--	
21	भोजीपुरा	705.00
22	फतेहगंज ((पूर्वी)	1085.00
23	आंवला क्रय विक्रय	1739.00
24	बरेली (प्रथम)	511.00
25	बरेली (द्वितीय)	516.00
26	रिठौरा	611.00
27	हाफिजगंज	535.00
28	नवाबगंज	788.00
29	बरखन	807.00
30	धौराटांडा	52.00
31	रिछा	11.00
32	बहेड़ी	80.00
33	उत्तमनगर	110.00
34	फतेहगंज (प0)	142.00
35	शीशगढ़	565.00
36	शेरशगढ़	325.00
37	दुनका	60.00
38	देवचरा	1415.00
39	विशारतगंज	288.00
	योग ..	10345.00
	उ0 प्र0 राज्य खाद्य तथा आ0 व0 नि0--	
40	फतेहगंज (पूर्वी)	1146.00
41	नवाबगंज	320.00
42	बरखन	140.50
43	बहेड़ी	327-00
44	शीशगढ़	466.00
45	फरीदपुर	1044.20
46	भुडिया फार्म	1362.00
	योग ..	4805.70

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
	भारतीय खाद्य निगम—	
47	आँवला क्रय विक्रय	40.00
48	नवाबगंज	270.00
49	रिठौरा	310.00
50	बहेड़ी	240.00
51	फरीदपुर	500.00
	योग ..	1360.00
	यू0 पी0 एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन—	
52	भोजीपुरा	184.00
53	आँवला क्रय विक्रय	186.10
54	नवाबगंज	31.40
55	फरीदपुर	600.65
	योग ..	1002.15
	पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम—	
56	नवाबगंज	358.00
57	शीशगढ़	618.00
58	भुडिया फार्म	237.00
	योग ..	1213.00
	कुल योग:—	24661.85

	क्रय एजेन्सी	क्रय केन्द्र	खरीद
1	उ0 प्र0 सहकारी संघ	20	5936.00
2	राज्य सरकार की हाट शाखा	19	10345.00
3	उ0 प्र0 राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम	7	4805.70
4	भारतीय खाद्य निगम	5	1360.00
5	यू0 पी0 एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन	4	1002.15
6	पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम	3	1213.00
	योग, 6 ..	58	24661.85

विधान सभा प्रदर्शन विभाग

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

नगरपालिका शाहजहांपुर को वर्ष 82–83 में स्वीकृत अनुदानों का विवरण

वर्ष 82–83 में

	मद	उपलब्ध कराई गई धनराशि	किए गए व्यय का विवरण
		रु0	
1	साधारण सड़क अनुदान	6,04,000	दिनांक 31–7–83 तक रूपये 4,14,547.83 पैसे सड़कों आदि की मरम्मत, निर्माण आदि में व्यय किए गए, रु0 1,89,452.17 पैसे शेष थे जो वेतन आदि के वितरण में व्यय कर दिए गए।
2	बाढ़ एवं अतिवृष्टि हेतु विशेष सड़क अनुदान	1,00,000	वेतन आदि के वितरण पर व्यय किया गया।
3	बाढ़ एवं अतिवृष्टि क्षतिग्रस्त स्थानीय निकायों की जल सम्पूर्ति योजना हेतु अनुदान	1,00,000	रु0 73,722.38 पैसे जल सम्पूर्ति के कार्यों में व्यय किये गये तथा रुपये 26,277.62 पैसे अवशेष हैं।
4	पथकर क्षतिपूरक अनुदान	7,49,630	सम्पूर्ण धनराशि वेतन वितरण में व्यय की गई।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 119 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित श्री कुंवर सिंह नेगी द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या 119 के उत्तर का संलग्नक

जनपद चमोली को मिट्टी तेल, चावल एवं गेहूं के मासिक आवंटन एवं प्रापूर्ति के सम्बन्ध में अपेक्षित विवरण निम्नवत् है :—

माह	वर्ष	मिट्टी का तेल (मात्रा कि0 ली0 में)		चावल (मात्रा मी0 टन में)		गेहूं (मात्रा मी0 टन में)	
		आवंटन	आपूर्ति	आवंटन	आपूर्ति	आवंटन	आपूर्ति
अप्रैल	1983	125	149.0	1,070	703.0	1,400	1,422.2
	1982	320	178.2	1,000	1,113.8	800	1,063.2
मई	1983	300	311.3	1,500	1,178.1	1,900	1,369.0
	1982	220	206.4	2,000	1,648.6	1,400	743.5
जून	1983	350	181.0	1,700	1,770.0	2,200	794.2
	1982	220	196.5	1,200	1,317.6	1,150	809.0

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर)

सूची 1

क्रमांक	पद नाम
1	औषधि निरीक्षक
2	कीट सहायक
3	सहायक कीट विशेषज्ञ
4	संख्याविद्
5	जिला प्रशासनिक अधिकारी
6	एन्टामोलोजिस्ट असिस्टेन्ट
7	मैट्रन
8	प्रिंसपल ट्यूटर
9	अधीक्षिका
10	सीनियर मैट्रेन
11	एम0 ओ0 111
12	सहायक लेखाधिकारी
13	जिला मलेरिया अधिकारी
14	योगिक एक्सपर्ट
15	ए0 पी0 ओ0 सहायक परियोजना अधिकारी (मातृ एवं शिशु कल्याण)
16	सहायक कीट विशेषज्ञ
17	कीट सहायक (सेलेक्शन ग्रेड)

सूची 2

1	सहायक विद्युत् यांत्रिक (हेड क्वार्टर)
2	स्टुवार्ड
3	बी0 सी0 जी0 टेक्नीशियन
4	ज्येष्ठ लिपिक
5	सेनेटरी इंसपेक्टर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
6	फार्मेसिस्ट (सेलेक्शन ग्रेड)
7	वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक
8	मलेरिया निरीक्षक
9	सर्वेलन्स निरीक्षक
10	चेचक पर्यवेक्षक
11	हेल्थ विजिटर
12	संकलक
13	कम्प्यूटर
14	कम्प्यूटर/क्लर्क
15	संख्या सहायक
16	बी0 सी0 जी0 टेक्नीशियन
17	स्टाफ नर्स
18	प्रधान लिपिक
19	मैकेनिकल ड्राफ्टमैन
20	विद्युत् यांत्रिक
21	शिल्पी
22	ड्राफ्टमैन
23	सहायक मलेरिया अधिकारी
24	सहायक अधीक्षक
25	मुख्य सहायक
26	मुख्य खाद्य निरीक्षक
27	पब्लिक हेल्थ पर्स
28	ट्यूटर (अराजपत्रित)
29	सिस्टर/वार्ड मास्टर
30	जूनियर फोरमैन कम हेड मैकेनिक
31	आकूपेशनल थेरेपिस्ट
32	मैशियोर

अविरल प्रदेश विधान सभा

1	2
33	फिजियोथेरेपिस्ट
34	बाइलोजिस्ट
35	सांख्यिकी सहायक
36	प्रसार शिक्षक
37	टेक्नोलाजिस्ट
38	असिस्टेन्ट मैट्रन
39	पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर
40	ट्यूटर सामान्य (अपचारिका प्रशिक्षण)
41	थियेटर सुपरवाइजर
42	चीफ फार्मेसिस्ट
43	स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिक्षक
44	सोशल साइन्सेज इस्ट्रक्टर
45	स्वास्थ्य शिक्षा निरीक्षक
46	सीनियर फोरमैन ग्रेड
47	सीनियर फोरमैन ग्रेड
48	जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
49	राज्य प्रशिक्षण अधिकारी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 169 का उत्तर पीछे पृष्ठ 97 पर)

अनशनकारियों की मांगों पर दिए गए आश्वासन	कृत कार्यवाही
1--बनखंडी स्थित शौचालय के निर्माण के सम्बन्ध में एस्टीमेट बनाकर राज्य सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा शासन से अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त शौचालय का निर्माण कराया जावेगा	1--शौचालय के निर्माण हेतु नगरपालिका द्वारा मांगा रु0 63,450 का अनुदान शासन द्वारा वित्तीय व्यवस्था न होन के कारण स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हुआ। जिला मजिस्ट्रेट को तद्नुसार सूचित कर दिया गया है।
2--अवैध कब्जा हटाने हेतु स्टे निरस्त होते ही कार्यवाही की जावेगी	2--नगरपालिका द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु न्यायालय से स्थगन आदेश को समाप्त कराने की कार्यवाही की जा रही है।
3--पोने के पानी के 20 स्टैंड पोस्टों की तुरन्त मरम्मत कराई जावेगी	3--नगरपालिका द्वारा विभिन्न स्थानों पर 28 स्टैंड पोस्टों की मरम्मत करा दी गई है तथा 2 नए स्टैण्ड पोस्ट भी लगवा दिए गए हैं।
4--सड़क व खंड़जों की राजकीय सड़क अनुदान के अन्तर्गत तुरन्त मरम्मत करा दी जावेगी	4--सड़क व खंड़जों की मरम्मत हेतु रु0 71,405·06 के खंड़जे व नाले के निर्माण कार्य राजकीय निर्माण के अन्तर्गत करा दिए गए हैं।
5--नाले को पक्का कराने हेतु शासन से अनुदान प्राप्त होते ही कार्यवाही की जावेगी	5--वनखंडी व सुभाषनगर स्थित नाले को पक्का कराने हेतु नगरपालिका द्वारा मांगा गया रु0 3,48,000 का अनुदान शासन द्वारा वित्तीय व्यवस्था न होने के कारण स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हुआ। जिला मजिस्ट्रेट को तद्नुसार सूचित कर दिया गया है।
6--सीवर लाइन डालने के लिए राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होन के उपरान्त सीवर लाइन डलवाई जावेगी	6--धनाभाव के कारण मथुरा नगर की सीवर योजना इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है।

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 170 का उत्तर पीछे पृष्ठ 97 पर)

मथुरा एवं कोसी में स्थित उचित मूल्य की दूकानों की सूची जिनके द्वारा पाम आयल, रेपसीड आयल आवंटित किया गया

मथुरा शहर--

1--सी0 सी0 एस0, सदर बाजार

2-- ,, केशोपुरा

3-- ,, पुलिस लाइन

4-- ,, महिला बाजार

5-- ,, मथुरा कैंट

6-- ,, महोलीपौर

7-- ,, रामजी द्वारा

8-- ,, मथुरा जंक्शन

9-- ,, चौक बाजार

10-- ,, द्वारकेश

11--एम0 डब्लू0 सी0 सी0 एस0, भरतपुर गेट

12--डी0 सी0 एफ0, कच्ची सड़क

13-- ,, मंडी राम दास

14-- ,, कुशक गली

15-- ,, बंगाली घाट

16-- ,, छत्ता बाजार

17-- ,, चूना कंकड़

18-- ,, दलपत खिड़की

19-- ,, भैंस बहोरा

20-- ,, अन्ता पाड़ा

21-- ,, जनरलगंज

22-- ,, बहादुरपुर

23-- ,, सदर बाजार

24-- ,, रेजीमेन्टल

25-- ,, बाढ़पुरा

26-- ,, डीग गेट

विधान सभा सचिवालय

27--डी0 सी0 एफ0, भूतेश्वर

28-- ,, रिटेलशाप डेम्पियर

29-- ,, जगदीश प्रसाद अग्रवाल, कृष्णनगर

30--गिरराजमल चन्द्रभान, डीग गेट

31--मथुरानाथ शर्मा, डीग गेट

32--रामजी दास गुप्ता, बृन्दाबन गेट

33--श्रीमती लक्ष्मी देवी, शाहगंज

34-- ,, स्नेहलता, जनरलगंज

35-- ,, जड़ाव देवी, चौक बाजार

36--बाबूलाल घीयामंडी

37--जान मोहम्मद, मटिया गेट

38--लाड़ली प्रसाद, लालगंज

39--बहाजुद्दीन, रामगंज

40--अब्दुल रशीद, मनोहरपुरा

41--जगन्नाथ बल्लभनाथ, कंसखार

42--बद्री प्रसाद गया प्रसाद, नौगजा

43--भगवान दास, मनोहरपुरा

44--शान्ती स्वरूप अग्रवाल, डेम्पियर

45--नेमीचन्द जैन, बनखंडी

46--मो0 इदरीस मो0 यूसुफ, भरतपुरगेट

47--रामबाबू गौतम, धौलीप्याऊ

48--सुनील कुमार, बद्रीनगर

49--सी0 सी0 एल0, धौलीप्याऊ

50--अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा

कोसी--

1--एन0 एल0 गुप्ता एन्ड संस, फरेटीबाजार

2--निरंजन लाल, तुलसी दास मार्ग

3--शिवचरन शर्मा, बिहारीपुरा

4--रमेशचन्द पुत्र उदयराम, घंटाघर

5--दामोदर दास, सुभाषबाजार

6--शेख नन्नूसा, ठाबाढ़िया

7--डी0 सी0 एफ0, बाजारकलां

8--क्रय-बिक्रय सहकारी समिति, सरायशाही

9--एल0 एल0 एस0 1 सरायशाही

10--एल0 एल0 एस0 11 इन्दरगंज

नत्थी "ञ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 193 का उत्तर पीछे पृष्ठ 105 पर)

संलग्नक "क"

जनपद बरेली में रबी मार्केटिंग वर्ष 1983-84 में 30 अप्रैल, 1983 तक निम्नलिखित खरीद केन्द्रों पर गेहूं खरीद शुरू हो गई थी :

क्रम-संख्या	क्रय केन्द्र का नाम
	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ
1	सहकारी संघ, कैसरपुर
2	लिलौर सहसा
3	सिरौली व्यास
4	भभौरा सहकारी संघ
5	कुंवरपुर तुलसी
6	भौजीपुरा
7	पचपेड़ा
8	फतेहगंज (पूर्वी)
9	दलपुरा
10	बलेलनगर
11	फिरोजपुर
12	बिलवा
13	भिडौलिया
14	आंवला क्रय विक्रय
15	आंवला सहकारी संघ
16	बरेली (प्रथम)
17	डी0 सी0 डी0 एफ0, फरीदपुर
18	आटा मान्डा
19	नवाबगंज
20	सकुइया खुर्द

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	क्रय केन्द्र का नाम
	राज्य सरकार की हाट शाखा
21	भोजीपुरा
22	फतेहगंज (पूर्वी)
23	आंवला क्रय विक्रय
24	बरेली (प्रथम)
25	बरेली (द्वितीय)
26	रिठौरा
27	हाफिजगंज
28	नवाबगंज
29	बारखन
30	धौरा टांडा
31	रिछा
32	बहेड़ी
33	उत्तमनगर
34	फतेहगंज (प0)
35	शीशगढ़
36	शेरगढ़
37	बुनका
38	देवचरा
39	विशारतगंज
	उ0 प्र0 राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम
40	फतेहगंज (पूर्वी)
41	नवाबगंज
42	बरखन
43	बहेड़ी
44	शीशगढ़
45	फरीदपुर
46	मुडिया फार्म

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	क्रय केन्द्र का नाम
	भारतीय खाद्य निगम
47	आंवला क्रय विक्रय
48	नवाबगंज
49	रिठौरा
50	बहेड़ी
51	फरीदपुर
	यू0 पी0 एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन
52	भोजीपुरा
53	आंवला क्रय विक्रय
54	नवाबगंज
55	फरीदपुर
	पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम
56	नवाबगंज
57	शीशगढ़
58	भुड़िया फार्म

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक "ख"

बरेली जनपद में रबी मार्केटिंग वर्ष 1983-84 में दिनांक 15 मई, 1983 तक गेहूं खरीद का केन्द्रवार विवरण :—

क्रम-संख्या	क्रय-केन्द्र का नाम	मात्रा (कुन्तल में)
	प्रान्तीय सहकारी संघ	
1	बहेड़ी I	99·00
2	बहेड़ी II	1,560·00
3	फरीदपुर	470·00
4	फतेहगंज पूर्वी	1,875·00
5	आंवला	1,080·00
6	भुता	2,510·00
7	नवाबगंज	1,000·00
8	सिमराबोरीपुर	182·00
9	बरेली 1	451·00
10	भोजीपुरा	1,160·00
11	आटा मांडा सह0 संघ	815·00
12	मीरगंज	1,087·00
13	मुगलपुर	119·00
14	सिधौली	329·00
15	बिलवा	150·00
16	भिडौलिया	727·00
17	रिठौरा	988·00
18	फरीदपुर डी0 सी0 डी0 एफ0	4,560·00
19	दलपुरा	1,937·00
20	गिरधरपुर	750·00
21	पचपेडा	4,790·00
22	फिरोजपुर	1,960·00
23	हथमना	1,575·00

क्रम-संख्या	क्रय केन्द्र का नाम	मात्रा (कुन्तल में)
24	आंवला सहकारी संघ	1,750·00
25	भमोरा	820·00
26	बलिया	800·00
27	लिलौर सहसा	1,680·00
28	महमूदपुर	1,300·00
29	केसरपुर	2,359·00
30	राजपुर कलां	1,850·00
31	राजपुर कला सह0 संघ	720·00
32	हाफिसगंज	1,740·00
33	सतुईया खुर्द	750·00
34	क्योलरिया	950·00
35	दलेलनगर	927·00
36	कुंवरपुर तुलसी	365·00
37	सियाठेरी	2,140·00
38	उरला	2,650·00
39	टिसुआ	1,400·00
40	सिरोली	1,276·00
41	गांधी नगर	269·00
42	तिलमत	605·00
43	नम्हमाव	750·00
44	करगैना	195·00
45	देवरेनिया	800·00
46	रजऊ परसपुर	328·00
47	साहो	18·00
48	भगवन्तपुर	1056·00
49	मैरपुर खजुरिया	93·00
50	भिलैया	300·00

उत्तर प्रदेश गजट

क्रम-संख्या	क्रय केन्द्र का नाम	मात्रा (कुन्तल में)
51	दुनका	220·00
52	अलीगंज	375·00
53	हरहरपुर भैरवा	1,777·00
54	हरहरपुर मटकली	1,353·00
55	कैसरपुर एफ० एस० एस०	810·00
	राज्य सरकार की हाट शाखा	
56.	बहेड़ी I	1,537·00
57	फरीदपुर	3,341·00
58	फतेहगंज पूर्वी	4,798·00
59	आंवला	5,003·00
60	नवाबगंज	4,264·00
61	बरखन	2,422·00
62	शीशगढ़	4,531·00
63	बरेली I	1,495·00
64	भोजीपुरा	2,125·00
65	रिठौरा	2,749·00
66	गिरधरपुर	249·00
67	हाफिसगंज	2,619·00
68	दुनका	948·00
69	अलीगंज	1,165·00
70	फतेहगंज पश्चिमी	802·00
71	रिछा	407·00
72	बरेली II	1,299·00
73	धौरा टांडा	298·00
74	उत्तमनगर	1,031·00
75	शेरगढ़	1,836·00
76	देवचरा	2,922·00
77	बिशारतगंज	2,150·00
78	पिपरानानकार	917·00

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	क्रय केन्द्र का नाम	मात्रा (कुन्तल में)
	उ0 प्र0 राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम	
79	बहेड़ी I	1,699·00
80	बहेड़ी II	210·00
81	फरीदपुर	1,897·45
82	फतेहगंज पूर्वी	4,234·70
83	आंवला	695·00
84	मीरगंज	894·00
85	भुड़िया फार्म	7,328·00
86	भुता	2,125·00
87	रामनगर	1,752·35
88	नवाबगंज	1,169·00
89	बरखन	1241·30
90	शीशगढ़	1,921·00
	भारतीय खाद्य निगम	
91	बहेड़ी I	3,202·00
92	फरीदपुर	2,840·00
93	आंवला	965·00
94	नवाबगंज	4,832·00
95	भोजीपुरा	635·00
96	रिठौरा	2,149·00
	उ0 प्र0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन	
97	फरीदपुर	3,187·35
98	आंवला	2,496·00
99	नवाबगंज	1,100·55
100	भोजीपुरा	800.00
101	भमोरा	454·65
102	शाही	69·00
103	फतेहगंज पश्चिमी	352·60
104	रिछा	96·00
	पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम	
105	भुड़िया फार्म	1910·00
106	नवाबगंज	2,190·00
107	शीशगढ़	3,430·00
108	सैदपुर	2 300·00
109	बेवलवसन्तपुर	3,000·00
110	मिलेट्रो फार्म	570·00
	कुल योग ..	1,73,253·95

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ 122 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के लिए डा० शिवानन्द नौटियाल तथा श्री जसवन्त सिंह बिष्ट द्वारा पूछा गया अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं एवं गढ़वाल मन्डलों में राजकीय चिकित्सालयों में जो 250 पुरुष डाक्टरों तथा 30 महिला डाक्टरों के स्थान 31-1-1982 को रिक्त थे उनके रिक्त रहने के क्या विशेष कारण हैं उनको भरने के लिए शासन ने अब तक क्या कारगर उपाय किये हैं ?	गत वर्ष रिक्तियों के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग में भेजे गए थे । पुरुष चिकित्सकों की रिक्तियां विज्ञप्ति हो चुकी हैं । चयन में शीघ्रता कराने के लिए शासन प्रयत्नशील है व साथ ही सम्भावित विलम्ब को देखते हुए तदर्थ नियुक्ति करना भी विचाराधीन है ।

लोकपति त्रिपाठी,

स्वास्थ्य मन्त्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 194 पर)

परिशिष्ट "क"

न्यायिक अधिकारियों की मांगें

(1) उच्चतर न्यायिक सेवा का रुपया 1420–2400 का वेतनमान बदल कर रुपये 1600–2600 कर दिया जाय क्योंकि रुपये 1420–2400 का नया वेतन मान पुराने वेतनमान रुपये 1000–2000 में केवल 394–00 रुपये का महंगाई भत्ता जोड़कर बना दिया गया है जिससे इस सेवा के अधिकारियों को अन्य सेवाओं के अधिकारियों, जिनका वेतनमान रुपये 1400–1800 से बदल कर 1840–2400 रु0 किया गया है और जिन्हें 600·00 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है, की तुलना में उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कोई लाभ नहीं हुआ।

(2) उच्चतर न्यायिक सेवा का सेलेक्शन ग्रेड 2300–2700 रुपये जो केवल महंगाई भत्ता जोड़कर बनाया गया है को बदल कर 2400–2800 कर दिया जाय क्योंकि 2300–2700 रु0 का वेतनमान कम है।

(3) उच्चतर न्यायिक सेवा में सेलेक्शन ग्रेड 15 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत के आधार पर स्वीकृत किया जाय ताकि सभी जिला जजों को सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त हो जाय।

(4) सेवा अधिकरणों तथा अन्य अधिकरणों में सदस्यों का वेतनमान 2700–3000 रुपये के बजाय 3000–00 रुपये नियत (fixed) किया जाय।

(5) सभी न्यायिक अधिकारियों को कोर्ट ड्रेस तथा विधिक पुस्तकें क्रय करने के लिये 100 रुपये प्रतिमाह विशेष प्रतिकर भत्ता दिया जाय।

(6) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को उच्च न्यायालय के जजों के समान घर के लिये दो सेवक दिये जायें। उसके बदले चपरासी वापस ले लिया जाय।

(7) जिला जज ही एक ऐसे कार्यालय अध्यक्ष हैं जिन्हें स्टाफ कार नहीं दी गयी। उन्हें जिले के सभी न्यायालयों का निरीक्षण करना पड़ता है। सभी जिला जजों को कार दी जाय।

(8) अतिरिक्त जिला जजों को 250 रुपये प्रतिमाह की दर से तथा शेष सभी न्यायिक अधिकारियों को 200 रुपये प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता दिया जाय।

(9) ऐसे न्यायिक अधिकारियों को, जिनके पास एल–एल0एम0 की डिग्री है, स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाय।

(10) न्यायिक अधिकारी चूंकि सेवा में विलम्ब से प्रवेश करते हैं, इसलिये उनकी सेवा में *Pension* हेतु 3 वर्ष जोड़ दिये जाया करें।

(11) तहसील स्तर पर तैनात सभी न्यायिक अधिकारियों को 75 रुपये प्रतिमाह दिये जायें। इस समय जिले में केवल एक ज्येष्ठ न्यायिक अधिकारी को 75 रुपये मिलते हैं।

पी0 एम0 यू0 पी0—93 वि0 सभा— 27–2–1984—813 (पी0 डी0)
91 वि0 सभा—17